TRIBAL WOMEN AND DISPLACEMENT: A CASE STUDY OF DANTEWADA AND BASTAR DISTRICTS IN CHHATTISGARH

Thesis submitted to Jawaharlal Nehru University

in fulfillment of the requirements

for the award of the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

MAMATA KARADE

CENTRE FOR WOMEN'S STUDIES

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY

NEW DELHI-110067

2017

CENTRE FOR WOMEN'S STUDIES
School of Social Sciences-II
Jawaharlal Nehru University
New Delhi-110067
Tel. : 91-11-26704166
E-mail : wonmenstudiesprogramme@gmail.com

Date: 19/07/017

DECLARATION

I, Mamata Ramcharan Karade, hereby declare the thesis entitled **"Tribal Women and Displacement: A Case Study of Dantewada and Bastar District in Chhattisgarh"** submitted by me for the award of the degree of **Doctor of Philosophy** of Jawharlal Nehru University is my own work. The thesis has not been submitted for any other degree of this University or any other university.

MAMATA RAMCHARAN KARADE

CERTIFICATE

We recommend that this thesis be placed before the examiners for evaluation.

DR. LATA SINGH

(Chairperson, CWS)

PROF. G. ARUNIMA

(Supervisor, CWS)

प्रो. जी. अरुणिमा / Prof. G. Arunima
महिला अध्ययन केंद्र/Centre for Women's Studies
सामाजिक विज्ञान संस्थान/School of Social Sciences-I
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
Jawaharlal Nehru University
नई दिल्ली/New Delhi-110067

आभार अभिव्यक्ति

आभार अभिव्यक्ति की श्रृंखला मैं सर्वप्रथम अपनी गुरु एंव निर्देशिका आदरणीय प्रो. डॉ. जी अरुणिमा की अत्यंत आभारी हूँ, जिनके मार्गदर्शन, सुझाव व् प्रेरणा नें मेरे आत्म-विश्वास को संबल बनाए रखा। कठीन समय में मेरे माता-पिता एंव सास- ससुर कि शोध कार्यावधि के दौरान, उनके हरसंभव सहयोग एंव मार्गदर्शन को कभी विस्मृत नही कर सकती। बिना उनके आशिर्वाद के प्रस्तुत शोध कार्य की पूर्णता मेरे लिये एक कठीन कार्य था।

इसी तारतम्य के अगले सोपान में जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय नई दिल्ली के स्त्री अध्ययन विभाग के सहा.प्रा.डॉ. मलारिका सिन्हा रॉय, सहा.प्रा. नवनीता मोखिल, सहा.प्रा. पापोरी बोरा इन सभी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जिन्होंने मेरे विषय से सबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसी के साथ मैं विभागाध्यक्ष प्रो. लता सिंह की आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे संकट के समय में मेरा योग्य मार्गदर्शन किया और सभी प्रकार से सहयोग प्रदान किया। इसके अतिरिक्ति विभाग के कर्मचारियों में, मैं विशेष आभार कंचन मान और धीरेन्द्र सिंह रावत को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हर समय मेरा मनोबल बढ़ाया और मेरा सही मार्गदर्शन किया।

छत्तीसगढ़ में विस्थापन पर काम करने की प्रेरणा मुझे अपनी पूर्व मार्गदर्शिका प्रा. इलीना सेन से मिली थी और इस कार्य को पूर्ण करने में उनका हमेशा सहयोग मिला जिसका आभार शब्दों में व्यक्त नही किया जा सकता इसके अलावा जब शोध शुरू किया था तब दन्तेवाड़ा के मा. प्रदीप सोनी सर जो NGO में कार्यरत हैं उनका हमेशा मुझे सहयोग मिला उन्ही के माध्यम से मुझे तथ्यों को एकत्रित करने में बहुत अधिक सहयोग प्राप्त हुआ। इसके अलावा कैम्प और गाँव के मुखिया चैतराम अटामी, सोनाराम, रामपाल उनका भी ह्रदय से धन्यवाद करती हूँ। इसके अलवा

उतरदाता के रूप में जिन महिलाओं को चुना था, जिनके बिना यह शोध कार्य संभव नही था इसलिए उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ।

मेरे हताहत मन के मनोबल को बनाए रखने में, मैं अपने पति श्री. वैभव कांबळे की प्रेरणा को ताउम्र नही भूल सकती, जिन्होंने पारिवारिक, आर्थिक, मन: संबंधों सभी दिक्कतों का यथाशक्ति निराकरण किया। और उनके इस सहयोग के अभाव के बिना मैं कभी भी अपना शोध कार्य पूर्ण नही कर सकती थी।

इसके अलावा मेरे सहपाठी जो अपने शोध कार्य के साथ मुझे भी अपना सहयोग दे रहे थे उसमें अपर्णा और प्रशांत और मनोंज भैया का मैं मन से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरे शोध कार्य में सहकार्य किया। इसके अलावा जिन्होंने पूर्ण रूप या आंशिक रूप से मेरी सहायता की है, परंन्तु उनका नाम अगर इस अभिव्यक्ति में नही लिखा गया उन सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ।

धन्यवाद

ममता कराडे

दिनांक 19/07/017

अनुक्रम

क्रमांक		पृष्ठ क्र.
आभार		I-II
प्रस्तावना		III-XXV
अध्याय .1	छत्तीसगढ़ में विकास और विस्थापन’	1-62
अध्याय . 2	अबुझमाड़ और सलवा जुडूम: शिविरों में विस्थापन’	63-126
अध्याय .3	अबुझमाड़ और सलवा जुडूम शिविरों का जीवन: सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक आयाम और हिंसा’	127-193
अध्याय .4	‘छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन नीति (2007)’ और ‘छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम (2005) एक विश्लेषण’	194-237
अध्याय .5	‘निष्कर्ष’	238-243
अध्याय	‘परिशिष्ठ’	244-291
अध्याय	‘संदर्भ सूची’	292-314

मानचित्र अनुक्रम

मानचित्र	*पृष्ठ क्र.*
छत्तीसगढ़	*3*
दन्तेवाड़ा	*4*
बस्तर	*5*
अबुझमाड	*16*
एलिकोंटा	*75*
मंगानार	*78*
मेटापाल	*81*
कासौली	*101*
बांगापाल	*105*
चितालंका	*109*
अबुझमाड़ क्षेत्र में गाँव (एलिकोंटा, मगनार, मेटापाल)	*129*
दंतेवाड़ा जिले में कैम्प (कसौली,बागापाल,चितालंका,)	*150*

संक्षिप्तीकरण

Adivasi	literally meaning Original habitant a term used to refer to indigenous tribal community in India
Tribal / Tribe	Term used to refer to Indigenous people in India
SEZ	Special Economic Zone
MOU	Memorandum of Understanding
Ashram School	Government run residential School in rural areas
Salwa Judum	literally meaning of "Pease March" one operation started by state Government
Bal sangam	Village level Naxalite children association
Block	Administrative division, several blocks make a district
CAF	Chhattisgarh Armed force, under the control of the Chhattisgarh State Government
CPI (Maoist)	Communist Party of India (Maoist) a prominent Naxalite political Party

CRPF	Central Reserve Police Force, Paramilitary Police under the Central of Indian Central Government
Naxalites	Term used to describe rebel groups in Indian that believe in the Maoist ideology.
Patel	Village headman
Sangam	Village level Naxalite association
Sarpanch	Village official-head of the gram panchayat
NREGA	National Rural Employment Guarantee Act 2005
MGNREG	MGNREG (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)
SPO	Special Police Officers Auxiliary Police Force
POTA	Prevention of Terrorism Act, 2002
PDS	. Public Distribution System
ITI	. Industrial Tarining Insitiutes

प्रस्तावना (Introduction)

प्रस्तूत शोध का विषय ‘आदिवासी[1] महिलाओं का विस्थापन[2]’ है। इस शोध के मुख्य तीन पहलू है। जिसमें विकास, विस्थापन, पुनर्वास इन तीनों का समावेश है। इस शोध के कार्यक्षेत्र में छत्तीसगढ़ के दो जिले (दन्तेवाड़ा और बस्तर) आते है। जहाँ विकास के लिए विस्थापन हुआ था। इस विषय को चयनित करने की प्रेरणा मुझे मेरी पूर्व एम्.फिल मार्गदर्शिका के कार्य से मिली, उनका छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं के आंदोलन को लेकर काम था। जिसे मैने उस दौरान पढ़ा था। उसी समय सन 2005 छत्तीसगढ़ राज्य में ‘सलवा जुडूम अभियान’ की शुरुवात हुई थी, यह अभियान दो वर्षो तक लगातार चलता रहा। सन 2008 में इस अभियान को सुप्रीम-कोर्ट के आदेश पर बंद करवा गया। जिससें बड़ी संख्या में आदिवासियों का विस्थापन हुआ था। सन 2010 के दौरान मुझे छत्तीसगढ़ जाने का अवसर मिला वहाँ जाने के बाद उन महिलाओं से बात कर विस्थापन की हिंसा को समझने का एक अवसर मिला। उसी से इस विषय पर कार्य करने की प्रेरणा मुझे मिली।

इसके अलावा जब यह अध्ययन शुरू किया तब प्राथमिक सर्वेक्षण मैंने किया था। जिसके आधार पर आप अपने विषय पर जो, अभी तक काम हुए है। उसी से अपने विषय पर एक समझ बना पाउगी। छत्तीसगढ़ में विकास और विस्थापन यहाँ अन्य स्थान की तरह ही है।

---

[1] आदिवासी / जनजाति - इस पुरे अध्ययन में आदिवासी शब्द का इस्तेमाल अनुसूचित जनजातियों और दुसरे ऐसे समूहों के लिए किया गया है जिनकी जीवनशैली और सांस्कृतिक स्तर अनुसूचित जनजातियों की तरह ही है इसमें जंगल और इसके आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले और इसके संसाधनों पर निर्भर सभी समुदायों को शामिल किया गया है यह समुदाय खुद आदिवासी होने का दावा करते है उस सभी समुदाय का अध्ययन इस शोध में किया गया है

[2] [2] ‘विस्थापन’ से मेरा तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या उसके पुरे परिवार या पुरे समुदाय को अपने मूल स्थान से उजाड़ कर नए स्थान पर बसने या बसाने के लिए मजबूर करने की प्रक्रिया को विस्थापन कहते है विस्थापित होने के पीछे कई कारण हो सकते है जो विकास के नाम पर औद्योगिकरण, विकास परियोजना, नैसर्गिक संसाधनों का बाजारीकरण इत्यादी कारण है‘विस्थापन’ भी दो प्रकार का होता है जिसमें स्वैच्छिक और अनैच्छिक होता है परंन्तु दोनों ही परिस्थितियों में मूलस्थान को छोड़ना पड़ता है।

सिर्फ इस विस्थापन के पीछे के राजनैतिक कारण अलग अलग होते है जिसे इस शोध में समझने का प्रयास किया है। आदिवासी विस्थापन को लेकर अभी तक कई अध्ययन हुए है। जिसका उल्लेख इस शोध-कार्यो में किया गया है। जिसमें 'नर्मदा से हुआ विस्थापन' जिसें अमिता बविस्कर ने अपनी पुस्तक "In The Belly of The River: Tribal conflicts over Development in the Narmada Valley" में बड़े बांध से हुए विस्थापन की समस्या को बताया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम से हुए आदिवासी विस्थापन को नंदनी सुंदर ने अपनी बुक "Burning Forest: India's War in Bastar" में विस्थापन की समस्या को बड़ी गभीरता से बताया है। इसके अलावा आदिवासी अधिकार को लेकर भी कई प्रश्न उठाए गये है। जिससे इस शोध कार्य को नयी दिशा मिली। सलवा जुडूम पर "Human Rights Commission" की रिपोर्ट में आदिवासियों पर हुई हिंसा को दिखाया गया जिससें हिंसा की गंभीरता को समझने में सहायता मिली। मनोज कुंजाम जिनका कार्य भी आदिवासी हिंसा, विस्थापन और अधिकार भी को लेकर है। जिससें इस विषय की गंभीरता को समझा जा सकता है। सलवा जुडूम अभियान से विस्थापित महिलाओं के जीवन में आए परिवर्तन को समझने के लिए इस शोध को स्त्री अध्ययन के दृष्टिकोण से समझना ही इस शोध का प्रयास था। सलवा जुडूम से हुई हिंसा भी किस तरह से लिंग (जेंडर) आधारित थी इसे शोध के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

इस शोध कार्य को तीन विभागों में बाट कर किया है। पहला विस्थापन के पूर्व का आदिवासी महिलाओं का जीवन, दूसरा राहत शिविरों में आदिवासी महिलाओं का जीवन, तीसरा पुनर्वास कैम्प में आदिवासी महिलाओं का जीवन इन तीनों को मिलाकर यह शोध-प्रबंध बना है। पहले और दुसरे अध्याय में छत्तीसगढ़ का परिचय जिसमें बस्तर, दन्तेवाड़ा में विकास से विस्थापन कैसे हुआ इस को प्रस्तुत किया है। दुसरे अध्याय में विस्थापन के पूर्व महिलाओं

के जीवन का विश्लेषण किया है। तीसरे अध्याय में सलवा जुडूम से महिलाओं पर हुई हिंसा का विश्लेषण किया गया है। चौथे अध्याय में सलवा जुडूम से विस्थापित हुए परिवारों के लिए निर्माण की गई, पुनर्वास नीति का विश्लेषण किया गया है पाचवे अध्याय में इन सब का निष्कर्ष है जिसमें इन सभी अध्याय का सार भी है।

विकास और विस्थापन का इतिहास

विकास और विस्थापन की यह प्रकिया आजादी के बाद ही नहीं शुरू हुई, बल्कि अंग्रेजों के शासन काल चली आ रही थी। इसे समझने के लिए हमे ब्रिटिश-काल के विकास परियोजनाओं को भी गहराई से समझना होगा। उस समय के समाज को अपने साधन स्त्रोतों से विहीन कर उनके सामाजिक अधिकारों का हनन करके तथा उनके पंरपरागत शिल्प कोशल्य व् देसी कारीगरी को नष्ट कर देने का काम अंग्रेजों के शासन काल में हुआ था। अठारवी शताब्दी तक भारत में बहुत बड़े इलाकों में उन आदिवासी का अधिपत्य था। जिसे आज हम 'ट्राइव्' के रूप में जाने जाते हैं। ट्राइव शब्द की उत्पत्ति मुलधातु 'टिबुज' से हुई है जिसका अर्थ है 'थ्री डिवीजन्स' यानी तीन प्रभाग।[3]

जनजातीय आबादी विश्व के लगभग सभी हिस्सों में पायी जाती है। आज की दुनिया में एक और तो शिखरपर सर्वाधिक विकसित या औधोगिक समुदाय है। तो दूसरी और लोग आदिमकालीन अवस्था में रह रहा समाज है। लम्बें समय से लगातार हो रहे विकास के दौरान समूची मानव जाति को किसी न किसी स्तर पर जनजातीय अस्तित्व के दौर से गुजरना पड़ा है इतिहास के एक बिन्दु पर संभवतह आज कि पिछड़ी जनजातियाँ और सर्वाधिक विकसित ओधोगिक समुदाय, विकास के समान स्तर पर थे, किन्तु परिस्थिति

[3] हरिश्चंद्र. उत्प्रेती, "*भारतीय आदिवासी*" सामाजिक विज्ञान हिन्दी रचना केन्द्रं. राजस्थान विश्वविद्यालय, पृ.1,2001.

संबधी विभिन्न विशिष्टताओं के कारण कुछ समुदाय प्रगति कर आगे बढ़ गये, जबकि दुसरे पीछे रह गये जिसे अब हम जनजाति कहते है ।

जनजातियो को परिभाषित करने के लिए कुछ सैध्दांतिक प्रयास भी हुए है। जिन्हें सामाजिक सांस्कृतिक विकास का एक चरण माना गया है। अन्य कुछ प्रमुख विधानों के अनुसार जनजातिय परिवार उत्पादन, उपभोग तक सिमित है।अन्य कृषि समाज कि तरह जनजातियाँ विस्तृत आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक ताने बने से संबन्धित ही है। जनजातियों और गैर-जनजातियों के बीच सदियों से लगातार अंतसबंध रहा है। जिसके फलस्वरूप असंख्य विचारों और संस्थाओं का परस्पर आदान प्रदान हुआ है।

आक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार 'जनजाति 'एक ऐसा जनसमूह है जो विकास की आदिम या बर्बर अवस्था में रह रहा है। जिसका एक प्रमुख होता है, और जो अपने को एक ही वंश का मानते है'[4] इम्पिर्रियल गजेटियर (भूगोल शब्दकोश) ऑफ इंडिया में जनजाति को 'परिवारों का समुह' कहा गया है जो एक समान नाम से जाना जाता है, जिसकी एक समान बोली होती है, एक समान क्षेत्र पर उसका कब्जा होता है और वह आमतोर पर सजातीय नही होता[5], हालाँकि उत्पति की दृष्टि से निशिचत ही वैसा रहा हो 'रैल्फ लिंन्टन'[6] के अनुसार साधारण अर्थ में जनजाति कबीलों का एक समुह है, जिसका एक समीत भूभाग पर कब्जा होता है और वह समुदाय संस्कृति की असंख्य समानताओ के बार बार संपर्को और विभिन्न सामुदायिक हितों की दुष्टि से एकता कि भावना से आबध्द होता है।

---

[4] The Oxford Dictionary (1998) gives the meaning of the tribe as follows. A race of people, now applied especially to a primary aggregate of people in a primitive or a barbarous condition, under a headman or chief.

[5] The Imperial Gazetteer of India, (1911) defined a tribe as a collection of families bearing a common name, speaking a common dialect, occupying or professing to occupy a common territory and is not usually endogamous though originally might have been so.'

[6] Ralph Linton- He was an American Anthropologist of the mid-20th century, particularly remembered for his texts *THE STUDY OF MAN* (1936).

अगर हम इसे अंतराष्ट्रीय संदभो से अलग हटकर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले अंग्रेजों ने जनजातियों के बारे में वर्गीकृत सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास किया 1891 की जनगणना रिपोर्ट में तत्कालीन जनगणना आयुक्त जे.ए.बैन्स ने जनजातियों को वन जातियाँ कहा था।[7] 1891 से 1947 तक की जनगणना रिपोर्ट में उन्हें विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है- जीववादी, पर्वतीय और वनीय जनजातियाँ आदिम जनजातियाँ, अदि आजादी के बाद की अवधि में 'जनजाति' शब्द के अर्थ में बहुत परिवर्तन आया है। भारतीय संविधान में विभिन्न जनजातियों को अनुसूचित किया गया और अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 322 (62) में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों का अर्थ है, ऐसी जनजातियाँ या जातीय समुदाय जिन्हें अनुच्छेद 324 में संवैधानिक उद्देश के लिए विशेष दर्जा देने के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची में रखा गया है।[8]

डी. एन. मजुमदार ने कहा है, कि जनजाति एक लघु सामाजिक समुह है जिसमें प्रादेशिक सम्बध्दता, सजातीयता होती है। कार्यो का कोई बंटवारा नही होता और जो जनजातीय अधिकारीयों द्रारा शासित होता है। या बोली कि एक रूपता होती है। जो अपने से सम्बध्द अन्य जातियों या जनजातियों के साथ बीना किसी सामाजिक बुराई के दुरी बनाए रखता है यह दुसरी जाति संरचना से भिन्न होती है। जो जनजातीय पंरपराओं, विश्वासों और रिवाजों का अनुसरण करता है वह विजातीयस्तो के विचारों के प्रति तटस्थ रहने में योगदान देते है और सबसे बड़ी विशेषता यह है, कि वह सामाजिक समुह प्रादेशिक अखंण्डता और जातीय समानरूपता के प्रति संवेदनशील होता है।[9]

---

[7] J. A. Baines, "*Census of India"* 1891 Report VoI.1 No.1, 1891, page.158-320

[8] M.L.C. Shrikant, "*Classification of Tribes"* Tribal Soveniar, 1998, Page.13.

[9] D.N. Majumdar, *"Races and Culture: Imperial Gazetteer of India"* Asia Publication, House Bombay. 1958 page.356

अगर हम इतिहास में देखे तो 1947 से पहले ओपनिवेशिक शासकों ने भी भारत के लोगों को सभ्य बनाने व् आदिवासी क्षेत्रों को राज्य के दायरे में लाने, कृषि समाज का रूपांतरण करने और राजस्व का मुनाफा बढ़ाने की गरज से कई प्रकार के भू-अधिग्रहण कानून लागु किए थे इस संदर्भ में तत्कालीन भू-अधिग्रहण कानून, वन कानून अदि को देखा जा सकता है । 18 वी सदी से लेकर 20 सदी तक के मध्य तक विभिन्न समय में 'जल-जगंल-जमीन' को लेकर हुए आदिवासी व् किसान विद्रोह (संथाल विद्रोह, मुड़ा विद्रोह, भुमिकाल भील विद्रोह इसके उदाहरण है।[10]

1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी उत्तर-ओपनिवेशिक भारत में भी इस सघर्ष में की निरंतरता थी विगत 64 वर्षो में भी देश के अधिकांश राज्य जल जगल जमीन के सघर्ष से किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित रहे है। इस संदर्भ में आंध्रप्रदेश, बिहार, प.बंगाल, झारखंड, म.प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल उड़ीसा जैसे प्रदेशों में आदिवासीयों नें विस्थापन विरोधी आंदोलन चलाए गये। स्वतंत्र भारत के प्रथम दो दश में ऐसे आंदोलनों से काफी प्रभावित रहे है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना कालों में भारी पैमाने पर विस्थापन हुआ है।[11] यह वह समय था जब बाधों के निर्माण, इस्पात कारखानों कि स्थापना, खनिज संपदा के उत्खनन, जल विधुत परियोजना अदि युध्द स्तर पर चलाई जा रही थी। इस अभियान के फलस्वरूप दक्षिण बस्तर के बैलाडीला क्षेत्र भी मशीनी कृत लोहा खदान, दुर्ग के भिलाई क्षेत्र व् रची में इस्पात कारखाने पंजाब में भांखड़ा नांगल बांध, आंध्रप्रदेश में नागार्जुन सागर, राज्यस्थान में इंदिरा गांधी उर्फ़ राजस्थान नहर,उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध, उड़ीसा में राउर केला इस्पात कारखाना, बहुराज्य नर्मदा

---

[10] माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा, "दिस हिस्सर्ड लैंड:एन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया", आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1992. पृ. 120

[11] Amite Baviskar, *"In Belly of The River: Tribal Conflicts over Development in the Narmada Valley"* Oxford University. 1995. Page. 2-3.

बांध परियोजना जैसी बुहुआयामी योजनाएं अस्तित्व में आई इन योजनाओं को अमलीयरूप देने के लिये जल जगल,जमीन इन तीनों की आवश्यकता थी।[12]

राष्ट्रीय वन निति के परिणाम स्वरूप वनवासियों को निराश्रित व् अपमानित होना पड़ गया क्योंकि वन जिन करोड़ों लोगो के लिए केवल आश्रय व् जीविका का श्रोत थे उनके लिए सम्मान स्थल, श्रध्दा स्थल व् आत्मीयता के केंद्र भी हुआ करते थे। उनसे उनका ये अधिकार छीन लिया गया था। अब इन आदिवासी समुह को जंगल से मिलने वाली तमाम सुविधाएं जैसे घर बनाने के लिए लकड़ी, भोजन, जल, जड़ी-बूटी, शिल्प और उधोग का कच्चा माल पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ा।

आजादी के बाद विकास और विस्थापन-

आजादी के बाद जंगलो पर वैध अधिकार शासक समुह का हो गया था जिससें वनवासियों कि स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई थी। अब विकास के पैमाने बदल चुके थे पंचवर्षीय योजनाओ के कार्यन्वयन से लाखो गरीबो को विस्थापन का शिकार होना पड़ा। इसलिए स्वंत्रता भारत की राज्यसत्ता ने प्रत्येक माध्यम से इस अभियान में हस्तक्षेप किया और करोड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हुए लोगों का अपनी परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक जड़ों से विस्थापन व् पलायन बड़ा हुआ था।

विकास और विस्थापन के मामले मे प्रभावित होने वालों में सबसे बड़ी संख्या जनजातियों और उन लोगों की है। जो ग्रामीण क्षेत्रों के सीमांत पर सदियों से प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित थे और उन्हीं पर उनका गुजर-बसर आधारित था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जनजातियों की संख्या देश की कुल संख्या की 8% है। विस्थापितों का लगभग 50% हिस्सा

---

[12] Myron, Weiner, "*Sons of the Soil*" Oxford University Press, Delhi. 1978. page.12.

जनजातियों का है।[13] परिणाम स्पष्ट है विकास की हमारी नीतियों और उनके फलस्वरूप होने वाले विस्थापन में जनजातियों का अनुपात अत्यंत अधिक हो गया है। इस तथ्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कमिश्नर और आठवीं योजना के दौरान अनुसूचित जनजाति के कल्याण कार्य में लगे कार्यकारी समूह की रिपोर्ट ने प्रमाणित भी किया है।

भारत में अगर कुल मिलाकर विकास कार्यों के व परियोजनाओं जिसमें बांध, खाने, उद्योग, अभ्यारण व राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि आते हैं। इन सभी विकास कार्यों से आदिवासियों को अपनी जल-जंगल-जमीन और उपजीविका के साधन स्रोतों से हाथ धोना पड़ा है।[14]

सन् 1991 में भारत ने विश्व बैक अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष दवारा प्रवर्तित संरचनात्मक समायोजन (Strurctural Adjustment) का जो विकास का मॉडल था, जिसे की आर्थिक उन्नति के लिए अपनाया गया वो था। L.P.G. (Liberalisation, Privatization, Globalization) प्रोग्राम इस विकास के मॉडल का मुख्य उदेश्य इन तीन चीजों पर था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इस आर्थिक तंत्र के मॉडल को अपनाने के बाद से देश के सकल घरेलु उत्पादन की वृधि दर 3.41% से बढ़कर वर्ष 2007-2008 तक में 9% तक हो गई। इसी के साथ देश में घोर-गरीबी का दंश भोग रहे लोगों की संख्या भी बढ़ती रही। अर्जुन सेनगुप्ता कि एक रिपोर्ट के अनुसार देश की लगभग 78% जनसंख्या (लगभग 84 करोड लोग) गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रहे है।[15] जिनकी प्रतिदिन की आय 20 रूपये है। देश में गरीबी के शिकारो की संख्या में इस बढोतरी के साथ ही देश के अधिसंख्य लोंगों के भोजन

---

[13] नरेश कुमार वैद्य, "*जनजातीय विकास- मिथक एंव यथार्थ*" रावत पब्लिकेशन, दिल्ली 2003. पृ.18-49.

[14] Walter, Fernandes, "*Rehabilitation Policy for Displacement*" Economic Political Weekly, March 2004, Page- 20

[15] शशिभूषण दिर्वेदी, "*भारत में योजना और विकास: राज्य की विफलता*" अनामिका पब्लिकेशन नई दिल्ली 2005. पृ.10

की पोष्टिकता में भी कमी आई है। विकास परियोजनाओं के कारण कुल 1 करोड़ 85 लाख लोगों अर्थात भारत की कुल जनसंख्या के 25% से अधिक हिस्से को अपनी बस्तियों छोड़नी पड़ी हैं। विकास परियोजनाओं के लिए विस्थापित लोगों में लगभग 50% आदिवासी हैं। यदि उनकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का 8.08% ही है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार 30.9 करोड़ जनता विस्थापन की शिकार हुई।[16] सन 2011 की जनगणना के अनुसार 40 करोड़ लोग विस्थापन के शिकार हुए जो पूरी जनसख्याँ का 40 % है जो विस्थापन का शिकार हुए उसमें 30 % आदिवासी समाज से आते है।[17] इतने विशाल परिणाम में विस्थापन के बावजूद सरकार के पास कोई समान पूर्नवास और पुनर्स्थापन निति नहीं है। इन आंकडो में कुछ भी आश्चर्यजनक नही है। क्योकि आलोच्य अवधि में हासिल की गई विकास दर मुख्यतः गरीब या जनजातियों व पारंमपरिक किसानों की जमीनें हथिया कर उसे निजी क्षेत्र की खनन कंपनियों को रीयल एस्टेट कंपनियों को और (Special Economic Zones) SEZ को दे दी जाती है और वहाँ के जो मूल निवासी है उन्हें विस्थापित किया जाता है। जिससे गरीबी और अमीरी के बीच में दुरीयाँ बढती गई, इस का एक परिणाम है, कि माओवादी तत्वों द्वारा संचालित विद्रोही गतिविधियों में तेजी आई है। और देश के ज्यादातर हिस्सों मे इन गतिविधियों के परिणाम देखने को मिलते है। जिनमें वो राज्य आते है जहाँ नैसंगिक संसाधन पाये जाते है वह आदिवासी इलाके भी है उन्हे हासिल करने के लिए आदिवासियों का विस्थापन किया जाता है।

नैसंगिक संसाधनों से भरपूर राज्य जिसमें उडीसा, झारखंड छत्तीसगढ़ यह प्रमुख है। और सबसे अधिक विस्थापन भी इन्ही तीन राज्यों में हुआ है। परंन्तु, मेरे अध्ययन में छत्तीसगढ़

---

[16] "Displacement Data" Census of India Report 2001.
[17] "Displacement Data" Census of India Report 2011.

राज्य के विकास और विस्थापन पर ही बात करुगी छत्तीसगढ़ में विकास यह पहले से ही शुरू है। इसमे छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ कि अधिकांश जनसंख्या जंगलो और खेती पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी की घन्नी बस्तीयाँ है इस पूरे राज्य में 76.48 % लोग खेती पर निर्भर है। यहाँ की जनसंख्या का 62.4% हिस्सा जनजातियों का है।[18] जिनको विकास के नाम पर विस्थापित किया गया जिस पर आदिवासी का अधिकार ही है। छत्तीसगढ तीसरा बड़ा राज्य है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देशी बडे पूँजीपतियों के निशाने पर है। क्योंकि इस राज्य में वन है, प्रचुर मात्रा में खनिजों के भंड़ार है। जिनका अवशोषण किया जा सकता है और गरीब आदिवासी है जिनसे आसानी से निपटा जा सकता है। देश के राज्यो में छत्तीसगढ़ नौवे नंबर पर है राज्य में कुल 13 % खनिज उत्पादन होता है। जिसमें दन्तेवाड़ा व बस्तर यहाँ सबसे ज्यादा प्रमाण में नैसंगिक संसाधन पाये जाते है। यहाँ राज्य सरकार ने जून 2001 में स्टील प्लाट के लिये भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया। इस परियोजना में एक स्टील प्लाट, एक ऑक्सीजन प्लाट, एक पावर प्लाट, तथा एक सीमेन्ट प्लाट के लिये कुल 416,96 हेक्टयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था।[19] जिन गाँवों में भूमि अधिग्रहण होना है। वहाँ भारतीय संविधान की पाचवीसूची के अनुसार आदिवासी क्षेत्र में आती थी और किसी भी हालत में वहाँ की भूमि का हस्तान्तरित नही हो सकती थी। तब यहाँ सेज के द्वारा इस भूमि का अधिग्रहण किया गया इसी और यहाँ के आदिवासियों को विस्थापित किया गया। इसका तरह का दूसरा उदाहर है ‘जिन्दल स्ट्रिप्स प्लाट’ इस प्लाट के लिये भी भूमि अधिग्रहण यह सेज के माध्यम से ही की गई थी। इस दोनों

---

[18] मुकेश माहेश्वरी,*”छत्तीसगढ़ एक परिचय“* TATA Mcgram- Hill’s Publication, रायपुर, 2010. Page.3-10.

[19] अलेक्स एक्का, *“छत्तीसगढ़ नवनिर्माण और आदिवासी विकल्प”* भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली 2003. pg.116.

परियोजना से 10 गाँव प्रभावित हुए थे। जिनका पुनर्वास हुआ ही नही। उन्हें सिर्फ मुआवजा राशी दी गई थी, इन दो उदाहरनों से सेज से हुए विस्थापन को समझा जा सकता है।[20]

सन 2005 राज्य सरकार ने सलवा जुडूम नाम का जन आदोलन शुरू किया जिसका मुख्य उददेश था कि माओवाद का खात्मा करना उनके प्रतिविद्रोह में यह अभियान चलाया गया जिसमें आदिवासी के द्रारा ही आदिवासीयों को मारा गया। यह अभियान छत्तीसगढ़ के आदिवासी वाले क्षेत्र में चलाया गया। इस अभियान से 1000 से अधिक गाँव प्रभावित हुए और जिनका पुनर्वास अभी भी पूर्ण रूप से नही हुआ है। इसके बाद 2009 ऑपरेशन ग्रीन हंट आया जो नक्सलीय हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से निर्माण किया गया था। इन सभी का विस्तार पहले अध्याय में किया गया है।

छतीसगढ़ का परिचय-

छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवम्बर 2000 में किया गया इसके पहले यह मध्यप्रदेश का भाग हुआ करता था।[21] इसका कुल क्षेत्रफल 135.198. वर्ग कि.मी. है। जो पूर्व वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य का 30.48 एवं भारत का 4.11 भाग है। 1 नवम्बर 1956 से पृथक राज्य बनने के पूर्व तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था। 1 नवम्बर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन होने के पूर्व तक छत्तीसगढ़ महाकौशल क्षेत्र के अन्तर्गत आता था तब सेन्ट्रल प्रोविन्स एवं बेरार का भाग था सन 1941 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र की जनगणना बिहार तथा 1951 की थी। उस समय छत्तीसगढ़ में छह जिले बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा थे। 5 जनवरी 1973 को दुर्ग जिले से राजनंद गांव क्षेत्र को पृथक कर अलग जिला बनाया गया। बाद में मई जुलाई 1998 को 9 जिले कोरिआ (सरगुजा) कोरबा एवं जाजगीर चाम्बा

---

[20] *(19) Ibid. page. 117*
[21] *(18) Ibid.page.1-10*

बिलासपुर से कांकेर एवं दन्तेवाड़ा बस्तर से जेशपुर रायगढ़ से और कवर्धा राजनंद गांव जिला एंव बिलासपुर के कुछ क्षेत्र से बनाये गये 1991 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में मात्र 7 जिले थे।

सन 2001 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में 16 जिले है। प्रदेश की सीमाऐं उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में झारखण्ड दक्षिण पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र तथा पश्चिमोत्तर में मध्य प्रदेश द्वारा निर्धारित 2001 की जनगणना नुसार इस प्रदेश की कुल जनसंख्या 20,833,956 जिसमें (पुरूष 10,474,426: स्त्री 10,359,530) है। यह जनसंख्या भारत वर्ष की कुल 2.02% है। तथा जनसंख्या के आधार पर यह देश का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 1901 की जनगणना की तुलना में जहां भारत वर्ष की जनसंख्या में 100 वर्ष पश्चात् 20,08% है। जिसमें प्रति हजार पुरूषों में 889 स्त्री है। अगर शिक्षा का स्तर देखा जाये तो पुरूषों 54% है। स्त्री 43% है।[22] आदिवासी इलाकों में तो शिक्षा का स्तर और भी निचा है। यहां कि प्रमुख जनजातियां है हलबा, कमार, कंवर, खेखार, कोश्र्र कोल, कारवा, मांझी, मक्ष्वार, मुण्डा, मुरिया, मडिया, गोंड इत्यादि यहां की प्रमुख जनजाति है। यहां की मात्र भाषा छत्तीसगढी़ अपनी संस्कृति की वजह से अपनी एक अलग पहचान रखता हैं यहां 81% लोग कृर्षी पर आधारित है।[23] यह घने जंगलों से घिरा हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़ का 45% भाग जंगल से घिरा हुआ है 41% यह जमीनी क्षेत्र है। जहाँ खेती या निवासी बस्तियां है। जिसमें 29% आरक्षित जंगल है 30 अवगीकृत जंगल है, जहां अति दुरलभ वन भी पाये जाते है।[24] बस्तर और दन्तेवाड़ा यह पूर्ण आदिवासी जिलें है। जिसमें बस्तर जिले के अंतर्गत तीन तहसील है। जो जगदलपुर, कोण्डा गांव, केशमल बाकि सारे उप तहसील है जिसमें लोह-हण्डी

---

[22] *(18) Ibid.page.2-6*
[23] *(18) Ibid.page.27.*
[24] Kujur, M.J. "Development-Induced Displacement in Chhattisgarh: A Case Study from a Tribal Perspective" *Social Action*, 2008: 2372-2374.

गुडा, दुरबा ताकापाला बस्तानार, माकडी, बकावड़ा कोण्डा गांव, केशकाल बेडराज पुरा इत्यादि यहां की कुल जनसंख्या 11,95,873 है। यहां साक्षरता स्तर 43,91 है। जिसमें पुरूष 5632 और स्त्री 31.64 है। विकास कार्यी की दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा इलाका है। दन्तेवाड़ा यह जिला भी पूर्ण आदिवासी है। यह 427 तहसील है दन्तेवाड़ा, गीदाम, कुआकोण्डा कटेकल्याण, धिन्दगढ़, सुकमा, कोन्टा और यहां की कुल जनसंख्या 4,78,314 इसमें पुरूष 2,36,376 महिला 2,42,235 यहां का साक्षरता दर बहुत ही कम है। 30,17 जिसमें पुरूष 36,75 महिला 20,75 है।[25]

दन्तेवाड़ा का परिचय-

दन्तेवाड़ा यह छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी जिला है। यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में स्थिति है जो दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मेरे क्षेत्र कार्य के लिए इस जिले को चुना है यहाँ पर 2005 में सलवा जुडूम अभियान चलाया गया था जिस पर ही मेरा कार्य आधारित है इस जिले की विस्तार जानकारी पहले अध्याय में दी गई है।

बस्तर का परिचय -

बस्तर भी एक आदिवासी जिला है यह भी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में आता है। यह मेरे क्षेत्रकार्य का दूसरा जिला है जहाँ से मेरे कार्य की शुरुआत होती है। सलवा जुडूम से हुए विस्थापन को बस्तर से ही समझा जा सकता है इसका भी विस्तार परिचय अध्याय पहले में दिया गया है।

[25] Hari Lal Shukla, “Social History of Chhattisgarh: Myth and Reality” Saujanya Books Publication Bhopal, 1985, Page.12-34.

सलवा जुडूम का परिचय-

सलवा जुडूम अभियान 2005 में राज्य और केन्द्र सरकार के सहयोग से चलाया गया था जिसका उद्देश्य था नक्सलीय हिंसा को खत्म करना और नैसगिक संसाधनो का निर्यात कर राज्य का विकास करना। इस उद्देश्य के लिए एक आदिवासीयों की एक सेना बनाई गयी जिसे नाम SPO (Special Police Officers) जो CRPF[26] के जवानों को रास्ता दिखा सके। आदिवासी इस क्षेत्र से परिचित थे CRPF का वो मार्ग मार्गदर्शन के लिए बनाये गये थे। उन्हें भी मुलभुत प्रशिक्षण दिया गया था जिससें वो अपनी सुरक्षा कर सके। सलवा जुडूम यह एक गोड़ी शब्द है जिसका अंग्रजी में अनुवाद Peace March या शांति का करवा होता है। यह अबुझमाड़ के 1000 गाँवो में चलाया गया था।

तात्कालीन राहत शिविर-

सलवा जुडूम से विस्थापन के बाद आदिवासी को जबरदस्ती राहत शिविरों में रखा गया। जिसकी कुल संख्या 23 थी यह सारे राहत शिविर दन्तेवाड़ा से बीजापुर के मुख्य रास्ते के किनारे बनाये गये थे। जिसमें 19,766 परिवार रहते थे यहाँ पर 58,528 से अधिक आदिवासियों की आबादी को रखा गया था।[27] इन राहत शिविरों में मूलभूत सुविधा भी नही थी। यह राहत शिविर की रचना बहुत ही दयनीय थी मानसून में इन शिविरों में रहना बड़ा ही कठीन होता। यहाँ पर सबसे अधिक हिंसा होती थी महिलाओं पर उनके पास न तो रोजगार, भोजन, निवास नही सुरक्षा इन परिस्थिति में जीवन व्यतीत करना इन आदिवासी महिलाओं की मजबूरी थी। भोजन की कमी के कारण यहाँ शिविर में कुपोषण की समस्या निर्माण होने लगी राहत शिविर में मृत्यु दर बढ़ गया। स्वच्छता की कमी के कारण स्वास्थ्य

---

[26] CRPF- Central Reserve Police Force

[27] '*सलवा जुडूम रिपोर्ट*' पीडितो की सहायता कमेटी, 6 जून 2006.

सबंधी समस्याओं की शरुआत भी होने लगी।यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे आदिवासियों के जन-जीवन को समझने के प्रयास में यह शोध कार्य किया गया है।

शोध प्रश्न -

प्रत्येक कार्य को शुरू करने के पूर्व उस कार्य को करने के पीछे का उदेश्य को समझना होगा। उसी तरह इस आदिवासी महिलाओं का विस्थापन इस शोध के पीछे भी कई उद्देश्य थे जिनके माध्यम से इस शोध को एक नई दिशा मिली। पहला उद्देश था छत्तीसगढ़ राज्य का परिचय जिसमें सलवा जुडूम के दौरान महिलाओं पर राजनैतिक सामाजिक व् आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन करना। दूसरा उद्देश्य विस्थापन के बाद परिवार के ढांचे में आए परिवर्तन और समस्याओं का अध्ययन करना। तीसरा उद्देश्य सलवा जुडूम से जो विस्थापन हुआ हैं उन विस्थापितों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के द्रारा बनाई गयी नीति का अध्ययन करना। चौथा उद्देश्य था विस्थापन के पहले और विस्थापन के बाद महिलाओं के जीवन में आये परिवर्तनों का अध्ययन करना। पाचवा उद्देश्य था जो पुनर्वास नीति से जो मुआवजा राशी व् लाभ इनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

इसके अलवा कई प्रश्नों के साथ इस अध्याय की शुरुआत की थी, जिसमें पहला प्रश्न था पुनर्वास नीति से किस तरह का लाभ उन्हें मिल रहा था क्या यह पूर्ण रूप से सही है, जिससें ये आदिवासी समाज इस विस्थापन से बाहर आ सके। दूसरा प्रश्न था विस्थापन के दौरान महिलाओं के सामने कौन कौनसी चुनौती थी। तीसरा प्रश्न था सलवा जुडूम से विस्थापितों के लिए राज्य सरकार ने कौनसी नीति लागु की थी। चौथा प्रश्न था विस्थापन के बाद पुनर्वास केन्दों में रोजगार के कौन कौनसे साधन उपलब्ध कराये गये थे और रोजागर के स्थान पर महिलाएँ कितनी सुरक्षित थी। पाचवा प्रश्न था सलवा जुडूम से

विस्थापन होने के बाद महिलाओं के दैनदिन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उससे महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर में परिवर्तन आया।

शोध का क्षेत्र -

यह प्रस्तुत शोध भारत का मध्य भाग में स्थिति राज्य छतीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में किया गया है इसमें सलवा जुडूम से प्रभावित दो जिले लिये गये थे जहाँ विस्थापन हुआ था। उसमें, दन्तेवाड़ा और बस्तर जिले आते है यह क्षेत्र पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मडिया, मुरिया, हलबा, मुण्डा, कमार, गोंड इत्यदि जनजातियाँ निवास करती है इन क्षेत्रों में सबसे अधिक नैसगिक संसाधन पाये जाते है यह क्षेत्र नक्सलीय हिंसा से भी ग्रस्त है इसलिए यहाँ विकास गति धीमी है यहाँ विकास की गति को बढने के उद्देश्य से 2005 में सलवा जुडूम अभियान चलाया गया जिसका उद्देश था इस क्षेत्र से नक्सलीय हिंसा को खत्म करना। यह अभियान दो वर्षो तक चला इस अभियान से 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। उन्हें राहत शिविरों में रखा गया जिनकी संख्या 23 थी। बाद में 2008 में इन राहत शिविरों को पुनर्वास कैम्प में बदला गया। इस क्षेत्र के अन्तर्गत सलवा जुडूम से प्रभावित 1000 गाँव आते है। और इस अभियान से विस्थापितों के 23 राहत शिविर बनाए गये थे, जब यह अभियान शुरू हुआ था तब दन्तेवाड़ा जिले का विभाजन नही हुआ था। सन 2008 में दन्तेवाड़ा का विभाजन कर एक नया जिला बनाया गया जिसे बीजापुर नाम दिया गया 2008 में 23 शिविर थे उसमें से 20 शिविर यह इस भैरमगढ़ तहसील के अन्तर्गत आते है और यह तहसील बीजापुर जिले के अन्तर्गत आती है। जिससे इन 20 शिविरों का अध्ययन नही किया गया। इस शोध क्षेत्र के अन्तर्गत तीन ही कैम्प आते थे, जो कासौली, बागापाल, चितालंका आते जहाँ पर यह शोध कार्य पूर्ण हुआ और इस क्षेत्र में तीन गाँवो को चयनित किया था। जहाँ सलवा जुडूम के दौरान विस्थापन हुआ

था उसमें एलिकोंटा, मगनार, मेटापाल है। इन तीन गाँवो और कैम्प पर ही, यह अध्ययन आधारित था। यह पूरा शोध नुजतिशास्त्र (एथनोग्राफीक) पर आधारित है इन कैम्प और गाँवो में अधिक से अधिक समय व्यतीत कर यह कार्य पूर्ण किया है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन सलवा जुडूम से विस्थापित महिलाओं को केन्द्र में रखकर किया गया है। विस्थापन यह छतीसगढ़ के दक्षिण भाग में जहाँ बस्तर और दन्तेवाड़ा जिले आते है वहाँ पर 2005 में राज्य सरकार द्रारा सलवा जुडूम अभियान चलाया गया था। जो इस काम का केन्द्र बिंदु है। यह अभियान दो वर्षो तक चला जिससें सबसे अधिक लोग विस्थापित हुए। विस्थापन के बाद आदिवासियों को राहत शिविरों में रखा गया जिसकी कुल संख्या 23 थी। मेरे अध्ययन इन राहत शिविरों में रहने वाली महिलाओं पर आधारित है। यह पूरा शोध एथनोग्राफी स्टडी[28] पर आधारित है। इस कार्य में जीन गाँवो और कैम्प को चुना है, वो पायलट स्टडी के आधार पर जिससे मुझे तथ्य एकत्रीकरन में सहाय्यता मिली। मेरे कुल उत्तरदाताओं की संख्या 220 है जिसमें 100 उतरदाते गाँव से है जिसमें एलिकोंटा, मगनार ,मेटापाल यह गाँव है और 100 उत्तरदाते कैम्प से है जिसमें कासोली, बांगापाल, चितालंका कैम्प आते है। और 20 उत्तरदाते मुख्य कार्यकर्त्ता (key-personnel) है जिसमें स्कुल शिक्षक, शिक्षिका, सरपंच, गाँव का मुखिया इत्यादी है।

इस शोध को भी प्राथमिक और द्वितीय तथ्यों के आधार पर ही पूर्ण किया गया है। प्राथिमक तथ्यों के अन्तर्गत अवलोकन, समूह चर्चा, सांस्कृतिक उसव में सहभागीता,

---

[28] ‘Ethnography is the study of people in naturally occurring settings or ‘fields’ by methods of data collection which capture their social meanings and ordinary activities, involving the researcher participating directly in the setting, if not also the activities, in order to collect data in a systematic manner but without meaning being imposed on them externally.’ (Johd, D. Brewer, ‘Ethnography’ Open university press, Philadelphia. USA, 2000. Pg.7-8.)

महिलाओं के अनुभव ये सभी प्राथमिक स्त्रोत थे जिनके माध्यम से तथ्य का एकत्रीकरन किया गया। दिवितीय स्त्रोतों में विषय से संबन्धित पूर्व शोध अध्ययन,शोध आलेख पुस्तिका, जर्नल, समाचार पत्र, अध्यादेश, अधिनियम अदि का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इन क्षेत्र में कार्यरत NGO के रिपोर्ट को दिवितीय स्तोत्र में माना जाता है।

अध्ययन का विभाजिकरण-

यह अध्ययन पाच अध्यायों में विभाजित किया जिसमें महिलाओं के विस्थापन से पुनर्वास तक स्थिति का अध्ययन किया है।

पहला अध्याय- 'छत्तीसगढ़ में विकास और विस्थापन' इस अध्याय में छत्तीसगढ़ मैं विकास और विस्थापन से शुरू किया गया है। जिसमें पहले छत्तीसगढ़ का परिचय है जिसमें 2000 में यह नये राज्य के रूप में अस्तित्व आया यह राज्य नैसगिक संसाधन से सम्पन है। यहाँ विकास की शुरुआत यह नये राज्य बनने के पहले से ही शुरू हो गई थी जिसमें बैलाडीला की लोहे की खाने उससे लोहे को शुधीकरण के लिए नयी कपनीयों के निर्माण कार्य, यह सब शुरू था। परंन्तु 2000 के बाद इन कार्यो को नयी गती मिली और विकास दर में बढ़ोतरी हुए। विकास के साथ यह विस्थापन की भी शुरुआत हो गई थी। परंन्तु, इस विस्थापितों के पुनर्वास पर इतना ध्यान नही दिया जा रहा था।

छत्तीसगढ़ में 'विकास और विस्थापन' को हम तीन भागों में समझने का प्रयास करते है। नये राज्य के साथ यहाँ भूमि अधिग्रहण सबसे अधिक प्रमाण में हुआ यह अधिग्रहण सेज (Special Economic Zone) के माध्यम से किया गया।इससे जो भूमि का अधिग्रहण हुआ उसी पर नये उद्योगों की नीव रखी गई जिससें राज्य के विकास को गती मिल सके। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। सन 2005 में नक्सली समस्या को ख़त्म करने के उद्देश्य से सलवा जुडूम अभियान की शुरुआत की गई जो यह अभियान दन्तेवाड़ा, बस्तर,

सुकमा, काकेर इन जिलों में चलाया गया इस अभियान से 4 लाख लोग इस अभियान से प्रभावित हुए थे। 50,000 से आधिक लोग विस्थापित हुए। यह अभियान 2 वर्षो तक चला और बाद सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर बंद किया गया। 2009 में ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ की शरुआत हुई। यह ऑपरेशन भी नक्सलीय हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया गया था पर यह भी यशस्वी नही हो पाया। इस अध्याय में सलवा जुडूम से प्रभावित बस्तर, दन्तेवाड़ा जिला और अबुझमाड़ (जो दन्तेवाड़ा के क्षेत्र) इन तीनों का परिचय और विस्थापन पर विस्तार से चर्चा की गई है।

दुसरा अध्याय- ‘अबुझमाड़ और सलवा जुडूम: शिविरों में विस्थापन’ इस अध्याय को भी तीन भागों में विभाजित किया है। जिसमें शुरुआत में विस्थापन के पूर्व अबुझमाड़ का आदिवासी समाज का जीवन कैसा था, विशेषकर महिलाओं का इस पर चर्चा की गई है। इस अध्याय में मैंने केस स्टडी के रूप में तीन गाँवो को चुना जहाँ सलवा जुडूम अभियान से विस्थापन हुआ था परन्तु अभी भी इन गाँवो आदिवासी बस्तियों का निवास है। जिसमें एलिकोंटा, मंगानर, मेटापाल है। इस तीनों गाँवो की घरो की रचना, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, वहाँ रोजगार के क्या साधन थे, महिलाओं की स्थिति क्या थी विस्थापन के पूर्व इस सभी पर चर्चा की गई है।

दूसरा भाग है दो वर्षो तक राहत शिविरों का जीवन जिसमें सलवा जुडूम से विस्थापन के बाद आदिवासी समाज को राहत शिविरों में रखा गया था जहाँ उन्हें दो वर्षो की कालावधि तक रखा गया। इस अभियान में 23 शिविरों का निर्माण किया गया था और उन शिविरों में मुलभुत सुविधा भी नही थी जिसमें निवास, भोजन, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता, यह जो मुलभुत आवश्यकता है यह भी नही थी। इसमें महिलाओं की स्थिति कैसी थी इस पर चर्चा की गई है

तीसरा भाग है राहत शिविरों को पुनर्वास शिविरों में परिवर्तन जिसमें तीन कैम्प को लिया गया है। जिसमें कासोली, बांगापाल, चितालंका यह कैम्प है जहाँ विस्थापन के बाद पुनर्वास किया गया। इन कैम्प के घरो की रचना, यहाँ का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन में जो परिवर्तन आया उस पर इस अध्याय में चर्चा की गई है। पुनर्वास के बाद महिलाओं के सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है यह इस अध्याय के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझा जा सकता है।

तीसरा अध्याय- 'अबुझमाड़ और सलवा जुडूम शिविरों का जीवन: आर्थिक सांस्कृतिक आयामों और हिंसा' इस अध्याय में अबुझमाड का आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन और सलवा जुडूम के दौरान हुई हिंसा इस मुद्दों पर आधारित है। अबुझमाड़ में आदिवासी समाज यह स्थलांतरित खेती करते थे जिसमें महिलाओं की मुख्य भूमिका होती थी। महिलाएँ उस भूमि को खेती योग्य बनाने में सबसे अधिक योगदान देती थी उस भूमि का कृषि योग्य बनाना। पुरुष अधिकतर रोजगार के लिए पलायन कर दूसरी जगह पर जाते थे और महिलाएँ वही रहकर उस भूमि को तैयार करती थी जब बुआई के समय पुरुषों के द्रारा बुआई शुभ मानी जाती थी। बुआई के बाद कटाई तक का कार्य भी महिलाओं के द्रारा ही किया जाता था।इसके अलावा महिलाएँ जंगल से कन्द मूल को एकत्रित करना बेचना इत्यदि कार्य भी करती थी। सास्कृतिक कार्य में भी महिलाओं की मुख्य भूमिका होती थी सार्वजानिक किसी भी कार्य में महिलाएँ सबसे अधिक अपना सहयोग देती थी। सलवा जुडूम से विस्थापितों समाज का जीवन जो राहत शिविरों में था उस समय महिलाओं के पास रोजगार के कोई साधन नही थे जिससे उन्हें अर्थ जन्य हो सके। रोजगार नही होने के कारण परिवार का पालन पोषण एक समस्या बन गई थी इस समस्या के उपाय के लिए महिलाएँ राहत शिविरों में वेश्यावृति का कार्य प्रारभ कर दिया था। इस सभी पर अध्याय तीसरे में विस्तार

के साथ चर्चा की गई है। पुनर्वास कैम्प में महिलाओं का पुनर्वास तो किया गया परन्तु, यहाँ पर भी रोजगार के अधिक साधन नही है। यहाँ पर बाबू से हस्तादयोग, दूध-डेरी,स्वयं सहाय्यता समूह, सीमेंट के खबे बनाना, सिलाई मशीन से कपड़े सिलना, कम्पूटर चलाना इत्यादी रोजगार थे जो इन महिलाओं को अपने अनुकूल नही लगते जिससे यह रोजगार के साधन धीरे धीरे बंद हो गये अब सिर्फ खेत मजदूरी ही ये महिलाएँ करती है। इस अध्याय में इन साधनों पर भी विस्तार से बात की गई है

इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग सलवा जुडूम के दौरान हुई हिंसा इस को तीन केस स्टडी के माध्यम से बताया गया है जिसमें नक्सलीय हिंसा, SPO और सुरक्षा कर्मी द्रारा हिंसा, को इस अध्याय में बताया गया है। आदिवासी समाज में पहले हिंसा का अस्तित्व था पर बहुत ही कम प्रमाण में था। परंन्तु, आधुनिक समाज के संम्पर्क में आने से हिंसा को इस समाज ने स्वीकार कर लिया इस सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है।

चोथा अध्याय - छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास और पुनर्व्यस्थान नीति (2007) और छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम (2005) एक विश्लेषण इस अध्याय में सलवा जुडूम से विस्थपितों के पुनर्वास के लिए जो नीति लागु की गई उसी का विश्लेषण किया गया। इसी के साथ सलवा जुडूम के दौरान जो हिंसा हुई जिसमें एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, 'विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005' उसका भी विश्लेषण किया गया है।यह अधिनियम नक्सलियों के लिए बनाया गया था। परन्तु, इसका कई स्थनों पर दुरूपयोग भी किया गया जो इस के विश्लेषण के माध्यम समझा जा सकता है। इस नीति से सलवा जुडूम से पुनर्वासित परिवारों को कितना लाभ मिला इस प्रश्न का उत्तर इस अध्याय में विस्तार से साथ बताया गया है।

पांचवा अध्याय- निष्कर्ष इस अध्याय में पहले चार का सार है जिसमें इस शोध को शरू करने के पूर्व जो प्रश्नों को लेकर यह शोध शुरू किया था। जिसमें सलवा जुडूम अभियान का परिचय, उसे शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य थे उस अभियान से कोन प्रभावित हुआ, सलवा जुडूम के दौरान हिंसा, कैम्प में पुनर्वास की कौनसी नीति अपनाई गयी है इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में विस्तार से समझाये गये है। जो इस पुरे अध्याय का निष्कर्ष है।

शोध की चुनौतियाँ

हर शोध कार्य करने में चुनौतिया तो आती ही है परंन्तु एक शोधकर्ता के लिए उन चुनौतियों का सामना कर अपने कार्य को आगे बढ़ाना होता है। यही एक अच्छे शोध कर्ता का कार्य है। छत्तीसगढ़ के दन्तेवाड़ा और बस्तर जिले में जो सलवा जुडूम अभियान चलाया गया था उसी पर आधारित है इस शोधकार्य के दौरान मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती थी क्षेत्र कार्य की, यह क्षेत्र नक्सलीय हिंसा के कारण अतिसवेद्शील है यहाँ बिना जिला अधिकारी के अनुमिती, यहाँ क्षेत्रकार्य नही किया जा सकता। अनुमति मिलने पर भी अपनी व्यक्तिगत पहचान छुपानी पड़ी। क्योंकि यह क्षेत्र सवेदनशील है। मेरा क्षेत्रकार्य यह एथनोग्राफी स्टडी पर आधारित था जिसमें मुझे क्षेत्रकार्य में रहकर उनका अध्ययन करना था। इसलिए जीन गाँवो का मैंने चुनाव किया था वहाँ पर मुझे एक शिक्षिका के रूप में रखा गया था जिससें मेरी पहचान भी गुप्त रहे और मेरा क्षेत्रकार्य भी पूरा हो जाये इस तरह से कैम्प में भी निवासी स्कुल में शिक्षिका के रूप में रहकर यह कार्य पूर्ण किया। दूसरी चुनौती थी भाषा की छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ यह मुख्य भाषा है। परंन्तु, आदिवासी क्षेत्र में अलग अलग आदिवासी समूह निवास करते है जिनकी भाषा एक दुसरे से अलग है। मैंने जिन गाँवो का चुनाव किया था वहाँ माडिया, दमड़ी माडिया, हलबा, गोंड मुरिया

यह जनजातिया निवास करती थी। इन सभी भाषा को सीखना मेरे लिए संभव नही था। इस कार्य में मुझे अन्य स्कुल शिक्षिका से भाषा समझने में सहायता होती थी। तीसरी चुनौती थी समय सीमा की एथनोग्राफीक स्टडी में से अध्ययन करने में अधिक से अधिक समय क्षेत्रकार्य पर व्यतीत करना पड़ता है। परंन्तु, इस क्षेत्रकार्य के लिए सिर्फ 4 महीनों की ही अनुमति मिली थी इसी बीच मैंने अपना क्षेत्रकार्य पूर्ण किया। इन सभी चुनौती को पीछे छोड़ मेने अपना शोधकार्य पूर्ण किया।

प्रस्तावना (Introductio) -

पहला अध्याय है '**छत्तीसगढ़ में विकास और विस्थापन'** इस अध्याय के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में विकास और विस्थापन पर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है। इस अध्याय की शुरुआत में छत्तीसगढ़ राज्य का चित्र है जिसके के आधार पर यह भारत के किस भाग में है, इसका अध्यन किया जा सकता है। इस शोध के लिए जिन जिलों को चुना गया है जिसमें दन्तेवाड़ा, बस्तर, है अबूझमाड यह दन्तेवाड़ा का एक दक्षिणी क्षेत्र है, जो वनों से व्याप्त है। जहाँ पर 'सलवा जुडूम' अभियान की शुरुआत हुई थी उन सभी क्षेत्रों को मानचित्र के माध्यम से दर्शया गया है। इस अध्याय की शरुआत ही छत्तीसगढ़ के परिचय से होती है। उसका विकास यह, उसके नये राज्य बननें के पूर्व से ही शुरू था वह पहले मध्यप्रदेश का भाग था। सन 2000 में उसे नये राज्य का दर्जा मिला उसके बाद उसका विकास अधिक तेजी से होने लगा है।

छत्तीसगढ़ में विकास की शुरुआत से विस्थापन तक किस तरह के परिवर्तन आये है इस पर विस्तार से अध्यन इस अध्याय में किया गया है। छत्तीसगढ़ यह नैसर्गिक संसाधन से संपन्न राज्य है यहाँ कोयला और लोहे की मात्रा सबसे अधिक है जिसका निर्यात बाहर के देशों में किया जाता है। जिससें इस राज्य की विकास दर इतर राज्यों की तुलना में अधिक है।इस विकास के साथ यहाँ विस्थापन, नक्सली हिंसा की भी समस्या है। इस राज्य के बस्तर और दन्तेवाड़ा यह दोनों जिले, नक्सलीय हिंसा से अधिक प्रभावित है, जो इस शोध के क्षेत्र में आते है। नक्सली हिंसा इस राज्य के विकास में सबसे बाधा आती है। अबुझमाड यह छत्तीसगढ़ को वो क्षेत्र है जहाँ अधिक मात्रा में नैसगिक संसाधन पाये जाते है और यही पर सबसे अधिक नक्सलीय हिंसा होती है। छत्तीसगढ़ में 2000 में SEZ (Special Economic Zone) आया जिससें बड़ी-बड़ी कम्पनियों को जमीन उपलब्ध करना था, जिसकें के लिए कई MOU (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर हुई, सेज परियोजना से छत्तीसगढ़ में विस्थापन हुआ।

सन 2005 में सलवा जुडूम अभियान की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य था नक्सलीय हिंसा को खत्म करना और बड़े उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध करना, इन दोनों उद्देश्यों के साथ यह अभियान चलाया गया जो दो वर्षो तक चला इससे भी 3-4 लाख लोग प्रभावित हुई और 50,000 से अधिक लोग विस्थापन का शिकार हुई। इसे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का पूर्ण सहयोग था। यह एक राजनैतिक और आर्थिक एजेंडा था जिसके तहत यह अभियान चलाया गया था। इस अभियान का मुख्य भाग SPO (Special Police Officer) है, जिसे सेना के रूप में बनाया गया था। जो नक्सलीय हिंसा को खत्म करने में सेना की मद्दत करते और उन्हें जंगलों में मार्ग दिखाने का कार्य करते थे। इस अभियान का एक और महत्वपूर्ण भाग है तत्कालीन राहत शिविर जहाँ विस्थापन के बाद यहाँ आदिवासी समाज को रखा गया था। सलवा जुडूम से विस्थापितों के लिए 23 राहत शिविर बनाये गए थे जहाँ उन्हें जबरदस्ती रखा गया था। उन शिविरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद किया गया, वहाँ निवास करने वाले आदिवासी का पुनर्वास गाँव के आस-पास किया गया जिससें उनकी मुलभुत आवश्यकता की पूर्ति हो सके। कई राहत शिविरों को ही पुनर्वास कैम्प में परिवर्तित कर दिया।

इसके बाद 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया जो अधिक समय तक प्रभाव शाली नही रहा और जल्दी ही बंद हो गया। इस ऑपरेशन के अन्तर्गत राज्य के सेना के साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी सेना भेजी गई और इसका मुख्य उद्देश था इस नक्सली हिंसा को खत्म करना ऑपरेशन ग्रीन हंट का अर्थ है हरा शिकार या जंगल का शिकार यह राज्य के कई जिलों में चलाया गया जिसमें सुकमा, दन्तेवाड़ा, बस्तर, भैरमगढ़, बीजापुर इत्यादी है। यह पहला अध्याय है मेरे प्रथम अध्याय के अन्तर्गत विषय का सैध्द्तिक परिचय दिया गया है इस विषय से संबधित जो अभी तक शोध-कार्य हुए है उनका अध्ययन इस अध्याय

में किया गया है। जिसमें मेरा शोध-कार्य किस तरह से भिन्न है अभी तक के कार्यो में यह दर्शाया गया है।

Chhattisgarh Map

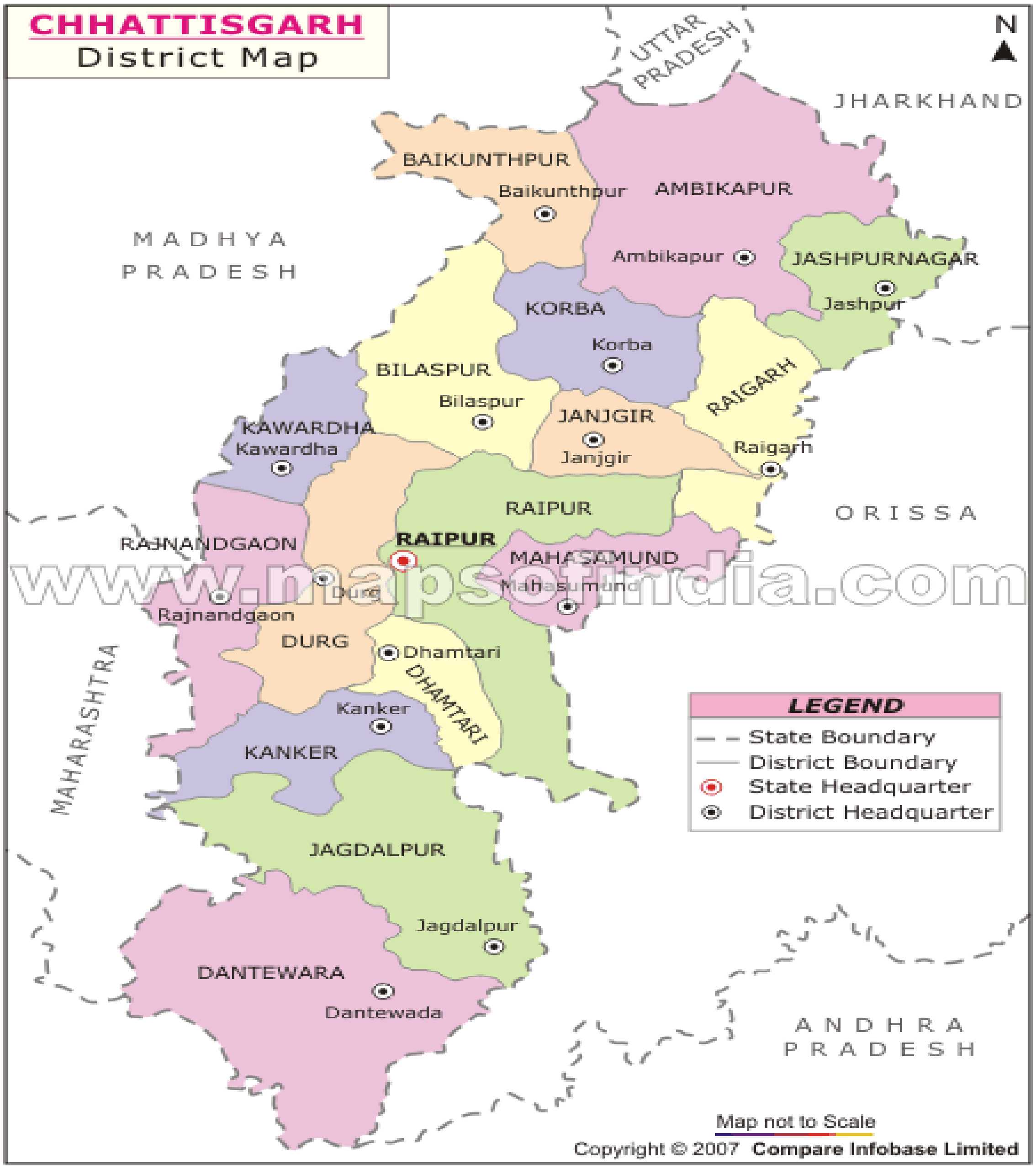

[1]

[1] **NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION Chhatisgarh Report. 2010. Time – 2.30 Date- 22/8/2015**

2

---

[2] Dantewada map Fig:Dantewada Distt (Courtesy:www.maps of india.com) date 20/3/2017 time-1.30pm

3

[3] Bastar Map Fig: Bastar Distt (Courtesy: www.maps of india.com) date-3/12/2016 time-12.47pm.

छत्तीसगढ़ का सविस्तर अध्ययन-

स्वतंत्र भारत में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण आदिवासी क्षेत्र था। पुराने जमाने में इसे 'महा कौशल' और 'दक्षिण-कौशल' के नाम से जाना जाता था, इसका वर्तमान नाम 'छत्तीसगढ़' सबसे पहले 1795 के सरकारी दस्तावेजों में उल्लेख हुआ। लेकिन इस नाम के क्रमविकास में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका नाम 36 घरों के आधार पर 'छत्तीसघर' था, कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार इस वर्ष 1000 के छेदी वंश की राजधानी के नाम से छेदीगढ़ कहा जाता था।[4]

देश के अन्य प्रान्तों के समान छत्तीसगढ़ भी मुगलों के अधिपत्य के पहले कई राजवंशों द्वारा शासित था। मराठों ने इस प्रदेश को 1758 में कब्जा करके स्थानीय लोगों को खूब लूटा, इसी कारण 18 वी सदी में कई गोंड विद्रोह हुआ। इसी प्रकार हल्बा आदिवासियों द्वारा सन 1774-1779 में मराठों और अग्रेंजों के शोषण के खिलाफ उपद्रव हुआ फिर बस्तर के अबुजमाडों द्वारा उनके पूजा स्थल के अपवित्रीकरण पर 1842-1863 में हुआ। छत्तीसगढ़ अलग राज्य की माँग सबसे पहले 1924 में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में हुई। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी छत्तीसगढ़ की माँग को ठुकरा दिया। इसके बाद के दशकों में भी कई नेताओं जैसे मोहम्मद हिदायतुल्ला, क्रांति कुमार भारतीय, मदन तिवारी, दशरथ लाल चौबे और कमल नारायण शर्मा आदि के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की माँग तुल न पकड़ सकी, क्योकि इन्हें जनता का समर्थन नहीं मिल पाया। यह माँग सिर्फ शहर के मध्यम वर्गीय परिवारों, व्यापारियों तथा पेशेवरों तक ही सीमित रही।[5]

---

[4]एक्का,अलेक्स. "*छत्तीसगढ़ नवनिर्माण और आदिवासी विकल्प*" भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली, 2003. पृ.5

[5] अमृत संदेश-"*दैनिक समाचार पत्र*" रायपुर से प्रकाशित लेख, छत्तीसगढ़ एक परिचय,13 सितम्बर 1985.पृ.8

सन 1960 के दशक के बाद के छत्तीसगढ़ अलग राज्य के अभियान थोड़ा गहराया। सबसे पहले उस समय की कांग्रेस पार्टी ने इस माँग को दुहराया, इसी कारण 1965 में छत्तीसगढ़ समाज और 1983 में छत्तीसगढ़ जन परिषद बना। जिससे यह माँग जन आन्दोलन का हिस्सा बन सकी। इस प्रकार 1980 के दशक में कुछ प्रशासनिक पुनर्गठन बस्तर, बिलासपुर और रायपुर मे हुआ। फिर 1984 में छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण और 1987 में उच्च न्यायालय का रायपुर बेंच खुला इस प्रशासनिक और संस्थागत पुनर्गठन के कार्यों से अलग राज्य के विचार को बल मिला।[6] छत्तीसगढ़ अलग राज्य के लिये दुसरी प्रेरक शक्ति, भिलाई के स्टील प्लाट तथा दुर्ग के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे मजदूरों के अभियान से मिली। ये स्थानीय मजदूर ठेके पर आदिवासी और दलित थे, जो बाहर से आये व्यापारी से शेषित थे।[7]

मजदूरों में भी पक्षपात होता था। मध्यम वर्गीय मजदूर परदेशी होकर भी लोहे के खानों में मशीनों से खुदाई के मालिक थे। दूसरी और स्थानीय आदिवासी और भूमिहीन मजदूर, हाथ के बल पर खुदाई करते थे। जब पंरम्परागत ट्रेड यूनियन इस मामले में न्याय नहीं ला सके। तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के शंकर सिंह नियोगी ने इस पक्षपात को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। उसने मजदूर आन्दोलन को समाज सुधार जैसे कार्यों से जोड़ दिया, जैसे नशाबंदी स्वास्थ्य एवं शिक्षा के कार्यक्रम इत्यादि से। लेकिन मजदूरों के माफिया गिरोह ने 28 सितम्बर 1991 को इनकी हत्या कर दी।[8]

अततः 1991 में नये राज्य के बनने की तीसरी वजह रही, मध्यप्रदेश सरकार की स्वार्थ पूर्ति। 1994 में राज्य के विधायक ने अलग राज्य का प्रस्ताव पारित किया। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन की केन्द्रीय सरकार ने

---

[6] *(04) Ibid. page.20*

[7] डॉ.रामेन्द्नाथ मिश्रा."*ब्रिटिशकालींन छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इतिहास*" अजय प्रकाशन, रायपुर. 1981 पृ.1

[8] वी.पी.मिश्रा, "*छत्तीसगढ़ परिचय*" दीपक प्रकाशन, बिलासपुर, 1970, पृ 20

1998 में नये छत्तीसगढ़ राज्य का बिल पारित कर दिया, राज्य के विधानमण्डल ने भी कुछ संशोधन कर इसे पारित कर दिया। अंत में सभी प्रक्रियों से गुजरते हुए तथा संसद की सहमति से मध्यप्रदेश पुनर्गठन बिल 2000 राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ 25 अगस्त 2000 को एक कानून बन गया। इसके बाद 1 नवम्बर 2000 को श्री अजित जोगी के नये छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इसका विधिवत उद्घाटन किया। इसके 16 जिले निम्नलिखितहैः कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, चांपा, जशपुर, रायगढ़, कवर्धा, राजनदगाँव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, धमंतरी, कांकेर, बस्तर और दन्तेवाड़ा।[9]

छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्वरूप-

छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्र 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। इसकी चारों दिशाओं में अलग-अलग राज्य है। उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखण्ड, पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में आन्ध्रप्रदेश तथा महाराष्ट्र और पश्चिम में मध्यप्रदेश राज्य है। 1991 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 20,378 गाँव 96 तहसील तथा 146 जनपद पंचायत या सामुदायिक विकास प्रखण्ड थे। पूरा छत्तीसगढ़ पहाड़ी और समतल दो भागों में बाँटा जा सकता है।

इसमें चार मुख्य प्रदेश हैः- सरगुजा-रायगढ भूखंड, माइकल रेंज, दुर्ग-रायपुर ऊपरी भूमि और बस्तर का क्षेत्र 1 जल स्रोतों में नमर्दा, महानदी, गोदावरी, सेवनाथ, हंसदेव मांड, ईब, पैरी, केलों, उधनती, सूका, अर्पा, मैनपुरी, खारून, इन्द्रावती, साबरी तथा सिंदूर नदियाँ और जल धाराएं है। इसी प्रकार 45 प्रतिशत कुल भूमि में वन है, जिसमें 41 प्रतिशत वन (रिजर्वड फोरेस्ट), 29 प्रतिशत संरक्षित वन (प्रोटेकटेड फोरेस्ट) और 30 प्रतिशत अवर्गीकृत वन (अनक्लासीफाइड फोरेस्ट) है। (डाइरेकटोरेंट ऑफ इकोनोमिक्स एंड स्टाटिसटिकस, छत्तीसगढ 2000 (34) वन

---

[9] विजय कुमार, तिवारी "*छत्तीसगढ़ का एक भौगोलिक अध्ययन*" चाँद पब्लिकेशन, मुम्बई 2001 पृ.32

सम्पदा में खासकर उच्च किस्म के साल के वृक्ष, तथा मिश्रित पेड पौधे है और वन्य उपज में लाह, मधु, रंगाई के लिये वृक्ष के छाल, तसर आदि प्रमुख है।[10]

खनिज सम्पदा -

छत्तीसगढ़ में करीब 29 प्रकार के खनिज पदार्थ है, जिसमें हीरा, सोना, लोहा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, टीन, बाक्साइट और कोयला प्रमुख है। टीन का खनिज बस्तर में 2.89 करोड़ टन है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोहा दन्तेवाड़ा के बैलाडिला में है। यह कांकेर, दुर्ग और राजनंदगाँव में भी पाया जाता है। इसकी कुल मात्रस 196 करोड़ टन आकी गई है। उसी प्रकार सरगुजा, जशपुर, कोरबा, कवर्धा और बस्तर में बाक्साइट की भरमार है। राज्य के 9 प्रमुख चूना पत्थर के कारखानों में 1.47 करोड़ टन की क्षमता है। सीमेन्ट ग्रेड का चूना पत्थर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, जांजगीर, कवर्धा और रायगढ़ जिलों में कुल 358 करोड़ टन की मात्रा में हैं। डोलोमाइट भी बस्तर, दुर्ग बिलासपुर और जांजगीर जिलों में कुल 6.6 टन आंकी गई है। हीरा जैसा कीमती पत्थर रायपुर के माइनपुर क्षेत्र में पाया जाता है। राज्य में प्राप्त अन्य खनिज पदार्थ है कोरन्डुम कावर्टजाइट, फलोराइट, बेरिल, अलुसाइट, केनाइट, सिलीमनाइट, वाल्क, गारनेट, सिल्का, बालू इत्यादि। इसी प्रकार कीमती पत्थर है अलेकजेन्ड्राइन, कोरनेरूपाइन एवं ग्रानाइट।[11]

राज्य की जनसंख्या -

देश के 28 राज्यों में जनसंख्या के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का 17 वा स्थान है। 1991 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 17,614,928 थी, जिसमें 8,872,60 पुरूष थे और 8,742,308 महिलाएं थी। राज्य में कुल 42.91 प्रतिशत साक्षरता थी, जिसमें 58.07 प्रतिशत पुरूष और 27.52 प्रतिशत महिला साक्षरता थी। वर्ष 2001 की जनगणना के प्रारम्भिक

---

[10] दिनेश नंदिनी परिहार, "*प्राचीन छत्तीसगढ़ का सामाजिक आर्थिक इतिहास*" (ई.पू.दितीय शत्ताब्दी से बारहवी शत्ताब्दी ई.तक) यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली. 2003

[11] *(09) Ibid.Page.10*

आंकडों के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 63.18 प्रतिशत है, जिसमें 77.86 प्रतिशत पुरूष और 52.40 महिला साक्षरता है। इसी तरह पुरूष और महिला का अनुपात 100.990 है। राज्य के निर्मम जन्मदर 35 प्रति 1000 है जबकि राष्ट्रीय औसत 29 प्रति 1000 है। मृत्युदर भी राष्ट्रीय औसत 10 प्रति 1000 की तुलना में राज्य का औसत 14 प्रति 1000 है। 1991 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या 57,17,124 थी, जो राज्य की जनसंख्या का 32.45 प्रतिशत भाग था। उसी प्रकार 12.29 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और 49.0 पिछडी जातियों की संख्या थी। शहर में बसने वाले आदिवासी मात्र 4.2 प्रतिशत थे, पर गाँवो में 95.1 प्रतिशत निवास करते थे। आदिवासियों में पुरूषों की साक्षरता 15.83 तथा महिलाओं की साक्षरता 5.6 थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ो के अनुसार कुल जनसंख्या 25,545,198 है जिसमें पुरूष की संख्या 12,832,895 और महिलाओं की संख्या 12,712,303 इतनी है 2001 से 2011 का जनसंख्या विकास दर बढ़ा है 2.08 से 2.56 इतना बड़ा है।[12]

आदिवासी समुदाय -

छत्तीसगढ़ में करीब 42 आदिवासी समुदाय है। राज्य के उत्तरी,उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में आदिवासियों की घनी आबादी है। सबसे अधिक घनी आबादी दन्तेवाड़ा में 79.07 प्रतिशत, बस्तर में 67.0 प्रतिशत, जशपुर में 65.0 प्रतिशत, सरगुजा में 57.0 प्रतिशत और कांकेर में 56.0 प्रतिशत है। इनमें गोंड कि जनसंख्या सबसे अधिक (55.1 प्रतिशत) है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रायः बसे हैं। इनके अतिरिक्त उराँव, कवार, हल्बा, भरिया, भाटटा और नगेरिया आदि समुदाय काफी संख्या में है। 30 अन्य आदिवासी समुदायों की जनसंख्या अनुपात में कम है, जो राज्य के विभिन्न कोनों में बसे हुये है। गोंड आदिवासी अधिकतर

---

[12]"*ChhattsgarhPapulationCensusData2011*"CensusReport, New Delhi 2011.(http://www.census2011.co.in/) Time-2.30, Date 23/05/2017

राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में है, पर कुछ अन्य जिलों में भी फैल गए है। बैगा, भरिया, कोरबा और नगेसिया कुछ ही क्षेत्रों में है। भाटटा, कोलाम और राजा समुदाय के आदिवासी बस्तर में है। कमार आदिवासी रायपुर में, हल्बा आदिवासी बस्तर, रायपुर तथा राजनंदगाँव के कुछ हिस्सों में है। उसी प्रकार उराव आदिवासी मुख्यतः सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ जिलों में है।[13]

आदिवासियों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहचान उनके जन्म मरण तथा विवाह जैसे रस्मों या अनुष्ठानों से मिलती है। माता-पिता का नवजात शिशु, नामकरण विधि के बाद ही कबीले का सदस्य बनता है। विवाह मे वे अपने गोत्र या वंश के बाहर से, पर कबीले या समुदाय के अन्दर से रिश्ते जोड़ते है। इस नियम को तोडने पर भरपाई ओर शादी की मरम्मत की जाती है। जाति व्यवस्था जैसे समाज की तरह दहेज की प्रथा आदिवासी समाज में नहीं है। दुल्हन की कीमत एक सांकेतिक रस्म है, जो वर को वधु के घरवालों को देनी पड़ती है। प्रायः आदिवासी परिवार पितृसत्तात्मक होते है, पर उत्तर पूर्वी राज्यों में कही-कही मातृसत्तात्मक पध्दति भी मौजूद है। मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा समुदाय के पुरखों से जा मिलती है, ऐसा उनका विश्वास है। उनके पर्व त्योहार भी कृषि चक्र तथा प्रकृति से जुड़े हुए है। उनकी प्रकृति तथा संसाधनों से अन्योन्याश्रय का सम्बन्ध है।[14]

आदिवासी अर्थव्यवस्था -

छत्तीसगढ़ में करीब 80 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है। यही बात राज्य के आदिवासियों पर भी लागू होती है। उनकी कृषि भूमि छोटी छोटी है और वे परंपरागत तरीके से कृषि करते है। कृषि के अतिरिक्त आदिवासी वन्य उपज भी आधारित है। जैसे गोंद, मधु, तेन्दु पत्ता, फल फूल, कदमूल, साग सब्जी तथा अन्य उपज, शिकार और मछली मारकर भी कई लोग अपनी जीविका चलाते है। इस तरह से जंगल आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक और

---

[13] शिवकुमार.तिवारी,"*भारत की जनजातीयां*" मध्यप्रदेश की जनजातियाँ, मध्य प्रदेश ग्रथ अकादमी, भोपाल. 1994

[14] डॉ.संजय,अलंग, "*छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ और जातियाँ*" मानसी पब्लिकेशन, दिल्ली. 2001

सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है। जंगल से इन्हे भोजन के अतिरिक्त जलावन, पशुचारा, दवाई तथा मकान बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती हैं। कुछ आदिवासी औद्योगिक उत्पादन तथा नौकरियों में भी लगे है। कृषि के अतिरिक्त आदिवासी लोग इससे संबन्धित कार्य भी करते है। 1991 की जनगणना के अनुसार 74.45 प्रतिशत लोग खेती करते थे और 21 प्रतिशत लोग खेतिहार मजदूर थे इसी प्रकार 0.74 प्रतिशत खदानों तथा मकान निर्माण में, 0.77 प्रतिशत उत्पादन संसाधन से कच्चे माल की तैयारी मरम्मत और घरेलू उद्योग में, 0.46 प्रतिशत निर्माण कार्य में, 0.59 प्रतिशत वाणिज्य और व्यापार मे, 0.42 प्रतिशत यातायात संग्रहण और प्रसारण में, 2.51 प्रतिशत अन्य नौकरियों में हैं।

लेकिन इतना होते हुए भी खनिज सम्पदा से भरपूर राज्य में कुछ ही आदिवासी लोग पेशेवर रोजगारों में है और वह भी लघु उद्योगों में, उल्टे भारी संख्या में आदिवासी विकास की बड़ी-बड़ी परियोजनाओं जैसे सिचाई परियोजना, स्टील परियोजना, भारी इंजीनियरिंग कारखानों आदि से विस्थापित हो गये है। पर उन्हें इनसे उसी अनुपात में कोई लाभ नहीं हुआ है। देश की नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक उदारीकरण और बाजारों के वैश्वीकरण के कारण ऐसा लगता है कि देश तथा विदेश के बड़े-बडे पुंजीपतियों ने लागत-कर लगाकर मानो सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया हैं।[15]

बस्तर का परिचय -

बस्तर के इतिहास के बारें में कहा जाता है कि ई.400 से लेकर भारत के आजाद होने तक की अवधि में नल, गंग, नाग तथा चालुक्य शासकों ने अपने राज्य स्थापित किये थे। बस्तर के राजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव की मृत्यु मार्च 1966 में पुलिस के गोली कांड के दौरान हुई थी। बस्तर के आदिवासियों के बारे में 1941 में वेरियर गल्विन ने अपने विचार प्रस्तुत किये

[15] *(10) Ibid. Page.12*

थे। "आदिवासी गरीब थे लेकिन वे स्वतंत्र और सुखी थे। उनके जीवन में उत्साह और उमंग थी भारत के सर्वश्रेष्ठ नृत्यों में उनके नृत्यों की गणना की जा सकती थी"।

उल्लेखनीय है बस्तर जिले में आदिवासियों की बहुलता तो है ही, उनकी विविधता भी है और एक तरह से कहा जाए तो बस्तर जिला एक अध्ययन क्षेत्र भी कहा जा सकता है। बस्तर जिले की कुल जनजातियों की जनसंख्या 12,49,197 थी जिसमें 49.60 प्रतिशत पुरूषों की तथा 50.40 प्रतिशत स्त्रियों की संख्या है। इस जिले के अंतर्गत तीन तहसील आती है। जिसमें जगदलपुर जो यहाँ मुख्य शहर है यही से पूरी प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है। बस्तर और दन्तेवाड़ा दोनो ही जिले आदिवासी जिलों के नाम से जाने जाते है। बस्तर जिले में मुख्य जनजाति गोंड है। जिस की कुल जनसंख्या 84.06 प्रतिशत है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भतरा है। जिसकी कुल जनसंख्या में 9.34 जनसंख्या में 9.34 प्रतिशत तथा तीसरी प्रमुख जनजाति हल्बा/हल्बी है जो कुल आदिवासी जनसंख्या का 5.49 प्रतिशत है। इसके अलावा और इन मुख्य जातियों की उपजातियाँ है। बस्तर जिले में भानु प्रतापपुर और कांकेर तहसील छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है। यहाँ के जनजाति राजगौड़ और कंवर है जगदलपुर तहसील का काफी भू-भाग मुरिया जन जातियों से बसा हुआ है। इन्द्रावती के दक्षिण में दन्तेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा और जगदलपुर तहसीलों को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र आता है जहाँ पर दडामी मडिया जनजातियाँ निवास करती है। नारायणपुर तहसील का सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र, बीजापुर का उत्तरी भाग दन्तेवाड़ा तहसील का भी उत्तरीय भाग हिल मड़िया कहलाता है।[16]

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। राज्य में 16 जिलें हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में अबिकापुर, रायगढ़ जशपुर और कोरिया जिले हैं। मध्य क्षेत्र में रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, महासमुद, दुर्ग, राजनादगाँव, कवर्धा जांजगीर-चांपा कोरबा है और

[16] डॉ.रामेन्द्नाथ मिश्रा. *"ब्रिटिशकालींन छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इतिहास"* अजय प्रकाशन, रायपुर. 1981 पृ.5

दक्षिण में बस्तर दन्तेवाड़ा और कांकेर हैं। नये जिले बनने से पहले बस्तर जिला राज्य का सबसे बड़ा जिला इसका क्षेत्रफल केरल प्रदेश से भी अधिक था। बस्तर के आदिवासियों के बारे में 1941 में **वेरियर गल्विन** ने अपने विचार प्रस्तुत किये थे। "आदिवासी गरीब थे लेकिन वे स्वतंत्र और सुखी थे। उनके जीवन में उत्साह और उमंग थी, भारत के सर्वश्रेष्ठ नृत्यों में उनके नृत्यों की गणना की जा सकती थी"।[17] बस्तर में विकास व विस्थापन की लड़ाई तो बहुत ही गंभीरता स्थिति में हैं। बस्तर वह इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा आयरण, कोयला की खाने हैं। जिसे औद्यीगीकरण के माध्यम से विकसित किया जा सकता हैं।[18]

दन्तेवाड़ा का परिचय -

दन्तेवाड़ा जिला पहले बस्तर का भाग हुआ करता था, बाद में इसे बस्तर से अलग करके जिला बना दिया गया। फिर भी आज भी दन्तेवाड़ा को दक्षिणी बस्तर के नाम से ही जाना जाता है। पहली महत्वपूर्ण बात है दन्तेवाड़ा में दन्तेशवरी मंदिर है जो पुरे छत्तीसगढ में मशहूर है। यहाँ पर बैलाडीला की पहाडियाँ है जिसमें सबसे उत्तम प्रकार का अयस्क निकलता इसी वजह से दन्तेवाड़ा का एक विशेष महत्व है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ही यह जिला हमेशा चर्चा का विषय रहा है वो यहाँ पर नक्सली हिंसा की वजह से यहाँ पर चलाये गये सलवा जुडूम अभियान, जो कि भूमि अधिग्रहण के लिये चलाये गये थे और नक्सली हिंसा को खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम अन्य राज्य सरकार ने इस जिले के लिये चलाये थे।

दन्तेवाड़ा के अन्तर्गत चार तहसील आती है। गीदम, दन्तेवाड़ा, काटेकल्याण, कारेणाकोडा यह जिला भी पूर्ण आदिवासी जिला है। जिसमें यहाँ की मुख्य बोली भी गोंडी और हल्बी है।

---

[17] डब्लू.वी.गिग्सन, "*मध्य प्रान्त और बरार में आदिवासी समस्याएँ*" राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली. 2008 पृ.14.

[18] वी.पी. मिश्रा."*छत्तीसगढ़ परिचय*" दीपक प्रकाशन, बिलासपुर. 1970 पृ.25

यहाँ कि जनसंख्या 2011 के अनुसार 28,3479 है। जिसमें पुरूष की संख्या 140094 है और महिलाओं की संख्या 143385 है।[19]

दन्तेवाड़ा जिले के अन्तर्गत सबसे ज्यादा आदिवासी और पिछडे वर्ग लोग की जनसंख्या सबसे ज्यादा यहाँ नैसंगिक संसाधन के लिए भी दन्तेवाड़ा जिला मशहूर है। यहाँ के गाँव में स्थाई खेती होती है जहाँ धान की कुछ पैदावर हो जाती है। धान, कोसरा, मडिया इनका मुख्य भोजन है। कन्द मूल एवं फल वन से प्राप्त कर लेते है। वन्य पशु का शिकार करना तथा मछली पकड़ना इन्हें प्रिय है। कही-कही पशुपालन भी किया जाता है। क्योकि यहाँ की आदिवासी जनजातियाँ स्थलांतरित खेती पर विश्वास करते है। यहाँ आदिवासीयों को अलंकरण का काफी शौक होता है। महिलाए, माला, मनके, गुरिया, कंघी आदि से अपने को खूब सजाती है। पुरूष भी इनसे पीछे नहीं नृत्य गीत इनके जीवन के अभिन्न अंग है। शराब एवं सल्फी के नशें मे मस्त यहाँ के स्त्री पुरूष मिलकर रात भर नाचते है। मेलों में नृत्य के भव्य विशाल आयोजन होते है। इनमें बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। वयस्क होने पर अक्सर अपनी अपनी पंसद से ये विवाह करते है। 'टोटामवाद'[20] भी प्रचलित है। इनमें सामाजिक संगठन बड़ा मजबूत होता है। इस तरह दन्तेवाड़ा यह भी अपनी एक पहचान रखता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, जिसे आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

---

[19] "*ChhattsgarhPapulationCensusData2011*",CensusReport,NewDelhi 2011.(http://www.census2011.co.in/) Time-2.30, Date 23/05/2017

[20] 'टोटामवाद' यह प्रथा है जिसमें एक ही गोत्र के लोग एक दुसरे से विवाह नहीं कर सकते इस प्रथा का कई जनजातियाँ पालन करती है

Abujmade Map

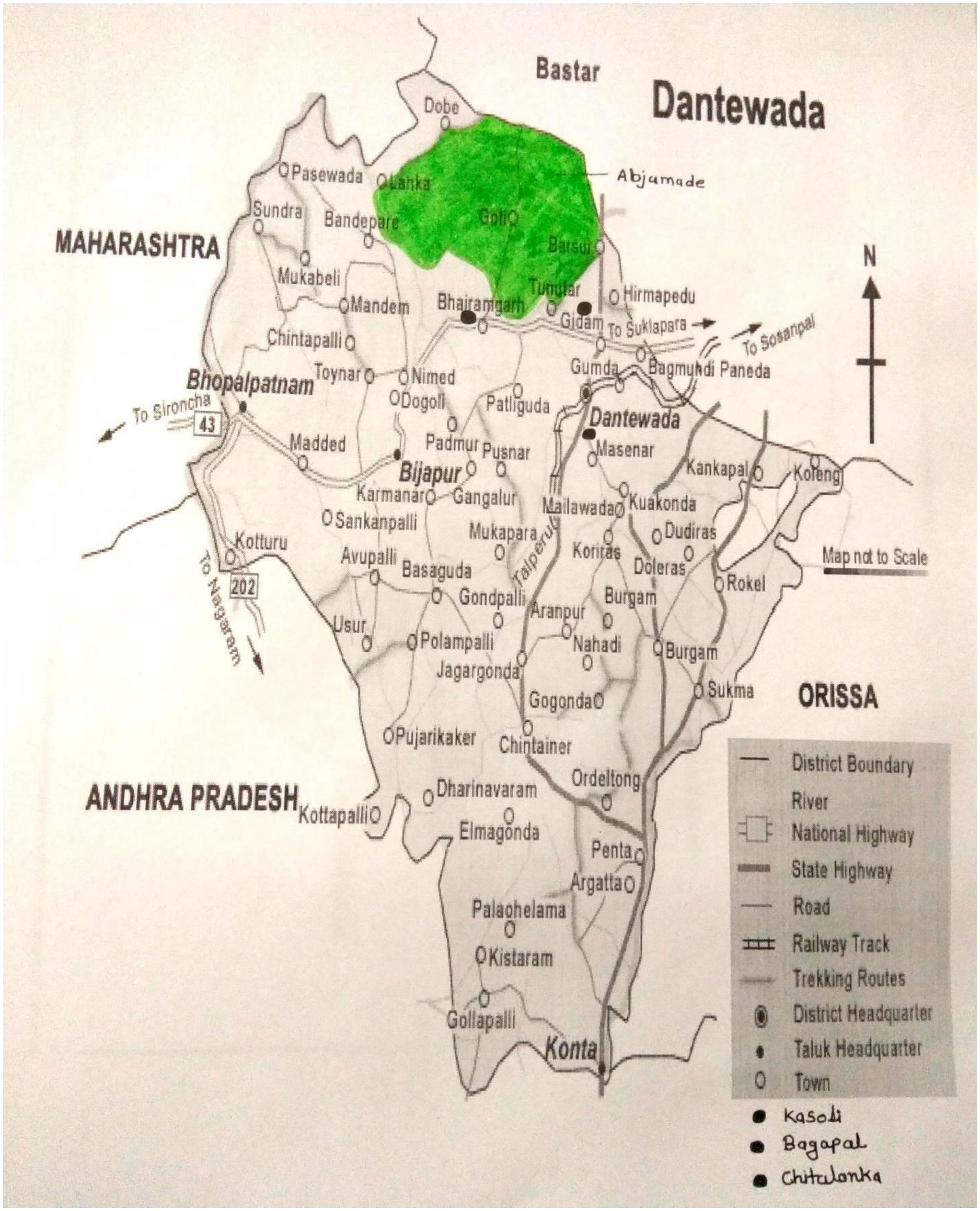

[21]

21 Abjamade Map fig: Dantewada Distt. (www. mapsofindia.com) Date 20/3/2017 time2.14pm

अबूझमाड़ का परिचय -

अबूझमाड़ The Unknown hills विकास खंड, बस्तर जिले के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर नारायणपुर तहसील का पश्चिमी भाग है। इस विकासखंड में नारायणपुर, बीजापुर एंव दन्तेवाड़ा तहसीलों का भाग शामिल है। यह भाग इन्द्रावती नदी के उत्तर गुडरा नदी के पश्चिम, रावघाट, कोसर तथा परतापुर की पहाडियों के दक्षिण एवं कोटरी नदी के पूर्व में 4000 वर्ग किलोमीटर घने जंगलों के मध्य स्थित है। इसके उत्तर के अंतागढ़ और कोयली बेड़ा विकासखंड दक्षिण में भैरमगढ और गीदम खंड, पूर्व में लोहंडीगुडा, कोडागाँव और नारायपुर विकासखंड तथा पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य का चांदा (चंद्रपुर जिला) है। अबूझमाड़ का आज तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सम्पूर्ण विकासखंड बिना सर्वेक्षण के अंतर्गत है। जिसके कारण यह स्पष्ट रूप से पता नहीं है। कि इस क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्रफल कितना है। सम्पूर्ण क्षेत्र नदियो, छोटे-छोटे नालों एवं पहाडियों से ऊँची नीची धरातर से भरा पड़ा है। यहाँ के 70 से 80 प्रतिशत भू-भाग में जंगल एवं पहाड़ है। कृषि योग्य भूमि कम है। अतः पहाड़ों की ढालों पर खेती की जाती है। अबूझमाड का जंगल 4,000 वर्ग किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। अबूझमाड में रहने वाले आदिवासी अपने को अबूझमाडी कहते है।[22]

अबूझमाड यह गोंडो की एक उपजाति भी है। अबूझ का अर्थ हुआ जो न जाना जा सके या अज्ञात जंगली ऊंची भूमि के निवासी है। यह क्षेत्र नारायपुर-बीजापुर तक फैला हुआ है। पूरा अबूझमाड पहाड तथा घने जंगलों से अच्छिदित है। वन्य प्राणियों की भी यहाँ कमी नहीं है। इस क्षेत्र में यातायात के साधन भी नहीं है। इस क्षेत्र में गाँव बहुत दूर दूर बसे है। बस्तर में अबूझमडियों की अपनी अलग पहचान है। अपने एकाकीपन के कारण ये अपनी परंपरागत संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं तथा सामाजिक संरचना को सुरक्षित बनाये हुए है।

---

[22] हरिलाल, शुक्ल. *"प्राचीन बस्तर"* (अर्थात दंडकारण्य का सांस्कृतिक इतिहास)' सूर्या बुक, नागपुर. 2010

ये अभी भी आदिम युग का जीवन जी रहे है। अबूझमडिया पहाडियों पर झूम कृषि करते है। इसे यहाँ पेंदा कृषि भी कहा जाता है। shifting cultivation जब कृषि के लिए ढलान प्राप्त नहीं होता तो उस स्थान को छोड दिया जाता है[23] और कोई नई जगह चुन ली जाती है। इसके साथ ही ग्राम नये स्थान पर बस जाता है। जहाँ खेती की जाती है। वहाँ से समीप प्रायः पेयजल की सुविधा के स्थानों के आस-पास नाला आदि के किनारे अपनी बसाहट बना लेते है। इस कारण अबूझमाड़ के मानचित्र में दर्शायी गयी स्थिति और वास्तविक बसाहट की स्थिति में कभी-कभी बड़ा अंतर आता है। वैसे भी अबूझमाड़ अपनी विविधता के लिए भारत में ही नहीं संसार के कई देशों में प्रसिध्द है। शायद इसी कारण नवम्बर 1958 से मई 1960 के बीच एक अमेरिकन नेतृत्व शास्त्री अध्ययन किया गया जिसें 1968 में प्रकाशित भी किया गया। यह एक मात्र अनोख ही विकासखंड क्षेत्र है।[24]

जिसमें तीन तहसीलों का नाम आता है। अबूझमाड़ के ग्राम में स्थाईपन बहुत ही कम है। दन्तेवाड़ा के 8 ग्राम पूरे स्थाई है। बीजापुर तहसील के 39 ग्रामों में 2 ग्राम जापलुर तथा लंका एवं नारायणपुर तहसील के 186 ग्रामों में ओरघा, गुदाई, जगमुंडा, काहकोमेटा, मुरनार बेचा, झारावाही, इरकभट्टी, कन्दाड़ी, सरगीपाल, गाड़ा वासी, मेडनार एवं नेलनार ग्राम ही लगभग स्थायी रूप से बसे हुए है। शेष 173 ग्राम अस्थायी है। तालिका क्रंमाक 6 से स्पष्ट होता है। कि नारायणपुर तहसील में सबसे अधिक अबूझमाड़िया जनजाति 89.28 प्रतिशत निवास करती है। दंमडी माडीयाँ की जनसंख्या 4.01 प्रतिशत, गोड 3.77 प्रतिशत, मुरिया 2.26 प्रतिशत तथा हल्बा 0.65 प्रतिशत जनजाति पूरे अबूझमाड़ क्षेत्र में निवास करती है। इस क्षेत्र के मूल निवासी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग बिना किसी शासकीय नियंत्रण के बिना अपना जीवन व्यापन करते है। चुंकि ये आदिम युग से ही अपना स्वतंत्र

---

[23] घनश्याम गुप्ता,"*अबूझमाडिया जमात एक प्रांरभिक अवलोकन*" जनजातिय विभाग, रायपुर 1980. पृ.20-25.

[24] एलविन वेरियर,"*मुरिया और उनका घोटुल भाग-1*" राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2008 पृ.231

अस्तित्व बनाये हुए है। वे अपने ऊपर किसी प्रकास के बाहर व्यवधान का विरोध करने से भी नहीं चुकते।[25]

छत्तीसगढ़ राज्य के औधोगिक विकास व विस्थापन का इतिहास -

छत्तीसगढ़ राज्य आगामी 10 वर्षो में तेजी से बढने वाले राज्यों के बीच में है। यह अपने बेशुमार प्राकृतिक संसाधनों तथा नये राज्य के लाभ के साथ प्रगति कर रहा है। आर्थिक रूप से आगे निकले राज्यों की तरह यहाँ जीवन-कुशलता का स्तर समान है, उत्पादन के साधन मौजूद है और भूमंडलीकरण आर्थिक परिवेश में यहाँ साझेदारी तथा प्रतियोगिता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है की राज्य और इसके निवासी अपने जीवन के निर्णयक बनने की क्षमता रखते है। खास कर जब वे जीवन के नये तोर तरीकों को अपना कर दुसरे राज्यों और दुनिया के अन्य लोगों के साथ पारस्परिक प्रभाव एक समन्वय रखते है। इन कार्यो का सम्पूर्ण निष्पादन करते हुए। छत्तीसगढ़ को अगले 10 वर्षो में धनी प्रदेश में गरीब लोग के जैसे विरोधा भास को मिटाना होगा। इसलिए इन प्रयासों के द्रारा हमारे राज्य के नागरिक अपनी पंसद की जीविका चुनने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। इसी के फलस्वरूप वे अच्छी स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य की सुविधा पा सकें।

राज्य के इस सपने को साकार करने के लिए सरकार इन लक्ष्यों का निर्धारण किया है।

1) प्राकृतिक संसाधन का मूल्य आंकना ।

2) विश्व स्तर की भोतिक सुविधाओं का निर्माण करना।

3) मानव-पूजी पर बल देना।[26]

छत्तीसगढ़ में विकास की प्राप्ति के लिए विशेष रूप, हमे सामाजिक-आर्थिक दुशचक्र को तोडना होगा, इसके लिए दो मुख्य कदम छत्तीसगढ़ सरकार ने नये राज्य को विकसित

[25] *(24) Ibid. page. 230*

[26] छत्तीसगढ़ शासन, *"विकास योजनाएँ वर्ष 2004"* रायपुर. आदिमजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग, रिपोर्ट 2004 पृ.23

करने के लिये उठाये पहला कि पूर्ण पारदर्शिता, कार्यकुशलता तथा जिम्मेदारी के लिये अच्छे प्रशासन के सिध्दान्तों को मजबूत करना, दूसरा राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं से ऐसी साझेदारी बढ़ाना जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास का तरीका अपनाया जा सके इन लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ अच्छी फल के द्रारा अपनाया जा सके। इन लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ अच्छी पहल के द्रारा आगामी 10 वर्षों में एक जीवंत एक आधुनिक अर्थ-व्यवस्था की नीव बन सकें। नये उघोगों को बढ़ावा दिया गया जिससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति हो सकें।

छत्तीसगढ़ यह अलग राज्य बनने के पूर्व से ही यहाँ के नैसर्गिक संसाधनों को उपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला में उच्च कोटी के आयरन मिलता है। उसके निकलने का कार्य 1980 के दशक से ही शुरू हो गया था जब से लेकर खनन प्रक्रिया निरन्तर चल रही है इसकी वजह से बैलाडीला के आस-पास के गावं को विस्थपित किया गया। परंन्तु, अभी भी उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में भूमि अधिग्रहण के विरोध में क्रोधित लोगों ने 29 सितम्बर 2001 को जगदलपुर में हुआ। परंन्तु, कोई खास परिणाम नहीं हुआ जिन्दल स्टिप्स रायगढ़ द्रारा शोषण 1991 में रायगढ़ से 7 किलोमीटर दूर पतरापल्ली गाँव में **जिन्दल स्टिस्प लिमिटेड** ने **स्पोंज आयरन** के उत्पादन की एक यूनिट खोली 1989 में इस प्लांट के बनने के समय से अब तक लोगों ने इसके विभिन्न प्रकार के शोषण के खिलाफ आंदोलन किये,पर इसका कोई असर नहीं हुआ।[27]

इस कम्पनी के द्रारा 10 गाँवों से अधिक लोगों को पूरी तरह या आंशिक तोर पर जबरदस्ती अपने ही गाँव से बेदखल कर दिया गया। इसके आलावा कुछ गाँव थे जो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गये। ये गाँव थे जिसमें पतरापल्ली, खोपदीतराय, चिरायपल्ली, सवाई इत्यादि शुरुवात से अभी तक यहाँ कई परियोजनओं के लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है। कई गाँव इस इन

---

[27] Jyoti Punwani, *"Traumas of Adivasi: Women in Dantewada"* EPW January,2007, page.2

परियोजनाओं से प्रभावित हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण (National Mineral Development Corporation) के तत्वाधन में राज्य सरकार ने जून 2001 से नागरनार में स्टील प्लांट में लिये भूमि-अधिग्रहण शुरू कर दिया है। इस परियोजना में स्टील प्लांट,एक ऑक्सीजन प्लांट, एक पावर प्लांट तथा एक सीमेंट प्लांट के लिये कुल 416.96 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण[28] हुआ था इन सारे गाँवो को विस्थापित किया गया पर पुनर्वास पूर्ण रूप से आज भी नहीं हुआ।

NMDC के द्रारा छत्तीसगढ़ में कई प्लांट शुरू किये गये है।[29] जो दन्तेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इत्यादि जिलों में परन्तु इन जगहों पर अभी काम शुरू करने से पहले या नक्सली समस्या को खत्म करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आज छत्तीसगढ़ में सभी समस्याओं में बड़ी समस्या है नक्सलवाद की,समस्या जिसके निवारण हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है।[30]

छत्तीसगढ़ में जो विकास कार्य हुआ है जिसमें जमीन का अधिग्रहण किया गया इस के अन्तर्गत पुरे राज्य में 1982 से लेकर 2007 तक जितनी भी भूमि अधिग्रहण हुआ है। उसका सार है जो सारणी में दिया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ नये राज्य बनने के पूर्व का विकास और नये राज्य बनने के बाद का विकास इस पर आधारित है। जिसमें औद्योगीकरण, बड़े बांध, राष्ट्रीय उद्यान, कोयला खानें, राष्ट्रीय राजमार्ग, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, पर्यटक स्थल, शासकीय कार्यलय, पर्यावर, शिक्षण, रोजगार स्थल, विस्थपित का पुनर्वास,सामजिक कल्याण इन सभी के लिए 1982 तक भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा था। जिसमें अभी तक पूर्ण भूमि 1982 में 51016.56 इतनी जमीन का अधिग्रहण हुआ था 2001-2007 में 154083.3 में इतनी जमीन अधिग्रहण हुआ था।

---

[28] भूमि अधिग्रहण-सार्वजनिक प्रयोजन (औद्योगीकरण, सार्वजनिक निर्माण) हेतु भूमि की जरूरत होती है वहाँ पर यहाँ भूमि अधिग्रहण कानून लागु होता है इस के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है

[29] *(27)Ibid. page 3.*

[30] *(27) Ibid.page.4*

नये राज्य बनने से विकास को नयी गती मिली है पहले जब यह मध्यप्रदेश का भाग था तब विकास होता था परन्तु गती धीमी थी 2000 में जब इसका गठन हुआ इसके विकास के लिए अलग से बजट बनाया गया जिसमें ऊपर दिये गये सभी क्षेत्रो में विकास का लक्ष रखा गया और उसे पूर्ण करने की दिशा में प्रयास किये गए ।

1982-1991, 1991-2007 तक का छत्तीसगढ़ में जमीन अधिग्रहण सारणी

S.N.	Project Category	1982-1990	%	1991-07	%	Totale	%
1.	Water Resources	49001.96	96.05	51429.54	49.9	100431.5	65.18
2	Industry	279.73	0.55	5434.11	5.27	5713.84	3.71
3	Mines	62.05	0.12	1330.76	1.29	1392.81	0.9
4	Non-Hyde power	5.25	0.01	4083.04	3.96	4088.29	2.65
5	Defense	3.74	0.01	3898.4	3.78	3902.14	2.53
6	Environment project	39.23	0.08	4.09	0	43.32	0.03
7	transport	1480.6	2.9	35782.24	34.72	37262.84	24.18
8	HRD	0.11	0	95.67	0.09	95.78	0.06
9	Refugee resettlement	5.22	0.01	0	0	5.22	0
10	Farms	0	0	1.66	0	1.66	0
11	Urban dev	39.68	0.08	381.89	0.37	421.57	0.27
12	Housing	57.34	0.11	192.18	0.19	249.52	0.16
13	Social-welfa	0.34	0	40.9	0.04	41.24	0.03
14	Health	0	0	7.06	0.01	7.06	0
15	Education	9.9	0.02	7.78	0.01	17.68	0.01
16	Govt. office	31.41	0.06	377.02	0.37	408.43	0.27
17	Tourism	0	0	0.37	0	0.37	0
18	Chhattisgarh	51016.56	100	103066.7	100	154083.3	100[31]

[31] Gazetteer Notification, Madhya Pradesh 1982-2000, Gmene Notification, Chhattisgarh 2001-2007

विकास कि अवधारणा और उसका विकास -

प्रकृति के परिवर्तन को यदि सकारात्मक दुष्टि से देखा जाय तो विकास को इसका प्रकृति का मुलभुत गुण माना जा सकता है। प्रकृति सदैव अपने में कुछ न कुछ जोडती-घटाती, बढाती-हटाती, रहती है और इस कर्म में वह निरंतर विकसित होती जाती है। प्रकृति के विभिन्न निर्माण कार्यो से उसके विकास के विविध स्वरूपों को समझा जा सकता है। प्रकृति स्वयं जंगलों, नदियों, मरुस्थलों, पहाड़ो इत्यादि का निर्माण करती है। जब प्रकृति के ये निर्माण और उसकी पर्यावरणीय परिस्थितियों जीवों के अनुकूल होती है तभी इनमें जीवों का जन्म और विकास होता है। आज इस बात को लेकर कोई भी संशय या द्व्दं नहीं रह गया है। कि जीवों कि उत्पति प्रकृति के गर्भ से हुई है समय के साथ-साथ मनुष्य ने अपनी क्षमताओं में वृध्दि की है। कि अब परिवर्तन एक मात्र कारक प्रकृति ही नहीं रहा, बल्कि इसका एक अन्य कारक मनुष्य भी हो गया जो अपनी सुविधाओं के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन लाने का आकाक्षी था। विकास की होड़ में मनुष्य कि जरूरतें निरंतर बढती गयी अधिकतम उपभोग के लोभ में प्रकृति का दोहन शुरू हो गया जिससे आज विश्व प्राकृतिक असंतुलन कि स्थिति की और अग्रसर हो रहा है। विकास कि इस अंधी दोड़ में प्रकृति के साथ साथ मानव जाती का अस्तित्व भी खतरे में है।

विकास की दिशा यह एक आयामी नहीं होती है, यह बहुआयामी होती है। और इसके स्वरूप में भी विविधता होती है इसका कारण यह है की विकास का कोई सर्वमान्य प्रतिमान नहीं है। विकास से ज्यादा मतभेद विकास की प्रक्रिया और स्वरूप पर है विकास की प्रक्रिया के विविध रास्ते विभिन्न विव्द्नों द्रारा सुझाए जाते है। और हर रास्ता अपनी श्रेष्ठता का दावा करता है विकास का स्वरूप का निर्धारण कौन करेगा विकास का प्रतिमान किसे माना जाये और विकास का मूल लक्ष्य क्या रखा जाना चाहिए? विकास के इन प्रश्नों को सामान्यत:

अर्थशास्त्र की दुर्ष्टि से देखा गया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय की वृद्धि को विकास मान लेना भ्रामक है।[32]

इस बात को हम कई उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक देश है जहां विश्व के सर्वाधिक अमीर लोगों के 10 में से 3 लोग है और देश की 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करती है। दूसरा देश है जहां विश्व के 10 अमीर लोगों में से एक भी नहीं है लेकिन यहाँ की सिर्फ 3% जनता ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करती है। यहाँ पर किसकों विकसित माना जाये और किसको अविकसित माना जाये विकास का वास्तविक लक्ष्य किसे माना जाये विकास के प्रतिमान स्पष्ट होने चाहिए यह भी स्पष्ट होना चाहिए की विकसित होने का तात्पर्य अधिक करोडपती बनाना है, या जन सामान्य के जीवन स्तर को सुधारना है।[33] आर्थिक रूप से समृधि हासिल कर लेना ही विकास नहीं है। बल्कि, इसके साथ साथ सामाजिक, सांस्कुतिक और राजनीतिक स्तर पर विकसित होना भी अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक स्तर पर पिछड़े और आर्थिक स्तर पर संपन्न समाज में अत्यंत अराजक एवं अमानवीय स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसे समाज में मानवीयता अधोगामी हो सकती है आज विकास के जिस स्वरूप एवं अवधारणा की बात जाती है।

---

[32] श्याम चरण दुबे *"विकास का समाजशात्र"* , पृ. स. 2007

इस पुरे अध्याय में 'विकास' शब्द का उलेख कई बार हुआ है |'विकास' यह एक अर्थशास्त्रीय संकल्पना है जिसमें राष्ट्रीय सकल उत्पाद और राष्ट्रीय आय की वृद्धि को ही विकास माना गया है। परंन्तु, विकास के इसके आलावा और भी महत्वपूर्ण पहलु है जिसमें औघोगीकरण, आधुनिकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण इत्यदि जिनके माध्यम से सामान्य जनता के जीवन मान को बेहतर बनाना उनके लिए नये रोजगार के अवसर उपलब्ध करना जिससे वो अपनी आर्थिक व सामाजिक उन्नतीं कर सके.

[33] आर.वी. परमानी. 'समकालीन राजनीतिक सिध्दान्तों का परिचय' पृ.स. 27.

विस्थापन कि अवधारणा -

किसी व्यक्ति, परिवार या समाज को अपने मूल निवास से उजड़ कर नए स्थान पर बसने की प्रक्रिया को विस्थापन कहते है। विस्थापन शब्द से मुख्य रूप से सामुदायिक स्थानातंरण ही ध्वनित होता है एक स्थान से निकल कर दुसरे स्थान पर बसने की प्रक्रिया कई कारणों से परित होती है, विस्थापन स्वैच्छिक हो या अनैच्छिक मूल निवास से विलग होने का दर्द हर किसी को सताता है कोई भी स्थिर समुदाय स्वेच्छा से तब तक विस्थापित नहीं होता जब तक की मूल निवास स्थान पर उसका जीवन दुरूह न हो जाए और अनैच्छिक विस्थापन तो हर हाल में त्रासद होता है।

विस्थापन के अदि रूप को प्रचीनकाल से समझा जा सकता है। जब मनुष्य सामाजिक स्तर पर विकसित और संपन्न नहीं था, अपने जीवन की मुलभुत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह छोटे-छोटे समुदायों में दर-दर भटकता था। स्थिर समाज में रहने की शुरुआत सभ्यता के विकास को दर्शाता है। किसी भी एक समुदाय, समाज या गाँव के बसने के पीछे उसका अपना एक इतिहास होता है। समाज के निर्माण, स्थायित्व और विकास का मुख्य आधार उस समाज के लोगों की आपसी सहभागित होती है आपसी और अन्योन्याश्रित संबध समाज को एकता के सूत्र में पिरोते है। आपसी सहयोग और सामूहिक सहभागिता की भावना से समाज का विकास होता है। यही गुण समाज को जींवत और प्रासंगिक बनाए रखते है। कोई भी अपने निर्माण प्रक्रिया में तमाम मान्यताओं को प्रतिपादन करता है और परंपराओं का अनुसरण करता है जिसके आधार पर कालांतर में उसकी एक विशेष सांस्कृतिक विकास उसके क्षेत्रीय प्राकृतिक स्थितियों से गहरे स्तरों पर जुड़ा होता है। परंपरा या

संस्कृती, संबंधित समुदाय के साथ साथ संबंधित क्षेत्र एवं प्राकृतिक परिस्थितियों से भी घर तादात्म्य रखती है।[34]

जब कोई समाज विस्थापित होता है तो वह अपने उन जड़ों से अलग होता हैं जिसके बनने में न जाने कितना समय लगा था विस्थापन की प्रक्रिया दोहरे स्तर पर कष्टप्रद होती है। पहला अपने मूल स्थान से उजड़ने का दुख होता है और दूसरा, नए स्थान पर बसने की मुशकिलें इन दोनों का सामना करना पड़ता है। विस्थापन को मोटे तोरपे दो रूपों में बाटा जा सकता है, स्वैच्छिक विस्थापन और अनैच्छिक विस्थापन है। [35]

स्वैच्छिक विस्थापन उत्तरोत्तर श्रेष्ट जीवन स्थिति की और संकेत करता है। शहरी दुनिया से परिचित ग्रामीण की लालसा होती है, की उसका भी एक मकान शहर में हो जिसमें सहपरिवार रहते हुए वह तमाम सुख-सुविधाओ के साथ एक आराम की जिन्दगी बसर कर सके शहर की तमाम प्रकार की सुविधाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और एक व्यवस्थित जीवन शैली के लिए अनिवार्य वस्तु स्थितियों की उपलब्धता उसको आकर्षित करती है। शहर की इन सुख-सुविधाओं के खर्च को वहन करने की क्षमता जिनमें होती है ऐसे लोग ग्रामीण समाज से शहर की और विस्थापित होते है। यह विस्थापन पूर्ण तया या स्वैच्छिक होता है। यह विस्थापित होने वाले का अपना चयन होता है इस प्रकार के विस्थापन को सच्चे अर्थो में कहा भी नहीं जा सकता क्योकि इस तरह से जो लोग विस्थापित होते उनके साथ अपने मातृभूमि से जुड़े रहने का विकल्प भी खुला रहता है।

अनैच्छिक विस्थापन यह एक दूसरा रूप है रोजगार की तलाश में विस्थापित होना इसको आंशिक विस्थापन भी कहा जा सकता है जब मूल निवास स्थान पर जीवन यापन के लिए

---

[34] श्याम चरण दुबे *"विकास का समाजशात्र" पृ.*30

[35] S.N. Tripathy *"Problem of Displacement and Development"* Anmole Publishing New Delhi.2003.

उचित रोजगार साधनों का अभाव रहता है, ऐसी स्थिति में रोजगार की तलाश में एक बड़ी जनसंख्या देश के एक हिस्से से दुसरे हिस्से में विस्थापित होती है। इस तरह की स्थिति श्रमिक वर्ग के साथ मुख्य रूप से देखने को मिलती है। यह विस्थापन अल्पकालिन या आंशिक होता है क्योकिं रोजगार की तलाश में गए लोग अपनी मातृभूमि से जुड़े रहते है और अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार पर ही खर्च करते है जो कि उनके गाँव में निवास करता है।

भारत में इस तरह के विस्थापन का मुख्य कारण औघोगिकरण है जिससे कुछ स्थान विकसित अवस्था को प्राप्त कर रहे है और दुसरे स्थान अत्यन्त पिछड़े और अविकसित है। पिछड़ेपन और अविकसित स्थितियों के चलते होने वाले इस विस्थापन को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह विस्थापन भारतीय समाज को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। इसके कुछ लाभ भी है। प्रथम यह की इससे तकनीकी रूप से अकुशल श्रमिक को भी रोजगार मिलता है जिससे उनको आगे बढने का मोका मिलता है। दितीय यह है कि देश के कोने कोने तक बड़े पैमाने पर लोगों के आने जाने से विविध प्रातों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ता है जिससे एकता और अखंडता की भावना को बल मिलता है और विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक श्रमशक्ति की आपूर्ति भी बनी रहती है। इस तरह विस्थापन का कोई स्पष्ट नकारात्मक पक्ष नहीं है किन्तु कुछ राजनीतिक दल क्षेत्रीयता की भावना उकसाकर इस तरह के विस्थापन का विरोध करते है। ऐसा वह अपना राजनीतिक स्वार्थ सिध्दं करने के लिए करते है। [36]

साम्प्रदायिक झगड़ों के चलते होने वाला विस्थापन अत्यन्त दुखद होता है। इससे प्रभावित जनसमुदाय के लोगों को अपने मूल निवास से जुडी आखिरी यादें कुछ अच्छी नहीं होती

---

[36] Prof. M. Sundara Rao "*Development: Induced Displacement"* edited book 'Development vs Displacement of Tribal Problem' Abhijeet Publication 2009.

इन्हें आपात स्थिति में पलायन करना पड़ता है। जिससे ये विस्थापित होने की उचित तैयारी भी नहीं कर पाते, जान बचाकर भागे ऐसे लोग सरकार एवं अन्य संस्थाओं, लोगों के रहमोकरम पर ही पुर्नस्थापित होने की लम्बी जद्दोजहद में लगे रहते है। विकास कार्यो के चलते होने वाला विस्थापन हमारी चिंता का मुख्य विषय है। जिसमें प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मजबूरन अपने मूल निवास से विस्थापित होना पड़ता है यह एक सर्वमान्य सत्य है। कि विकास कार्यो के लिए कुछ हद तक विस्थापन अनिवार्य है। किन्तु, यदि विस्थापन की प्रक्रिया विवेक संगत न हो तो यह समझना सचमुच मुशिकल हो जाता है की विकास कार्य हो रहा है या विनाश कार्य है।

आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के तहत विकास परियोजनाओ से होने वाले विस्थापन का मोटा लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए **स्मित कोठरी** कहते है

> *"आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओ के तहत विकास परियोजनाओं ने हर साल लगभग पांच लाख लोगों को विस्थापित किया है यह प्रशासन द्रारा भूमि के अधिग्रहण का सीधा नतीजा है इस आकड़ें में गैर योजना परियोजनाओं, जमीन के इस्तेमाल में तब्दीलियों, शहरी विकास के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण में गिरावट व प्रदुषण के कराण अजिविका के नाश से होने वाले विस्थापन के आंकड़े शमिल नहीं है। इसके आलावा इसके आलावा इसमें तटीय इलाकों, जमीन और जंगलों की पारस्परिक विविधता की जगह "एकरसता की व्यवस्था" के प्रोत्साहन की वजह से होने वाले भारी विस्थापन के आंकड़े भी शमिक नहीं है"।*[37]

विकास कार्यो के कारण होने वाला आदिवासी विस्थापन प्रबुद्ध वर्ग के लिए अत्यन्त संवेदनशील विषय रहा है। रमणिका गुप्ता आदिवासी विस्थापन को मात्र आदिवासियों के स्थानांतरण के रूप में नहीं देखती बल्कि इस विस्थापन को उनके मूल्यों, नैतिक

---

[37] स्मित कठोरी, *"किसका राष्ट्र? विकास बनाम विस्थापन"* आर. पी. पब्लिशिंग हॉउस. दिल्ली. 1996, पृ.स. 09

अवधारणाओं, जीवन शैलियों, भाषाआँ और संस्कृति से भी विस्थापन मानती है वे लिखती है

> *'भारत में आदिवासी जन समूहों का विस्थापन व पलायन तो सदियों पहले से ही जारी है, परन्तु इधर विकास के नाम पर बरती गयी नीतियों के कारण वे केवल अपनी जमीनों, जंगलों, संसाधनों व गावों से ही बेदखल नहीं हुए बल्कि उनके मूल्यों, नैतिक अवधारणाओं, जीवन शैलियों, भाषाआँ और संस्कृति से भी उनके विस्थापन की प्रक्रिया तेज हो गयी। इस विस्थापन में सरकारी हस्तक्षेप व नीतियों के साथ-साथ तथा कथित मुख्य धारा के समाज द्वारा उनके संसाधनों पर कब्जा करने उन्हें बेदखल कर देना भी उनके विस्थापन व पलायन का मुख्य कारण रहा है'।*[38]

मुख्य धारा के समाज द्वारा आदिवासियों को उनके संसाधनों से बेदखल करना अत्यन्त दुखद है। अपने ही देश में जीवन-यापन के साधनों के अवरूध्द कर दिय जाने से इसमें असंतोष की भावना पनपती है, जिससे इनके देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की संभावना बढ़ जाती है।

विकास कार्यो के चलते अपने घर, खेत, जंगल से महरुम लोगों को पुर्नवास की समस्या से दो चार होना पड़ता है। सरकार अक्सर बड़े पैमाने पर होने वाले विस्थापन से निपटने में असफल पायी जाती है। ऐसे में विस्थापितों का जीवन यापन और भी मुश्किल हो जाता है। उसका पैतृक रोजगार नष्ट हो जाता है, इनके खेत, जंगल नष्ट हो जाते है। उसकी उचित भरपाई नहीं हो पाती वे सर्वथा आवंछित तत्व बनकर रह जाते है। यही कारण है कि आज विस्थापितों के पुर्नवास के लिए बड़ी संख्या में आंदोलन चलाए जा रहे है और साथ ही ऐसे विकास कार्यो का विरोध किया जा रहा है जो बड़ी संख्या में लोगों को

[38] रमणिका गुप्ता, "*निज घरे परदेसी: झारखण्ड के आदिवासियों पर केंद्रित*" वाणी प्रकाशन, दिल्ली. 2004.पृ.22

विस्थापित करते है, जो विस्थापन, प्रकृति के लिए भी अच्छा नहीं है और जिनका दूरगामी परिणाम भी अच्छा नहीं है।[39]

विकास, विस्थापन और पुनर्वास में अंतःसंबंध -

विकास की बेहतर परिस्थितियों को देखकर व्यक्ति स्वयं विस्थापित हो जाता है। इस तरह के विस्थापन एक गाँव से शहर की और या छोटे शहर से बड़े शहर की और होते है बेहतर जीवन स्थितियों और रोजगार की तलाश में लोग स्वेच्छा से विस्थापित होते हैं। आदिवासी समुदाय भी जब अपने निवास स्थान से बेहतर परिस्थियाँ कही और पाते है तो वे वहां विस्थापित हो जाते हैं। सीधी बात है, वे जंगल से गाँव या शहर की और नहीं बल्कि जंगल में ही विस्थापित होना पसंद करते हैं। क्योंकि नितान्त प्राकृतिक को ही वे अपने अनुकूल पाते है अंत उनका स्वैच्छिक विस्थापन प्रकृति में ही होता है।

विषम परिस्थियों में भी लोग विस्थापित होते है अब अपने मूल स्थान पर जीवन यापन कठिन होने लगता है। रोजगार के साधन नष्ट हो जाते है तो लोग रोजगार की तलाश में विस्थापित होते है प्राकृतिक आपदाएं भी बड़ी मात्रा में विस्थापन का कारण बनती है। अत्यधिक बाढ़ या सुखा की स्थिति में स्थान विशेष के अल्पसंख्यक समुदाय (वह किसी भी धर्म साम्प्रदाय का हो सकता है) को विस्थापित होना पड़ता है।[40]

साम्प्रदायिक झगड़ों से होने वाला विस्थापन मानवता के लिए अच्छा संकेत नहीं है इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही माना जाता है जब कोई व्यक्ति, परिवार या समूह स्वैच्छिक विस्थापन करता है। तो इस विस्थापन में उसके कुछ स्वार्थ या विवशताएँ निहित होती है। हमारी चिंता का मुख्य विषय विकास कार्यो के चलते होने वाला विस्थापन है यह सत्य है कि

---

[39] रमणिका गुप्ता, "*आदिवासी विकास से विस्थापन*" राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली. 2015. पृ.20

[40] S. Kothari, "*Whom Rational? Displaced as Victims of displacement*" EPW.1996. Pg.24

विकास कार्यो में कुछ न कुछ विस्थापन तो अपेक्षित है लेकिन यदि यह विस्थापन न्याय संगत तरीके से न हो तो व्यवस्था पर प्रश्न उठने लगते है। एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ जनता स्वयं अपने ही बीच से सरकार का चयन करती है और उन्हें सारे अधिकार सोपती है ऐसे में सरकार कैसे जनता के हितों की विरोधी हो जाती है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। जनता को असंगत एंव अन्यायपूर्ण विस्थापन सर्वथा अस्वीकार होता है लेकिन देखा यह जाता है, कि जनता के सम्मुख प्रतिकार का कोई समुचित और प्रभावशली साधन नहीं होता है। ऐसे में सत्ता और प्रशासन की मनमानी चलती है। एक सीमित वर्ग के लाभ और सुखमय जीवन के लिए बहुसंख्यक के जीवन को कष्टमय बना दिया जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार विकास का वास्तविक लक्ष्य क्या है इस पर उन्होंने चर्चा की है।

> *"विकास का वास्तविक लक्ष्य लोगों को स्थायी सुख, शांति और संतोष प्रदान करना होना चहिए हमारे पास भोग की कितनी वस्तुएँ है यह पैमाना नहीं बल्कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे है क्या पैमाना होना चहिए। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्तों में कई परिवर्तन करना होगा। आज की तरह विज्ञान का उपयोग प्रकृति की हत्या कर कभी तृप्त न होने वाली लालच के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान की सहायता से प्रकृति का सुसंस्कार कर प्राणी मात्र की प्राणवायु, जल-भोजन आवास अदि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा।"*[41]

विकास कार्यो के चलते होने वाले इतने बड़े विस्थापन की सार्थकता पर विचार करने की आवश्यकता है। औघोगीकरण, सिचाई परियोजना और थर्मल पावर के विकास में सर्वाधिक विस्थापन की समस्याए देखने को आती है। स्वतंत्रता के बाद इस तरह के विकास कार्यो से किसी को परहेज नहीं था क्योंकि, इसके वादे अक्सर लोक लुभावन ही थे। लेकिन, जब इन विकास कार्यो की प्रक्रिया न्याय संगत नहीं रही तब इसके ओचित्य पर प्रश्न उठने

---

[41] सुंदरलाल बहुगुणा, "*धरती की पुकार*" राजकृष्ण प्रकाशन समूह, 2007, पृ.स.88

लगते है। कुछ विकास कार्य अपने पीछे विनाश का मंजर छोड़ जाते है और यह समझ में नहीं आता कि अपने आपको बुध्दिमान समझने वाले नीति नियोजक किस तर्क पर सर्व भोमिक विकास इसी ओचित्य से सिध्द करते है

> *औद्योगिक सिचाई परियोजनाओं एवं थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण के लिए सरकार ने निजी व सरकारी संस्थाओ के लिए भारी मात्रा में जमीनों का अधिग्रहण किया और लाखों लोग विस्थापित बना दिया गया। सिचाई के लिए बनाए बाधों के कारण हजारों एकड़ जमीन खप गई, कोयला खदानों में विशेषत:मशीनी कृत ओपन कस्ट खनन प्रणाली के चलते खेत दर खेत उजड़ गए और जंगल-दर-जंगल कट गए। भारी विस्फोटों के कारण पानी के स्त्रोत या तो सुख गए या उनकी धारा बदल गयी। कुँए सुख गए, फसल से लहलहाते खेत मुरझा गए। भूगर्भ परियोजना के कारण जमीन भी धंस गयी और ऊपर लगे धान के बिछड़े सूखे गए खेत गड्ढे बन गए।"*[42]

यह विकास का वह पहलू था जिससे स्पष्ट होता है कि यदि विकास के अविवेकपूर्ण तरीके से अपनाया जाय तो विकास कम विनाश ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है। इसका दूसरा पहलू और भी भयावह है। विकास कार्यो के लिए जों क्षेत्रों का चयन किया जाता है, वहाँ से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होते है। विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या अत्यंत संवेदनशील और गंभीर समस्या होती है। विस्थापितों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था न होने पर एक पूरा का पूरा समाज प्राय: नष्टप्राय और अत्यंत दयनीय अवस्था में आ जाता है। विकास कार्यो के चलते विविध स्तरों पर विस्थापन होता है कई बार विस्थापन आवश्यक होता है और उसका उचित मुआवजा भी मिल जाता है।

किन्तु कई बार जब विस्थापितों की संख्या अधिक होती है, तो सरकार उनके पुनर्वास में हमेशा असक्षम रही है आधारभूत संरचना के विकास के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की

---

[42] रमणिका गुप्ता (सम्पा) "*आदिवासी विकास से विस्थापन*" राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, 2008 पृ.क्र.77

आवश्यकता होती है। विकास की दोड़ को गति देने के लिए रेलवे लाईनों, सडकों का जाल बिछाना आवश्यक है। शिक्षा में सुधार के लिए स्कूलों, कालेजों और विश्वविघालयों की स्थापना करना आवश्यक है। ये विकास के कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनको टाला नहीं जा सकता। इस तरह के विकास कार्यो में भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है जिससे प्रभावित लक्ष्य क्षेत्र के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। इस तरह का विस्थापन ज्यादा त्रासद नहीं होता और पूरा का पूरा समाज विस्थापन की समस्या का शिकार नहीं होता। उदाहरण के लिए सड़क निर्माण में सड़क के क्षेत्र में आने वाले लोगों का ही विस्थापन होता है। उनकी सम्पूर्ण सामाजिक संरचना का ध्वंश नहीं होता है अक्सर अधिगृहित भूमि का उचित मुआवजा भी मिल जाता है ऐसे मामलों में मुआवजे की राशि संतोषजक होती है। जिससे वे अपने बेहतर भविष्य की योजना बना सकते है। आधारभूत ढांचें का निर्माण अपने साथ विकास के कई कार्यक्रम लाता है। जैसे सडकों का निर्माण होने से उसके आस पास के क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होने लगता है।

आवागमन के सुगम साधन उपलब्ध होने से ग्रामीण समुदाय विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लगता है। उनकी पहुंच व्यापक होने लगती है वे बाजार तक और बाजार उन तक आ पहुँचता है। उनको अपने मन-मुताबिक विकास के मार्ग के चयन का विकल्प मिलता है। इस तरह सड़क निर्माण से होने वाले विस्थापन उतने दुखद नहीं है। इसमें विस्थापन की सीमाएं होती है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक संरचना नष्ट नहीं होती। वह अपने लोगों के बीच में बना रह सकता है और अपनी परम्परा से जुड़ा रह सकता है उसके पंरम्परागत रोजगार भी बने रहते है। वह अपने मूल भूमि से उखाड़ नहीं फेंका जाता बल्कि उससे विकास का रास्ता ही निर्मित होती है। [43]

---

[43] "*National Human Development Report*" Government of India, 2001

सडकों के निर्माण के साथ भी कभी कभी विसंगत स्थितियां बन जाती है और वे विकास के बदले प्रभावित क्षेत्र के लोगों के जीवन को दुविधा और कष्ट से भर देती है। हालांकि सडकें विकास को गति देने की प्राथमिक आधार मानी जाती है लेकिन कई “लेनों” के बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो के संदर्भ में यह बात सही नहीं है। कभी कभी ये राजमार्ग एक ही गाँव को दो भागो में बाँट देते है जिससे अत्यंत विसंगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिससे कभी कभी गावं की आबादी का हिस्सा जिसमें लोग रहते है एक तरफ रह जाते है और उनके खेत दूसरी तरफ रह जाते है। ऐसे स्थितियों में किसानों को अपने खेतों तक पहुचने के लिए काफी मशकत करनी पड़ती है तेज रफ्तार वाली चोडी सडकों को ऊपर से पार नहीं किया जा सकता। सड़क पार करने के लिए पर्यायी रास्ता (sub-way) इस्तेमाल करना पड़ता है जो अधिकतर लोगों के लिए लम्बा रास्ता साबित होता है।

आबादी और स्कुल के बीच इस तरह की सडकों का आना भी किसी मुसीबत के आने से कम नहीं है। इन सडकों पर चलने वाले वाहनों की न्यूनतम गति भी अत्यधिक होती है, जिससे स्कुल जाने वाले छोटे बच्चों को लेकर उनके माता-पिता चिंतित रहते है। एक किसान यदि पडोस के गाँव के अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहता है। तो वह इसका उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि इस सड़क पर चलने की कीमत चुकाना उसके लिए आसन नहीं होता। जबकि इस तरह के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के पहले वह आसानी से अपने कच्चे रास्तों का प्रयोग करता था। राष्ट्रीय राजमार्गो से स्थानीय लोगों को लाभ नहीं होता। उल्टे इस तरह के रास्तें जिस जगह से गुजरते है वे लोगों को बांटते, काटते, अलगाते, मुशकिलें खड़ी करते और विस्थापित करते चलते है। उघोगों की स्थापना के लिए भी कई बार लोगों से जमीन अधिग्रहित की जाती है विकास कार्यो का हवाला देते हुए उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की बात की जाती है।

विकास पिछड़े और अविकसित समाज में आधुनिक रोजगार का सृजन बड़ी बात होती है। किन्तु जमीनों के अधिग्रहण के पश्चात उघोगों के निर्माण कार्य में भी स्थानीय मजदूरों को नहीं लिया जाता। इसके पीछे कारण यह है कि स्थानीय मजदूरों के साथ ठेकेदारों की मनमानी नहीं चल सकेगी। इसके विपरीत दूर दराज से लाए गए सस्ते मजदूर उनके अनुसार ही काम करेगें उनका घर-परिवार और गाँव उनसे दूर होगा। जिससे वे कार्य क्षेत्र पर ही रहेगें। कार्य के घंटो को सुविधा के मुताबिक़ बढाया एवं परिवर्तित किया जा सकेगा। दूर के मजदूर तीज-त्योहारों के लिए छुट्टीयां नहीं मगेगें और त्योहारों के दिन भी काम में लगें रहेगें जिससे निर्माण कार्य की गति में निरन्तरता बनी रहेगी और निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जा सकेगा। इस तरह उघोगों की स्थापना के चलते वहां रहने वाला मजदूर विस्थापित तो हो जाता है। लेकिन, अपने अपने ही मूल निवास पर चलने वाले निर्माण कार्य में उसकी सहभगिता से उसे वंचित कर दिया जाता है।

उघोगों का निर्माण हो चुकने के बाद उसको चलाने के लिए कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, जो की जाहिर है, स्थानीय लोगों में नहीं होती सरकार विकास के नाम पर विस्थापित तो कर देती है। लेकिन स्थानीय लोगों को उघोगों धन्धो में काम करने का प्रशिक्षण नहीं देती। उघोग निर्माण के बाद रोजगार की आस लगाए विस्थापित लोगों को एक बार फिर निराशा ही हाथ लगती है जब उनको उनकी ही जमीन में खड़ी फैक्ट्री में रोजगार नहीं मिल पता है फैक्ट्री के लिए कुशल श्रमिको और कर्मचरियों को अक्सर बाहर से लाया जाता है। इस पर रमणिका गुप्ता लिखती है कि-

> *‘‘टाटा कम्पनी ने मजदूरों के रहने के लिए घर तो बनाए पर गाँव के स्थानीय लोग, न तो रोजगार पा सके और ना ही कम्पनी ने जनता के हितार्थ वहा स्कूल या अस्पताल भी नही खोला कुछ वर्षो बाद टाटा कम्पनी बोरिया बिस्तर समेटकर बिहार के जमशेदपुर चली गयी, जहा उसने विशाल व्यापारिक साम्राज्य स्थापित कर लिया और अपने पीछे छोड़ा गये असंख्य गड्ढे और खेती के योग्य उबड-*

खाबड़ जमीनों जींन पर बाहर के लोगों ने कब्जा करके अपने घर बार बना लिए दुकानें खोली ली और व्यापर धन्धा शुरू कर दिया। वहा के आदिवासी उजड़कर विस्थापित हो गए। वे रोजगार की खोज में अपने राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर चाय बागानों, पत्थर खदानों, सडको या ईट भटठो में बधुवा मजदूर बनकर काम कर रहे है,उनका अपना अस्तित्व नहीं रहा उनकी पहचान एक मजदूर बन कर रह गई"[44]

इन परिस्थितियों में जब औघोगिक के क्षेत्रों बदलाव आया तब मूल निवासी वंहा के लिए सर्वथा अवांछित तत्व हो गये। इसी स्थितयों में पुरुष असामाजिक कार्यो में संलिप्त पाए जाते है। तो महिलाएं उघोगों के कर्मचरियों के यहाँ धरेलू नौकरानीयों के रूप में काम करके अपने परिवार का गुजर बसर करने को मजबूर होती है। विकास की इस प्रक्रिया में स्थानीय लोग अपने आपको ठगा ही महसूस करते है।

विस्थापन और उससे उत्पन्न समस्याए -

मानवीय विकास के नाम पर बनी हुई बड़ी बांध परियोजना, औघोगीकरण, राष्ट्रीय महामार्ग और नैसर्गिक संसाधनों का बाजारीकरण के कारण व्यापक स्तर पर विस्थापन हुआ है। जिससे पुनर्वास भी एक गंभीर समस्या है। विस्थापन की प्रक्रिया से पहले पुनर्वास की किसी योजना का सर्वथा अभाव दिखाई पड़ता है। विकास कार्यो की रुपरेखा तो पुर्वनिर्धारित रहती है लेकिन पुनर्वास[45] को लेकर इतनी तत्परता नहीं दिखाई पड़ती है। इस तरह के बड़े विस्थापन से गंभीर समाजिक समस्या आती है किसी भी समाज का अपना एक इतिहास

---

[44] रमणिका गुप्ता (सम्पा) "*आदिवासी विकास से विस्थापन*" राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, 2008.

[45] ''पुनर्वास'' शब्द को लेकर मेरा तात्पय यह है की मूल स्थान से नये स्थान पर स्थालांतरण करना जो कि विस्थापन के बाद शुरू होती है एक समाज को उसके अपने मूल स्थान से विस्थापित करके नये स्थान पर पुनर्स्थापित करना, जिसमे उसे अपनी मुलभुत सुविधाओं के साथ उसका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कुतिक पुनर्वास भी किया जाता है। पुनर्वास यह एक दीर्घ कालीन प्रक्रिया जिसे बनाने में सदिया बीत जाते है फिर भी वो अपने मूल स्थान जैसा कभी भी नहीं लगता।

होता है, उसकी परम्पराएं होती है जो की उसके सामाजिक व्यवस्था का आधार बनती है। समाज एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरकर बनता है हर वर्तमान समाज तभी तक जीवंत रहता है जब तक की इसकी आधारभूत व्यवस्था काम कर रही होती है। समाजिक संरचना के ताने बाने का निर्माण एक दो बरस में नहीं बल्कि सदियों में होता है। किसी भी समाज को सर्वथा स्थिर नहीं माना जा सकता, पारिस्थिति, परिवेश और मांग के अनुसार उसमें निरंतर परिवर्तन भी आता रहता है हर समाज के विकास के अपने प्रतिमान होते है। अपने प्रतिमानों के सापेक्ष हर समाज उत्तरोत्तर विकसित होता चलता है समाज की यह स्वत:स्फूर्त विकास करना ही उसके विकसित होने का प्रमाण है।

भारतीय ग्रामीण समाज परिवेश अन्योन्याश्रित संबंधों पर आधारित रहे है यहाँ गाँव को एक पूर्ण इकाई के रूप में समझा जा सकता है। अक्सर गाँव की सामाजिक संरचना और ग्रामीणों के आपसी संबध कुछ इस तरह से विकसित हुए है, एक दुसरे के काम आते थे गाँव में ही जीवन व्यापन की अधिकतम जरूरतें पूरी हो जाया करती थी, आपसी **वस्तु विनिमय**[46]**(Bartering)** और सहयोग की भावना से इनका समस्त कार्य व्यापर चलता था। बहुत ही कम चीजों के लिए इन्हें बाहरी संसार पर आश्रित होना पड़ता था जिसके लिए 'बाजार' की इत्यादी की व्यवस्था की जाती है। जिसमे किसान मजदुर अपने उत्पादनों को लेकर जाते थे और जरूरत की दूसरी वस्तुओं को खरीदकर लेते थे। गाँव की यह सामाजिक संरचना किसी समय में आदर्श रूप रही होगी लेकिन बदलते परिवेश एवं समय के अनुसार इसमें भी परिवर्तन अपेक्षित था विकास के दोड़ की उपेक्षा बहुत देर तक संभव नहीं है। निशचित रूप से गाँव को आबोहवा शहरों की तुलना में स्वच्छ रहती है वँहा का माहोल

---

[46] वस्तु विनिमय-जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या सेवा का लेनदेन होता है उसे वस्तु विनिमय या Bartering system कहाँ जाता है। पहले जब मुद्रा का अस्तिव नही था तब इसी प्रकार से आदान प्रदान होता था वस्तुओं का आदिवासी समाज में इसका अस्तिव आज भी कही कही देखने को मिलता है।

शांत एवं हरियाली युक्त होता है ताजे दूध एवं सब्जियों की उपलब्धता शहरों से कही अधिक सुगम होती। लेकिन इन सब विशेषताओं का तात्पर्य यह नहीं है कि बदलती दुनिया के सापेक्ष गाँव का विकास न किया जाये। शहरों के साथ-साथ गाँव का विकास भी आवश्यक है क्योंकि विकास के स्तर पर एक जगह स्थिर अविकसित समाज ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रह पाएगा।

आदिवासी समुदाय के संदर्भ में भी यही बात कही जा सकती है वे ग्रामीण परिवेश की तुलना में और भी बंद समाज में रहते है। विकास की मुख्य धार तक उसकी पहुंच मुश्किल होती है। क्योंकि, अक्सर वे दुर्गम स्थलों पर रहते है वे पुरी तरह से प्राकृति पर आश्रित है और बाहरी दुनिया के बारे में उसकी जानकारी सीमित है। इन परिस्थितियों में इनका विकास अत्यंत सावधानी पूर्वक किए जाने की आवश्यक है। संरक्षण के नाम पर उनको पूरी दुनियाँ से काटकर आदिम मानवीय अवस्था में रखना भी अनुचित होगा। आदिवासियों के लिए विकास नीतियों का निर्धारण करते समय उनके परंपराओं में दूढ आस्था रखने वाले लोग होते है। उनकी परंपराए और रीतियाँ ही उनके समाज की थाती होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थांन्ततरित होती रहती है।

विकास और जीवन यापन के उनके अपने रास्तें एवं प्रतिमान होते है एक ग्रामीण या शहरी व्यक्ति को आदिवासियों की जीवन परिस्थितियाँ अत्यन्त दुष्कर लग सकती है। किन्तु, एक आदिवासी भी अपने जंगल, नदी, झरने, पहाड़ियों से उतना ही प्यार करता है जितना कि एक ग्रामीण अपने गाँव से या एक शहरी अपने शहर से जीवन को सुगम बनाने के लिए करता है। आदिवासी अपने परंपरागत शिक्षा को संजोकर रखते है। उनके पास आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती। फिर भी वे एक स्वस्थ जीवन यापन करते है प्रकृति की गोद में रहते हुए वे प्रकुर्ति से बहुत कुछ सीखते है। वे प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल बखूबी

करते है 'गुनिया'(यह गाँव का एक मुख्य व्यक्ति होता है जो रोगों को ठिक करता है उसे जडीबुटी का ज्ञान होता है) को यह पता होता है कि कोन सी बूटी किस रोग के लिए उपयुक्त होती है। उनकी यह पारंपरिक शिक्षा उनके संदर्भ में काफी विकसित और कारगर होता है जड़ी-बूटियों के चमत्कारिक ओषधीय गुण को आदिवासियों से सिखने की आवश्यकता है। आदिवासी समुदाय सिर्फ प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग ही नहीं करते बल्कि संरक्षित भी करते है और नष्ट न होने से बचाते है, ताकि आगे आवश्यकता पड़ते पर उनका पुन: उपयोग किया जा सके। आदिवासियों का यह परंपरागत सारे मानव समाज के लिए आश्चर्यजनक रूप से लाभदायी हो सकता है।

आवश्यकता इस बात की है कि विकास के रास्ते पर सभी कधें से कंधा मिलाकर एक साथ आगे बढ़े विकास के अपने प्रतिमानों को दूसरों पर थोपना गलत होगा जिसके दूरगामी परिणाम निशिचत रूप से अच्छे नहीं होंगे। विकास को कोई सर्वमान्य मॉडल नहीं हो सकता, ग्रामीणों का ग्रामीण परिवेश के मुताबिक़ और आदिवासियों को उनके परिवेश के मुताबिक़ विकास कार्य को चलाकर विकास को स्थाई रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ कोई उपेक्षित एवं अवांछनिय नहीं रहेगा।

विस्थापन से एक पूरी सामाजिक संरचना का ध्वंश हो जाता है वर्षों से आजमायी और सफल, जीवन परंपरा नष्ट हो जाती है। सामाजिक संतुलन के सारे सूत्र छिन्न-भिन्न हो जाते है, विकास के शहरी प्रतिमानों पर गाँव की पुरानी पंरपराओं को परखते हुए उसे अस्वीकार करना आसन है। किन्तु, यह नहीं भूलना चहिए की गाँव की परंपरा और उसकी सामाजिक संरचना भी एक जीवंत इकाई है। प्रकृति के साथ गहरा तादात्म्य उन्हें स्थयित्व प्रदान करता है भले ही वहाँ तार्किकता की धार शहरी जीवन के इतनी पैनी न हो किन्तु उनकी पांरपरिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। विस्थापन से बहुत सारे सामाजिक

प्रतिमान और मानदंड स्वर्था अप्रासंगिक हो जाते है। परंपरा और सामजिक प्रतिमान और मानदंड सर्वथा अप्रासंगिक हो जाते है। परंपरा और सामाजिक शिक्षा की विधा लुप्त हो जाती है यह बात ग्रामीण और आदिवासी दोनों विस्थपितों के संदर्भ में कही जा सकती है।

विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिए अक्सर ऐसे स्थान का चयन किया जाता है। जहाँ स्थानीय लोगों का प्रतिरोध न्यूनतम हो ग्रामीणों एवं आदिवासियों के निवास स्थान इसके लिए उपयुक्त पाए जाते है मुख्य धारा में इनका प्रभाव अत्यल्प होता है, जिससे नीति निर्धारिक यह मान लेते है की ऐसे लोग प्रतिरोध करके भी क्या कर लेगें इस विषय पर **स्मित कोठारी** लिखते है

> *“योजनाकार और प्रशासक विस्थापित होने वालों की अपेक्षाकृत कमजोर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक है। उनकी संख्या को कम करने आंका जाता है, उनके साथ निष्ठुर बर्ताव किया जाता है और आगे हर्जाना दिया जाता है तो सिर्फ न्यूनतम नकद हर्जाना दिया जाता है।* ”[47]

योजनाकारों का ऐसा बर्ताव उनकी मंशा को स्पष्ट करता है। वे पुनर्वास को लेकर गंभीर नहीं होते मुआवजे को आर्थिक रूप में देकर ही वे अपने कर्तव्यों की पूर्ति समझ लेते है, जबकि सिर्फ आर्थिक मुआवजे से विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इसे नियमत:भूमि के बदले भूमि का मुआवजा दिया जाना चहिए। साथ ही, अन्य सम्पत्तियों का आर्थिक मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि विस्थापितों का पूर्ण पुनर्वास संभव हो सके। माइकल. ऍम. कर्नी जो एक समाजशात्री थे उन्होंने विस्थापन से निर्माण होने वाली समस्या को इस तरह समझाया का प्रयास किया है।

> “Michael Cernea, a sociologist based at the World bank, points out that being forcibly ousted from one’s land and habitat carries with it the risk of becoming poorer then before displacement.

---

[47] सिम्त कोठारी, “*किसका राष्ट्र? विकास बनाम विस्थापन*”, पृ.स.16, पृ.स.23

Those Displacement are supposed to receive compensation of their lost assets and effective assistance to re-establish them productively; yet this does not happen for a large portion of oustees." Cernea's impoverishment risk and reconstruction model proposes that'' the onset of impoverishment can be represented through a model of eight interlinked potential risks intrinsic to displacement''

These are a) landlessness b) Joblessness c) Homelessness d) Marginalization e) food Insecurity f) Increased Morbidity and Mortality g) loss of Access to Common Property h) Social Disintegration i) loss of Access to community"[48]

यहाँ पर विस्थापन से जो समस्या निर्माण होती है उसी को स्पष्ट किया जिसमें रोजगार, निवास, भोजन,पलायन इत्यादी समस्या मुख्य है जिससें विस्थापित समाज को गुजरना पड़ता है।

योजनाकार विस्थापन के मामले में सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुपालन नहीं करते है। विस्थापितों के पूर्ण पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नीतियाँ अत्यंत सुव्यवस्थित है। किन्तु, उनके अनुपालन में विवशता जाहिर की जाती है। विस्थापितों की समस्या को जैसे-तैसे कर निपटा दिया जाता है और उनकी जायज मांगो को भी नहीं माना जाता है। हीराकुंड बांध से विस्थापितों की चर्चा करते हुए **बाल गोविन्द बाबू 'खोसला रिपोर्ट'** की नीतियों को स्पष्ट करते हुए लिखते है कि -

"सरकार विस्थापितों के संदर्भ में जहाँ तक सम्भव हो सके भूमि के बदले में भूमि, घर के बदले में घर या ऐसा कुछ मुआवजे में दे यदि ऐसा सम्भव न हो तो मुआवजा कुछ ऐसा हो जो किसी अन्य रूप में उसके बराबर हो सरकार को विस्थापितों के नए आवासीय परिसर में उन परिस्थितियों को उत्पन्न करना चाहिए जो उनके विकास में सहायक हो।" [49]

---

[48] R.C. Pandit *"Devlopment-vs- Displacement of Tribal people in India -Problems and Prospeets"* Abhijeet Publication, New Delhi.2009. page.09.

[49]Baboo, Balgovind, "*State Policies and People's Response: lessons from Hirakund Dam*" EPW.1991 URL: http:///www.jstor.org/stable/4398/56, Date-22/2/2010, time-4.45

पुनर्वास की नीतियाँ सिर्फ कहने को होती है जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। विस्थापितों को भूमि के बदले में भूमि बहुत काम ही मिल पाती है अकसर उन्हें आर्थिक मुआवजा ही दिया जाता है। योजनाकारों का तर्क होता है की सरकार के पास इतनी भूमि उपलब्ध नहीं है जहाँ उन्हें बसाया जा सके। योजनाकारों का भूमि नहीं उपलब्ध होने का तर्क दरअसल शक्तिहीन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने के अधिकारिक रवैये का ही अंग है। मुआवजे के रूप में यदि जमीन मिल भी जाए तो उस पर बसना आसन प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि वे विस्थापित होकर किसी जनशून्य स्थान पर नहीं पहुंचते है बल्कि जहाँ पहुंचते है वहाँ पहले से किसी न किसी समाज का अस्तित्व होता है। इस समाज के अपने कुछ सामाजिक प्रतिमान और सास्कृतिक मूल्य होते है। विस्थापित लोगों को पहले से उपस्थित समाज उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और अकसर टकराहट की स्थिति पैदा हो जाती है। नए परिवेश और नए समाज में विस्थापित सर्वथा अवांछित तत्व हो जाते है उनका स्वागत नहीं बल्कि तिरस्कार होता है।

साहित्य समीक्षा

Vinod, joseph (1950) “Tribal Development During the FiveYear Plan”

के अतंर्गत विनोद जोसिफ ने आदिवासी विकास को पंचवर्षीय योजना में देखा की आदिवासी समाज यह आधुनिक समाज से बहुत ही पीछे है। इस समाज को आधुनिक समाज की मुख्यधारा से जोड़ना होगा, जिससे की इनका विकास हो सके जिसमें उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादी जीं पर इसका जीवन अवलबित है। उन्ही का विकास करना होगा इसी में उन्होंने नेहरु की आदिवासी विकास की योजना 1950 में कहा गया था, की उनका विकास ऐसा हो की उनकी संस्कृति, सभ्यता व पारंपरिक मूल्यों को ध्यान में रखकर उनका विकास किया जाये दितीय व तृतीय योजना के अतंर्गत विकास

की अवधारणा में परिवर्तन आया अब आदिवासी विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, देश का विकास और जिसमे विकास की अवधारणा यह आर्थिक विकास पर निर्भर होती थी।

इस किताब में आर्थिक विकास के ढांचे पर चर्चा की गई है। परंन्तु विस्थापन के पुर्नवास व उनका विकास कैसे किया जाये? इस विषयों पर कोई खास चर्चा नहीं की गई है | महिलाओं का विस्थापन के बाद विकास का मुद्दा और उनके आर्थिक विकास के लिये कोई अलग से योजना नहीं बनाई गई। इस तरह के कई प्रकार के मुददों पर विचार विमर्श होने कि जरूरत है। जो विकास की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगा सके इस किताब में विकास को केंद्र में रखा गया है। परंन्तु, उससे उत्पन्नं समस्याओं पर कोई हल नहीं निकला गया है जैसा की विकास से विस्थापन और पुर्नवास पर कोई ठोस कदम नहीं बताये गये है इस में विकास को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मैंने इस अध्याय के अतंर्गत विकास के मॉडल को समझने की कोशिश की है। और विकास के साथ विस्थापन कैसे जुड़ा हुआ है? और विस्थापन के बाद उनका पुर्नवास कैसे किया जायगा जिसमे सरकार द्वारा बनाई गई पुर्नवास नीति का भी अध्ययन करना है। और पुनर्वास के रोजगार, संस्कृति, परंपराएं, सामाजिक एकात्मिकता का वातवरण इत्यादी भी महत्वपूर्ण बाते है जिस पर इस बुक में कही चर्चा नहीं की गई है।[50]

रूद्र, दत्र (2009) “ विकास,गरीबी और समता-भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की कहानी” इस किताब के अतंर्गत लेखक ने भूमि अधिग्रहण कानून 1894 जो ब्रिटिश काल में बनाया था जिसे आज भी थोड़ा संशोधन करके इसी कानून का उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि

---

[50] Vinod. Joseph, *"Tribal Development During the Five- Year Plan*" Swada Pubilcation, New Delhi 2003. Page.23.

"भूमि अधिग्रहण कानून 1894 इसमें समिति का यह विचार था की सार्वजानिक उददेश्य (समाज के विकास हेतु जमीन का अधिग्रहण करना) हेतु जमीन का अधिग्रहण करना जिसमें मुआवजे को राशि बहुत ही कम थी। जो किसानों के विस्थापन पर भी समाधान कारक नही थी और भू-स्वामियों को अत्यन्त कम दर पर मुआवजा दिया जाता है।"[51]

1894 के भूमि अधिग्रहण कानून का एक आधुनिक विधान से प्रतिस्थापना की जायें। जो अधिक पारदर्शी और जनाहितेषी हो और ध्यान देना चाहिए इस के अतिरिक्त सार्वजनिक उद्देश की भी पुर्नपरिभाषा होनी चहिए। जब तक सार्वजानिक उददेश्य जिसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है इसके अंतर्गत यह अधिग्रहण राष्ट्रीय हित व सुरक्षा के लिये किया जा रहा है। इस विषय में जिनकी भूमि का अधिग्रहण हो रहा है उनकी सम्मति महत्वपूर्ण मानी जानी चहिए।

इस किताब के अतंर्गत रूद्र जी ने इस कानून के अतंर्गत जो विस्थापन होता है उसका जो मुआवजा मिलता है वो कितना प्रतिशत है क्या वो समाधानकारक है विस्थापितों के लिये इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। उनके अनुसार जो जमीन के बदले जमीन का मुद्दा है। उसमें स्पष्ट होता है की महिलाओं के नाम पर तो जमीन होती ही नहीं है। जमीन अधिकतर पुरुषों के नाम पर होती है। जिससे की महिलाओ को इस कानून के अतंर्गत वो मुआवजे से वंचित रह जाती इस विषय पर कोई महत्वपूर्ण सुझाव इस किताब में नहीं दिए गये है। इस अध्याय के अतंर्गत विकास विस्थापन के अंतसबंध का अध्यन के साथ महिलाओं की विकास में क्या भूमिका है वो भी विकास में उतनी भगीदारी देती है जितना की पुरुषों पर फर्क सिर्फ इतना है की पुरषों के कार्यो का मूल्याकंन किया जाता है। और स्त्रीयों के कार्यो

[51] रूद्र, दत्र, *"विकास,गरीबी और समता-भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की कहानी"* रिगलं प्रकाशन, नई दिल्ली 2009.पृ.20

का नहीं इसलिए इन मुददों को भी प्रकाश में लाने की जरूरत है जिससे इन पर भी विचार हो सके।[52]

Sah.D.C, (1995) “Development and Displacement National Rehabilitation Policy”

इस लेख के अनुसार भारत सरकार की जो राष्ट्रीय पुर्नवास व पुर्नव्यस्थापन नीति है उसके डाफ्ट पर चर्चा की गई है। इसी के साथ भारत में विस्थापन में पुर्नवास का क्या ढांचा होना चहिए इस पर चर्चा की गई है उनमें कहा-कहा पर सुधार की आवश्यकता है। इस पर विचार किया जाना चहिए और इस नीति का मूल्याकंन किया जाना चहिए। भारत की ओघोगोंगिक प्रगति व विकास के लिये विस्थापन जरूरी है, परंन्तु विकास के साथ जब विस्थापन जुड़ता है तो इसके साथ विकास अनेक परिवार का पालन पोषण उनका पुर्नवास भी जुड़ जाता है। इस पर भी चर्चा की होनी चहिए, पुरानी जो पुनर्वास की नीति थी उसकी अवधारणा में किस तरह का परिवर्तन आया है इन्ही मुददों को यहाँ लेखक ने सामने लाने की कोशिश की है। जिसमें की नीतियों के निर्माण में सुधार लाया जा सकें विस्थापितों कि आवश्कता क्या है वहा उपलब्ध साधन क्या है? जिससे इनके रोजगार में परिवर्तन आये उन्हें नीतियों के निर्माण के समय यह भी ध्यान देना होगा की हमेशा हमारी आवश्यकता यह समय के अनुसार परिवर्तीत होती रहती है। जिससे की नीतियों मे भी इतनी लवचिकता होनी चहिए इस पर लेखक ने बात की है इस नीति में महिलाओं के भी इसमे हिस्सा होना चहिए क्योकि वो भी तो आधी आबादी है उनका विचार किये बिना हम विकास कि अवधारणा के बारे में सोच ही नहीं सकतें इस मुद्दे को नीतियों डाफ्ट में उठाया गया है।[53]

---

[52] *(51) Ibid. page. 24*

[53] D.C.Sah,“*Development and Displacement National Rehabilitation Policy*” Dec,2,1995, EPW, page..3055-3058

श्यामचरण दुबे (2010)" विकास का समाजशास्त्र"

इस किताब में लेखक ने विकास की अवधारणा को जो एक आर्थिक अवधारणा है उसे समाज के साथ जोड़ने की कोशिश की है। विकास के प्रश्नों को सामन्यत: अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा गया है सकल राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आय को ही विकास माना गया था। परंन्तु, राष्ट्रीय आय के साथ सामाजिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए कार्य योजना के सांस्कुतिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक आयाम भी महत्वपूर्ण होते है उसके परिणामों का आकलन और मूल्याकंन भी आवश्यक होता है। इस किताब में विकास के हर पहलू पर बात की गई है। परंन्तु, विकास के बाद जो उत्पन्न समस्याए है उन पर क्या समाधान हो सकते है इस पर बात नहीं की गई है विकास के अतंर्गत औघोगीकरण, नये बांध का निर्माण, रस्ता परियोजना, राष्ट्रीय वन अभयारण्य, खनन उद्योग, इत्यदि जिससे विकास की दर बढ़ाई जाती है। परंन्तु, इस विकास से जो विस्थापन होता है। इन बड़ी परियोजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन, या उन्हें पलायन करने पर मजबूर करता है इन सारी समस्याओं पर कोई समाधान कारक उपाय इस बुक में नहीं दिया गया है विकास जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उस से विस्थापित लोगों का पुर्नवास जिस पर इस बुक में कही कोई चर्चा नहीं की गई है।[54]

पी.आर,नायडू (1997) "भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ"

इस बुक में पी. आर. नायडू जी ने विकास से जो समस्याएं उत्पन्न होती है। उस पर विचार किया है इसने बिलासपुर की संभाग कोयला खदान जो 1940 में शुरू की गई थी यह खदान 'राष्ट्रीय कोयला विकास निगम' के अतंर्गत चलाई जाती है। इस खदानों से कोरबा में स्थित विधुत संयत्र को कोयला की आपूर्ति की जाती है उससे विस्थापित आदिवासी

---

[54] श्यामचरण. दुबे, "*विकास का समाजशास्त्र*" वाणी प्रकाशन, दरियागंज नई दिल्ली 2010

के समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। जिसमें क्या रोजगार के निम्न अवसर और भूमि अधिग्रहण बील के अतंर्गत भूमि आदिवासियों द्रारा ले ली गई है इस से 186 विस्थापित परिवारों को राज्य सरकार के अधिकारीयों द्रारा निर्धारित मापदंड के अतंर्गत मुआवजे के रूप में प्रत्येक परिवार को 1 लाख तक की राशि देने की और रोजगार देने का भी आश्वासन दिया गया था, परंन्तु आज 10 वर्ष से भी अधिक समय तक गरीब किसानों को न तो उचित मुआवजा दिया गया, न ही नोकरी और न ही अन्य आवश्यक सुविधाएं इस तरह की समान स्थिति बस्तर में भी है। जहाँ अब औघोगिकरण से उत्पन्न समस्याओं पर यह लेखक ने चर्चा की है। जिसमे जल प्रदुषण, अनैतिक कार्यो में वृध्दि (आदिवासी कन्याओं का शोषण), भारी संयंत्र के आस पास के आदिवासियों के साथ सामाजिक और व्यवसायिक भेदभाव पूर्ण व्यवहार, आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप, भविष्य में पुन: बेदखली, भूमि से वंचित होना, शहरी अपराध जैसे डकैती, जुओं की प्रवृति में वृध्दि होना इत्यदि पर बात की गई है। परंन्तु महिलाओं की समस्याओं पर कोई बात नहीं की गई जिसमे उनके रोजगार के क्या अवसर थे विस्थापन के बाद और क्योंकि आदिवासी विभाग में महिलाओं को काम करने की आजादी होती है। परंन्तु विस्थापन के बाद उनकी वो आजादी पूर्ण रूप से छिन जाती है इन मुददों को भी इस बुक में उठाना चहिए था मुआवजे में भी इस में महिलाओं के लिये कोई विशेष प्रधान नहीं है जिससे वो अपनी जीविका चला सके। [55]

Kabra, Asmita (2003) "Displacement and Rehabilitation of An Adivasi Settlement Case of Kuno Wildlife Sanctuary”

---

[55] पी.आर,नायडू, *“भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ”* राधा पब्लिकेश्न्स, नई दिल्ली 1997

इस लेख के अनुसार प्राणी अभयारण्य के अतंर्गत जो भूमि आती है। उससे जो विस्थापन होता है उस पर चर्चा की गई है उनके पुर्नवास की क्या नीतियाँ है अधिकतर इस तरह की परियोजनाओं के अतंर्गत आदिवासी भाग ही आता है। आदिवासियों का रहन-सहन, उनका नृत्य संगीत उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनका अर्थतंत्र, उनकी संस्कृति सब कुछ प्रकृति के साथ सामजस्य और तालमेल से संचालित होता है। यघपि वह साक्षर नहीं है परंन्तु वनों से अपनी जीविका के साधनों को ढूढ़ निकलना वास्तव में एक वैज्ञानिक सोच है। बिना वजह जंगलो को नुकसान नहीं पहुंचाते। उसमें संचय की प्रवृति नहीं होती। परंन्तु, जब विकास के या सुरक्षा के नाम पर विस्थापित किया जाता है। तब यह सारी मूलभुत चीजो पर विचार नहीं किया जाता। पुर्नवास नीतियों में मूलभुत चीजो पर तो बात की जाती है जैसे घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साधन, धार्मिक स्थल, इत्यादी है। परंन्तु, विस्थापन के बाद आदिवासी महिलाओं को रोजगार के पुरुषों के सामान अवसर नहीं मिलते। उन्हें घर तक ही बध कर रह जाना पड़ता है। जिससे की वो आर्थिक रूप से सहयोग नहीं दे पाती है। इस लेख के अतंर्गत महिलाओं के विस्थापन के बाद जो दोयम स्थान दिया जाता है। इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है महिलाओं का दर्जा क्या उसके आर्थिक कार्यो में भागीदारी पर निर्भर होता है इस मुद्दे को इस लेख में नहीं उठाया गया है।[56]

इन सारी पुस्तकें और लेखो के आधार पर कुछ मुद्दे तो स्पष्ट रूप से सामने आते है। कि विकास और विस्थापन यह एक और नये रोजगार और जीवन-मान को सुधारने का कार्य करता है, तो दूसरी और विस्थापन यह कई वर्षो से बसे हुए गाँवों को उनके मूल स्थान से कही और पुर्नवासित कर देता है। विकास के दोनों पहलु को हम इस अध्याय के अतंर्गत

[56] Asmita Kabra, *“Displacement and Rehabilitation of An Adivasi Settlement Case of Kuno Wildlife Sanctuary”* 2003 page. 3073-3078

समझने की कोशिश करगे और विकास और विस्थापन के बाद जब पुर्नवास होता है उन समस्याओं पर निवारण हेतु जो अध्ययन हुए है। उनका भी अध्ययन करना है। मेरे कार्य मुख्य विषय ही यह है की विकास कार्यो के लिये जो भूमि लेने के जो विविध योजनाए बनाई जाती है उससे जो विस्थापन होता है, उसका अध्ययन करना जिसमे मैंने छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर जो राज्य सरकार ने **सलवा जुडूम** अभियान की शुरुवात की थी जिससे बड़े पैमाने पर आदिवासी लोगों को विस्थापित होना पड़ा जिसमे एक चोथाई से भी कम आदिवासी का पुर्नवास किया गया उन्हें भी वहाँ राज्य सरकार द्रारा बनाये राहत शिविरों में रखा गया। जहाँ पर महिलाएँ सबसे अधिक शारीरिक शोषण और हिंसा की शिकार हुई। जिस पर उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया, नहीं उनका कोई पुर्नवास किया गया इस तरह की अनेक समस्याओं पर इन अध्ययन के माध्यम से प्रकाश डालने की कोशिश की है।

छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलिय हिंसा और विस्थापन -

भारत में नक्सली हिंसा 1967 में पशिचम बंगाल के एक गाँव नक्सलबाड़ी से प्रारंभ होती है। जिसका तत्व दर्शन है गाँवो में शोषण और जुल्मों के खिलाफ विद्रोह और उससे मुक्त करना था वहाँ पर किसानों और आदिवासियों ने 1967 में पहली बार जमीदारों के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह में किसानों के साथ वहाँ के आदिवासी महिलाएं और पुरुष दोनों का समावेश था। जिसमें पुलिस के खिलाफ भी विद्रोह हुआ था जो विद्रोह करने वाला एक या समूह था उसे माओवादी के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह से नक्सलवाद का जन्म हुआ। आज यह धीरे धीरे हिंसात्मक हो गया है। आज यह पश्चिम बंगाल से बाहर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग जो छत्तीसगढ़ है। जो आज एक नये राज्य के रूप अस्तित्व आया है छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग, जो आज नक्सली हिंसा से

प्रभावित है। मध्य प्रदेश के बस्तर का महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश की सीमा का इलाका कोटा, भोपालपटनम के घने जंगलों में आने जाने वाले रास्तों पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने लगे इसी के साथ महाराष्ट्र के गढचिर्रोली और चद्रंपुर जिलों में आकर कुटरू में अपनी गतिविधियों चलाते है।[57]

जिसमें छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी पहली बार 1984 में वहाँ आये थे। तब से धीरे-धीरे उन्होंने अपनी जड़े इस क्षेत्र में मजबूत कर ली पहले इसका स्वरूप इस प्रकार था कि नक्सलवादीयों जैसे सामाजिक तत्वों के द्रारा आदिवासी त्रस्त और उत्पीडित थे। शोषको तथा सरकार के दमन सें लोगों की रक्षा करने के नाम पर चंदा, असमय भोजन की माँग, जन अदालत की कार्यवाही, विकास की योजना पर कमीशन अदि से ये स्वंय लोगों का शोषण और दमन करते थे। यह इन नक्सलियों का प्रथम चरण था जब ये यहाँ पर आये थे बाद में 1991 में महेंद्र कर्मा ने एक जन जागरण अभियान चलाया था। जिसका उद्देश्य नक्सली समस्या को खत्म करना था। परंन्तु, यह अभियान जल्द ही बंद हो गया इसमें कई पूंजीपतियों का सहयोग था फिर भी नहीं चल पाया 29 जुलाई 1988 को बस्तर के एक गाँव चितलनार में बिहार के व्यापारी को लुटा पुलिस का मुखबिर होने के शक में नक्सलवादियों ने सितम्बर को 1989 में काखनापल्ली गाँव के सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी।

2000 में छत्तीसगढ़ एक नये राज्य के रूप में जब अस्तित्व में आया तो राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई। जिससे इस राज्य का आर्थिक विकास किया जा सके पहला सबसे बड़ा हमला नक्सलवादियों का हुआ था, 1994 में गीदम के पुलिस स्टेशन पर जिसमें थाने को लुटा गया था, और कई पुलिस वालों को मारा गया था तब से लेकर अब तक नक्सलवादी और पुलिस के बीच हमेशा मुठभेड़ चलती रहती है। नक्सल

---

[57] राजकिशोर, "*माओवाद, हिंसा और आदिवासी*" वाणी प्रकाशन 2010 पृ. 25

समस्या को दूर करने के लिये राज्य और केंद्र सरकार ने कई प्रयास किये, जिसमें **सलवा जुडूम अभियान, Operation Green Hunt** और अभी इसे नये रूप में महेंद्र कर्मा के पुत्र के निर्देशों में फिर से शुरू किया जा रहा है। जिसे अब उनके पुत्र छाविंद्र कर्मा ने फिर से **सलवा जुडूम-2** के नाम से शुरू किया जा रहा है। इस तरह के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन दक्षिण बस्तर के इलाकों में चलाये गये है। नक्सलवादियों की हरकतों को रोकने के लिये राज्य सरकार ने विशेष सशस्त्र बल की तीन अतिरिक्त बटालियन बस्तर में तैनात कर दिए है। सलवा जुडूम की शुरुआत से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में 2232 की हत्या नक्सली हमलो में हुई है। इस हिसाब से राज्य में नक्सल हमले में ओसत 2 दिनों में एक मौत इतनी है। सन 2005 से 2015 तक इन 11 सालों में नक्सली हमलों में 896 सुरक्षा बल 667 आम नागरिक और दूसरा पुलिस अधिकारीयों द्रारा किये गये हमलों में 709 नक्सली को मारा गया है। सबसे अधिक 2006 में 361 मौते हुई है। 2007 में 350 मौते हुई है। 2009 में 345 मौते हुई है। सन 2010 में 327 मौते हुई और 2015 में 30 मौते हुई जिसमे 17 सुरक्षा कर्मी थे 9 नागरिक और 2 नक्सल थे इन 11 वर्षो में नक्सल हिंसा में मरनें वाले की संख्या में, छत्तीसगढ़ यह सबसे आगे रहा है। झारखंड में 1344, आंध्रप्रदेश में 712, ओड़िसा में 612 महाराष्ट्र में 424 इन सभी आकड़ो के आधार पर छतीसगढ़ में सबसे अधिक हिंसा हुई है।[58]

सेज परियोजना और विस्थापन -

छत्तीसगढ़ 2000 में एक नये राज्य के रूप में सामने आया और विकास के कार्यो में जुट गया जिसमें SEZ (Special Economic Zone) भी एक महत्वपूर्ण परियोजना थी इसकी शुरुआत भारत में 1 अप्रैल 2000 Export Import Policy में से की गई थी जिसका महत्वपूर्ण

[58] http:// tehelkahindi.com/salwa-judum-once-again/2/single page (accessed – 9/12/2016, time-12.30 am)

उददेश्य था की विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके। जिसमें अन्तर्गत कुछ परिवर्तन किया गया और इसका नाम भी बदल कर SEZ रखा गया। SEZ यह परियोजना के अतंर्गत भारत के कई राज्य में विदेशी कम्पनी को निवेश करने का अवसर उपलब्ध हुआ है। इस योजना के अतंर्गत जहाँ भी सार्वजानिक उददेश्य हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। वहाँ पर इस Act 2005 के अतंर्गत जमीन का अधिग्रहण किया जाता है।[59] जिससे कि वो जमीन नये उघोगों के लिए उपलब्ध हो सके जिसमें निजी व विदेशी दोनों कम्पनियों का सहयोग मिल सके जिससे नये उघोगों को बढ़ावा मिल सके और आर्थिक विकास के दर में वृध्दि हो मध्य भारत के कुछ राज्य है, जहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी की संख्या है। जिसमें झारखंड, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कुछ भाग आता है जहाँ सबसे अधिक प्रमाण में नैसर्गिक संसाधन पाए जाते है। इसलिए इन राज्यों में सेज परियोजना की वजह से भी विस्थापन हुआ है। भारत में पिछले 50 वर्षो में 6 करोड़ से भी ज्यादा आबादी बांध, पार्क, सड़क, इत्यदि कारणों से विस्थापित हुई है। छत्तीसगढ़ में सेज परियोजना की शुरुआत 2005 में हुई जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो नैसर्गिक संसाधन है। उसे सीधे विदेशी कम्पनी को निर्यात किया जा सके इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण है। बैलाडीला जो दन्तेवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर उच्च कोटी का आयरन उपलब्ध है जिसें जापान में निर्यात किया जाता है। दन्तेवाड़ा से भोपालपटनम तक रेलमार्ग से और वहाँ से जहाज के द्रारा जापान पहुँचाया जाता है। परंन्तु, यह आयरन की खान यह नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ खनन कार्यो में समस्याएं उत्पन्न होती है इसी दोरान राज्य सरकार इसके आलावा कई निजी कम्पनियों को भी खनन कार्यो का मार्ग खोल दिया है। इसके साथ कई MOU[60] भी हस्ताक्षरित किये गये जिसमे Essar, Jindal, Mittal, MNC, Vedanta इत्यादि

[59] Bhaskar, Goswami, “*Special Economic Zone*” Lessons from china Counter Currents organization.2007.

[60] ’MOU’’ meaning - Memorandum of Understanding

कई बड़ी महत्वपूर्ण कम्पनियाँ है जो सेज की वजह से आदिवासी इलाकों में प्रवेश कर पाई है।[61]

सेज परियोजना यह छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्ण रूप से नहीं चल पाई, यह दो या तीन वर्षों में ही बंद हो गई। क्योकि सेज के वजह से जो विस्थापन में वृध्दि हो रही थी। उनके पुनर्वास व पुनर्व्स्थापन की कोई योजना नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने उस सेज परियोजना को कुछ हद तक बंद कर दिया। परंन्तु, छत्तीसगढ़ के अलावा दुसरे राज्यों में आज भी इस परियोजना के अतंर्गत भूमि अधिग्रहण और विस्थापन निरंतर जारी है।

सलवा जुडूम अभियान और विस्थापन -

छत्तीसगढ़ के निर्माण होने के पहले से विस्थापन की प्रक्रिया शुरू है यह उन राज्यों में से है जहाँ नैसर्गिक संसाधनों के भंडार है। इस राज्य में नक्सली हिंसा के कारण यहाँ उपलब्ध संसाधनों का निवेशीकरण कठिन हो गया है। जिससें यहाँ के आर्थिक विकास की गति बहुत ही धीमी हो गयी है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व संसद श्री अजित जोगी ने एक बार फिर नक्सली समस्या को हल करने के उददेश्य से बातचीत के रास्ते इस समस्या का हल निकलना चाहा। परंन्तु, कुछ नहीं हो पाया, बाद में श्री रमन सिहं जो तात्कालिक मुख्यमंत्री है उन्होंने नक्सली हिंसा को पूर्ण रूप से खत्म करने के उददेश्य से यह **सलवा जुडूम अभियान** या **जन जागृति अभियान** जो जून 2005 में शुरू किया गया था। यह अभियान छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में बस्तर, दन्तेवाड़ा जो पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्र है। वहाँ पर चलाया गया था जो नक्सली हिंसा से भी प्रभावित है वहाँ पर प्रचुर मात्रा में नैसर्गिक संसाधन है।[62] जिसका उपयोग राज्य के आर्थिक विकास में किया जा सकता है यहाँ पर

---

[61] Dr. Santosh Kumar Pradhan, "*Special Economic Zone and Tribal Displacement an Outlook"* Abhijeet Publication 2009. Pg.227-233.

[62] '*सलवा जुडूम रिपोर्ट*' मानव अधिकार विभाग, नई दिल्ली 2009.

SEZ परियोजना विफल हो गई क्योंकि यह क्षेत्र नक्सलीय से प्रभावित होने की वजह से यहाँ पर सलवा जुडूम अभियान ही चलाया गया। यह अभियान दन्तेवाड़ा के अतंर्गत आने वाली तहसील जिसमें बीजापुर, भैरमगढं, कांकेर, कनकुर्र, सुकमा इत्यादि है। इस अभियान के पीछे दो महत्वपूर्ण उददेश्य थे पहला उददेश्य था, कि इन आदिवासियों को हटाना जिससे की आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर सके और उसे निजी कम्पनियों को खनन के लिए उपलब्ध करा सके। जिसमें साल 2005 में केवल टाटा, एस्सार और टेक्स्टाईल पंवार जिन्हें अयस्क के भंडार कोयला ब्लाक और 42 हेक्टेयर जमीन देने के गोपनीय MOU पर राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किये थे दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी।

नक्सलवादियों की जिससे वो नैसंगिक संसाधन को बेच नहीं सकते राज्य सरकार के लिए यह बड़ी दुर्भाग्य की बात थी कि 80 के दशक के बाद से यहाँ पर नक्सलवादियों ने अपनी मजबूत जड़े बना ली थी। जिसमें की किसान, महिला और युवा संघों के सदस्यों की कुल संख्या करीब 50 हजार थी इसलिए सलवा जुडूम नाम से एक अभियान शुरू किया जिसमें करीब 3.5 लाख आदिवासी प्रभवित हुए इसे शरू करने के पीछे भी राज्य सरकार की अपनी राजनीति थी। जिसमें सन 1991 में पहली बार श्री महेंद्र कर्मा जो काँग्रेस के सांसद थे। उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ जंग छेडी जिसे जन जागरण अभियान का नाम दिया गया।[63]

इस अभियान के लिये व्यापारी उघोगपतियों और पूंजीपति वर्ग की और से पूरा सहयोग था। परंन्तु अब यह अभियान को नये रूप से चलाया जो सलवा जुडूम के नाम से जाना जाने लगा सलवा जुडूम यह गोड़ी भाषा का शब्द है इसका मतलब होता है। शांति यात्रा परंन्तु यहाँ शांति यात्रा ना होकर आतंक से भरा अभियान था जिसमें कई गावं के गाँव

---

[63] K. Balgopal, “*The NHRC on Salwa Judum: A Most Friendliy Inqiry”* EPW, 2006. Page.10-14.

नष्ट हो गये सलवा जुडूम यह दन्तेवाड़ा के दक्षिण भाग जो अबूझमाड़[64] के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर यह अभियान सबसे अधिक सक्रिय था यह अभियान बस्तर और दन्तेवाड़ा के 1000 गाँवो में चलाया गया। जिसमें 644 को जलाया गया, बाद में अगर उन्होंने बसने की कोशिश की तो फिर से उसी गाँव को दुबारा जलाया गया, जिससे कोई उमीद ना रहे वहां पर फिर से गाँव के बसने कि, इस अभियान के दोरान 100 से भी अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। जो केसेस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किये गये, परंन्तु कई ऐसे भी केस है जो रजिस्टर हुए ही नहीं उनकी संख्या का अंदाज लगाना कठिन है[65] इस सलवा जुडूम अभियान से विस्थापित आदिवासी की संख्या तो 3.5 लाख है परंन्तु इस से प्रभावित आदिवासीयों की संख्या 4 से 5 लाख इतनी है

सलवा जुडूम का एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग था। **आदिवासी युवा सेना** जो इस पुरे अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी SPO (Special Police Officer) जिनका महत्वपूर्ण कार्य था CRPF और Military Forces को रास्ता बताने में सहयोग करना जिससे की वो नक्सलवादियों को आराम से पकड़ा व मारा सके इस SPO में जो युवा लडके व लडकियाँ थे उन सभी की उम्र 13 से 25 वर्ष के अंदर थी। उन्हें थोड़ा बहुत प्रशिक्षण मिला था उसी के आधार पर उनका चुनाव किया गया था सलवा जुडूम जो युवा सेना थी वो आदिवासी थे। जो नक्सली हिंसा से त्रस्त हो चुके थे वो इसलिए भी इस सेना का हिस्सा बने। क्योंकि उन्हें भी अपना प्रतिरोध लेना था। सलवा जुडूम शुरू होने से पूर्व ही दन्तेवाड़ा क्षेत्र में नक्सली हिंसा हो रही

---

64 अबूझमाड़- यहाँ छत्तीसगढ़ के दन्तेवाड़ा जिल्हें का दक्षिण क्षत्रे है जिसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है परंन्तु यह माना जाता है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सबसे प्रचीन आदिवासी जनजातियों का निवास स्थान था जिसमें गोंड, अबुझमाडी, हलबा मुरिया मुरा इत्यादी जो प्राचीन जनजातियाँ है।

65 Sudha Bhartvaj, “*Fact Finding report of salwa judum”* 2007.

थी। जिसमें गाँव वालों को डराना, उनका धान्य लूटना, जन अदालत में उन्हें सजा सुनाना इस तरह की हिंसा अबूझमाड़ क्षेत्र मे रोजाना होती थी।[66]

यह भी एक कारण था लोगों को इस अभियान से जुड़ने का और दूसरा कारण रोजगार के लिये इन्ही दोनों कारणों की वजह से अधिकतर आदिवासी इस अभियान में शमिल हुए। यह अभियान 2 सालों तक चला जिसमें युवा सेना को रोजगार के अवसर भी मिले परंन्तु इसका भी दुरूपयोग किया गया जब गाँव में SPO जाते तो लोगों पर अत्याचार करना, लूटना, महिलाओं को शारीरिक उत्पीडना देना इत्यदि अत्याचार करते थे। इसलिए इस हिंसा पर रोक लगाने के लिये 2007 में इस सलवा जुडूम अभियान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद करवाया गया। परंन्तु, यह जो तात्कालिक Army बनाई गयी थी वो आज भी कार्यरत है अब हिंसा पर प्रतिबंध लगाया है। परंन्तु अब उसका नाम बदल दिया गया है अब इसे AAF[67] के नाम से जाना जाता है और इसका कार्य में भी परिवर्तन आया है अब इन्हें गाँव के सुरक्षा के लिये रखा गया है।

सलवा जुडूम का तीसरी महत्वपूर्ण बात है की जब यह अभियान की शुरुवात हुई और अभियान के दोरान जो गाँवो को जलाया गया था उन गाँवो से जो विस्थापित परिवार थे।[68] उन्हें तत्कालीन राहत शिविरों में बसाया गया इस अभियान के दोरान 700 गाँवो को जलाया जिससे की 3.5 लाख लोग विस्थापित हुए जिन्हें 23 राहत शिविरों में रखा गया जिनके नाम नीचे दिए table में दर्शाये गये है वहाँ रहने वाले परिवारों की संख्या भी दर्शायी गई है।

---

[66] "*Fact Finding Report in Salwa Judum*". New Delhi 2008, page.24-28

[67] AAF-Armed Auxiliary Forces (Report-Caught in an Irresposible war of fact finding team which visited bastarDivison, from 12-16 May 2016)

[68] *(66) Ibid. page.32-35.*

Sl. No.	Name of Camp	Number of family
1	Bijapur	5408
2	Cherpal	756
3	Gangalur(Chitalanka)	1856*
4	Arapalh	272
5	Basaguda	1544
6	Usur	251
7	Bangapal	415*
8	Kasoli	741*
9	Bhairamgarh	3006
10	Farsegarh	429
11	Matmada	1291
12	Nelsaar	839
13	Gangla	1381
14	Kuturu	1298
15	Mirtur	770
16	Bedre	696
17	Dornapal	16851
18	Errabore	4361
19	Injrem	3156
20	Konta	5107
21	Jagargunda	3500
22	Pollampalli	2000
23	Mariagudem	1500

[69]

[69] Source – "Fact Finding Report of Salwa Judum'' 2008. New Delhi.

यह सारे राहत शिविर दन्तेवाड़ा से बीजापुर मार्ग पर ही बनाये गये है। प्रत्येक कैम्प में 1000 से अधिक ही परिवार रह रहे थे इन राहत शिविरों में रहने वाले आदिवासी जिनका घर-बार खेत सब कुछ खत्म हो गया उनके जीविका का कोई साधन उनके पास नहीं है। उन्हें इस राहत शिविरों में भोजन कपड़ा यह राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा था अभियान के दोरान उनके पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन पर तब कोई महत्वपूर्ण प्रयास नही किया गया था। इन कैम्प में आदिवासियों पर जोर जबरदस्ती करके या उनकी इच्छ के विपरीत उन्हें कैम्प में रखा गया था कई बार कैम्प में रहने वाले शरणार्थी ने वहाँ से भाग जाने की कोशिश की तो उन्हें नक्सलवादी करार दिया गया और मार दिया गया। सरकारी आँकड़ो के अनुसार 47.000 लोग विस्थापित हुए है। जो कैम्प में रह रहे है वो कुल विस्थापित जनसंख्या का 13 प्रतिशत है बाकि 85 प्रतिशत या करीब 2.6 लाख लोगों को कैम्प में जाना स्वीकार नहीं था उन्हें जंगल के भीतर और बाहर रहकर जीवन व्यतीत करना मंजूर किया इस अभियान के दोरान महिलाओं पर योंन हिंसा, सामूहिक बलात्कार, उत्पीडन, घरेलू हिंसा, मरना इत्यादि बहुतम ही अधिक प्रमाण में हुई यह हिंसा दोनों और से थी। नक्सलियों द्वारा भी और पुलिस या SPO के द्वारा, कैम्प में भी ये महिलाऐ सुरक्षित महसूस नहीं करती fact finding report के अनुसार इस अभियान में 100 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार की शिकार हुई थी परंन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और नहीं इन्हें गम्भीर रूप से देखा गया।

आँपरेशन ग्रीन हंट और विस्थापन -

इस आँपरेशन ग्रीन हंट की शुरुआत सलवा जुडूम अभियान समाप्त होने के 2 साल बाद हुई। यह अभियान सम्पूर्ण भारत में नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया था इसमें पाच राज्यों का समावेश है। जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड महाराष्ट्र, उड़ीसा आन्ध्र-प्रदेश इत्यदि

राज्य है। 2006 में भारत ने 100 से भी ज्यादा विदेशी कम्पनियों से सीधे कम्पनी निवेश को महत्व दिया। जिससे की देश का आर्थिक विकास दर बढ़ सके। **Operation Green Hunt** भी इसी का एक भाग है। इस ऑपरेशन को शुरू करने के पीछे महत्वपूर्ण उददेश्य यह था की मध्य भारत के पाच राज्यों में जहाँ नैसंगिक संसाधन पाए जाते है। जिनका निवेशीकरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंन्तु, यह सभी इलाके नक्सली हिंसा से पूर्ण रूप से प्रभवित होने की वजह से यहाँ के नैसंगिक संसाधनों तक पहुँचना थोड़ा मुशिकल था इसलिए इस नक्सलवादी समस्या को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने इस ऑपरेशन को शुरू किया Operation Green Hunt का अर्थ होता है। कि हरा शिकार या जंगल का शिकार पहली बार इसमें State Police Forces के साथ

CRPF (Central Resever Police Force), MOA (Military Offensive Against) CAPFS(Central Arme Police Forces) COBRA (Combat Battalion for Resolute Action)

इन सभी forces ने मिलकर यहाँ पर Operation Green Hunt की शुरुवात की थी, जिसका एक मात्र उददेश्य नक्सवादियों को जड़ से खत्म करना परन्तु यह ऑपरेशन अधिक समय तक नहीं चल पाया; क्योंकि इस ऑपरेशन के दोरान सबसे अधिक आदिवासी जनता ही हिंसा की शिकार हुई। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के दन्तेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, भैरमगढ़, बस्तर इत्यादि जो सबसे ज्यदा प्रभावित इलाके है। वहाँ पर चलाया गया था। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन को भी बंद करवा दिया क्योंकि आदिवासियों पर इस ऑपरेशन के दोरान हिंसा हो रही थी जो हमारी न्याय प्रणाली के खिलाफ है। इस वजह से इसे भी बंद करवाना पड़ा। परंन्तु, दुसरे राज्यों में कहीं कहीं यह ऑपरेशन अभी भी शुरू है मात्र इसके नाम में थोड़ा परिवर्तन किया जाता है। [70]

---

[70] Ramsharan Joshi, "*YADOON KA LAAL GALIYARA: Dantewada"* Rajkamal Prakashan New Delhi.2015. page.210-220.

निष्कर्ष (Conclusion) - विकास व विस्थापन की शुरुवात आजादी के बाद से ही शुरू हुई आजादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो विकास का लक्ष्य रखा गया था। उसमें करीब 9 से 10 लाख लोग विस्थापित हुए परंन्तु उस समय इस समस्या को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया था। परंन्तु, आज यह समस्या गंभीर बन गई है। विकास और विस्थापन का संबध और उससे उत्पन्न समस्या जिसके निवारण हेतु पुनर्वास किया जाता है, यह सब एक दुसरे से जुड़े हुऐ हैं।

जहाँ विकास होगा वहाँ विस्थापन होगा और जहाँ विस्थापन होगा वहाँ पर पुनर्वास होगा, देश का मध्य भाग जहाँ सबसे अधिक विस्थापन हुआ है। उसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा कर्नाटका इन राज्यों का समावेश है। इन राज्यों में सबसे अधिक नैसर्गिक उत्पादन होने की वजह से विस्थापन भी अधिक हुआ है। अगर हम छत्तीसगढ़ में विकास की शुरुवात 2001 में हुई जब यह एक राज्य के रूप अस्तित्व में आया उस समय इसकी विकास दर बहुत कम थी। जिसे बढ़ाने के लिये नये औघोगिक कारखाने का निर्माण किया गया। परंन्तु, यह राज्य नक्सली हिंसा से प्रभावित होने कि वजह से यहाँ विकास दर दुसरे राज्यों की तुलना में थोड़ी कम ही थी। यहाँ राष्ट्रीय विकास की वजह से बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ उसका एक दूसरा भी कारण है वो नक्सलीय हिंसा जिससे लोग पलायन कर रहे है इस विस्थापन से ही मेरे कार्य की शुरुवात होती है।

छतीसगढ़ का दक्षिण भाग जो मेरे काम का मुख्य केंद्र जिसमें बस्तर और दन्तेवाड़ा दोनों जिले है। जहाँ सलवा जुडूम अभियान जो 2005 में चलाया गया था, जिसका परिणाम वहाँ पर आदिवासी समाज का बड़े पैमाने पर विस्थापन और उन्हें, अपनी जल, जंगल, जमीन और रोजगार को छोड़कर सरकार द्रारा बनाये गये। राहत शिविरों में रहना इन्ही राहत शिविरों को जो बाद में सरकार द्रारा पुनर्वासित शिविर में परिवर्तित कर दिया गया था।

इन शिविरों में महिलाओं पर हिंसा, उनकी सुरक्षा, उनके लिये रोजगार, उन महिलाओं का स्वास्थ्य का दर्जा इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालने का प्रयास में अपने अध्ययन के माध्यम से किया है।

प्रस्तावना (Introduction) -

पहला अध्ययन में 'छत्तीसगढ़ में विकास और विस्थापन' पर आधारित था जिसमें विकास और उसे विस्थापन के कारणों पर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ में विस्थापन के कई करण है जिसमें मेरे शोध में मेने सलवा जुडूम से हुए विस्थापन को मुख्य स्थान दिया है दितीय अध्याय यह 'अबूझमाड और सलवा जुडूम: शिविरों में विस्थापन' पर आधारित है। जिसमें सलवा जुडूम की शुरुआत होने के पूर्व एक अभियान चलाया गया था उस पर भी चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलीय हिंसा[71] यह 70 के दशक शुरू हो गई थी। परंन्तु, तब वह छोटे रूप में हुआ करती थी 90 के दशक आते आते यह समस्या विशाल रूप धारण कर चुकी थी इसके निवारण हेतु राज्य में पहली बार 1990-1991 में एक अभियान चलाया गया परंन्तु वह पूर्ण रूप से यशस्वी नही हो पाया जिसे 'जन जागरण अभियान'[72] के नाम से जाना जाता है।[73] परंन्तु बाद 2000 छत्तीसगढ़ नया राज्य के रूप में अस्तित में आया तब राज्य सरकार ने फिर से नक्सलीय हिंसा खत्म करने के लिए 2005 में सलवा जुडूम अभियान[74] सुरु किया गया था। इस अभियान के मुख्य नेता महेंद्र कर्मा थे जिन्होंने इसका पूर्ण मार्गदर्शन किया[75] था। इस अभियान को तीन भागों में विभाजित किया है पहला SPO

[71] नक्सलीय हिंसा से मेरा तात्पर्य है जो हिंसा सलवा जुडूम से और सलवा जुडूम के दोरान और उसके समाप्त होने के बाद भी नक्सलियों द्वारा जो आदिवासी समाज पर हिंसा होती है उस से है जिसमें जन अदालत में दण्ड देना, मरना, या जबरदस्ती नक्सलीय सेना में आदिवसी समाज के युवक और युवती को भर्ती करना, अगर ना आना चाहे तो उन्हें मार देना इस तरह की सभी हिंसा यह नक्सलीय हिंसा के अन्तर्गत आती है

[72] जन जागरण अभियान –1990-1991 में पहली बार एक अभियान सुरु किया गया जो नक्सलीय हिंसा को ख़त्म करने के लिये जन जागृति कर सके परंन्तु यह एक वर्ष के अन्तर्गत ही बंद हो गया, बाद में 2005 सलवा जुडूम अभियान शुरू किया गया।

[73] "*SALWA JUDUM A NEW FRONT OF HINDDEN WAR*" 'The Inside story' Report CPIC, 2006. Page.20

[74] 'सलवा जुडूम'/ Salwa Judum-
यह एक अभियान था जो 2005 में शुरू हुआ और 2007 में सुप्रीम कोट के फैसले पर इसे बंद करवाया गया यह राज्य और केन्द सरकार दोनों के सहयोग से चलाया गया था इस का मुख्य उद्‌देश यह था की नक्सलीय समस्या का निवारण करना जिससे वहां के नैसर्गिक संसाधनो का उपयोग देश के विकास के लिये हो सके, सलवा जुडूम यह गोडी शब्द से बना है इसक अर्थ होता है शन्ति अभियान परतु यह शन्ति अभियान नहीं था इसका स्वरूप पूरी तरह से उलटा था।

[75] *(73) Ibid. Page.34*

विशेष सुरक्षा बल, दूसरा दो वर्षो का राहत शिविरों का जीवन, तीसरा पुनर्वास कैम्प इन तीनों को लेकर ही यह अध्याय चल रहा है जिसमें अध्याय में सलवा जुडूम के पूर्व गाँव का सामजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन कैसा था जो राहत शिविरों में और पुनर्वास कैम्प में आने के बाद बदल गया। उसी को समझने का प्रयास किया गया है। जिसमें, घरों की रचना, सामाजिक जीवन और सांकृतिक जीवन रोजगार के साधन, शिक्षा के साधन, स्वास्थ्य सुविधा में जो परिवर्तन आया उसका अध्ययन किया है।[76]

इस अध्याय में मेने केस स्टडी के रूप में तीन गाँव और तीन कैम्प को लिया है। जिसमें एलिकोंटा, मंगनार, मेटापाल, यह गाँव है और कासौली, बागापाल, चितालंका यह कैम्प है इस अध्याय में जो मेरे कार्य का मुख्य उद्देश्य है। आदिवासी महिलाओं के जीवन में विस्थापन के बाद किस तरह का परिवर्तन आया इस प्रशन के आधार पर यह पूरा अध्याय आधारित है की महिलाओं की स्थिति किस तरह से विस्थापन के बाद परिवर्तन आया है। इस अध्याय में जो केस स्टडी है उसमें विस्थापन के पूर्व महिलाओं की स्थिति, सलवा जुडूम के दौरान महिलाओं की स्थिति, विस्थापन के बाद जब पुनर्वास हुआ कैम्प में वहाँ महिलाओं की स्थिति का विस्तार से अध्ययन किया है। यह अध्याय पूर्ण रूप से क्षेत्र कार्य पर आधारित है जिसमें मुलाखत, अवलोकन, समूह चर्चा, महत्वपूर्ण थी।

विस्थापन के पूर्व अबुझमाड़ का आदिवासी समाज -

सलवा जुडूम की शुरुआत 2005 में हुई। परंन्तु, विस्थापन यह इसके पहले से शुरू है जिसमें औद्योगीकरण के वजह विस्थापन हुआ था विस्थापन यह सिर्फ एक स्थान से दुसरे स्थान पर रहना तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक विस्थापन, सामाजिक विस्थापन, आर्थिक विस्थापन इत्यदि भी विस्थापन के महत्वपूर्ण अंग माने जाते है। अगर

[76] *(74) Ibid. page.34.*

विस्थापन को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो अपनी मूल जगह से उखाड़कर, नई जगह पर बसना यह भी इन जनजातियों के लिए असंम्भव है। इनका जल, जंगल और जमीन के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। जिससे इनकी संस्कृती भी जुडी हुई है।[77] परन्तु, अगर इन्हें विस्थापित किया जाये तो नये वातावरण के सामंजस्य स्थापित करना कठीन कार्य है यहाँ विस्थापन के बाद आये परिवर्तन और कैम्प के जीवन दोनों ही इनके लिये नये है।

आदिवासी महिलाओं के जीवन में जमीन के साथ बड़ा गहरा जुडाव होता है। इसके पीछे कई मान्यता है जिसमें यह कहाँ गया है की जमीन और महिलाएँ दोनों समान होती है जमीन से उत्पादन किया जाता है और महिलाएँ पुर्नरुत्पादन करती है इन दोनों के कार्यो को समान मानकर ही जमीन से महिलाओं की तुलना की गई है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है की महिलाएँ खेती से जुड़े सभी कार्य करती है जिसमें बीज को सुखाना, संग्रहीत करना और पुन: उसकी बुआई करना जिससे नये बीजों का निर्माण भी हो और उत्पादन भी प्राप्त हो इत्यदि सारे महत्वपूर्ण कार्य आदिवासी महिलाएँ करती है।[78] परंन्तु, विस्थापन के बाद उनके कार्य में परिवर्तन आ गया है। अब वो जमीन से जुड़े कार्य नहीं कर पाती कैम्प में बाहर जा कर खेती करना, जंगलों से सामग्री एकत्रीत करना और उसे स्थानीय बाजार में ले जाकर बेचने जैसे कार्यो जिन से वो अर्थजन्य करती थी। सब कुछ विस्थापन के साथ छीन गया, उनकी आजादी जो जंगलों से जुडी हुई थी। वो सब कुछ

---

[77] अलेक्स एक्का, "*झारखंड: विस्थापन और पुनर्वास*" सामजिक संस्था, नई दिल्ली. 2003 पृ.23

[78] घनश्याम गुप्ता, "*अबुझमाडिया जमात एक सैध्द्तिक विवेचन*" हिन्दी ग्रथ अकादमी, नई दिल्ली. 1986 पृ.34.

विस्थापन के बाद चली गई, अब बस शिविरों में शरणार्थीयों का जीवन जीने के लिये वो मजबूर है।[79]

कृषि इनका मुख्य स्त्रोत हुआ करता था इसी पर उनकी आर्थिक स्थिति आश्रित थी। अब उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आदिवासी स्त्री और पुरुषों दोनों ही रोजगार की खोज में भटकने लगे है। यहाँ कैम्प में उनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, और ना ही रोजगार के दुसरे कोई साधन जिसके सहारे वो अपनी जीविका चला सके। अगर सरकार द्रारा वहाँ जो रोजगार उपलब्ध कराये गये है वो उनके लिये बिलकुल नये है। जिनका उनके विस्थापन पूर्व के जीवन से कोई संबंध नहीं है। कैम्प में उन्हें सिलाई मशीन के द्रारा कपड़े सिलना, हस्तउधोग के द्रारा नयी वस्तुएँ निर्माण करना, मिटटी के द्रारा मूर्ति और बर्तन बनाना इत्यदि कार्यो का प्रशिक्षण दिया गया। परंन्तु, जिस कार्यो में इन्हें कभी भी रूचि ही नहीं थी। वो महिलाए इन रोजगार के प्रति अपनी निर-उत्सुकता दिखने लगी। जिससे यह योजना भी जल्द ही बंद हो गई। अब कैम्प में रहने वाली महिलाओं की रोजगार को लेकर अनेक समस्या है। जिनका उनकी दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है।[80]

छत्तीसगढ़ नक्सली आतंक से प्रभावित होनेवाले राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे है यहाँ का 40,000 वर्ग कि.मी क्षेत्र में फैला बस्तर का जंगली इलाका माओवादियों का गढ़ माना जाता है इसमे से करीब 6,000 वर्ग कि.मी का क्षेत्र अबूझमाड़ (अज्ञात वन) Unknown Hill[81] यह पूरी तरह से आदिवासी के इलाका में था। इसके 58% भाग यह वनों से व्याप्त है और बाकि मैदानी इलाका है यहाँ के आदिवासी आज भी दुनिया से कटे हुए है। नारायणपुर

---

[79] *(78) Ibid page.74*

[80] क्षेत्र-कार्य के दौरन मेरे अवलोकन पर आधारित है. दिनांक -17/08/2013.

[81] Unknown Hill / अबूझमाड़ / अज्ञात वन – दंतेवाड़ा से 40,000 वर्ग किलो. में फैला वन है जिसमे कई आदिवासी जनजातिया निवास करती है वहाँ अभी तक सरकारी कोई सुख-सुविधा नहीं पहुच पाई है जहाँ आज भी पुरुष बीना कोस्ती के कपडे की धोती पहनते है और महिलाएँ कोस्ती पहनती है ऐसे वनों में रहनेवाले आदिवसी को अबुझमाडी कहाँ जाता है, और उस वन को अबूझमाड़ कहाँ जाता है।

जिले से बस्तर के दन्तेवाड़ा जिले से सटा हुआ है और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा की सीमा से मिलकर यह इलाका बनता है जहाँ सबसे अधिक जंगल है इन जंगलो में रहने वाले **मरिया, मुरिया ,हलबा** आदिवासियों की महिलाएँ आज भी सिर्फ एक कपड़ा पहनती है।[82] जिसे **कोस्ती**[83] कहा जाता है। अक्सर वो उपरी हिस्से को खुला रहती है। अबूझमाड़ की अगर बात की जाये तो वहाँ पर धान की खेती और वन उपज यह ही जीवन निर्वाह के मुख्य साधन रहे है। इन क्षेत्रौं में वस्तु विनिमय (वस्तु के आदान प्रदान से जो व्यवहार चलता है) के द्रारा ही व्यवहार चलता था। यहाँ उत्पादन बेचने और खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अबूझमाड़ में जो उत्पादन होता था उसे गाँव स्तर पर बाटा जाता था। जिससे भुखमरी की समस्या उत्पन्न ना हो वहाँ पर महिलाएँ भी पेड़ों के पत्तों से टोकरी बनाकर उसे बेचना, जंगल से महुआ टोरा, तेन्दु पत्ता, जंगली फल एकत्रीत कर जमा करके सुखाना, जब उपयोग हो तो उसी से भोजन बनाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। परंन्तु, कैम्प में यह बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया यहाँ महिलाओं को कैम्प के बाहर जाने की अनुमति ही नहीं थी अगर जाना भी है, तो समय की पाबंदी थी जिससे वो जंगल से कुछ भी नहीं ला सकती जिससे उनका जीवन निर्वाह बहुत कठिन हो गया है।[84]

अबूझमाड़ में सब अपनी अपनी खेती करते है। परंन्तु, प्रत्येक परिवार में धान का उत्पादन कम होता है जो पुरे वर्ष तक नहीं चल पाता जिसमें एक दुसरे से कुछ माँगना पड़ता वो वस्तु विनिमय[85] कर अपना काम चला लेतें थे। परंन्तु, कैम्प में यह सब कुछ उलटा है।

---

[82] *(78) Ibid. page.83.*

[83] कोस्ती – यह एक सफेद कलर का खादी का कपड़ा होता है जो 4 मीटर लबा होता जिसे आदिवासी महिलाएँ धारण करती है वो महिलाये साड़ी नहीं धारण करती इसी की साड़ी बनाकर पहनती है इसे कोस्ती कहाँ जाता है।

[84] *(78) Ibid. page.84*

[85] वस्तु विनिमय- जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दुसरे वस्तु या सेवा का लेनदेन होता है तो उसे वस्तु विनिमय कहते है उदा.एक गाय के बदले दस बकरिया लेना या देना किसी घर उपयोगी वस्तु के बदले धान्य लेना या देना, इस पद्धति में कही भी मुद्रा या पैसे का इस्तेमाल नही होता

यहाँ पर प्रत्येक परिवार को हर महिने सिर्फ 35 किलो चावल, दो थैली नमक, 2 किलो शक्कर जो भी बड़ी मुशकिल से 10 से 15 दिनों के भीतर ही खत्म हो जाता। बाकी दिनों में या तो बाजार से खरीदकर लाकर अपने परिवार का भरण पोषण करना होता या फिर किसी से उधार लेकर अपने परिवार का जीवन निर्वाह करना पड़ता। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्तर के आधार पर यहाँ मानसून ज्यादा समय तक रहता है। अधिक बरिश धान की खेती के लिये उपयुक्त मनी जाती है। इसलिय यहाँ अधिकांश आदिवासी समुदाय धान खेती ही करते है। उसे भी वे पारंपरिक तरीके से ही करते थे जिससे उत्पादन सिर्फ परिवार के भरण पोषण हो जाये इतना ही होता है।[86]

छत्तीसगढ़ में स्वशासन की प्रथा काफी लम्बी परंम्परा के रूप में रही है। इसके कालक्रम में काफी परिवर्तन हुआ है। यहाँ कई आदिवासियों के समूह बसते है। जिनके बसने का इतिहास ज्यादातर अस्पष्ट है। मुंडा और मुरिया, गोंड आदिवासियों की मौखिक ऐतिहासिक परंपरा के मुताबिक इनके पुरखे लम्बी दुरी तय करके यहाँ आये है इस क्षेत्र में उरावों का आगमन काफी बाद में दक्षिण भारत से होने का अनुमान लगाया जाता है।[87]

बस्तर और दन्तेवाड़ा के आदिवासी समूहों में सहभागिता पर आधारित पारंपारिक जनतांत्रिक सामाजिक संस्थाएं पूरी मजबूती से कायम नहीं है। इनकी पारंपारिक संस्थाएं वर्षो की सहज प्रक्रिया से ही फली-फूली और विकसित हुई है। पारंपारिक व्यवस्था में राजनितिक, सामाजिक, धार्मिक तथा संसाधनों के स्वामित्व को सम्मिलित किया जाता है। सभी जनजातिय गाँवों में ग्रामीण क्रिया-कलापों को कुशलता पूर्वक संपन्न करने के लिए किसी प्रकार की ग्राम सभा रखती है जिसमें पारंपरिक को प्रधान माना जाता है। ये पारंपारिक संस्थाए अनेक

---

[86] एलविन वेरियर, "*मुरिया और उनका घोटुल भाग-1,2*" राजकमल प्रकाशन,नई दिल्ली 2008. पृ.120

[87] शांता शुक्ला, "*छतीसगढ़ का सामाजिक आर्थिक इतिहास*" नैशनल पब्लिकेशन हॉउस, नई दिल्ली. 1990 पृ.19

प्रहारों को झेलते हुए आज भी किसी न किसी रूप में पारंपारिकता को विधमान रखे हुए है। जिससे इन परंपराओं आज भी कैम्प में थोडी बहुत जीवित रखा गया है। यहाँ आदिवासी समाज आज उन परंपराओं का पालन करता है। परंन्तु धीरे धीरे यह परंपराएँ समाप्त हो रही है।[88]

छतीसगढ़ एक अनुसूचित जाती व जनजातियों का क्षेत्र है। जिसमें बस्तर और दन्तेवाड़ा यह मुख्य क्षेत्र में आते है। दन्तेवाड़ा में अधिकतर मुरिया, मुंडा, मरिया, गोंड व हलबा, कुमार, कवार इत्यदि मुख्य जनजातियाँ है। जो अबूझमाड़ क्षेत्रों में अभी भी निवास करती है ये जनजातियाँ आज भी पारंपारिक तरीके से खेती करती है। जो आधुनिक सुख-सुविधा से पूर्ण रूप से वंचित है यहाँ ना तो पेयजल की व्यवस्था है ना ही बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मुलभूत साधन है। जिससे अपना जीवन सुधारा जा सके आज भी उनके जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। उनकी आर्थिक स्थिति आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी, परंन्तु आज तो उससे भी ज्यादा खराब हो गई है। सरकार द्रारा संचालित सामाजिक, आर्थिक अदि सुविधाएँ निर्धन आदिवासियों तक नहीं पहुँच पाई हैं।[89]

मेरे शोधकार्य के इस अध्याय के अन्तर्गत मैंने उन गाँवों का अध्ययन किया है। जहाँ विस्थापन के पूर्व आदिवासी समाज रहता था। उन कैम्प का भी अध्ययन किया जहाँ विस्थापन के बाद रखा गया, जिसे पुनर्वास कैम्प कहा जाता है। 2005 में जब सलवा जुडूम अभियान दन्तेवाड़ा और बस्तर में चलाया गया था तब 2 वर्षो तक यह अभियान चला जिससे 3 से 4 लाख लोग विस्थापित हुए उस दोरान विस्थापितों को तत्कालीन राहत शिविरों में रखा जो सरकार द्रारा बनाये गये थे, विस्थापन के पूर्व ये आदिवासी जहाँ रहते

---

[88] *(86) Ibid. page.230*

[89] *(88) Ibid. page.123.*

थे उन्ही गाँवो में से मैंने तीन गाँवों को चुना जो अलिकोंटा (Alikonta), मंगणार (Maganar), मेटापाल (Metapal) है। यह तीनों गाँव उस क्षेत्र में आते है। जो क्षेत्र आयरन लोहा की खदानों वाला क्षेत्र है। आज वहाँ NMDC (National Minral Development Corporation) का कार्य चल रहा है। यह पूरा क्षेत्र अबूझमाड़ के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।[90]

इस क्षेत्र में जो कैम्प है वो मेरे अध्ययन के अतंर्गत आते है। जिसमें कासौली (Kasoli), बागापाल (Bagapal), चिंतालंका (Chitalanka) यह तीन कैम्प महत्वपूर्ण है। यह कैम्प पहले राहत शिविर हुआ करते थे पर अब ये पुर्नवासीत कैम्प[91] में परिवर्तित हो गये। मेरे क्षेत्र कार्य को मैंने, दो भागों में विभाजित किया है। जिसमें विस्थापन के पूर्व महिलाओं की स्थिति, विस्थापन के बाद कैम्प का जीवन, कैम्प आंतरिक समानताएं और विभिन्नताएं क्या है? इस को ध्यान में रखकर मैने यह क्षेत्र चुना है जो मेरे शोधकार्य का उद्देश्य भी है।

विस्थापन के पूर्व और विस्थापन के बाद महिलाओं की स्थिति में आये परिवर्तन का अध्ययन करना है। पूर्व की जीवन शैली और कैम्प में बसने के बाद जीवन शैली इन दोनों के बीच में हुए बदलाव को अध्ययन करना है। मेरे शोध कार्य का पहला सवाल था, की विस्थापन के दोरान महिलाओं के जीवन में कौन-कौन सी समस्या आती है। महिलाओं का विस्थापन के बाद जहाँ पर भी पुर्नवास व पुर्नव्यवस्थापन किया गया है क्या वो वहाँ पूर्ण-रूप में इस विस्थापन से बाहर निकलने में सक्षम है। क्या महिलाए इस परिवर्तन को सकारात्मक मानती है या नकारात्मक मानती है। कैम्प में महिलाएँ अपने को विस्थापन

[90] क्षेत्र कार्य के दौरान मेरे अवलोकन के आधार पर है दिनांक 12/07/2013.

[91] पुनर्वासीत कैम्प / Rehabilitation Camp- यह मेरा यह तात्पर्य है। की विस्थापन के बाद जहाँ अस्थायि शिविर थे उनका जब पुनर्वास हुआ जिसमें उसे एक गाँव की तरह बसाया गया जहाँ पर मुलभुत सुविधा थी जहाँ पर प्रत्येक परिवार का अपना एक घर था। जिसमें उसका परिवार रहता था इस तरह के पुनर्वास को पुनर्वासीत शिविर या कैम्प कहाँ जाता है।

के पूर्व जो सुरक्षित महसूस करती थी, अभी भी वो उतनी सुरक्षित है या नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो उन्हें जो मजदूरी दी जाती है वो, क्या पुरुषो के बराबर है या उनसे कम है इन सारे सवालों को दिमाग में रखकर मैंने अपने कार्य की शुरुआत की इस अध्याय में विस्थापन के पूर्व में गाँव में जहाँ पर ये लोग रहते थे।

सलवा जुडूम यह 1000 गाँवों में चला जिसमें से दन्तेवाड़ा और बस्तर के अन्तर्गत 300 गॉव आते है जिसमें से मेने इन तीन गाँवो का विस्तार पूर्वक अध्ययन इस अध्याय में किया गया है और विस्थापन के बाद जब उन्हें तकालीन राहत शिविर में रखा गया था और बाद में इन शिविरों को पुनर्वासित शिविरों में बदल दिया गया जिसमे कासौली, बागापाल, चिंतालाका इन तीन शिविरों को मैने अपने अध्ययन के अन्तर्गत लिया है विस्थापन के पूर्व जहाँ रहते उन गाँवो का भी अध्ययन करना है। [92]

महिलाओं को बस कैसे भी अपना जीवन व्यतीत करना है। पहले महिलाओं का जीवन यह जंगल पर निर्भर था पर विस्थापन के दोरान उन्हें कैम्प से बाहार आना-जाना सक्त माना था। अब तो पूरी तरह से कैम्प में जो राशन मिलता है उसी से ही अपना जीवन चलती थी। कैम्प के निर्माण के पहले यह आदिवासी समाज अपने गाँव में रहते थे। इस अध्याय में विस्थापन के पूर्व के गाँव में जहाँ पर ये लोग रहते थे उन तीन गांवों का विस्तार पूर्वक अध्ययन इस अध्याय में किया गया है। Alikonta, Maganar, Metapal, ये तीनों गाँव अबूझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते है। यहाँ उराँव, गोंड, मुड़ा, हलबी इत्यदि जनजातियों का निवास है इस अध्याय में हम अस्थीय राहत शिविर, पुनर्वास कैम्प और वहां महिलाओं की स्थिति का विशलेषण करगे।

---

[92] क्षेत्र कार्य के अवलोकन पर आधारित है। दिनांक 25/08/2012

[93]

House Structure of Alikonta Village

ऐलिकोंटा गाँव (Alikonta Village)

यह वो गाँव जहाँ सलवा जुडूम अभियान के बाद विस्थापन शुरू हुआ था। यहाँ के आदिवासीयों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। यह गाँव दन्तेवाड़ा से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दन्तेवाड़ा से इस गाँव तक जो सडक जाती है वो कच्ची है जो मानसून में पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। कोई दूसरा रास्ता नहीं यहाँ जाने के लिये बीच में एक नदी पड़ती है जिस पर कोई पुल नहीं है ना ही कोई नाव है जिससे इसे पार किया जा सके। इस गाँव में कुल घरों की संख्या 100 है। यहाँ की जनसंख्या 675 इतनी है।[94] इस गाँव में उराँव, गोंड, हलबी इत्यदि जनजातियों के आदिवासी निवास करते है अगर इस भौगौलिक क्षेत्र देखा जाये तो यह पूर्ण रूप से घाटियों से घिरा हुआ है। जहाँ पर जाने आने के मार्ग बड़े ही कठिन है। जिसकी वजह से यह मुख्य शहर से संपर्क में टुटा हुआ होता

---

[93] Photography clicked by me during on my field work, Date-20.8.2013, time-4.30pm

[94] Nanndi Foundation. Dantewada (NGO) के रिपोर्ट्स अनुसार,2012

है। हम अगर गाँव की रचना की बात करें तो यह हमारे ग्रामीण भागों से विभिन्न होती है। यहाँ पर शुरुआत गाँव के मुख्य घर से होती है, जिसे देवघर है (temple)[95] कहा जाता है। जो प्रत्येक गाँव में एक ही होता है जिसके वजह से ही गाँव कि पहचान होती है। देवघर के आस-पास ही गाँव की रचना होती है। गाँव का जो मुखिया होता है वो देवघर का पुजारी होता है उसी के द्रारा गाँव के सभी शुभ कार्य किये जाते है। बाकि गाँव के लोग **पारे**[96] में रहना पसंद करते है एक पारे में 3 से 4 परिवार निवास करते है।

इस क्षेत्र में अधिकतर जनजातियाँ स्थानतरित खेती करती है। जिसकी वजह से इनके गाँवो की संख्या अनिशिचत रहती है परंतु नये स्थान पर पूरा गाँव बसाने के लिये काफी मेहनत करनी पड़ती जो गाँव का मुखिया करता है और बाकी सब उसकी आज्ञा मानते है।

इनके घरों की रचना की हम बात करे तो यह काफी बड़े होते है जिसमें फसल रखने के लिये अलग कमरा, जानवरों की अलग गोशाला, परिवार के सदस्य के अनुसार कमरे बनाये जाते है। यहाँ लोग अपने खेतों की सुरक्षा के लिये एक घेरा बनाते है। जिससें की जगलीं जानवर रात में उनकी फसलों को नष्ट ना कर दे आदिवासी समाज में सामूहिक मालमत्ता की परंपरा पुरानी है जिसका यह पालन करते है। सामूहिक मालमत्ता इसमें सभी गाँव वाले सामूहिक रूप से अपना योगदान देकर देव-पूजा और विवाह, जन्म-मृत्यु, जैसे कार्यो में अपना सहयोग देते है। महिलाएं इन कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। महिलाओं का इन कार्यों में अधिक जुडाव होता है जब नई फसल कटती है तो उस समय पूजा की जाती है जिससे की आने वाले वर्ष भी अच्छी फसल हो, नई फसल का एक हिस्सा सभी देवघर

---

[95] देवघर (Temple) - देवघर से मेरा यह तात्पर्य है कि जहाँ पर पुरे गाँव के जो कुल देवी-देवता का निवास करते है उस घर में कोई भी और निवास नहीं करतें सिर्फ देवी-देवता ही रहते है।

[96] पारे – आदिवासी जनजातियों को अपना घर अपने खेत में ही बनाते है जिससे की वो अपने खेतो की भी रक्षा कर सके जहाँ पर चार परिवार रहते हो उसे हम मोहला कहते है परतु आदिवासी उसे पारा के नाम से सबोंधित किया जाता है।

में जमा करवाते है। जो सार्वजानिक कार्यक्रमों में उसका उपयोग किया जा सके। या किसी की फसल अगर ना हुई हो तो उसे देवघर से धान्य ले जाने का अधिकार होता है जिससें उसके परिवार का पालन-पोषण हो सके।

Alikonta Village map

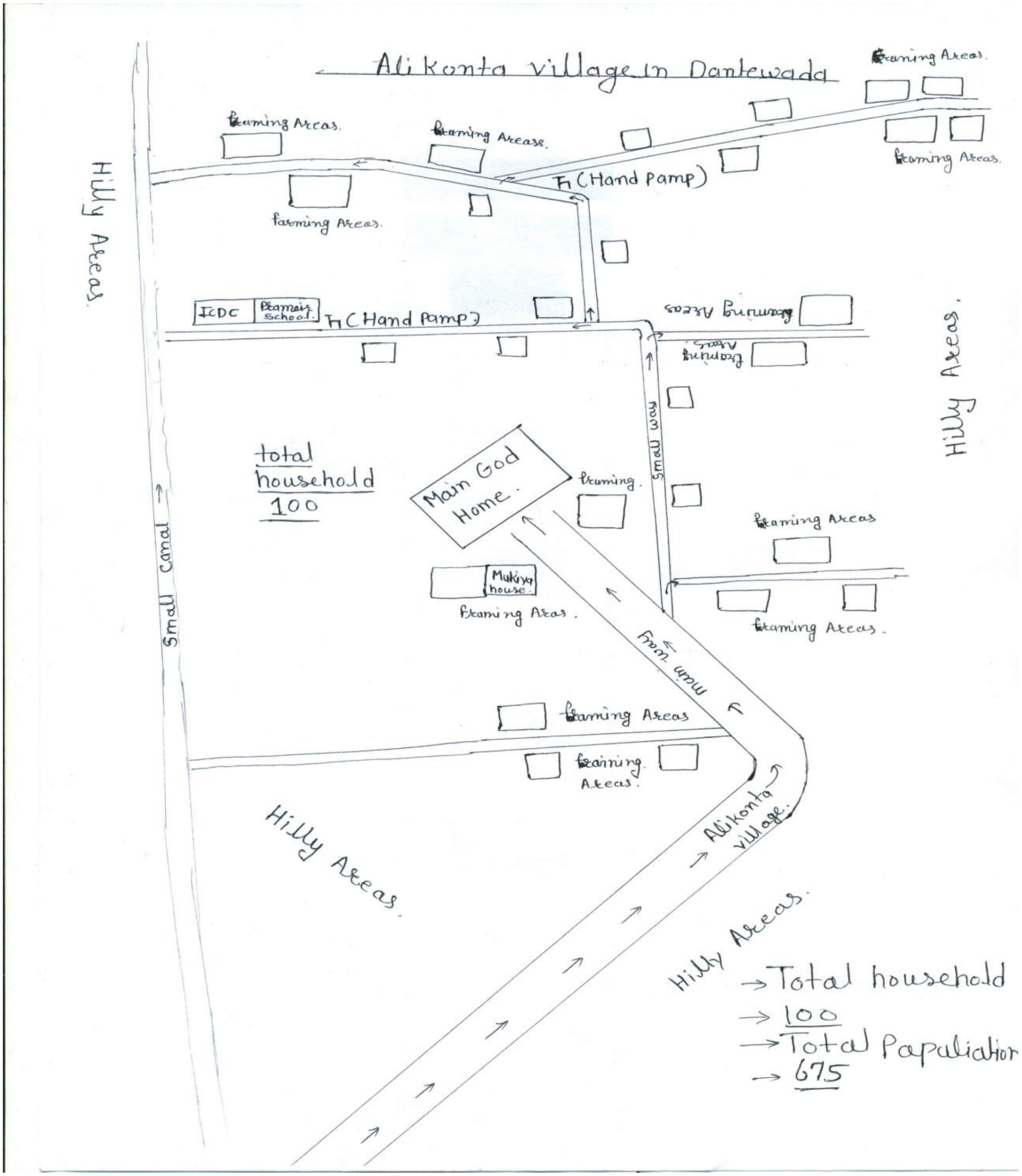

97

97 This map is made by me during on my field work. 5/09/2013. Time -12.30 pm

मंगनार गाँव (Maganar Village)

मंगनार भी दन्तेवाड़ा से 20 किलो मीटर कि दुरी पर बसा था उस समय यहाँ पर जाने के रस्ते कच्चे थे जो मानसून में पूरी तरह से बंद हो जाते है। इस गाँव के आस-पास विस्थापन की प्रकिया शुरू हो चुकी थी यह गाँव भी रेलवे लाइन के बीच में पड़ता था। जिससें कि इसे हटाना महत्वपूर्ण कार्य था। जब सलवा जुडूम हुआ तब इस गाँव के लोगों को विस्थापित कर राहत शिविरों में रहना पड़ा जिससे यह गाँव पूर्ण रूप हट गया। जहाँ पर यह गाँव स्थिति था वहां से आयरन (लोहा) कि खदानों की शुरुआत होती थी अब जहाँ पहले यह गाँव था वह अब रेलवे लाइन बन गयी है। यह रेलवे लाइन जो सीधे आयरन को उड़ीसा ले जाती है और वहां से उसे समुद्री मार्ग से निर्यात किया जाता है। अब उस रेलवे लाइन के आस पास कुछ घर है जो उन दिनों की याद दिलाते है। जब यहाँ एक गाँव हुआ करता था अब यह कुल 80 घर है यहाँ की कुल जनसंख्या 450 इतनी है। जो विस्थापन के बाद आकर यहाँ बसे जिसमे कई घर जो विस्थापन के पहले से ही थे उन्होंने ही यहाँ के विस्थापन की कहानी बताई।

यहाँ पर अबूझमाडी, हलबी, कुवार अन्य जनजातियों के लोग भी अपने अपने पारे में रहते है इस गाँव कि रचना भी वैसी थी जैसे कि पहले गाँव के थी। इस गाँव कि पहचान भी देवघर से ही होती थी। परंन्तु, इस गाँव में भी अलग-अलग जनजातियों के लोग भी निवास करते है। अभी यहां पर एक से अधिक देवघर है इसका कारण यह था कि यहाँ पर विस्थापन के पहले से एक समाज रह रहा था। उसने अपना एक पारा बना लिया जिसमें एक देवघर था। परंन्तु, विस्थापन के बाद जब अन्य जनजातियों के लोग भी यही निवास करने लगे तो उन्होंने भी अपना एक अलग पारा बना लिया। जिसमें वो अपने देवी-देवता के साथ रहते है। इस वजह से इस गाँव में पारे के आधार पर गाँव का विभाजन हुआ है।

यहाँ पर तीन जनजातियाँ निवास करती है। जिसमें उनकी भाषा, धर्मिक विधि इत्यदि में विविधता है। कोई सूर्य को अपना कुलदेव मानते है। कोई समुदाय प्राणी को तो कोई समुदाय नदी को अपना कुल देव के रूप में पूजते है। परंन्तु, यहाँ पर अगर कोई सार्वजानिक उत्सव हो तो सभी पारे के लोग मिलकर सहयोग देते है।

जिसमें महिलाओं का योगदान अधिक होता है यहाँ पर भी उनका मुख्य व्यवसाय खेती ही है। परंन्तु जब गर्मिया आ जाती है तब जंगल से कंद, मूल का सग्रहन करते है। जिससे परिवार का पालन पोषण किया जा सके इस तरह खुले वातवरण में निवास करने वाले जब विस्थापित होते है। तो उन परिस्थियों को समझना कठिन हो जाता है। विस्थापन के बाद के जीवन का विचार भी मन को बैचेन कर देता है किस जगह विस्थापन के बाद रहना होगा वहां रोजगार के अवसर होगे या अपनी खेती करने का अधिकार कैसे होगा वो जीवन जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

Magnar Village map

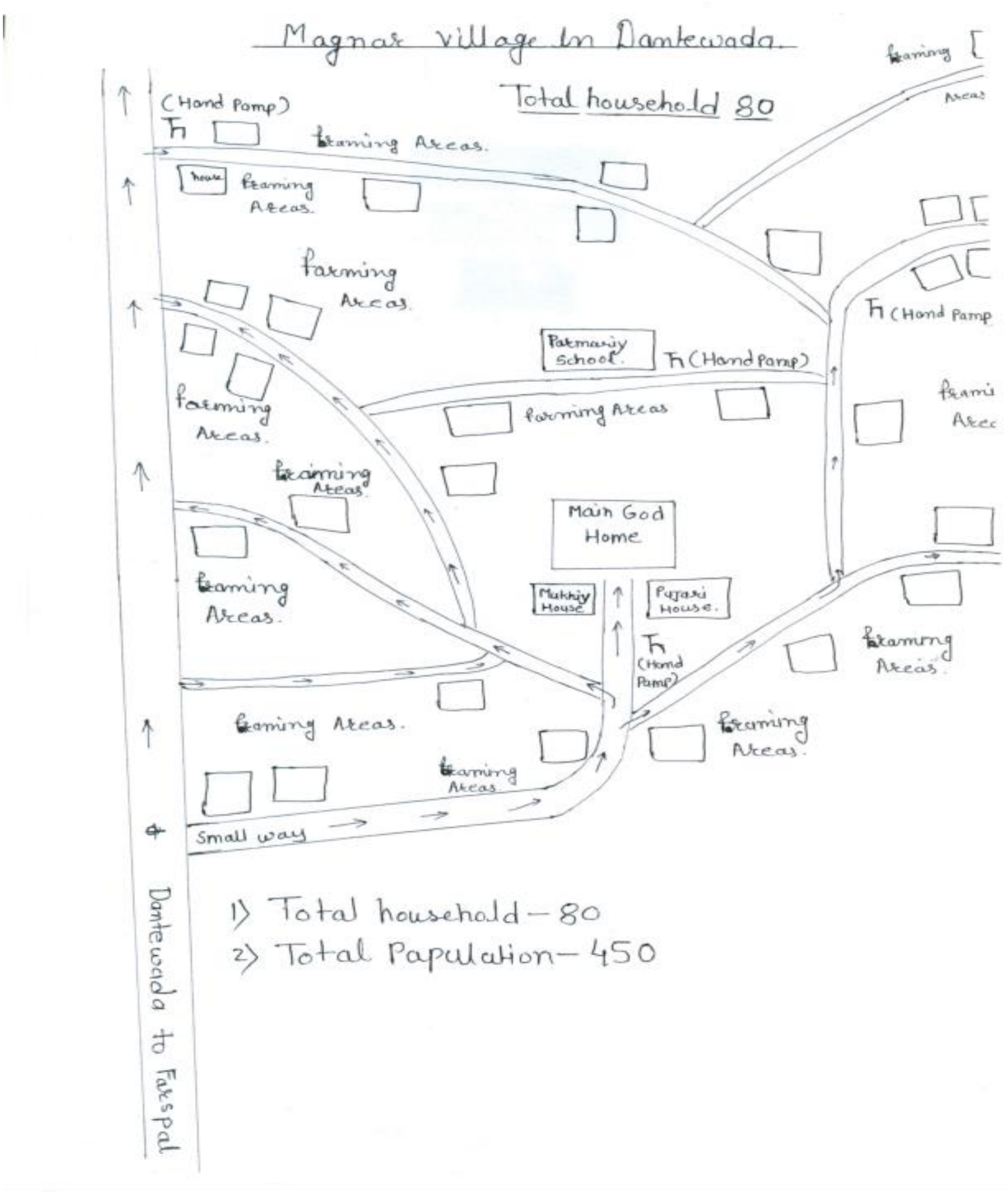

98

98 This map is made by me during in my field work. 3/09/2013 time-11.30 am

मेटापाल गाँव (Metapal Village)

मेटापाल यह गाँव दन्तेवाड़ा से 40 किलो मीटर की दुरी पर है यहा दन्तेवाड़ा से कटे-कल्याण रोड कि मुख्य सडक से 15 किलोमीटर अंदर की और है। पहाड़ी और मैदानी दोनों को मिलकर यह गाँव बसा हुआ है यहां कुल घरों की संख्या 120 है यहाँ कि कुल जनसंख्या 600 है। यहां अभी तक के सभी गाँवो में सबसे बड़ा गाँव है इस गाँव में भी लोग पारे में रहना पसंद करते है। परंन्तु, जब कोई सार्वजानिक कार्य होता है तो सभी पारे के लोग अपना योगदान देते है। इस गाँव की रचना भी अन्य गाँवो के समान ही है जिसमें देवघर से ही सुरुआत होती है और बाद में पारो में जाकर उनका विभाजन होता है। इस गाँव में सबसे अधिक मुरिया आदिवासियों का निवास है हलबा, कुमार और अबुझमाडी की संख्या कम है। मुरिया आदिवासी यहाँ की मुख्य जाति होने की वजह से इस गाँव में 'घोटुल'[99] का भी अस्तित्व था।

घोटुल यह एक ऐसी संस्था जो सामाजिक मान्यता प्राप्त है। गाँव के सभी नव युवक और युवती घोटुल के सभासद होते है घोटुल का एक मुखिया होता है। जो उन नये सभासद को मार्गदर्शन करता है। यह रोज रात् मे घोटुल की सभा लगती है। वहां नाच-गाना, मनोरंजन खेल, सामाजिक विषयों पर चर्चा व् परंपरा रीती रीवाज जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुचाने में घोटुल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिसका बाकी लोग भी आदर करते है घोटुल में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार होते है, चर्चा में अपने पक्ष रखने के और उस पर सुझाव बताने के जिसका बाकि लोग आदर के साथ उसका पालन करते है। अगर

---

[99] घोटुल – यह मुरिया आदिवासी में पाई जाने वाली एक समाज मान्य संस्था है जहाँ परयुवक और युवतियों को विवाह के पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमे सिर्फ शरीरिक ज्ञान ही नहीं बल्कि सामाजिक रीती रिवाज, संस्कृति,परम्परा विवाह के बाद आने वाली समस्यों पर चर्चा इत्यदि का विषयों पर चर्चा होती है और यहं रोज रात्री में आंरभ होती है व् सुबह तक चलती है इसी को घोटुल कहाँ जाता है ।

घोटुल के सदस्यता के दौरान नवयुवती गर्भवती हो जाती है, तो उस बच्चे का पालन पोषण की जिम्मेदारी घोटुल की होती है। उस युवती को विवाह करने का अधिकार होता है अधिकतर नवयुवक और युवतियां भी अपना भावी जीवन साथी घोटुल में ही चुन लेते है। घोटुल यह सिर्फ मुरिया और गोड में होते है इंद्रवती नदी के उस पार जो मुरिया और गोड जनजातियाँ है। वहा पर ही आज घोटुल अस्तित्व में है।

Metapal Village map

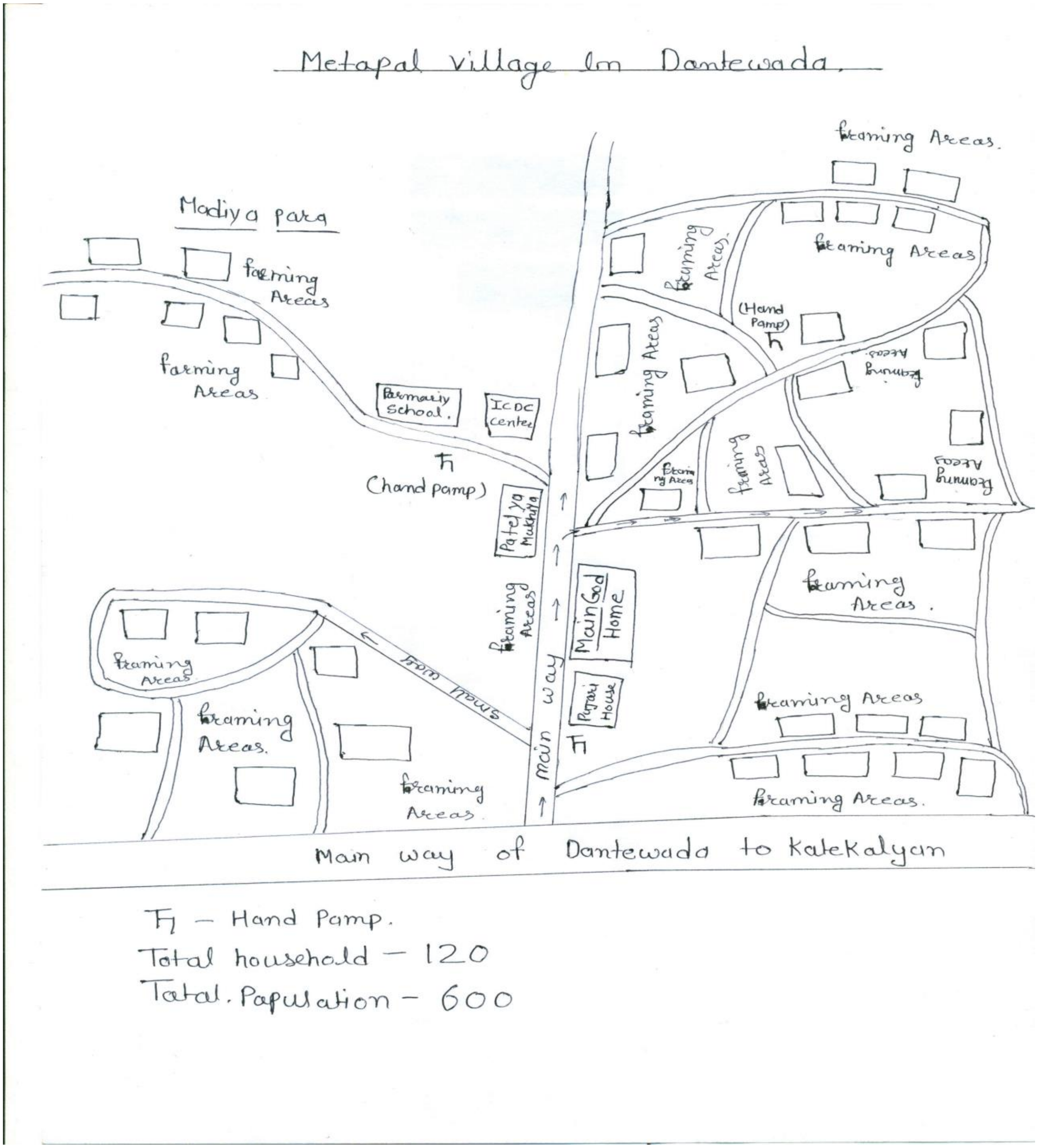

[100]

[100] This Map is made by me during my field work. Date 01/09/2013 time-2.34pm

विस्थापन के पूर्व गाँव में महिलाओं की सामाजिक स्थिति -

गाँव में महिलाओं कि सामाजिक स्थिति पर बात की जाये, तो पहले हमें इन आदिवासी महिलाओं इतिहास देखना होगा जब उनका आर्थिक आधार, यह सिर्फ शिकार और संग्रह पर हि आधारित था। उस समय पुरुषों का कार्य था। शिकार करना और महिलाओं का कार्य था उसे संग्रहित करना और भोजन पकाना परंन्तु उस समय यह लोग कबीले में निवास करते थे। इस वजह से सत्ता, अधिकार इस तरह चीजों का अस्तिव ही नहीं थी। धीरे-धीरे यह परिवर्तित होता गया। अब ये लोग शिकार के साथ खेती भी करने लगे और अब एक साथ ना रहकर छोटे छोटे परिवारों में रहने लगे अब कबीला गाँव बन गये। परंन्तु, जब परिवार अस्तिव में आया तब से महिलाओं का स्थान दोयम हो गया। पहले जब वो कबीले में निवास करती थी तब वहां वो अपनी मर्जी से पुरुष का चुनाव करती है। उस पुरुष से अगर वो गर्भवती होती, तो उस के पालन पोषण कि जवाबदारी कबीले कि होती थी। परंन्तु, उस समय संतान माँ के नाम से जानी जाती है। परंन्तु, परिवार के अस्तित में आने के बाद उसे किसी एक पुरुष को ही चुना होगा और उसी से उसे संतान होगी जिसपर उस पुरुष का ही अधिकार होगा, इस परिवर्तन ने महिलाओं को एक घेरे में बाद दिया जिससे वो बाहार नहीं आ सकी। उसी को उसने अपना लिया और उसे अपना जीवन मान लिया। परंन्तु, मेरे क्षेत्र कार्य में विस्थापन के पूर्व महिलाएं जहाँ गाँव में रहती है उसी का विश्लेषण किया है।

गाँव में महिलाएं खेतों में काम करती थी। वो खेती के लिये बीज का संग्रहीत करके रखना, खेत में बुआई के पहले खेतों को तैयार करना। पुरुषों का काम होता जब वर्षा हो तब बीजों कि बुआई करे और फसलों को काटकर उसे स्थानिक बाजारों में ले जाकर बेचना। जिससे की उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। आधी फसल घर में संग्रहित करना जिससे

परिवार का पालन पोषण हो और अगली फसल के लिये उन्हें बीजो के रूप में भी रखा जाता है। जिससे अगली बुआई की जा सके, आदिवासी समाज में खेती करनें के पांरपारिक तरीके है जिसमें उत्पादन बहुत ही कम होता है इसका कारण है वो स्थानंतरित खेती करते है। इस वजह से पुरुषो का खेती काम जल्दी खत्म हो जाता। उसके बाद वो काम कि तलाश में गाँव से बाहर चले जाते है और घर की सारी जिम्मेदारी अब महिलाओं कि होती है। कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके इन दिनों महिलाओं के काम होता था वन्य उपज को संग्रहित करना और उस से अपना और परिवार का पोषण करना जिसमें महुआ, टोरा, गोंद, तेदुपत्ता, इत्यदि को एकत्र कर सुखा कर उसे स्थानिक बाजारों में बेचती है। जिससे जो आमदनी होती है, उसी से वो अपने परिवार का जीवन चलाना था। इस समय घर के निर्णय महिलायें ही लेती है। परंन्तु, पुरुषो के उपस्थिति में निर्णय में पुरुषो का अधिकार होता है। तब महिलाओं कि रजामंदी उतनी मायने नहीं रखती। आदिवासी स्त्रीयों को भी पुरुषो पर ही निर्भर बनाया गया है। जिस का कारण है परिवार की संकल्पना, कृषि से जो उत्पन्न होता है। उसे स्थानिक बाजारों तक पुरुषो को ही ले जाना पड़ता है। क्योकि स्थानिय बाजार गाँवो से दूर होते वहां जाने और आने में 4 से 5 दिन लग जाते इस दौरान महिलाएं घर में रहकर बच्चों का पोषण करती और घर की सारी जिम्मेदारी भी उठती है। परंन्तु, जब पुरुष वर्ग काम के लिये गाँव से दूर जाते तब घर और बाहार दोनों की जिम्मेदारी वो उठती परंतु उस के इस त्याग और परिश्रम का उसे कोई मूल्य नहीं। पुरुषों के आने के बाद महिलाओं के स्थान में परिवर्तन आ जाता है।

महिलाओं को आर्थिक व्यवहारों से दूर ही रखा जाता है इसमे उनका योगदान कम होता है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि कृषी से जो भी उत्पन्न होता है उसे बेचने पुरुष जाते है। महिलाएँ नहीं जाती परंन्तु जब कम उत्पादन होता है जैसे कि

महुआ, टोरा, गोंद, तेन्दु-पत्ता इन सभी संग्रहीत चीजों को बाजारों में महिलओं को जाना पड़ता है इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिक आय में पुरुष महिलाओं को सहभागी नहीं करते, कम आय में उनका अधिकार होता है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाज लगाया जा सकता है। महिलाओं के राजनीति सहयोग देखा जाये तो इसमे उनका योगदान होता है महिलाएँ विवाह के पूर्व घोटुल की सदस्य होती है। जिसमे वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभाग लेती है घोटुल के सभासद होने के साथ यहाँ पर राजनैतिक मुद्दों पर भी चर्चा होती है। जिसमें महिलाओं को उनका पक्ष रखने कि आजादी होती है। अगर उस पर वो, कोई उपाय योजना बताती है। तो उसका भी सम्मान किया जाता। भावी जीवन में कोई समस्या आये उस पर भी चर्चा की जाती जिससे वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं करे ना की गाँव में मुखिया के पास जाकर समस्या का समाधान ले इस तरह के सभी विषयों पर घोटुल में चर्चा की जाती है। यहाँ पर नव युवक और युवती पर पुरे वर्ष के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों कि जिम्मेदारी दी जाती है। जिससे कि उनका मनोबल बढ़े उन्हें भविष्य में कठिनाईयों का सामना ना करना पड़े। घोटुल में महिलाओं को अपने जीवन-साथी चुनने कि आजादी होती है। चुनने के बाद माता पिता की सहमती से विवाह संपन्न होता है।

आदिवासी समाज में जितना महत्व जीवन का है उतना हि मृत्यु का भी है 'मरन संस्कार'[101]भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आदिवासी समाज में शमशान घाट का अस्तित्व नहीं होता। ये लोग प्रत्येक परिवार अपनी सुविधा के अनुसार जगह का चुनाव करता है। जो गाँव से नजदीक हो जहाँ पर उस परिवार के लोगो को ही जलाया जायेगा इस तरह से हर एक

---

[101] मरन संस्कार – यह आदिवासी समाज कि एक विधि है जो मरन उपरान्ता की जाती है जिसमें गाँव के सभी का समावेश होता है जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों का समान जाने का अधिकार होता है परंन्तु मरण विधि के बाद सिर्फ महिलाएँ हि सिर्फ भोजन लेकर तीन दिनों तक जाती है।

परिवार का अपना शमशान घाट होता है। कोई किसी कि जगह पर अतिक्रमण नहीं करता। अंतिम यात्रा में भी महिलाएं जाती है और तीन दिनों तक उन्हें रोज भोजन पहुचने का कार्य भी महिलाएँ ही करती है। इससे महिलाओं का प्रत्येक कार्य में उनके योगदान होता है। जिसके आधार पर हि गाँव में महिलाओं कि सामाजिक स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है।

[102] **Tribal Woman in Magnar Village**

[102] Photography clicked by me during on my field work 20.08.2013, time-4.45 pm.

[103] **House Structure of Metapal village**

सलवा जुडूम के राहत शिविर और उनकी स्थिति -

विकास कि प्रकिया में विस्थापन होता है। परंन्तु, उसके कारण अलग अलग होते है पर विस्थापन के बाद जो जीवन उन्हें राहत शिविरों में व्यतीत करना पड़ता है और वही से उनके पुनर्वास कि प्रकिया शुरू हो जाती है। हमारे देश में विस्थापन के कई कारण है जिनकी वजह से देश में विस्थापन एक समस्या बन गयी है इसके कई उदाहरण है जैसे बांध परियोजनाए, वन्य अभ्यारण्य, रस्ते परियोजना, खानें, औघोगिकरण, बाढ़, भूकम्प, राष्ट्रीय आपदा, साम्प्रदायिक हिंसा जिससे भी विस्थापन या पलायन होता उनका पुनर्वास भी आवश्यक होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2005 में सलवा जुडूम ऑपरेशन शुरू हुआ था जिसमें माओवादी को जड़ से खत्म करना इस आभियान का मुख्य उददेश्य था। सलवा जुडूम अभियान से जो आदिवासी विस्थापित हुए उनके लिये राज्य सरकार द्वारा राहत शिविरों का निर्माण किया जो बाद में पुनर्वासित शिविर बन गये है। उनके पुनर्वास के

[103] Photography clicked by me during on my field work. 20.08.2013, time-4.45pm

उद्देश्य से इस पुरे क्षेत्र में 23 राहत शिविरों का निर्माण किया गया था। इन राहत शिविरों की स्थिति इतनी बुरी थी कि यहाँ पर मुलभुत सुविधा जो जीवन व्यतीत करने के लिये होनी चाहिए वो भी नहीं है।[104]

विस्थापित आदिवासियों को यहाँ पर SPO (Special Police Officer) की सुरक्षा में रखा गया था। कैम्प की रचना की अगर बात की जाये तो यह कैम्प दन्तेवाड़ा से भैरमगढ़ रास्ते के किनारे बनाये गये थे एक बड़े मैदान में टेंट लगाकर रखा गया था। एक ही टेन्ट के नीचे 1000 की संख्या में आदिवासी पुरुष और महिलाओं को एक साथ रखा गया था। इस टेन्ट के चारों और तार की बाउण्डरी वाल थी, जिससे कि कोई बीना अनुमति बाहर न जा सके। यहाँ जो शिविर थे, वो लकड़ी और कपड़े के सहारे बनाये गये थे, जो आने वाले मानसून के पहले ही टूट जायेगे, ऐसे स्थिति में कैम्प थे। कैम्प में स्त्री और पुरुषो की सोने की व्यवस्था अलग अलग नहीं थी। सब कुछ खुला था, महिलाओं के लिये कोई खास व्यवस्था नहीं थी। कैम्प में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए रोटी, कपड़ा, बिजली, पानी, शोचालय, स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था सुरक्षा इत्यदि मूलभूत सुविधा का पूर्ण रूप से अभाव था। इस कैम्प में वो लोग थे जिनके गाँवो को जलाया गया था। वहाँ के आदिवासियों को जबरदस्ती राहत शिविरों में रखा गया था। इन कैम्प में अधिकतर वो परिवार थे जो नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित थे या उनके घर का कोई सदस्य SPO में भर्ती है।[105]

शिविरों में सार्वजनिक रूप से भोजन बनाया जाता था। वो उन्हें दिन में सिर्फ एक बार ही दिया जाता उसमे भी कई लोगों को भूखे रहना पड़ता। कैम्प के बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। की कुछ जंगल से लाकर खा ले या कुछ बना ले सब कुछ तो छिन गया था अगर कोई कैम्प से भागने की कोशिश करता तो उसे सीधा नक्सलियों का समर्थक मानकर

---

[104] "*SALWA JUDUM A NOT FRONT OF HIDDEN WAR The inside* story" CPIC,30/11/2006

[105] सुनील राजेश, विवेक सक्सेना, "*नक्सली आंतकवाद*" 2013. पृ.116

मार दिया जाता था। इसी डर से भी लोग कैम्प में रहने को मजबूर थे इन सारे कैम्प में कुछ कैम्प की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक थी।

जिसमें दोंरनापाल कैम्प जो इन सारे कैम्प में सबसे बड़ा कैम्प था। उस समय का क्योकि इस कैम्प में 1500 से 1800 लोगों एक साथ रहते थे, यहाँ पर थी जो मुलभुत सुविधाएँ होनी चहिए थी वो बहुत ही कम प्रमाण में थी या ना के बराबर, इस सबसे बड़े कैम्प में 2 बोरिग (Tubewell), 20 से 25 शोचालय की संख्या थी जिससे यहाँ रहने वाले शरणार्थी को इसी से काम चलाना पड़ता था। महिलाए अगर कैम्प में किसी खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करे भी तो किसके पास जाए, जो सुरक्षा देने वाले है उन्ही से उन्हें सुरक्षा की जरूरत थी वो ही उन पर हिंसा करते है कैम्प में महिलाओं के पास अपनी सुरक्षा करना भी असंभव हो गया था। कैम्प में जब पुरुष ही सुरक्षित नहीं है तो महिलाओ की सुरक्षा की तो बात ही अलग है।

यहाँ राहत शिविरों में जो पुरुष वर्ग था। उन्हें पुलिस के द्रारा ही काम दिया जाता था। जिसकी मजदूरी भी वो ही निशचित करते थे इन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था। कैम्प में महिलाओं के साथ शरीरिक हिंसा बहुत अधिक प्रमाण में हुई थी। परंन्तु, हिंसा का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। बस उनके अनुभव तक ही सीमित है। इन राहत शिविरों में इतनी संख्या में महिलाएँ थी। परंन्तु, महिलाओं के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा यह महत्वपूर्ण सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। इन राहत शिविरों में कोई रोजगार के साधन नहीं थे, जिससे ये कुछ अर्थजन्य कर सकती थी। शिविरों में खाघ और स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी समस्या थी, जिससे कारण बच्चें, महिलाएँ और बूढ़े बीमारियों के चपेट में आकर दम तोड़ रहे थे। महिलाओं के रोजगार कि समस्या के कारण, जिससे की वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकती थी। परिणाम स्वरूप कई महिलाओं

ने कैम्प में ही वैश्यावृति के कार्य को शुरू कर दिया था। जिससे कम से कम कुछ पैसा आ जाये तो अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा कर सके। क्योंकि जब विस्थापित हुए तब यह कुछ लेकर नहीं आये थे। इसलिए उनके पास एक ही जोड़ी कपड़ो आलावा कुछ भी नहीं था। कैम्प में विस्थापितों को रहने की अनुमति तो थी। परंन्तु, वहा से अपने गाँव जाकर रहने की अनुमति नहीं थी। उन्हें वहाँ कैम्प में यह कहकर डराया जाता था। की गाँवो में वापस जाना असंभव है। क्योंकि आपके गाँवो पर अब मओंवादीयों का राज्य है। जो तुम्हे वैसे ही स्वीकार नहीं करगें और मार देगे इस से तो तुम कैम्प में ज्यादा सुरक्षित हो, और सरकारी मुआवजा भी मिल जायेगा जिससे आप अपनी आगे की जिंदगी को शुरु कर सकते हो।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य की नक्सलीय हिंसा पर रोक लगाने हेतु एक अधिनियम बनया है। जो सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत ही लागु होता है जो सलवा जुडूम राहत शिविरों पर भी लागू होता है। **"छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005"**[106] इस कानून के अंतर्गत अगर पुलिस को किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर संदेह है। जो देश विरोधी हो या समाज विरोधी गतिविधि करने वाला या उस का सहयोग करने वाला हो, तो इस कानून के अंतर्गत अपराधी करार दिया जाता है। इस कानून के अनुसार उसे मरने और क्रूरता पूर्ण तरीके से यातनाए देने का प्रवाधान है। जैसे की (POTA)[107] अधिनियम है जो आंतकवादी के विरुध्द बनाया गया है। जन सुरक्षा अधिनियम में इसी प्रावधान को माना गया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिये समान है। यह अधिनियम सलवा जुडूम

---

106 छत्तीसगढ़ प्रदेश में आंतक एवंम भय पैदा कर राज्य की सुरक्षा एवंम विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले एवंम विघटनकारी कृत्यों में विलप्त रहने वाले व्यक्तियों एवम संगठनो पर अकुश लगाने तथा अधिक प्रभावी रूप से निवारण करने के लिये राज्य में **छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम २००५'** का निर्माण किया गया।

107 The **Prevention of Terrorism Act, 2002** (POTA) was an act passes by the parliament of India in 2002, with the objective of strengthening anti-terrorism operations. The Act was enacted due to several terrorist attacks that were being carried out in India and especially in response to the attack on the parliament.

के दोरान बनाये गये राहत शिविरों में भी लागू किया गया था। इस प्रावधन के अतंर्गत अगर कोई व्यक्ति राहत शिविरों से भागने की कोशिश करता है। उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अतंर्गत दंड का भी प्रावधान है या राहत शिविर में रहने वाले के आदिवासियों में कोई व्यक्ति जो, नक्सलियों द्रारा बनाये गये 'संगम सदस्य' का सदस्य है। उसेक विरोध में भी कड़ी करवाई की जाती है। जिससें दूसरा कोई इस तरह की करवाई न करे और शिविरों में शांति बनी रहें। इस अधिनियम में स्त्री और पुरुषो के बीच में कोई अंतर नहीं किया जाता सब को समान शिक्षा का प्रावधान है। महिलायों के साथ तो बलात्कार और मरना पीटना इस तरह की दोहरी शिक्षा मिलती थी। अगर वो इस अधिनियम के अतंर्गत वो दोषी पाये गये तब, उसे अपनी सफाई में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है।[108]

2 साल से यह कैम्प जो है वो कपडे के बने टेन्ट के नीचे चल रहे है यहाँ पर जो मुलभुत सुविधा होनी चहिये वो भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी वहा पर जीवन व्यापन करने के लिये आदिवासी समाज मजबूर था। २ सालों के बाद राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति के अंतर्गत इस कैम्पों को पुनर्वास शिविरों में परिवर्तन करने की योजना बनाई जिसके अंतर्गत उन्हें कैम्प में ही अपना घर बनाने का अधिकार मिल गया। सलवा जुडूम में कुल 23 कैम्प थे जिसमे कई कैम्पों उसी जगह बसाया गया, 4 कैम्पों को दूसरी जगह बसाया गया। जिससे की उनका पुनर्वास हो सके उन्हें रोजगार मिल सके और जिससे की वो अपना जीवन व्यापन कर सके। इस पुनर्वास योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 10,000 रु दिये गये जिससे की वो अपने घर के लिये जो आवश्यक वस्तु है। उन्हें खरीद कर अपना जीवन व्यापन कर सके, राहत शिविर जब यह पुनर्वासित कैम्पों में परिवर्तित हो रहे थे। तो उसकी

---

[108] क्षेत्र कार्य में बाचीत के आधार पर (काल्पनिक नाम– देवीबाई, नगरमुनी बाई) जो अब पुनर्वास कैम्प में निवास करती है।

रचना जो थी की पुलिस जो उनकी सुरक्षा के लिये नियुक्त किये गये थे। उनकी पुलिस-चौकी गाँव के मध्य भाग में और उसके चारों और पुनर्वासित लोगों को बसाया गया। जिससे की पुलिस चोकी की सुरक्षा हो सके। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है ? की कौन किसकी सुरक्षा कर रहा है। पुलिस आदिवासी जनता की, या आदिवासी जनता ही पुलिस की सुरक्षा कर रही है। कहीं आदिवासियों को मानव ढाल के रूप में तो उपयोग नहीं कर रहे है। यह एक पुनर्वासित कैम्प में 100 से 160 घरों का निर्माण किया गया। जिससे की इन पर निगरानी रखी जा सके। जब सलवा जुडूम अभियान पर सुप्रीम-कोर्ट ने बैन लगवा दी और इसको पूर्ण रूप से बंद करवा दिया। जिससे कई परिवार राहत शिविरों से अपने घर जो जगल में हुआ करते थे वहां चले गये और जिनका सब कुछ लुट गया था। उनके सामने पुनर्वास शिविरों में रहने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा जहाँ जाकर वो अपना जीवन फिर से शुरू कर सके।

जब पुनर्वास शिविरों को शुरु किया तब वहां पर रोजगार के अवसर नहीं थे। वहां उन्हें अपनी जीविका को चलाने के लिये, उन्हें 35 किलो चावल, दो नमक थैली, 1 किलो शक्कर इत्यदि मिलता था। जो 10 से 15 दिनों तक ही चल पता उसके बाद उन्हें अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। यह आदिवासियों का मुख्य भोजन चावल है। बाकि दिन या तो बाजार से या फिर किसी से मांग कर ये अपना जीवन चलते थे। कुछ महीनों बाद मुफ्त का राशन मिलना बंद हो गया। पुनर्वास के बाद अब इन कैम्प की सुरक्षा सी.आर.पी.एफ. के द्रारा की जाती है। इन कैम्प में अभी भी प्रवेश और निकासी के समय निशचित है। बाद में गेट बन्द हो जाता है। बहार के किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रवेश नहीं दिया जाता इस तरह की अनेक पाबंदी है। यहाँ कैम्प में रहने वाले लोगों को यहाँ के नियमों का पालन करना जरूरी है।

आदिवासी समाज यह पूर्ण रूप से जंगलों पर अंवलबित होता है। जंगल से उन्हें भोजन, पानी, लकड़ी इत्यदि मिलता है और उनका जंगल के देवी देवता पर भी विश्वास होता है। जो उनकी रक्षा जंगल में भी करते है, इन आदिवासियों के देवी-देवता के मंन्दिर भी जंगलो में ही होते है। जिनकी पूजा के लिये इन्हें अपने कैम्प से दूर जाना पड़ता है। परंन्तु जब विस्थापन हुआ और कैम्प में इन्हें बसाया गया तब इनकी आस्था जो मंदिरों पर थी, वो टूट गई ये ना तो वहां जा सकते थे और नहीं अपने देवी देवता को यहाँ कैम्प में रख सकते थे। कैम्प में हर समय पाबंदी में इन्हें जीवन जीने को मजबूर कर दिया है। कैम्प में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है इस कारण यह है की जब सलवा जुडूम शुरू हुआ था तब यह दंतेवाड़ा से लेकर पुरे अबूझमाड़ के जंगलो तक चला था, जिससे कि पुरे अबूझमाड में विस्थापन हुआ था, और जब विस्थापन हुआ तो सभी को एक साथ रखा गया, जिससे की उनका पुनर्वास आसानी से हो सके। परंन्तु, आदिवासी समाज में कई कबीले और जातीय ऐसी है, जिनका खान- पान, रीती-रिवाज और भाषा अलग है। जिससे कि वो एक साथ रहकर भी एक दुसरे की भाषा को नहीं समझ सकते।

ये सभी आदिवासी समाज विस्थापन के शिकार हुए और विस्थापन के बाद एक ही कैम्प में, सभी को रखा गया। सभी आदिवासी समाज की अपनी अपनी भाषा है, जिसे वो दैनिक बोलचाल में प्रयोग करते थे। परंन्तु, पुनर्वास के बाद जब कैम्प में रहने लगे तब सभी अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करने लगे जिससे भाषा भी एक समस्या बन गई थी। उन्हें पता ही नहीं था की, हमारा विस्थापन क्यों हुआ और विस्थापन के बाद हमारा पुनर्वास कहाँ होने वाला है? शिविरों में विवाह की भी समस्या थी। विस्थापन के बाद सभी आदिवासी समाज अलग अलग हो गये पुनर्वास भी अलग अलग कैम्प में हुआ अब विवाह के लिये वर और वधु की तलाश,यह सिर्फ अपने समाज या कबीले में विवाह करते है। विस्थापन

के बाद महिलाओं का विवाह भी एक समस्या बन गई थी, माता पिता के लिए, क्योंकि महिलाएँ कैम्प में सुरक्षित नहीं है।

तात्कालीन शिविर और पुनर्वासित कैम्प कि स्थिति -

'सलवा जुडूम' अभियान से इस पुरे क्षेत्र में 23 तात्कालीन राहत शिविरों का निर्माण किया था। इन राहत शिविरों में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था सलवा जुडूम से विस्थापन के बाद सारी विस्थापित जनता को इन 23 शिवीरों में रखा गया। यहाँ पर इनकी सुरक्षा SPO द्वारा के कि जाती थी। शिविरों की रचना अगर देखे तो यह दन्तेवाड़ा से भैरमगढ़ रास्ते पे किनारें पर बनाए गये, एक बड़े मैदान में टेन्ट लगाकर वहां पर शिविरों का निर्माण किया गया था। एक शिविर में 1000 से 1500 तक आदिवासियों को रखा गया था। वहां उनके भोजन कि सार्वजानिक व्यवस्था थी जिसमे सुबह और शाम में भोजन दिया जाता था। उसमें अगर किसी को मिलता तो किसी को नहीं मिलता जिसे नहीं मिलता उसे दुसरे दिन का इतजार करना पड़ता है। इसके अलावा आप कही बाहार जाकर भी नहीं खा सकते उन्हें जो है वो शिविर में ही खाना है शिविर के बाहार बिना अनुमति कोई नहीं जा सकता। शिविर में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए जैसे कि रोटी, कपडा, मकान, बिजली, स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, महिलाओं कि सुरक्षा इनका अभाव यहां पर उन लोगो को रखा गया था जो सलवा जुडूम अभियान कि वजह से विस्थापन के शिकार हुए थे। इस अभियान दोंरान इनके घरों को जलाया गया, जिससे इन्हें शिविरों में शरण लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था अगर वो जंगलो में जाते तो उन्हें नक्सलियों का शिकार होना पड़ता, यह पर कम से कम जीने तो दिया जा रहा है।

इसमें अधिकतर वो परिवार थे जिनके घरों से कोई व्यक्ति सरकारी SPO था या फिर वो 'सलवा जुडूम अभियान' का सदस्य है। इनके परिवार कैम्प में भी सुरक्षित नहीं थे वहां पर

भी कभी हमला हो जाता जिसमें निर्दोष आदिवासी भी मारे जाते थे। अगर कोई कैम्प से भागने कोशिश करता तो उसे नक्सलीयों का सहयोगी मान कर उसे मार दिया जाता था। जिसमें दोंरनापांल कैम्प जो इस सारे कैम्प में सबसे बड़ा कैम्प था। उस समय का क्योंकि इस कैम्प 1500 से 1800 लोगों एक साथ रहते थे यहाँ पर भी जो मुलभुत सुविधाएँ होनी चाहिए थी वह भी बहुत ही कम थी। पहली समस्या मूलभूत सुविधाओं कि इतने बड़े कैम्प में सिर्फ २ बोरवेल थी, जिसमें इतने लोगो को पीने के लिये पानी कम था इसी वजह से लोग कई कई दिनों तक नहा भी नहीं पाते थे जिससे साफ-सफाई की समस्या हो गयी थी यहाँ पर 20 से 25 शोचालय है जो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिये बहुत ही कम थे। जिससे कैम्प में गंदगी बढती जा रही थी, उसी का प्रभाव यह हुआ कि अधिकतर लोगों बीमार रहने लगे जिससे स्वास्थ्य कि समस्या सबसे बड़ी हो गई।

दूसरी बड़ी समस्या थी सुरक्षा कि, शिविरों में महिलाओं असुरक्षित थी यहाँ पर इन्हें SPO कि सुरक्षा में रखा गया था परंन्तु यहाँ सभी पुरुष थे और ये SPO हि महिलाओं के साथ छेड़-छेड़ा करते और महिलाओं के साथ बलात्कार करते। इस तरह कि घटना कैम्प में आये दिन होने लगी थी। अगर कोई शिकायत करना चाहे तो किसके पास करे, यहाँ तो **रक्षक हि भक्षक बन गये थे**। तीसरी, समस्या थी रोजगार कि यह पर इन्हें कोई रोजगार के साधन नहीं थे परतु SPO के द्रारा सिर्फ पुरुष वर्ग को ही रोजगार दिया जाता था। जिसमें रोड बनवाना हो या कैम्प के आस पास कोई काम जिसका इन्हें मूल्य नहीं मिलता। परंन्तु उनके काम के पैसो पर भी उनका अधिकार नहीं होता काम तो करावा लेते। परंन्तु जब पैसे देने की बात आती तो मुखर जाते और अगर कोई मजदूर काम करने से मना कर दे तो उसे मारा जाता और ना ही भोजन दिया जाता। इस तरह से राहत शिविरों में अनेक समस्या थी परंन्तु सबसे बड़ी समस्या थी हिंसा कि कब किस को मार दे बता नहीं सकते

थे जहाँ पर पुरुष हि सुरक्षित नहीं है। वहां स्त्रीं की सुरक्षा पर तो बात ही नहीं कि जा सकती। शिविरों में महिलाओं पर शारीरिक हिंसा का प्रमाण सबसे अधिक था। परंन्तु, इस हिंसा का कोई लिखित दस्तावेज़ नहीं है जिससे ये साबित हो कि उस समय राहत शिविरों में हिंसा होती थी बस उनके अनुभव हि इस हिंसा का सबूत है दोंरनापांल के राहत शिविर में महिलाओं की संख्या अधिक थी। परन्तु, उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन और रोजगार इन का अभाव था। जिससे यह कुछ भी अर्थजन्य नहीं कर पाते खाघ असुरक्षिता कि वजह से खास तौर पर बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बूढ़े ये सभी कमजोर होने कि वजह से बीमारियों की चपेट में आने लगे। जिससे शिविरों में मृत्युदर बढने लगी। यह भी एक समस्या बनती जा रही थी। कई महिलाओं ने राहत शिविरों में ही वैश्य-वृती का व्यवस्थाय शुरू कर लिया था। जिससे वो अपने और अपने परिवार को पाल सके। शिविर का एक और महत्वपूर्ण भाग था की यहाँ शरणार्थीयों पर लगाया जाने वाला कानून जिसके अंतर्गत मृत्युदंण्ड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी। छत्तीसगढ़ सरकार द्व्रारा राज्य में पारित कानून '**छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005'** इस कानून के अंतर्गत पुलिस को किसी भी व्यक्ति पर अगर शक हो कि वो नक्सलियों का समर्थक हो या ऐसी किसी गतिविधियों से सबंध हो तो उसे इस कानून के अनुसार उसे मारने और यातनाए देने का प्रावधान है। जैसे POTA अधिनियम है जो आंतकवादी के विरुध्द बनाया गया है। इस में भी वैसा हि प्रवाधान किया गया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिये यह कानून समान है। यह कानून को पुरे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था जिसमें सलवा जुडूम के कैम्पं और उस से प्रभावित आदिवासी समाज भी आता है। परंन्तु, आदिवासी समाज को इस कानून से सबंधित कोई जानकारी नहीं थी जिससें वो अपनी सुरक्षा कर सके।

इन सभी समस्या पर उपाय योजना के रूप में राहत शिविरों को पुनर्वास शिविरों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। सन 2005 में जब यह अभियान शुरू हुआ था तब से लेकर 2 वर्षो तक यह अभियान चला बाद में 2008 में बंद हुआ उसके बाद इनका पुनर्वास कि शुरुआत हुई। 2 सालों तक कैम्प यह टेन्ट के नीचे चलते रहे। तब राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति के अंतर्गत इन शिविरों को पुनर्वास कैम्पों में परिवर्तित करने कि योजना बनाई 23 राहत शिविर थे। कई शिविरो को वही बड़ी जमीन पर बसाया गया कई शिविर जो रोड के किनारे थे। उन्हें आस पास जो गाँव है वहा पर बसाया गया जिससे उनकी मूलभूत समस्याओं का समाधान हो सके। सलवा जुडूम खत्म होने के बाद कुछ लोग अपने गाँव चले गये जहाँ के वो मूल-निवासी थे। जिनका सब कुछ लुट गया था वो पुनर्वास कैम्पों में रहने लगे। पुनर्वास कैम्पों में प्रत्येक परिवार को एक जमीन दी गई जिसमे वो अपना घर बना सके और घर के लिये जो जरूरी सामान है उसे खरीद लेने के लिये पैसे दिये गये थे, परन्तु जो जमीन दी गई थी वहा पर सिर्फ 2 रूम का घर नहीं बन सकता था वहां पर सिर्फ झोंपड़ी ही बना सकते है।

प्रत्येक परिवार को 10,000 रु दिये गये जिससे वो घर का सामान खरीद और अपने जीवन कि शुरुआत कर सके। पहले के कुछ महीने कैम्प में मुफ्त राशन मिलता था जिसमें 35 चावल, दो नमक थैली, 1 किलो शक्कर इत्यदि परंन्तु यह भी महीने के 10 से 15 दिनों तक ही चल पाता था क्योंकि चावल यहाँ के आदिवासियों का मुख्य भोजन है। बाकि दिन या तो बाजार से या फिर किसी से मांग कर ये अपना जीवन चलाते थे कुछ महीनों बाद मुफ्त का राशन भी बन्द हो गया इस कैम्प कि सुरक्षा सी.आर.पी.एफ.[109] के द्रारा कि जाती

[109] CRPF- Central Reserve Police Force. India

है, इन कैम्प में अभी भी प्रवेश और निकासी के समय निशिचत है। बाद में गेट बंद हो जाते बाहर किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रवेश नहीं दिया जाता।

यहाँ कैम्प में रहने वाले लोगों पर जिनकों उन्हें वहाँ के कानूनों का पालन करना जरूरी है। आदिवासी समाज यह अपना पूरा जीवन जंगलों के भरोसे ही रहते थे उन्हें इस तरह पाबंदी में अपने आप को रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। आदिवासी समाज जो जंगलों के देवी-देवताओं पर सबसे अधिक आस्था होती है पर कैम्प के भीतर इतनी जगह नहीं है। कि ये लोग अपने देवी देवताओं के मन्दिर बना सके, यहाँ पर एक ही जाति के लोग निवास नहीं करते दूसरी जाति के लोग भी निवास करते है कैम्प में भी विविधता है। परंन्तु, उनके देवी देवता के लिये कैम्प में बाहार मंदिरों का निर्माण किया जिससे कि वो सार्वजानिक कार्यक्रमों में सहभागी होते है।

***कासौली कैम्प* (Kasolie Camp) -**

कासौली कैम्प यह सलवा जुडूम के दोरान बनाया गया कैम्पों में से एक है जो पहले राहत शिविर था और बाद में इसे पुनर्वासित कैम्प में परिवर्तीत कर दिया है यह दन्तेवाड़ा के गीदम तहसील के अतंर्गत आता है। कासौली यह दन्तेवाड़ा जिले का सबसे बड़ा कैम्प है जो दन्तेवाड़ा से २४ किलो मीटर कि दूरी पर है यह कैम्प इंद्रावती नदी के पास होने कि वजह से जब सलवा जुडूम अभियान चलाया गया था सबसे अधिक लोग इस कैम्प में आए इसका कारण यह था की इंद्रावती नदी के उस पार को अबुझमाड क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ पर विस्थापन होने के बाद सबसे पास यही एक कैम्प था जहाँ लोग अपना डेरा डाला रहे थे जिससे यह कैम्प भी उस समय बड़ा शिविर था परंन्तु बाद में अधिकतर लोग दूसरे कैम्पों में चले गये। जब इसका पुनर्वास हुआ तब यहाँ पर 180 परिवार का पुनर्वास इस

कैम्प में किया गया जिसमे मुरिया, गोंड, हलबी, अबूझमाडी इत्यदि जनजातिया के आदिवासी निवास करते है जिसमे उनकी बोली भाषा में भी भिन्नता पाई जाती है।

कैम्प कि रचना कि अगर बात कि जाए तो यह कैम्प थोडा अलग है जहाँ पर CRPF कि चोकी यह कैम्प के अन्दर है। उसके आस-पास कैम्प के घरों कि रचना कि गई इस कैम्प के चारों और सुरक्षा के नजरिये से घेरा (Boundary wall) बनाया गया है। जिससे कि कोई कैम्प में बिना अनुमति के ना आ सके और यह कैम्प अबुझमाड के जंगलों से सबसे नजदीक होने कि वजह से सबसे अधिक नक्सलीय हिंसा यही पर होती है।

कैम्प में जमीन की कमी होने के कारण प्रत्येक परिवार को दो रुम बन सके इतनी ही जमीन मिली है जिसमें उनको अपना घर बनाना यह बहुत ही मुश्किल है। ये परिवारों विस्थापन के पूर्व जब गाँव में रहते थे वहां पर जहाँ खेती कि जमीन होती वही पर वो घर बनाते जिससे की वो अपने खेतो की भी रक्षा कर सके, और पालतू जानवरों को भी वो अपने घरों में ही बाधते थे। परंन्तु यहाँ कैम्प में दो रुम का ही घर है जिसमें आप को रहना भी है, और पालतू जानवरों को भी रखना है। कैम्प में खेती के लिये सार्वजानिक खेती होती है। जिसका आकार बहुत छोटा है। इसमे प्रत्येक परिवार को साग-सब्जी मिल जाये बस इतनी ही जमीन थी। कैम्प से बाहार जाने आने पर भी पाबंदी है जिससे जंगल उपज भी बंद हो गई।

कैम्प के अंदर जाने आने का समय भी निशिचत है सुबह 7 बजे से श्याम के 5 बजे तक उसके बाद कैम्प में प्रवेश नहीं दिया जाता। कैम्प में सार्वजनिक शोचालय का निर्माण किया गया था जब यहाँ तत्कालीन राहत शिविर थे। तब से वो ही शौचालय का उपयोग ये आदिवासी करते है। इनकी स्थिति इतनी बुरी है कि मानसून के दौरान इनका उपयोग करना बहुत ही खतरनाक होता है।

कैम्प के अंदर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल भी है। यह दोनों भी रहवासी स्कूल है जिसे आश्रम स्कूल भी कहते है। जिसका सपूर्ण खर्च राज्य सरकार के द्रारा किया जाता है। जिसमें सलवा जुड़ूम से प्रभावित परिवार के बच्चे को ही प्रवेश दिया जाता है। क्योंकि सलवा जुड़ूम के दोरान गाँव में विस्थापन कि वजह से गाँव के सभी स्कूल बीच में बंद करने पड़े थे। पुरे गाँव विस्थापित हो गये जहाँ वे २ सालों तक राहत शिविरों में थे तब भी शिक्षा कि कोई व्यवस्था नहीं थी। परंन्तु जब पुनर्वास कैम्प बनाये गये वहा पर आश्रम स्कूल का निर्माण किया गया। जिससे इन बच्चो को पढने का अवसर मिले यहाँ उन्हें मुफ्त भोजन, स्कूल का सहित्य सब कुछ मुफ्त दिया गया है जिससे इन बच्चों का भविष्य अच्छा बना सके।

कैम्प में एक सरकारी राशन की दुकान है। जहाँ सभी को राशन कम दाम में दिया जाता है। जिससे उन्हें कैम्प के बाहार न जाना पड़े। कैम्प में रोजगार के साधन है जिसमे महिलओं को रोजगार दिये गये है उसमें सिलाई मशीन से कपड़े सिलना, सीमेंट के खंबे बनाना, लकड़ी पर नकाशी काम करना इत्यदि है।

[110] **House Structure in kasoli Camp**

[110] Photography clicked by me during on my field work. 25.08.2013. time- 5.50pm

Kasoli Camp map

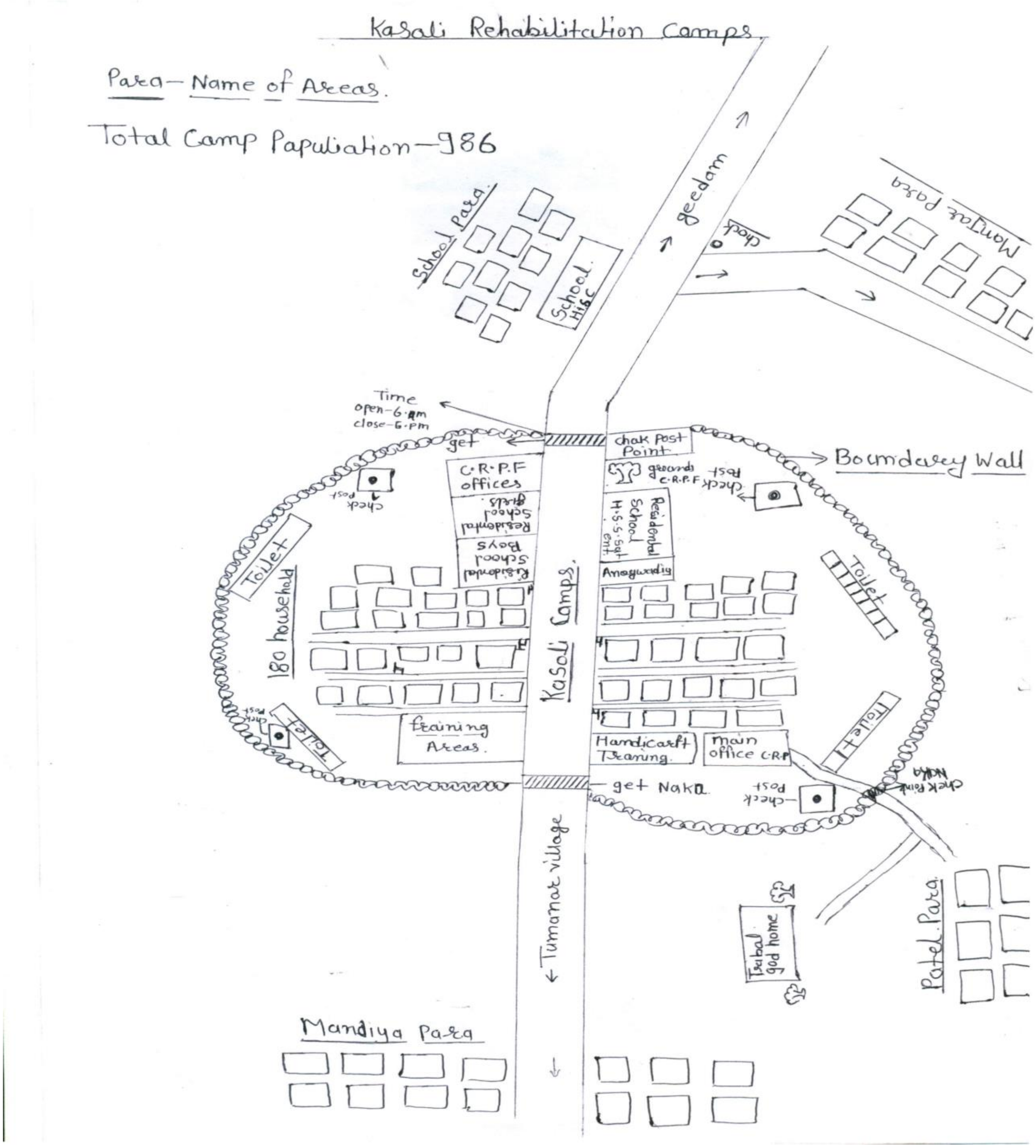

[111]

---

111 This map is made by me during on my field work 18/09/2013 Time 4.50 pm

बागापाल कैम्प *(*Bangapal Camp*)* -

बागापाल यह सलवा जुडूम के बाद का पुनर्वास कैम्प है। यह पहले दन्तेवाड़ा जिले में आता था। सन 2012 में जब दन्तेवाड़ा जिले का विभाजन हुआ जिसमें बीजापुर और भैरमंगढं दोनों यह तहसील अब जिले बन गये है। पहले दन्तेवाड़ा में सभी शिविर आते थे पर अब सिर्फ तीन कैम्प इसके अंतर्गत आते है। बागापाल कैम्प भैरमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है यह दन्तेवाड़ा बीस किलोमीटर कि दूरी पर स्थित्त है। यह भैरमंगढं जाने वाली मुख्य सडक से चार किलोमीटर अंदर में बसाया गया है। यह कैम्प चारों और से पहाडियों से घिरा हुआ है जिससे यहाँ पर नक्सलीय हिंसा होने संभवना अधिक होती है। इस कैम्प में 90 परिवार निवास करते है जिसमें अधितकतर अबूझमाडी और मुरिया जनजातियों के है यह कैम्प इंद्रावती नदी के उस पार है जो पूरा क्षेत्र ही अबूझमाड़ के नाम से जाना जाता है यह क्षेत्र अति सवेदनशील क्षेत्रों में से एक है।

बागापाल कैम्प कि रचना कि अगर बात कि जाये तो यह कैम्प मुख्य सड़क से चार किलोमीटर अंदर है। परतु CRPF का कैम्प यह सड़क के किनारे है। जो बागापाल से चार किलोमीटर दूर है। यह कैम्प में घरों कि रचना भी कासौली कैम्प कि तरह कि गई है। प्रत्येक परिवार को दो रुम घर मिला हुआ है इस कैम्प भी सार्वजानिक शौचालय है जिसका अब बहुत हि कम लोग उपयोग करते है। अधिकतर लोग खुले में जाना पसंद करते है यहाँ इस कैम्प कि सुरक्षा CRPF के द्रारा नहीं की जाती। यहां पर रहने वालो आदिवासियों ने अपने कैम्प कि सुरक्षा के लिये एक घेरा बनाया है जो लकड़ी से बना है, जिसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता है और गाँव पर हमला कर सकता है रात में प्रत्येक परिवार के सदस्य बारी-बारी से गाँव कि सुरक्षा करते है इनके पास धनुष बाण है जो जब जरूरत हो तब उसका उपयोग जान बचाने के लिये करते है। यहाँ पर सरकार या CRPF के द्रारा

कोई सुरक्षा घेरा नहीं है और नहीं कोई CRPF का सिपाही जो इनकी सुरक्षा करें। बागापाल और चितालंका यह दोनों ही कैम्प में सुरक्षा घेरा नहीं है बागापाल कैम्प में सरकारी राशन कि दुकान नहीं है। भैरमंगढं से लाना होता है वहां पर भी बहुत ही कम मिलता जो मिलता है उसके पैसे देने होते है जब यह पुनर्वास कैम्प बनाया गया था। तब भी यहाँ पर राशन मुफ्त नहीं दिया जाता था पैसे देकर लेना होता था और अभी भी यही स्थिती है सिर्फ पुनर्वास के नाम पर 10.000 रूपये दिये गये थे जिससे कि वो अपना घर बना सके और घर के लिये जो उपयोगी वस्तु है उनकी खरीदी कर सके। जिससे उन्हें अपनी जीविका चलाने में आसानी हो अगर सुविधा कि बात करे तो सुरक्षा आप को अपनी करनी है। स्वास्थ्य कि कोई व्यवस्था नहीं है।

मानसून के दौरान इस गाँव में जाने वाला मार्ग बंद हो जाता है। क्योंकि रास्ता कच्चा है जिससे बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में बहुत कठिनाई होती है सप्ताह में बस एक दिन स्वास्थ्य विभाग कि गाड़ी आती है तब सभी का उपचार किया जाता है बाद में अगर कोई बीमार हो तो उसे जिला अस्पताल खुद ही जाना होता है। शिक्षा स्थिति देखे तो सिर्फ प्राथमिक स्कूल ही है। जो शाम को बंद हो जाती है इस कैम्प आश्रम स्कूल नहीं है। परंन्तु रोड पर आश्रम स्कूल है जहाँ पर इन बच्चो को प्रवेश दिया जाता है। इस कैम्प में बिजली नहीं है रोड पर CRPF के कैम्प में है। रोजगार के नाम पर ग्रामपंचायत के द्वारा काम दिया जाता है और NREGA[112] से काम मिलता है।

---

[112] NREGA- National Rural Employment Guarantee Act 2005

House structure in Bagapal camp

[113]

[113] Photography clicked by me during on my field work. 01/09/2013 Time-2.30pm

Bagapal Camp map

114

---

[114] This map is made by me during in my field work. 14/09/2013 Time- 11.00 am

चित्तालंका कैम्प ***(Chitalanka Camp)*** **-**

चितालंका यह कैम्प सलवा जुडूम का सबसे पहला कैम्प है। जहाँ पर विस्थापन के बाद एक साथ राहत शिविरों में रखा गया था। बाद में इसे पुनर्वास कैम्प में परिवर्तित कर दिया गय। यह कैम्प दन्तेवाड़ा से सिर्फ 8 किलोमीटर कि दूरी पर स्थिति है। यह दन्तेवाड़ा के मुख्य सडक पर ही है, यहाँ पर 100 के आसपास परिवार निवास करते है जो सलवा जुडूम के दौरान SPO थे। उनके परिवारों को सबसे अधिक खतरा रहा, नक्सलीय हिंसा से इसलिए इन्हें इस कैम्प में बसाया गया है। यहां पर मुरिया, मुंडा, हलबी और अबूझमाडी इत्यदि जनजातियाँ निवास करती है। यह कैंप दन्तेवाड़ा से सबसे नजदीक होने कि वजह से यहां पर सभी मुलभुत सुविधाएँ उपलब्ध है। रोजगार कि समस्या नहीं है अधिकतर परिवारों के पुरुष SPO का काम करते है और स्त्रीयों को दन्तेवाड़ा में घरेलू काम, रोड बनाने का काम, रोज-मजूरी इत्यदि काम मिल जाता है। कैम्प में रोजगार के इतने अवसर नहीं है जितने कि चितालंका कैम्प में है। स्वास्थ्य कि बात करे तो जिला अस्पताल पास ही में है प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्कूल भी कैम्प के अंदर है पानी के लिये सरकारी नल है जहाँ से पानी मिल जाता हैं और बिजली कि भी व्यवस्था है।

चितालंका कैम्प के घरों कि रचना देखे तो यह थोड़ी अलग उन दोनों कैम्प कि तुलना में यह कैम्प शहर से जुड़ा होने के कारण यहाँ पर अधिकतर घर पक्के बने हुए है। अधिकतर घरों में भौतिक सुविधाएँ है जिससे यह पता चलता है कि किस तरह से आदिवासियों के शहरीकरण को अपनाया है विस्थापन के पूर्व उनका जीवन जल, जगल, जमीन तक सीमित था। आज वो भी आधुनिकरण का हिस्सा बनते जा रहे है। कैम्प में सुरक्षा कि बात करें तो यह कैम्प दन्तेवाड़ा के मुख्य मार्ग पर है इस के पास ही दन्तेवाड़ा का CRPF का सबसे बड़ा कैम्प है। जिस वजह से यह कैम्प उन दोनों कैम्प कि तुलना में अधिक सुरक्षित है

यहाँ पर धार्मिक रीती-रीवाज कि बात करे तो यहाँ पर अधितकतर आदिवासी समाज शहरी समाज कि रीतियों को ही मानते है। इसकी तुलना में बागापाल और कासौली कैम्प में यह लोग अपने धार्मिक कार्य अपने तरीको से करते विवाह, मरण संस्कार, पूजा इत्यदि। परंन्तु, यहाँ पर चितालंका में दिवाली, दशहरा, होली इस तरह के उत्सव मनाये जाते है इस तरह प्रत्येक स्तर पर दूसरे समाज का अतिक्रमण हो रहा है और आदिवासी संस्कृति कही लुप्त होती जा रही है उसी का यह एक उदाहरण है चितालंका कैम्प जहां पर यह देख सकते है।

[115]

House structure in Chitalanka Camp

[115] Photography clicked by me during on my field work 15/09/2013, Time- 11.25 am

116

[116] Photography clicked by me during on my field work. Date-15/09/2013, Time- 11.25 am

Chitalanka camp map

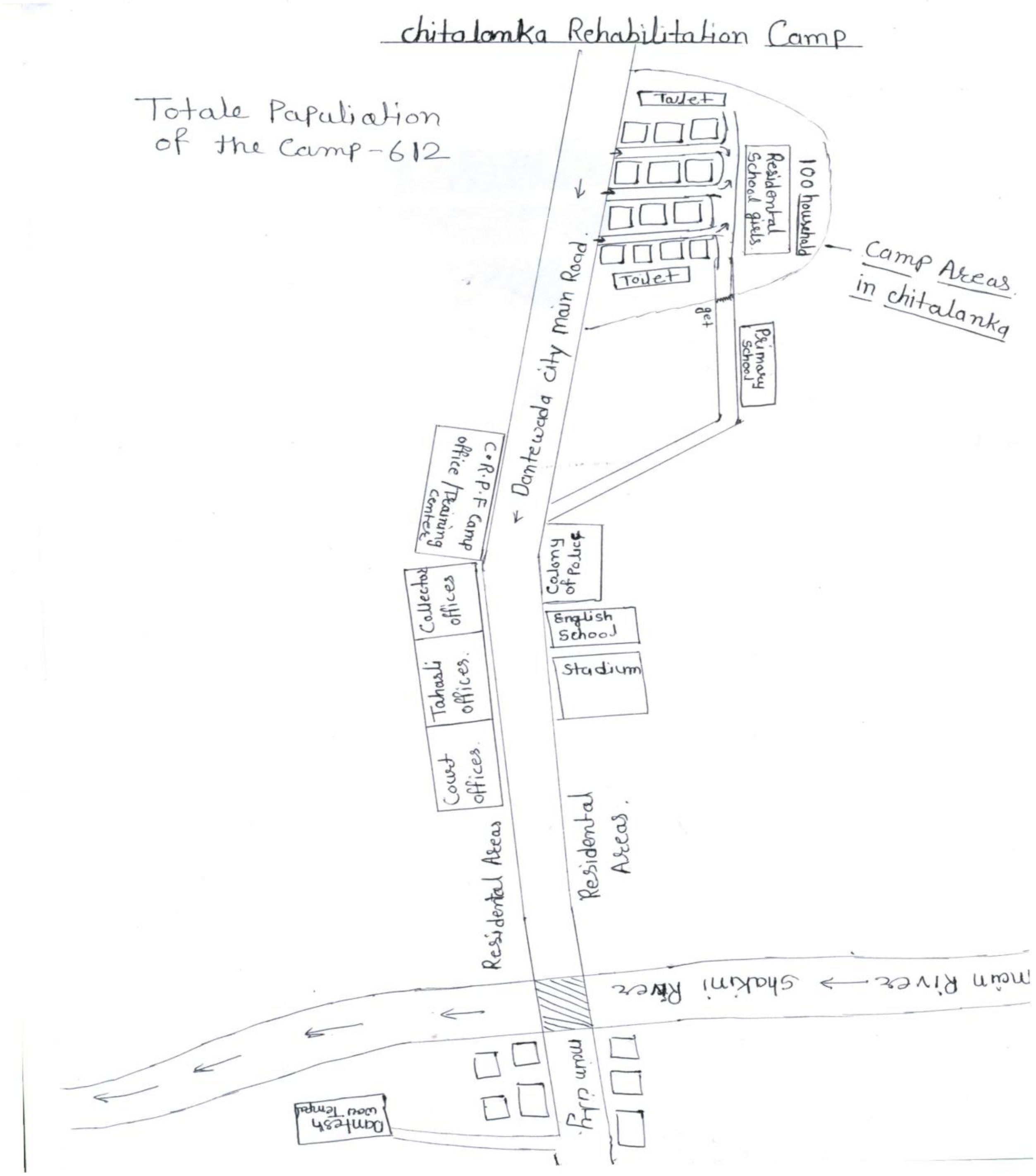

117

---

[117] This map is made by me during on my field work 25/09/2013 Time-3.30 pm

खादय व् स्वच्छता और पानी व्यवस्था पुनर्वास कैम्प के अंतर्गत -

सरकारी आकड़ो के अनुसार सारे कैम्पों में जिसमे दोरनापाल के (Dornapal), Errabare, karita, Injrem, Geadam Rasali, Nirtar, Cherpal, Gangalar, Awapali, kasonli, Usur, Pharsegarh and bedra ये सारे छोटे कैम्प आते है। जिसमे मुफ्त राशन दिया जाता था इसके अलावा बाकी सारे कैम्प में राशन के लिये आप को पैसा देने होते थे। जिसमें इन्हें 35 किलो चावल 2 नमक थेली और १ किलो शक्कर इत्यदि दिया जाता था। परंन्तु आदिवासियों का मुख्य भोजन चावल है जिससे यह 35 किलो चावल उन्हें सिर्फ 10 दिनों तक ही चल सकता। उसके बाद इन लोगों को बाजार से खरीदना पड़ता। यह सबसे बड़ी समस्या थी रोजगार कि कैम्प में कमी थी सिर्फ ग्रामपंचायत के द्वारा और NREGA से जो काम मिलता है। उसी से हि अपना जीवन चलना पड़ता। कुछ कैम्प में जहाँ अभी भी राशन दिया जा रहा है। वहां अब लोग काम करना नहीं चाहते उन्हें पता है, कि जब मुफ्त में राशन मिल रहा है तो क्यों काम करे इस मानसिकता में लोग जी रहे है।[118]

दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी। पेयजल कि आदिवासी जब गाँवो में रहते थे तब वे नदी या झरने ही पेयजल इनका मुख्य स्त्रोत था। परंन्तु विस्थापन के बाद जब दौ सालों तक राहत शिविरों में थे तब वहां पर एक ही बोरिंग थी जिससे सब को पीने का पानी मिलता था पानी इतना कम होता था, कि जिसमे सिर्फ पीने के लिए ही मिलता नहाने और साफ-सफाई के लिये पानी की कमी थी, जिससे कैम्प में गंदगी बढती जा रही थी और अधिकतर लोग बीमारी कि चपेट में आते जा रहे थे। जिसमे बच्चों में कुपोषण, महिलाए में अनीमियां, त्वचारोग, गुप्त रोग अधिक मात्र में दिखाई देने लगे थे। राहत शिविरों में 30 शौचालय थे और वहां रहने वालों कि संख्या 800 से 1000 तक थी जिससे कई लोगो को बाहार जाना

---

118 "*Fact finding Report Salwa Judum*" NHRC, 2008 New Delhi. India

ही पड़ता था। परन्तु जव पुनर्वास कैम्प बनाये गये तो वहां पर भी कई कैम्पों में बाहर जाने-आने कि अनुमति नहीं थी जिससे उन्हें कैम्प में जो 20 शौचालय थे उसी से काम चलाना पड़ता पुनर्वास कैम्प में पानी कि समस्या कंसौली और चितालंका कैम्प में नहीं थी परंन्तु जो बागापाल कैम्प में एक ही बोरीग थी, जो अधिकतर महीने सुखी रहती थी। लोगो को रोड पर बने CRPF के कैम्प से पानी लाना पड़ता जो घर कि महिलओं को ही करना पड़ता था। स्वास्थ्य कि भी समस्या थी जो राहत शिविरों में भी थी परंन्तु बाद में जब पुनर्वास हुआ तो सिर्फ कासोली और चितालंका में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध थी परंन्तु बागापाल में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है।

Public Toilet in Rehabilitation Camp

119

[119] Photography clicked by me during on my field work, Date-25/09/2013. Time- 2.30pm

रोजगार के अवसर राहत शिविरों और पुनर्वास कैम्प में -

सलवा जुडूम के दोरान जब विस्थापन हुआ तब ही राहत शिविरों का निर्माण किया गया था। यहाँ पर जो लोग अपना घरबार, रोजगार के साधन सब कुछ छोड़कर आये है उन्हें तत्कालीन राहत में रखा गया था। शिविरों में रोजगार कि समस्या थी क्योंकि कैम्प से बाहार जाने आने पर पाबंदी थी। कैम्प में CRPF और वहां के सुरक्षा अधिकारी के द्वारा जो रोजगार दिया जाता। जिसमे सड़क बनाना, गड्डे खोदना इत्यादि से जो आमदनी होती उसी से वे अपने परिवार का पालन करना थे महिलाओं के लिए रोजगार के कोई साधन नहीं थे, उन्हें कैम्प में वैश्यावृति करने पर मजबूर होना पड़ा जिस घर में पुरुष नहीं हो वहा तो महिलाओं को हि रोजगार खोजना पड़ता था। जिसमे बाहार जाने पर भी पाबंदी थी इन स्थिति में वैश्यावृति के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था यहाँ पर सरकारी राशन मिलता था परंन्तु सभी को राशन नहीं मिल पाता कभी बिना भोजन ही सोना पड़ता ऐसी परिस्थिति में रहना बड़ा ही मुश्किल होता है।

जब दौ सालों बाद पुनर्वास कैम्प का निर्माण किया गया वहां कि परिस्थिति थोड़ी अलग थी, कासौली कैम्प में महिलाओं और पुरुषों के रोजगार कि समस्या नहीं है यहाँ पर वन विभाग द्वारा बांबू प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। HandiCraft Training Center हस्त उधोग केंद्र जहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम करते है जिसमें वो जो वस्तुए बनाते है उसे स्थानिक बाजारों में या अंतराष्ट्रीय बाजारों तक ले जाने कि जिम्मेदारी वन विभाग कि होती है जो इसे एक आदिवासी हस्त कला के रूप में बाजारों में बेचती है। इसमे काम करने वाली महिलाओं और पुरुषो को 75 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर सीमेंट से खंबे और ईट बनाने का काम भी जिसमे अधिकतर महिलाएं हि काम करती है उन्हें भी यहाँ पर 75 रूपये प्रतिदिन कि मजदूरी मिलती है जिससे वो अपना

पालन पोषण कर सके और परिवार को आर्थिक सहायता दे सके। इसके अलाव यहाँ पर पुरुषो का एक समूह बनाया जो मिलकर दूध डेअरी का काम करते है, आधे लोग काम है दूध को स्थानिय बाजारों में बेचना और बाकि लोग जानवरों कि देखभाल करते है, जो गोबर निकलता है। उससे वो उत्तम प्रकार कि खाद बनाते है और उसे भी बेचते है जिससे आमदनी हो जाती है कुछ लोग कैम्प के अंदर सार्वजानिक खेती करते है जमीन कि कमी होने कि वजह से ज्यादा आमदनी नहीं होती फिर भी एक रोजगार का साधन के रूप में कई महिलाएँ खेती कार्य करती है। जिसमे वो सब्जियों को उगती है और उन्हें बाजारों में बेच आती है इसके अलवा ग्रामपंचायत के द्रारा अभी यहाँ पर सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे और भी रोजगार के अवसर कैम्प के अंदर उपलब्ध हो। यहाँ पर अधिकतर महिलाओं के ही परिवार है जो सलवा जुडूम के दोरान यौन हिंसा कि शिकार हुई थी उनके घरों में पुरुष नहीं है सिर्फ महिलाए ही है और वो ही निर्णय लेती है अपने परिवार और बच्चो के विषय में इस कैम्प में अधिकतर महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम भी है।

इसकी तुलना में बागापाल कैम्प में रोजगार के कोई ज्यादा साधन नहीं है। यह पर शुरुआत में बांबू से मुर्तिया बनाने का प्रशिक्षण शरू हुआ था। परंन्तु, बाद में बंद हो गया तब से यहाँ पर कोई रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बागापाल कैम्प जिस गाँव कि ग्रामपंचायत में आता है वहां से सिर्फ यहाँ NREGA से जो काम मिलता है, वही एकमात्र रोजगार का साधन है। दूसरा आप को फिर भैरमगढ़ में जाकर मजदूरी करनी पडती है।

चितालंका कैम्प यह शहर से सटा हुआ होने कि वजह से यहाँ पर रोजगार कि कमी नहीं है, और यह कैम्प उन दोनों कैम्प कि तुलना में सबसे अधिक विकसित भी है। इस कैम्प में अधिकतर पुरुष SPO का काम करते है। जिससे उन्हें 3500 से 4000 तक मासिक आय हो जाती और महिलाएं घरेलू काम करके 2000 तक उनकी मासिक आय हो जाती है।

जिससे उन्हें अपने परिवार का पालन करना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ राशन भी आधी कीमत में मिलता है यहा के कैम्प में सारी मूलभूत सुविधाये है यहाँ पर ही सिर्फ महिलाओं का स्थान पुरुषों के बराबर है।

HandiCraft Traninig Center and Shop

120

[120] Photography clicked by me during on my field work, Date-27/09/2013. Time- 2.45pm

[121] **Training center and Work shop**

122

[121] Photography clicked by me during on my field work, Date-23/09/2013. Time- 3.30pm
[122] Photography clicked by me during on my field work, Date-29/09/2013. Time- 1.30pm

पुनर्वास कैम्प में शिक्षा के अवसर-

कैम्प में शिक्षा कि बात कि जाये तो यहाँ विस्थापित परिवारों के बच्चों के लिए आवासीय ब्रीज कोर्स आश्रम बनाये गये है। जिसमें कक्षा 1 से लेकर 10 वी तक कि पढाई का पूर्ण खर्च, रहना खाना वस्त्र, पाठ्य-पुस्तके, सभी कुछ मिलता है इन विशेष स्कूलों में प्रवेश कि कोई सीमा नहीं है। ना ही आप को प्रवेश के दोरान कोई जन्म का प्रमाण्पत्र देना होता है, और नहीं कोई स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र देना नही होता, जिसे भी प्रवेश लेना हो वो अबूझमाड़ क्षेत्र का निवासी हो और सलवा जुडूम से उसका परिवार विस्थापित हुआ हो इन्ही बच्चों को यहाँ प्रवेश दिया जाता है। छत्तीसगढ़ कि 2001 कि जनगणना अनुसार शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे था। जिसमे छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग जिसमे बस्तर, दन्तेवाड, बीजापुर और भैरमगढं जिल्हे आते है। उसमें भी महिलाओं का शिक्षा का स्तर तो और भी काम था[123] 2011 के जनगणना अनुसार अभी महिलाओं के शिक्षण का स्तर उसमें थोडा परिवर्तन आया है पहले 51.85 था जो 2011 में 60.59 पिछले दस वर्षो में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।[124] इस सब पर मार्ग के रूप में '**रहवासी ब्रीज कोस स्कूल'** कि शुरुआत हुई जिसमे अधिक से अधिक लडकीयों को शिक्षा देने का प्रयास किया गया है।

विस्थापन के दौरान बहुत से बच्चों का शिक्षण बीच में ही छुट गया था। कई बच्चे अपने परिवार के साथ दुसरे राज्यों में पलायन कर के चले गये। जिससे उनका स्कूल बीच में ही छुट गया और बाकि रहवासी कैम्प में रहने लगे जिससे दौ सालों तक उनकी शिक्षा पूरी तरह से बंद हो गयी थी। ऐसे (Dropout Student) बच्चों को फिरसे स्कूल में प्रवेश मिलने के दृष्टिकोण से **आश्रम स्कूल** का निर्माण किया गया। इस तरह प्रत्येक कैम्प में आवासी

---

[123] "*2001 की जनगणना रिपोट के अनुसार*". छत्तीसगढ़ 2003

[124] "*2011 की जनगणना रिपोट के अनुसार*". छत्तीसगढ़ 2011

आश्रम स्कूल का निर्माण कराया गया कासौली और चितालंका के अंदर ही आश्रम स्कूल है सिर्फ बागापाल कैम्प से 8 किलो मीटर कि दूरी पर आवासी ब्रीज कोर्स स्कूल है जहाँ पर सिर्फ लड़्किया ही पढती है। जिनकी संख्यां 300 से अधिक है इस विशेष स्कूल में प्रवेश के बाद एक समान्य परीक्षा ली जाती है। जिससे उस विधार्थियों को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाना है। इसका निर्णय लिया जाता है और वही से उनकी स्कूल कि शुरुआत होती है। कंसौली कैम्प में 495 लडके आश्रम स्कूल रहते है। यहाँ पर 10 कक्षा के बाद उनका व्यवसायिक पुनर्वास भी होना चाहिए इसी उद्देश से **छु लो आसमान**[125] कि शुरुआत कि गई है इसके अंतर्गत महिला छात्रावास, पुरुष छात्रवास, IIT Traning Center ,PMT,GAT इसके अलावा कई व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वो अपना स्वयं रोजगार उत्पन्न कर सके जिससे इनका समाज में पुनर्वास हो जाये।

[125] छु लो आसमान- यहाँ एक योजना है जो विधार्थियों को एक आगे शिक्षा लेने के लिये प्रशिक्षण देता है जिससे इन बच्चों का व्यवसाय करने में मार्गदर्शन मिले और यह अपने पैरो पर खड़े हो इसी उद्देश से इस योजना को दन्तेवाड़ा में चलाई गई है इसे राज्य सरकार से सहयोग प्राप्त है ।

Residential School in Rehabilitation Camp

[126]

[126] Photography clicked by me during on my field work , 22/09/2013. Time- 5.30pm

127

कैम्प में महिलाओं कि सुरक्षा, हिंसा और पुनर्वास

महिलाओं कि सुरक्षा कि अगर बात कि जाये तो राहत शिविरों में सुरक्षा एक बड़ी समस्या थी। क्योंकि यहाँ जो लोग इन कि सुरक्षा के लिए थे वो ही इन पर हिंसा करते, पैसे लुटते, महिलायों के साथ बलात्कार करते, तब अगर इसका कोई विरोध करे या अपील करे तो किसे करे? इन परिस्थितियों में बड़ा मुश्किल होता था, खुद को सुरक्षित रखना। राहत शिविरों का आकार बहुत ही छोटा था। परंन्तु, वहां रहने वाले ज्यादा थे जिसमें बाहार आने जाने पर भी पाबंदी इन परिस्थितियों में महिलाएं हिंसा कि शिकार हो जाती शिविरों में जो महिलाएं SPO कि नियुक्ति कि गई थी वो भी CRPF के कैम्प में अपने को सुरक्षित नहीं मानती थी उनके साथ भी उनके ही सहकर्मी द्वारा यौन हिंसा होती थी। इन स्थिति में

[127] Photography clicked by me during on my field work, Date-22/09/2013. Time- 5.30pm

अधिकतर महिलाओं ने SPO पद से इस्तीफा दे दिया था। परंन्तु, हिंसा में कोई कमी नहीं आई थी परिस्थिति और बिगड़ी जा रही थी जब मानव अधिकार के तरफ से पहल हुई और सलवा जुडूम को सुप्रीम कोट ने बंद करवाया गया। इन विस्थापित जनता का पुनर्वास किया गया, तब राज्य पुलिस और केंद्र सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दिया गया उसके बाद महिलाओं पर हिंसा कि रिपोट लिखी जाने लगी और जो अपराधी है उनको सजा दी जाने लगी इस तरह से हिंसा में कमी आई।

सलवा जुडूम और राहत शिविरों के दौरान जिन महिलाओं के साथ बलात्कार जैसा अपराध हुआ था। बलात्कार कि वजह से जो महिलाएँ गर्भवती हुई उनके बच्चो का भी पुनर्वास होना चहिए। उन्हें भी समाज में सम्मान के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए। इन सभी पर विचार किया गया और महिलाओं के लिये सहारा स्थल बनाये गये। जिसमे उन्हें रोजगार दिया गया जो पुनर्वास कैम्प थे वहां उन्हें भी जमीन गई घर बनाने के लिये पैसे दिये गये जिससे वो अपने परिवार का पालन कर सके उन्हें रोजगार भी कैम्प में ही उपलब्ध कराया गया। उनके बच्चों को भी आवसी ब्रीज कोस आश्रम में शिक्षा दी गई जिससें वो अपना अस्तीत्व समाज में निर्माण कर सके। आवासी आश्रम में जहाँ पर उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती है बाद में व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है।

violence in Salwa Judum

128

129

[128] Photography clicked by Human Right Commission team during in salva judum violence 2007
[129] Photography clicked by Human Right Commission team during of salva judum violence. 2007

पुनर्वास कैम्प में स्वास्थ्य सुविधाए -

सन 2005 में जब ये राहत शिविर के रूप में तब यहाँ पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी पर बाद में जब शिविरों को पुनर्वासित बस्ती में परिवर्तित किया तो यहाँ पर यह स्वास्थ्य सुविधा है। कैम्प में कोई अस्पताल नहीं है हर सप्ताह में एक बार गीदम स्वास्थ्य केंद्र से गाड़ी आती है। उसमें सभी कि जाच और उपचार किया जाता है। अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति हो तो 108 पर फोन करके अमबुलंस (Ambulance) कि सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा स्वच्छता पर पुनर्वास कैम्प में भी कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है, यहाँ पर जो शौचालय बनाये गये है। उसकी साफ-सफाई इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता जिससे मानसून में सबसे अधिक रोगों होने की संभवना होती है। जिससे कभी कभी कैम्प का मृत्यु दर बढ़ जाता है। कैम्प में मानसून आने पर पीने के पानी में बोरीग पाउडर डालना, घरो के आस पास साफ-सफाई के विषय में सभा या चर्चा आयोजित करना एक गाँव में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण यह सभी पर अभी विचार विमर्ष चल रहा है अभी प्रत्येक्ष में यह सुविधा इन कैम्पों में नहीं है।

बागापाल कि स्थिती तो और भी खराब है, यहाँ पर मानसून में बोरीग का पानी पीने योग्य नहीं होता, जिससे सबसे अधिक लोग बीमारी के शिकार हो जाते है। चितालंका में स्वास्थ्य सुविधा पूरी है यह पर जिला अस्पताल जिससे इन्हें सभी स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती है।

पुनर्वास कैम्प में आंतरिक सामान्यता और विभिन्नता- (घर-रचना, सुरक्षा व्यवस्था, संरचना इत्यदि) -

कासौली ,बागापाल, चितालंका तीनो कि तुलना अगर एक दुसरे से कि जाये तो कुछ सामान्यता है। कई जगह पर भिन्नता भी है। जिससे प्रत्येक कैम्प एक दुसरे से अलग होता है। 'सलवा जुडूम' के दोरान जो कैम्प बनाये गये थे, उसमे विस्थापित लोगो को 2

सालों तक रखा गया था। बाद में उनका पुनर्वास कैम्प में उन्हें बसाया गया। कंसौली यह एक गाँव है। जो गीदम तहसील में आता जहाँ पहले से ही CRPF के कैम्प हुआ करते थे और गाँव कि बस्ती अलग थी। बाद में जब पुनर्वास कार्य शुरु हुआ तो इस CRPF के कैम्प के आस पास विस्थापितों आदिवासी को जमीन देकर उन्हें बसाया गया। जिससे CRPF का कैम्प भी सुरक्षित रहे इस कैम्प के आस पास सुरक्षा घेरा बनाया गया। जिससे यहाँ नक्सलीय हिंसा आक्रमण से बचा जा सके, यह क्षेत्र अति संवेदनशील है यहाँ से इंदावती नदी 3 किलोमीटर कि दूरी पर है और उस नदी के उसपार अबूझमाड़ क्षेत्र कि शुरुआत होती है जिसे नक्सलियों का क्षेत्र माना जाता है।

बागापाल में जिनका पुनर्वास किया गया वो सारे आदिवासी में अधिक संख्या में अबूझमाडी ही है। पहले वो 2 सालों तक दोरनापाल के शिविरों में रहते थे बाद में उन्हें बागापाल में बसाया गया। यह कैम्प कासोली से भिन्न है। यहाँ पर CRPF का कैम्प नहीं है कैम्प कि सुरक्षा कि नजरिये यहाँ पर कोई सुरक्षा घेरा नहीं है। यह रहने वाले आदिवासियों ने कैम्प कि सुरक्षा के लिये लकड़ी का घेरा बनाया है। परंन्तु, उसे तो कभी भी तोडा जा सकता है। और इस पर आसानी से हमला किया जा सकता है। यह के गाँव वाले ही अपनी सुरक्षा खुद करते है। जिससे वो अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। पुनर्वास के नाम पर यह सिर्फ घर बनाये गये जिसमें मुआवजा में 10.000 रूपये दिये गये थे। परंन्तु, उसके बाद विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है रोजगार के नाम पर NREGA में जो सरकारी रोजगार आते है वो ही महिला और पुरुषों को मिलते है पर मजदूरी समान नहीं है पुरुषों को 120 रूपये मिलते है और महिलाओं को 100 रूपये मिलते है।

स्वास्थ्य सुविधा की अगर बात करे तो बागापाल में भी हर सप्ताह में एक बार सरकारी गाड़ी आती है और दवाईया देकर जाती है। परंन्तु, जब मानसून आता है तब कोई नहीं

आता सारे रास्ते बंद हो जाते है। उस समय सबसे अधिक परिवार के सदस्य बीमारी की चपेट में आते है। तब कैम्पं से मेन रोड तक पैदल या चार पाई पर आना पड़ता। इन परिस्थिति में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कैम्प में रहना सुरक्षा ऐसी कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। CRPF का कैम्प मेन रोड पर है बागापाल से 1 किलों मीटर की दुरी पर वह पर बिजली की व्यवस्था है। परंन्तु इस बागापाल में बिजली की व्यवस्था नहीं है। यह पर आग जलाकर या सौर उर्जा के प्रकाश से काम चलता है। शिक्षा अगर देखी जाये तो यहाँ पर प्राथमिक स्कूल है। जहाँ कैम्प के बच्चें पड़ते है। और आगे की शिक्षा के लिये उन्हें आश्रम स्कूल में जाना पड़ता है। जिसमें लडकियों की आवासी आश्रम स्कूल अलग है। और लडकों की आवासी आश्रम स्कूल अलग है।

चितालंका यह कैम्प सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैम्प है। यहाँ पर रहने वाले परिवार नक्सलीय हिंसा के शिकार थे। उन्हें उनके गाँव से बहार निकाल दिया था। जो बाद में इस कैम्प में बसे और ऐसे भी परिवार थे जिनके घर का कोई सदस्य को नक्सली हिंसा में मारा गया हो, इसके अलावा वो भी परिवार यहाँ रहते है जिनके घर कोई एक सदस्य अभी SPO का काम करता है। उनके परिवार को भी सुरक्षा की दुष्ट्री से यहा बसाया गया है क्योंक इस परिवारों को भी नक्सलीय हिंसा का खतरा होता है।

कैम्प के अंतर्गत अगर समानता देखी जाये तो, घरों कि सरचना समान है बागापाल और कासौली के परन्तु चितालंका में अधिकतर घर सीमेंट से बने है। इसका कारण यह है हि इस कैम्प में लोग आर्थिक रूप से संपन्न है जिससे उनका रहन-सहन में परिवर्तन आया है। कासौली और बागापाल में रोजगार के अवसरों की कमी है जिससे आर्थिक आय कम होती है। चितालंका कैम्प में रहन-सहन, भोजन में परिवर्तन, संस्कृती में भी परिवर्तन देखने को मिलता है इस दोनों कैम्प की तुलना में सिर्फ चितालंका ही अधिक विकसित कैम्प है।

निष्कर्ष (Conclusion) -

इस अध्याय के अंतर्गत क्षेत्र कार्य का परियच दिया गया है जिसमे इसे तीन स्तर पर समझने का प्रयास किया है जिसमे विस्थापन के पूर्व गाँव में महिलाओं कि स्थिति क्या थी, बाद में जब सलवा जुडूम अभियान चला उस दोरान जो विस्थापन हुआ और उन विस्थापित परिवारों को राहत शिविरों में रखा गया, जिसकी पूरी कालावधी 2 सालों की थी, वहाँ पर महिलाओं कि स्थिति क्या थी, तीसरी स्तर जब विस्थापन के बाद जब पुनर्वास हुआ तब जो पुनर्वास कैम्प बनाये गये वहाँ महिलाओं की स्थिति अभी क्या है? इन तीन का आपस में सबंध किस तरह से है।

विस्थापन के पूर्व आदिवासी समाज में आर्थिक व्यवहार यह वस्तु-विनिमय के द्रारा किया जाता था और सार्वजानिक भागीदारी को आदिवासी समाज महत्व देते थे जिस वजह से आर्थिक समानता होती थी तो महिलाओं को भी समान अधिकार मिलता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात आदिवासी समाज जिसे अबुझमाडी कहाँ जाता है वहां पर 'घोटुल' जैसी संस्थाऐ अस्तित्व थी जिस में महिलाओं को बोलने अधिकार, घर के निर्णय में सहभागिता, का अधिकार दिया जाता है। उन्हें भी सार्वजानिक कार्यो में पूर्ण रूप से सहभागिता दी जाती है। घोटुल में उन्हें अपने भावी जीवन साथी चुनने का अधिकार है। इस संस्था के द्रारा जो नियम बनाये जाते है उसे पूरा आदिवासी समाज सम्मान के साथ स्वीकार करता था अधिकतर निर्णय महिलाओं के हित में ही होते थे, इसके बाद जब विस्थापन हुआ और आदिवासी को राहत शिविरों में रखा गया जहाँ वो पहली बार आधुनिक समाज के संपर्क में आये और यहाँ पर पैसे के आधार पर आदान-प्रदान होता है। इन 2 वर्षो में महिलाओं की स्थिति अन्तंत दयनीय हो गई थी। यहाँ पर ना रोजगार और ना ही सुरक्षा दोनों की कमी थी जिससे सबसे अधिक महिलाएं यौन हिंसा की शिकार हुई थी 2 वर्षो के बाद जब

यह राहत शिविरों को पुनर्वास कैम्प में परिवर्तित किया गया जिसमें प्रत्येक परिवार को एक अपना घर दिया गया जहाँ वो अपना जीवन फिर से शुरू कर सके ।

इस अंतर्गत अध्याय उन तीन गावों को चुना जहाँ विस्थापन हुआ है और उन कैम्प को चुना जहाँ विस्थापन के बाद पुनर्वास कैम्प में बनाये गये है इन तीनो स्तरों में महिलाओं की स्थिति में कैसे परिवर्तन आया, इसका सीधा सबंध महिलाओं की आर्थिक स्थिती है अगर महिलाएं आर्थिक रूप से संबल है तो उसका स्थान पुरुषो के बराबर होता है विस्थापन के पूर्व जब पैसे का महत्व नहीं था। तब स्त्री और पुरुषों में समानता थी। जब पैसा इसके जीवन में आया तब जिसके पास रोजगार और पैसा है। उसे घर के निर्णय लेने का अधिकार होता है इस अध्याय के अंतर्गत मैंने विस्थापन पूर्व व् विस्थापन के बाद के कैम्प का अध्ययन किया जिसमें बागापाल कैम्प जहाँ रोजगार के अवसर कम है यहाँ पर महिलाओं कि स्थिति में परिवर्तन आया है। इसी जगह हम चितालंका कैम्प देखे तो यहाँ पर रोजगार के अवसर ज्यादा है। महिलाएं आर्थिक कार्यो में सहभागी होती है जिससे वहां पर उन्हें समान स्थान प्राप्त होता है ऐ दोनों ही कैम्प विस्थापन के बाद बनाये गये है। विस्थापन के पूर्व सभी की स्थिती एक समान थी।

प्रस्तावना (Intriduction)-

बीते अध्याय में 'अबुझमाड़ और सलवा जुडूम से निर्माण हुए शिविरों में विस्थापन' पर आधारित था और तीसरा अध्याय में 'अबुझमाड और सलवा जुडूम शिविरों का जीवन: सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम, और हिंसा''[130] जिसमें विस्थापन के बाद जीवन में आये परिवर्तनों पर आधारित है।

इस पुरे अध्याय में सलवा जुडूम शुरू होने के पूर्व से हिंसा हो रही है यह हिंसा नक्सलियों के द्रारा आदिवासी समाज पर हो रही थी। इसी को मेने इस अध्याय में केस स्टडी के माध्यम से समझने का प्रयास किया है इसमें तीन मुख्य केस स्टडी है। जिसमें वहाँ की हिंसा को विस्तार से विवेचन किया गया है। यह हिंसा सिर्फ महिलाओं पर ही नही पुरुषों पर की होती थी इस अध्याय को तीन भागों में विभाजित किया है। पहली अबुझमाड़ में विस्थापन के पूर्व की हिंसा जब सलवा जुडूम अभियान नही था पर हिंसा थी यह हिंसा नक्सलियों द्रारा गाँव गाँव में जन अदालत के माध्यम से होती थी। इसमें गाँव के लोगों से धान का एकत्रीकरन करना, लुट-पाट करना, जबरदस्ती संगम सदस्य बनने के लिए विवश करना, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी हिंसा होती थी जिससें लोग त्रस्त हो गये थे वो भी इस हिंसा से मुक्त होना चाहते थे।

दूसरी सलवा जुडूम के दौरान हुई हिंसा सलवा जुडूम के दौरान जो राहत शिविर बनाये गये थे जहाँ दो वर्षो तक आदिवासी परिवारों को रखा गया था उस दौरान हिंसा यह SPO के द्रारा कि जाती थी इन शिविरों में भोजन, निवास, सुरक्षा यह सभी इस SPO के निगरानी

[130] हिंसा - "यह एक व्यक्ति द्रारा दुसरे व्यक्ति पर अपनी इच्छा को थोपना,समूह का समूह के प्रति, शक्तिशाली का कमजोर के प्रति, एक समुदाय का दुसरे समुदाय के प्रति, साप्रदायिक हिंसा इत्यदि में सबसे अधिक महिलाएं इसका शिकार होती है महिलाए पर शारीरिक , मानसिक ,सामाजिक ,आर्थिक, सांस्कृतिक आपराधिक हिंसा की जाती है वो किसी भी समाज की हो हिंसा के वक्त वो सिर्फ एक स्त्री होती है"

में होती थी किसी को शिविरों से बाहर जाने की अनुमति नही थी। परंन्तु, आदिवासी समाज जो जंगल से जुड़ा हो और उसे उसके बिना अपना जीवन व्यतीत करना हो तो कितना मुशकिलें होता है। यह शिविरों में महिलाओं के साथ बलात्कार, लूटना पिटना यह सामान्य बात थी। यहाँ पर सिर्फ वो महिलाओं के साथ ही हिंसा नही होती जो शिविरों में रह रही है उसकी सुरक्षा के लिए जो SPO महिला कर्मी थी उनके साथ भी हिंसा होती थी ।कोई भी इस तरह की हिंसा से बच नही पाया।

तीसरी जो पुनर्वास कैम्प में होती है यह हिंसा आज की जारी है जिसमें घरेलू हिंसा महत्वपूर्ण है। विस्थापन के पूर्व घरेलू हिंसा यह आदिवासी समाज में अस्तीत्व नही थी अगर कोई भी इस तरह की हिंसा करता तो उसे गाँव के मुखिया द्वारा दंड दिया जाता जिससें कोई इस तरह की हिंसा करने का प्रयास नही करता। पुनर्वास के बाद यह समाज आधुनिक समाज के सम्पर्क में आने के बाद, हिंसा यह आप को घर घर में देखने को मिलेगी। इन सभी प्रकार की हिंसा को समझने का प्रयास किया है इस अध्याय में किया गया हैं।

यह अध्याय पूर्ण रूप से क्षेत्र कार्य पर आधारित है इसके अध्याय में जिन महिलाओं के साथ साक्षत्कार किये या समूह चर्चा की, वो सभी महिलाओं के परिवार इस हिंसा को झेल चुके है। हिंसा की परिभाषा इन आदिवासी महिलाओं से, अच्छी तरह कौन समझ सकता है वही आदिवासी महिलाएँ उस हिंसा की गभीरता को समझ सकते है।

Abujamade Map

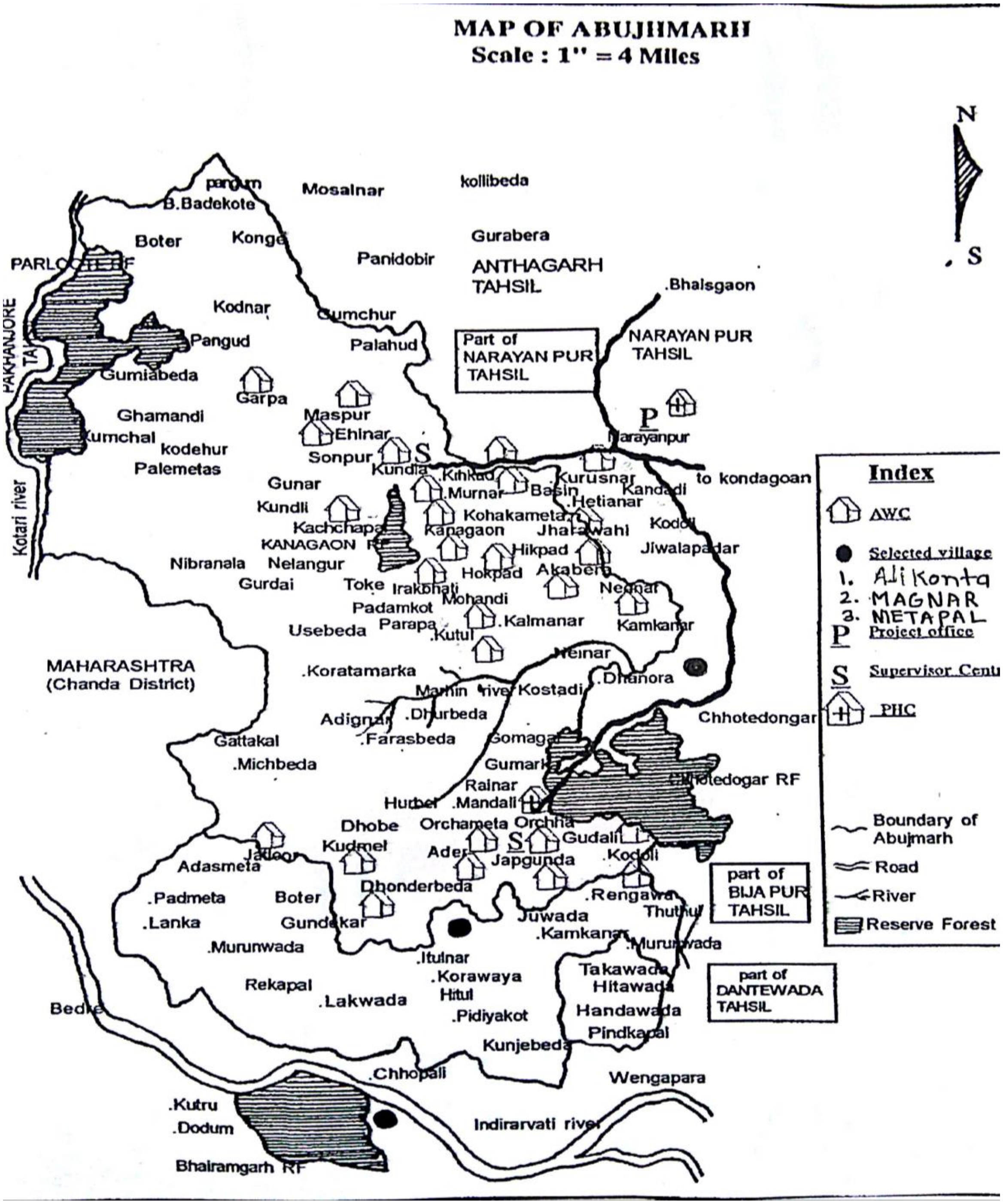

131

---

131 Fig.2.2. Map of Abujhmard showing the slected village.

विस्थापन के पूर्व अबुझमाड़ का आदिवासी समाज -

अबूझमाडिया छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर जिले में अज्ञात ऊँचे स्थानों में निवास करने वाली जनजातियाँ है। **ग्रिगसन**[132] ने इन्हें पहाड़ी **माडिया** कहाँ है किन्तु ये अपने आप को **'मेटा कॉयटर'** जिसका अर्थ होता है **'पहाड़ी मानव'** इसी नाम से इन्हें जाना जाता है। बस्तर में माड का अर्थ होता है घनघोर पहाड़ी जैसे जंगल वैसे माड का प्रयोग पहाड़ के अर्थ में मेटाशब्द का भी प्रयोग किया जाता है। माड़ से माडिया शब्द की उत्पति होती है। माडिया अर्थात वहं समुदाय जो दुर्गम पहाड़ियों में निवास करता है। वह माडिया कहलाता है अबूझमाड़ की पहाड़ी श्रखंलाओं पर निवास करने वाले समुदाय को अबूझमाडिया कहा जाता है। अबूझमाड़ शब्द का प्रथम प्रयोग कैप्टेन सी.एल.आर ग्लसफर्ड (1866-67) में 'उबूझमाड' के रूप में किया। ग्रांट के गजेटियर (1870) में इस क्षेत्र के लिए माडियान या अबूझमाड शब्द का प्रयोग किया जाने लगा।[133] जो उतर-दक्षिण बस्तर के पठारी और मैदानी भाग में निवास करते है। उन्हें **गोर सिंग** माडिया या **दण्डमी माडिया** का नाम दिया गया है।[134] छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ सबसे कम जाना जाने वाला क्षेत्र है। अबूझमाड का जंगल यह तीन जिलों के बीच आता है जिसमें नारायणपुर, दन्तेवाड़ा और बीजापुर आते है। यह पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। यहां की मुख्य नदी में इंद्रावती और गोदावरी नदी है। **वेरियर एल्विन**[135] ने अपनी पुस्तक "The Muria and Their Ghotul" इसका चित्रीकरण निम्न ढंग से किया है।

> *'नारायणपुर से सडके, सुनी सडकों में से एक एवं अत्यधिक उतेजक है सोनापुर के हल्वा केंद्र से गुजरने के बाद यह स्वयं को अबूझमाड़ के जंगल व् विशाल हृदय के चरम बिन्दु पर ले जाती है। और एक मार्ग जो परलकोट व एक*

---

132 W.V. Grigson, "*The Madia Gonds of Bastar*" Oxford University press.1938. page.14

133 Elwin. Verrier, "*Maria Murder and Suicide*" Oxford University press.1950 page.234

134 डब्लू.वी.ग्रिग्सन "*मध्य प्रान्त और बरार में आदिवासी समस्याएँ*" वन्या प्रकाशन, आदिमजाति कल्याण विभाग, भोपाल 2008. पृ.35

135 Elwin. Verrier, "*The Muria and Their Ghotul*" Oxford University Press. 1947 page. 19

परताबपुरी कि और जात है। यहाँ बस्तर का सबसे मशहूर चिन्ह-अबूझमाड़ पहाडो का बड़ा सा समूह पहाड़ी माडिया का घर है। लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला अबूझमाड़ तीन तहसील में फैला हुआ है। जिसमें नारायणपुर, बीजापुर दन्तेवाड़ा यह जिले आते है,

नारायणपुर में हर वर्ष बाजार, सह धार्मिक उत्सव **मड या मडई**[136] के आयोजन के समय आस पास के गाँव के सभी लोग आते है। अबूझमाड़ की प्राकृतिक वन संपदा अत्यधिक धनी है। मध्य भाग में अधिकतर बांस के साथ मिश्रित वन पाया जाता है। इन क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र बहुत ही कम है। अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र ही है।

अबूझमाड की जनसंख्या एवं निवास -

अबूझमाड में सर्वप्रथम जनगणना कार्य 1931 में हुई थी उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था। ग्रिग्सन के कार्यकाल में उस समय जनसख्याँ 11,500 थी। इसके बाद वैरियर एल्विन ने 1941 में 13,000 जनसंख्या होने का दावा किया। 1931-1941 की जनगणना में इंद्रावती नदी के दक्षिण भाग में रहने वाली जनजातियों को भी इस में शमिल किया गया।[137] वर्ष 1961-1993 तक विभिन्न जनगणना एक सर्वेक्षण के आधार पर अबूझमाड क्षेत्र की कुल तथा अबूझमाडिया जनसंख्या टेबल के माध्यम से दिखाई गई है।

तालिका क्रमांक 3.1

क्र.	जनसख्या वर्ष	कुल जनसंख्या	वृध्दि दर	अबूझमाडिया जनसंख्या	वृध्दि दर
1.	1961	12,229		11,115	
2.	1971	15,227	16.95%	13,000 (अनुमानित)	24.51%
3.	1981	19,910	30.75%	15,500 (अनुमानित)	19.23%
4.	1991	26,613	33,67%	17,016	9.78%

---

[136] मड-मडई – इस का अर्थ होता है माडिया आदिवासी धान निकलने के समय जो सार्वजिक उसव मानते है मड-मडई कहते है

[137] http://www.censusindia.gov.in ‘Census of India’ Chhattsghar-Data-sheet. 2001.

स्त्रोत- पंच वर्षीय योजनाएँ 1993-1998 अबूझमाड विकास अभिकरण. नारायणपुर

उपरोक्त तालिका क्रमांक 3.1 में विभिन्न जनगणना एंव अबूझमाड विकास अभिकरण के सर्वेक्षण के दौरान अबूझमाड क्षेत्र व् अबूझमाडिया जनजातिकी जनसंख्या तथा उसका वृध्दि दर प्रस्तुत किया है।

आदिवासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल के वृतान्त के अनुसार 1981 में अबूझमाड़ कि कुल जनसंख्या 19,910 की तुलना में अबुझमाडिया कि कुल जनसंख्या 15,500 थी। जिसमें दंडामी माडिया की जनसंख्या 4.01 प्रतिशत, गोंड 3,77 प्रतिशत, मुरिया 2.26 प्रतिशत हलबा, अबूझमाड़ गाँव की संख्या कितनी है। उसका अंदाज लगाना मुश्किल था क्योकि अबूझमाड़ में गाँव का स्थलांतरन खेती होती है इसी वजह से निश्चित संख्या पता नही। सन 1961, 1971 एवं 1981 में गांवों कि सख्यां तालिका नीचे दिए में दर्शाया गया है[138]

तालिका क्रमांक 3,2

अबुझमाड़ में गाँवो की संख्या

जनगणना वर्ष	गाँवो की संख्या	
	निवास करते है	निवास नही करतें
1961	163	26
1971	177	32
1981	203	25[139]
1993	220	15[140]

[138] पी.आर. नायडू ''भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ'' 1997. पृ. 434-445.

[139] प्रो.एस.के.तिवारी 'बस्तर के आदिवासी समाज' आदिवासी विकास अनुसंधान संस्था, भोपाल. 1984

[140] पंच वर्षीय योजनाएं आदिवासी विकास अभिकरण.नारायणपुर 1993-98.

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है की गाँवो में निवास करने वाले की संख्या में वृध्दि आयी है। जिससे गाँवो का स्थानातरण कम हो गया है। और आबाद गाँवो की संख्या बढ़ी है इसके पीछे यह कारण है की बाहरी क्षेत्र के निवासियों का अबूझमाड में प्रवास है।

गाँव कि स्थिति -

अबूझमाड़ गाँव अक्सर या तो पहाड़ी की ढलान पर या पहाड़ी के नीचे नाले के आस पास होता है। एक आदर्श गाँव तीन तरफ पहाडियों से एवं एक तरह नाले से घिरा होता है। हांलाकि आजकल कृषि की दिशा गाँव की स्थिति के आधार पर चुनी जाती है। अबूझमाड विकास संस्था(Abujmade development Agency) के एक रिपोर्ट के अनुसार 2002 में यहां पर 196 परिवार रहते थे परंन्तु स्थानातरित कृषि के कारण इनका अभी अंदाज लगाना मुश्किल है। यह गाँव कि रचना के बारे में **ग्रिगसने** ने अपनी बुक में लिखा है।

> *'अबूझमडियो के घरों की रचना में लम्बे लम्बे घर जो एक समान्तर रेखा में बनाये जाते है जिसके बीच में एक लबी सड़क होती है। सडक के एक अन्तिम छोर में घोटुल या गाँव का युवागृह जो बांस के गोल छोरे के अन्दर होता है। ग्रिगसने द्रारा वर्णित गाँव कि व्यवस्था कई स्थितियों में अभी भी वही है, किन्तु सामान्य व्यवस्था को गोलाकार सांचा रखा गया है। जिसमें देव-घर[141] और घोटुल या युवाग्रह के चारों और घरों का निर्माण किया जाता था'।* [142]

अबूझमाडिया का घर पूर्णत: अस्थायी होता है ये एक बार घर बनाने के बाद उसमे सुधार नही करते इसके पीछे इनका यह उददेश्य होता है। कि पांच साल के बाद नया घर बनाना ही है। तो इसमें मरम्मत क्यों करे घर बनाना तो साधारण काम होता है। परंन्तु इनके घरो का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। इनके घरों को ये पांच भागों में बनाते है। जिसमें पहला

---

[141] देवघर- यह गाँव का एक मुख्य घर होता है जहां गाँव के देवी देवता का निवास होता है यही से गाँव की शुरुआत होती है उसके आस पास पारे में लोगं अपने घर बनाते है जिससें की वों सुरक्षित रहे उनकी धारणा होती है की गाँव के मुख्य देवी देवता उनकी रक्षा करगें।

[142] *(133) ibid. page. 143*

भाग जहाँ बाहार वाले आ जा सकते है इसे **अल्गी** नाम से जाना जाता है। दूसरा रसोई, गृहणी के कार्य करने एंव सोने का कमरा, **अल्पंजी** कहलाता है। तीसरा ग्रहस्वामी के सोने का एवं भण्डारा घर जो **अग्ध** कहलाता है। चोथा **पूजा-स्थल** जहाँ बाहारी लोग नही जा सकते और वे पुरुष भी जिनकी स्त्री मासिक धर्म में हो भी नही जा सकते है और पांचवा कमरा **रजस्वला** के लिए होता है। यहाँ बूजुर्गो की पूजा या शीला रखी जाती हो जो पुरे घर की रक्षा करती है। साधारणत: पति अपने आप को अल्गी एंव अग्ध तक ही समिति रखता है। बाकि महिलाएँ सारे कमरों में जा सकती है। ऐसा स्पष्ट रूप से सूचती किया जाता है कि यौन सम्बंध घर में नही कर सकते इस कार्य हेतु दिन के समय **सिहरी लती**[143] की छाया उचित स्थान माना जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि घर में देवी-देवता का और पूर्वजो का वास होता है, तो घर यह पवित्र स्थान माना जाता इसलिए यौंन सम्बंध के लिए घर से बाहर जाते है।

अबुझमाडिया अपने परिश्रम का संपूर्ण धान और वन-उपज घर से दूर एक अलग घर में रखते है जिसे ताला भी नही लगाया जाता इसे **विट्जा डोडी** या **मण्डला** भी कहाँ जाता है। घर में खाने योग्य धान ही अपने निवासी घरों में रखते है बाकि सब अनाज मण्डला में रखते है इनके घरों के अन्दर मिटटी के बर्तन, भूसा हटाने का कमण्डल, छाल से बनी वर्षा छत्री, वर्षा टोपी, कम्बल, सोने हेतु चटाई जो यह घर में बनाते है। अबूझमाडिया ने अपनी आवश्यकताए स्वयं ही सीमित रखी है जिससे कि बाहार कि दुनिया पर उनकी निर्भरता कम हो गई है।[144]

वस्त्र एंव आहार -

---

143 सिहरी लती- यह एक पेड़ है जिसकी छाया बहुत ही घनी होती है।

144 W.V.Grigson, "*The Madia Gonds of Bastar*" Oxford University press.1938.

अबूझमाडिया के विषय में आसानी से कहाँ जा सकता है। कि छत्तीसगढ़ कि जनजातियों में सबसे कम वस्त्र धारण करने वाली जनजाति है। अब बाहरी दुनिया के संपर्क आने से इनकें वस्त्र धारण करनें में परिवर्तन आया है जिसमें लडकें कमीज व् लडकियाँ साड़ी पहनने लगी है। **गंडा** (बुनाई की मशीन) द्रारा बुने गये स्थनिक वस्त्र के बदले में मिल के कपड़े पहनने लगे है। अबूझमाड़ के निवासियों का मुख्य भोजन कुटकी, **माडिया**[145] और मक्का है। जंगलों से विभिन्न प्रकार के कन्दमूल निकाल कर खाते है। यहाँ की जनजाति शिकार के प्रेमी होते है शिकार की तलाश में दिन बहार जंगलों में घूमते रहते है। जानवरों में हिरन, सांभर अदि शिकार का सेवन करते है। इसके आलावा खरगोश का भी शिकार करते है। जंगलों में मिलने वाली लाल चीटी (चोमडा) तथा उसके अंडे कि चटनी पीसकर तथा नमक मिर्च लगाकर खाते है इस तरह यह आदिवासी शाकाहारी और मासाहारी दोनों ही प्रकार के होते है।

घोटुल -

अबूझमाडिया में युवाग्रह कि व्यवस्था है जिसे घोतुल या घोटुल कहाँ जाता है किन्तु इनका घोटुल मुरिया और झोरिवा मुरिया जो उत्तरी व् पूर्वी सीमा पर रहते है। इनकें घोटुल पूर्णता: भिन्न है। जब की मुरिया और झोरिवा मुरिया इन दोनों में जो घोटुल होते है वहां सिर्फ युवकों को ही प्रवेश दिया जाता है। इसका यह कारण है कि एक गाँव में सारे एक ही गोत्र के लोग निवास करते है जिससे यहाँ रहने वाले सभी भाई बहन माने जाते है और एक गोत्र में विवाह भी नही होता इसलिए वहाँ पर सिर्फ युवकों को ही प्रवेश दिया जाता है। इसके आलावा अबूझमाड में जो घोटुल होते है वो यह सयुक्त और युवाग्रह होते है। यहाँ

---

[145] माडिया- यह एक प्रकार का पेयजल है जिसमें चावल को तीन दिनों तक पानी में भिगों कर रखा जाता है और बाद में उसे पकाया जाता उसमें नशा होता है जिसे ये लोग बड़े स्वाद के साथ पीते है।

दोनों को प्रवेश दिया जाता है माता-पिता से अलग रहने लायक तथा विवाह होने तक युवक एंव युवतियाँ घोटुल में जाती है।[146]

विवाहित लोगों को घोटुल में प्रवेश वर्जित होता है घोटुल के युवक **'चेलिक'** और युवतियों को **'मोटियारी'** कहते है घोटुल गाँव के समस्त युवक और युवतियों को शिक्षा एंव आदर्श सिखने का स्थल माना जाता है। शामहोते हो समस्त ग्राम के युवक और युवतियाँ घोटुल में आ जाते है। जब लडके या लडकी का विवाह हो जाता है। तो उसकी घोटुल कि सदस्यता समाप्त हो जाती है। घोटुल के प्रति आदिवासी युवक और युवतियों की निष्ठापूर्ण भक्ति सचमुच अद्भुत है वे इस संस्था से प्रेम करते है यह संस्था जनजातीय विश्वास का एक प्रतीक है।[147]

घोटुल को एक मंदिर की पवित्रता प्राप्त है, और यह विश्वास किया जाता है कि इसकी रक्षा देवता करते है इसमें व्यवहार और अनुशासन के कड़े नियम होते है। बाहर के और विवाहित व्यक्तियों को वहाँ रात व्यतीत करने की अनुमति नही है घोटुल के सदस्य गोपनीयता कि शपथ लेते है और अपनी संस्था की गतिविधियों को बाहार प्रकट नही करते। [148]

महिलाओं की स्थिति -

अबूझमाड़ में लिंग अनुपात अधिक है परंन्तु महिलाओं को सम्मान के साथ देखा जाता है माडिया, मुरिया अभी जनजातियों में महिलाओं का एक विशेष स्थान है। ऊपर से रूढ़िग्रस्त दिखने वाला आदिवासी समाज आंन्तरिक रूप से महिलाओं को कई प्रकार की स्वायता, स्वछनता और स्वतंत्रता प्रदान करता है। कोई भी युवती अपने मनपसंद युवक से विवाह

---

[146] *(133) Ibid. page. 210*
[147] *(134) ibid. page.18*
[148] *(134) Ibid.page.91*

कर सकती है। परंन्तु, विवाह निशचित करते समय पूरुषों को महिलाओं के विचारों का भी सम्मान करना पड़ता है। घर के कार्यो के आलावा कृषी कार्य में स्त्री, पुरुष के साथ बराबर हाथ बॅटाती है। परंन्तु, कुछ स्थिति में अभी भी पुरुषों की तुलना में स्त्री की स्थिति निम्न इस अर्थ में है। कि इन्हें अधिक निषेधों का पालन करना पड़ता है। महिलाओं को समुदाय को कोनसा भी धार्मिक पद नही दिया जाता इसके पीछे यह धारणा है की महिलाएँ मासिक धर्म के दौरान अपवित्र होती है। इसलिए धार्मिक स्तर पर महिलाएँ पुरुषों के बराबर नही है। महिलाओं को राजनितिक पद भी नही दिया जाता जैसे गाँव का प्रमुख व्यक्ति, सभा में सहभागी, पंचायत के सदस्य इत्यादी पद इसके पीछे यह धारणा बताई जाती है महिलाएँ घर के काम में अधिक व्यस्त होती है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों मुख्य पद के अयोग्य समझी जाती है। उदाहारण वे खेतो में बीज नही डाल सकती, सम्पति का उत्तराधिकारी नही बन सकती इत्यादी, मासिक धर्म के कारण धार्मिक कार्यो के योग्य समझी जाती है।

व्यक्तिगत जीवन -

सही अर्थ में अबूझमाड़ समाज में व्यक्ति विशेष की प्रधानता नही है। सामूहिक जीवन पर अधिक बल दिया जाता है। भूमि गाँव की होती है। निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है। भूमि पर्व एक साथ मनाये जाते है एंव आर्थिक व्यवसाय जैसे पैन्दा कृषि, फसल काटना, शिकार एंव मछली पकड़ना सभी सामूहिक होता है अगर कोई गाँव का परिवार अपनी मरजी से फसल नही उगा सकता जब तक सभी गाँव वाले इसकी स्वीकृति ना दे, शादी के निर्णय में भी सभी की सहमती होनी चाहिए।

विवाहसंस्था -

अबूझमाडिया समाज में एक विवाह का साधारण नियम है लेकिन ऐसी स्थिति में पति की मृत्यु के पश्चात विधवा अपने पति के छोटे भाई की पत्नी बन सकती है। सैध्दातिक रूप से इस विवाह मान्यता दी गई है जिसमे देवर और भाभी का विवाह किया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है की पिता कि मृत्यु के बाद अगर स्त्री किसी दुसरे पुरुष से विवाह करती है। उसके साथ उसकी संतान भी चली जाएगी अपने वंश को बनाये रखने के लिए अधितर परिवार अपने घर में देवर भाभी का विवाह करा देते है परंन्तु यह अभी चलन में बहुत ही कम देखने को मिलता है।[149]

नेतृव संरचना -

अबुझमाडिया बहुत अधिक अनुशासित होते है। सामन्य नियम कानून नीतियाँ अबूझमाडिया समाज पर बिना इनके तथ्य को जाने लागू नहीं किया जा सकता कि उनका स्वयं एक राजनैतिक संगठन है। जिसमे **परगना माझी** की एक पद होता है जो गाँव में नियम और कानून बनता है यह पद कई गाँव को मिलकर एक व्यक्ति को चुना जाता है। परतु अब ऐसा नही है अब गाँव के स्तर पर एक व्यक्ति को चुना जाता है। जिसे **चाल्की** कहाँ जाता है वही सारा कार्यभार सभालता है इसी तरह **गायता** यह भूमि पुजारी होता है।

जो गाँव की संपूर्ण जमीन और जमीन से संबधित सभी लोंकिक तथा अलोकिक शक्तियों का नियंता माना जाता है। वह धरती का पुजारी होता है गुनिया यह जादू-टोना को पहचाने वाला व्यक्ति होता है इसे जडी-बुटीयों की जानकारी होती है इस तरह अनेक पद होते है जिससे नेतृव किया जाता है।[150]

---

[149] *(134). Ibid. page. 74*

[150] *(134). Ibid. page. 48*

अबूझमाड समाज में स्त्री श्रम विभाजन-

किसी भी समाज का आकलन स्त्री की आर्थिक-सामाजिक स्थिति से किया जाता है। अगर उस समाज की महिलाएं आत्मनिर्भर हो तो उस समाज का विकास अपने आप हो जाता है। आदिवासी समाज में महिलाएँ काम के बोझ से लदी है। वह घर का भी काम करती है, और बाहर का भी। मातृसतात्मक परिवारों को यदि छोड़ दिया जाए जिनकी संख्या बहुत कम है। इनमें स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी है वही परिवार के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के कार्यो को करने की जिम्मेदारी सौंपती है। पितृसत्तात्मक परिवारों में जनजातीय महिलाएं घर और बाहर दोनों प्रकार के काम करती है। उदाहरण के लिए वह घर में रहकर रसी भी बनती है, टोकरी भी बनती है और घर का सारा काम भी करती है जो समान बनाया उसे बाजार ले जाती है वह कृषि कार्य में बुआई, कटाई, सफाई सभी काम करती है इस तरह से पूर्ण रूप से महिलाओं का कृषि कार्य में सहयोग होता है। कृषि कार्य समाप्त होने बाद महिलाएं जंगल से कन्द, मूल महुआ, तेन्दु पत्ता का एकत्रीकरण करती है और उसे बाजार में ले जाती है। अबूझमाड में लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष के कार्य विभाजन की कोई कठोर रेखा नही है। पुरुष और स्त्री मिलकर ही विभिन्न प्रकार के कार्य करते है। परंन्तु, फिर भी इस समाज महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर नही है। इसकी तुलना में अंदमान प्रायदीप की जनजातियों में स्त्री और पुरुष दोनों की स्थिति समान है। वहां लिंग के आधार पर भेद नही किया जाता है।[151]

अर्थव्यवस्था -

वन उपज की दृष्टी से अबूझमाड़ क्षेत्र बहुत गरीब है। मुख्य रूप से लघु वनोपज **फुल बाहरी** (झाड़ू बनाने के लिए लगने वाले पत्तो का पेड़) है से झाड़ू बनाना है। इसके आलावा गोंद,

---

[151] वी.एन. सिंह, जनमेजय सिंह *'आधुनिकता एंव महिला सशक्तिकरण'* रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2010.

शहद, चीरोंजी, कंद मूल, इन सब को एकत्रित करके स्थानिक बाजारों में बेचना अब शिकार पर बंदी होने की वजह से अब ये लोग शिकार नही करते अब पूरी तरह इनका जीवन कृषि और वन्य उपज पर निर्भर है।

कृषि कार्य में काम करने के अतिरिक्त और कोई श्रम का कार्य नही करते ठेकेदार अथवा शासन के अन्य वर्गों के माध्यम से कार्य करना पसंद नहीं करते। यदि किसी प्रकार शासन या अन्य वर्गों द्वारा श्रम के कार्यो में लगा दिया जाये तो अधिक से अधिक एक सप्ताह से अधिक कार्य नहीं करते विशेष उल्लेखनीय है। की यदि उनके पास एक दिन के लिए पयार्प्त खाने की सामग्री है तो वे कार्य पर अथवा मजदूरी आदि में नहीं जायेंगे इनका काम करने का अपना एक ढगं होता है जिसमें ये अपने मन की सुनते है।[152]

अबूझमाडिया अपने पुरे वर्ष में किस तरह से काम का विभाजन करते है इसका पूरा ब्यौरा नीचे दिए गये चार्ट में दिया गया है परंन्तु विस्थापन के बाद यह पूरा बदल गया है ।

---

[152] घनश्याम,गुप्ता, अबूझमाडिया जमात एक प्रारंभिक अवलोकन' जनजातीय विभाग रायपुर. 1980.

[153]

(स्रोत : तिवारी, 1994 : 20)
चार्ट 3.1 अबूझमाड़िया का वार्षिक कृषि कार्य

हस्तकारी व् अन्य कार्य -

टोकरी, चटाई आदि - अबूझमाडिया बांस के काम में कुशल होते है। वे बहुत अच्छी टोकरियाँ बनाते है महिला व् पुरुष दोनों ही बांस की विभिन्न वस्तुएँ बनाने में माहिर होते है। इसमे पुरुष अनाज संग्रहण करने के लिए बड़ी बड़ी टोकरी बनाते है। तथा उसे नारायणपुर के स्थानिक बाजारों में बेचते है ये नाचने हेतु ढाल (Dancing Shield) भी बनाते है। जो यह सार्वजनिक नुत्य के दोरान पुरुषो को पहनाया जाता है। इसके आलावा वर्षा कि टोपी (Rain Shield) भी बनाते। महिलाएँ भी इस काम में पीछे नहीं रहती सिर्फ घर में लगने वाली थाली, कटोरी चटाई इत्यदि बना लेती है जिससे उसे बाजार से खरीदना ना पड़े।

[153] S.K.Tiwari, *'Tribal History of Central India'* Aryan Books International, New Delhi. 2002

फुलाबाहरी झाड़ू - तालाबों और नालों के पास जो दलदलीय भूमि में फुलाबाहरी नाम कि घास बहुत अधिक पैमाना में उगती है जिसे अबूझमाडिया जनजातिया एकत्रित करती है। और इसी से झाड़ू बनाते है इनके द्वारा निर्मित झाड़ू मोटे होते है। तथा व्यापारी व् सहकारी इसे खरीदकर उन तीन झाड़ू के पांच झाड़ू बनाते है और बाद में उसे बाजारों में बेचते है उनसे यह काम दामों में खरीदते है और बाजारों में अधिक दामों में बेचते है।

रस्सी बनाना- अबूझमाड़ में मावरा घास अधिक प्रमाण में पाया जाता है। जिससे रस्सी बनाई जाती और रस्सी की मांग आज बाजार में सबसे अधिक है। यहाँ पर जो स्थानिय ठेकेदार होते है वो उनका शोषण करते है उनसे कम दाम में रस्सी खरीदते है और बाद में उसे अधिक दाम पर बेचते है।

मजदूरी - सैद्धांतिक रूप से यहाँ वन राजस्व प्रशासन नही है। किन्तु वन विभाग अबूझमाड़ में प्रवेश कर गये है उदाहरणार्थ-अबूझमाड़ के दक्षिण-पूर्वी भाग में लडकी काटने का काम होता है जो आदिवासी के द्रारा ही किया जाता है। यहाँ पर कोयला खाने तक जाने व् अस्थायी सड़क बनाने का काम भी आदिवासी के द्रारा किया जाता है। [154]

अबूझमाड के भविष्य हेतु विकास कार्यक्रम -

छतीसगढ़ राज्य में पहली बार राज्य सरकार ने पिछड़े हुए इन वर्गों के लोगों को विकास की मुख्यधार से जोड़ने के लिए अनेक कार्तिकारी निणर्य लिए है। देश की आजादी के 58 वर्षो बाद आज भी पूरी दुनिया के लिए अबूझ बने बस्तर के चार हजार क्षेत्र में फैला घंने जंगल एंव पहाड़ी क्षेत्र को जहाँ पहले कभी कोई सर्वेक्षण कराया गया है। बाद में जब से यहां पर नक्सलीय हिंसा शुरू हुई तब से यहां सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

---

[154] रेशमा,खलखों, *"जनजातीय महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक,राजनैतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण"*क्लासिकल पब्लिकेशन कम्पनी ,नई दिल्ली 2006.

इस तरह की विकट परिस्थिति वाले इस क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा पहली बार लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने राज्य विभाग के अधिकारीयों को निर्दोश दिये है। कि अबूझमाड़ क्षेत्र का विस्तूत कराने से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र इसरो से संम्पर्क कर हवाई सर्वेक्षण कराकर नक्शे प्राप्त कर लें इसके बाद इस क्षेत्र का विस्तूत सर्वेक्षण कराकर उन क्षेत्रों में वर्षो से रह रहे आदिवासियों की जानकारी एकत्रित की जा सकेगी।

छतीसगढ़ राज्य की पहली नवनिर्वाचित सरकार ने आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के तीव्र और समग्र विकास के लिए बस्तर विकास प्रधिकरण का गठन किया है। पहले इन क्षेत्रों के विकास के लिए जब कोई योजना बनाई जाती थी। उसे स्वीकृति के लिए जिला मुख्यालय भेजा जाता था इससे उस योजना की उपयोगिता के बारे में काम लोगों को जानकारी होने के कारण स्वीकृति मिलनें में बहुत समय लगता था और कई बार तो बहुउपयोगी योजनाएँ भी लंम्बी अवधि तक लंबित पड़ी रहती थी। जिस पर उपाय योजन स्वरूप राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जिसमें आदिवासी विकास को गति मिली मुख्यमंत्री के कथानुसार प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य को गति प्रदान की गई। आम जनता के नजदीक जाने का अवसर मिले जिससे उनके विकास की योजनाओं में उनका सहभाग होगा मुख्यमंत्री स्वंय इस प्रधिकरण के अध्यक्ष है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक तीन महीने में और मुख्य सचिव द्वारा प्रत्येक माह इस प्राधिकरण के विकास कार्यो की समीक्षा की जाती है।[155]

बस्तर क्षेत्रों क विकास - **बस्तर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक** में बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए गये बस्तर क्षेत्र के सभी तीन जिलों के लिए

---

[155] बस्तर विकास प्राधिकरण (Bastar Development Authority) की पहली बैठक के रिपोट के अनुसार 2002-2003.

लगभग दस करोड़ रूपये के कार्यो को मंजूरी प्रदान की गयी थी। इनमें बस्तर जिले में नारायणपुर और दक्षिण बस्तर जो अब दन्तेवाड़ा जिला है। बीजापुर को इन तीनो को नये जिले बनाने का निर्णय लिया गया था बस्तर के अन्तर्गत आने वाले सभी गाँव को तहसील का दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया था। जगदलपुर नगर निगम के लिए दो करोड़ रुपए तथा इसके अतिरिक्त कांकेर और दन्तेवाड़ा नगरपालिका में मुलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए पचास-पचास लाख रूपये की राशी प्रदान करने के निर्देश नगर विकास विभाग को दिए गये है।

अबूझमाड़ क्षेत्र के लोगों की भटकती जिन्दगी में स्थयित्व लाकर उन्हें विकास का अवसर उपलब्ध करने के लिए इस क्षेत्र में 10,000 हजार आवास बनाने की योजना भी है। अबूझमाडियों सहित अन्य विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग जो सबसे ऊचें या नीचे स्थान पर कठीन परिस्थितियों में रहते है उन्हें 10-15 गाँवो के क्लस्टर में जमीन उपलब्ध कराकर बसाने की भी योजना है।[156]

अबूझमाड का सामाजिक आर्थिक विकास -

बस्तर की अर्थव्यवस्था कृषि और वन-उपज पर आधारित है इसलिए प्राधिकरण की बैठक में लिए गए ज्यादातर निर्णय इसी आधार पर लिए गये है। इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 2003-04 में 50 अबूझमडियो को निशुल्क बकरी दी गई थी। जिससे वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके जिस पर राज्य सरकार ने 3 लाख रूपये खर्च किये थे। परंन्तु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये ऋण का 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान भी उपलब्ध कराया गया। इन क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न भण्डारा करने हेतु एक लाख रूपये अतिरिक्त परिवहन अनुदान, ओच्छ में बहुआयामी शेड

---

[156] *(146) Ibid.page.120*

निर्माण पर 96 हजार रूपये व्यव करने के साथ ही इन क्षेत्रों में मार्ग मरम्मत कराने, आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों एंव महिलाओ को पोषण आहार उपलब्ध कराने सहित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मिटटी तेल की मात्रा 3 लीटर से बढ़ाकर 4 लीटर करने का निर्णय लिया गया अबूझमाड़ क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने के पश्चात वहाँ के लोगों को जिस जमीन पर वे खेती कर रहे है। उसका पट्टा देने की कार्यवाही की जा सकेगी आज उनके पास भूमि का स्वामित्व नही होने के कारण वे शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते है। सर्वेक्षण के पश्चात वहाँ रह रहे लोगों को शासकीय योजनाओं का उचित लाभ दिलाया जा सकेगा, तथा इन क्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी।

बस्तर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर के ग्रामीण अंचल में केरोसीन के भंडार हेतु टैंकर निर्माण कराने के लिए एक करोड़ रूपये, किसानों को सिचाई सुविधा सुलभ कराने हेतु माईक्रोमास्टर प्लान तैयार करने, आदिवासियों को वन उपज का उचित दाम उपलब्ध कराने, वन-उपज कैलेण्डर तैयार कराने, नगर पंचायत क्षेत्रों के लोगों को भी ग्राम पंचायत क्षेत्रों की तरह निस्तारी दर पर बांस बल्ली उपलब्ध करने, आदिवासी आर्थिक राहत योजना के तहत बस्तर क्षेत्र के तीनों जिलों के लिए तत्कालीन रूप से एक एक लाख रूपये स्वीकृत मिली।

बस्तर विकास प्राधिकरण की दूसरी बैठक जगदलपुर में 2 जुलाई 2005 को आयोजित बैठक में राज्य के बांस विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया गया। तीन जिलों को आठ विकास खंडो में ग्रामीणों को बैलजोड़ी का वितरण करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया इसके परिपालन में 24 जुलाई 2005 को ब्लॉक मुख्यालय भैरमगढ़ में आदिवासियों को सेकड़ों बैलजोडियो का वितरण किया गया। इसी तरह जिला मुख्यालय कांकेर और दन्तेवाड़ा

में परिवहन विभाग का आर.टी.ओ कार्यालय भी खोलने का निर्णय लिया गया कांकेर में ही सुलभ शोचालय के लिए 10 लाख रूपये तथा पर्यटन परिसर निर्माण किये जाने हेतु 55 लाख रूपये से ग्राम धनोरा में सामुदायिक मंगल भवन बनाये गये, जिससे सामूहिक विवाह को बढ़ावा मिले लोह लोहंडीमुड़ी विकास खण्ड के ग्राम बिन्ता में विधुतिकारन के लिए 15 लाख रूपये, तथा ग्राम गरिया में नदी पर पुलिया बनाने के लिए 15 लाख रूप की राशी 2005 में प्रदान की गई थी।[157] प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को विभिन्न रोजगार धंधे उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी सहकारी वित्त एंव विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। आदिवासी युवक-युवतियों को रत्न प्रोधोगिकी की कटिंग की का प्रशिक्षण रायपुर और जगदलपुर में दिया जा रहा है बेरोजगारों को विभिन्न उधोग धंधे का प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में 13 प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र संचालित किए जा रहे है। [158]

आर्थिक उत्थान के साथ ही उनके हितों का संरक्षण और संवर्धन भी किया जा रहा है। आदिवासियों को उनके द्वारा संग्रहीत किये गए चार-चीरोंजीं जैसी किमती वनोपजों की नमक जैसी सस्ती चीजों के बदले देने की विवशता को समाप्त करने के लिए राज्य शासन द्वारा 25 पैसे प्रति किलों की किफायती दर पर आयोडीन युक्त नमक देने की योजना चलाई गयी। जिसे '**छत्तीसगढ़ अमृत नमक योजना"** के नाम से जाना जाता है। जो प्रत्येक ग्राम स्तर पर पी.डी.एस.(Public Distribution System) के माध्यम से दिया जाने लगा है और यह योजना सबसे अधिक आदिवासी विभगों में चलाई गई जिससे इसका लाभ आदिवासी जनजातियों को हो यहाँ पर सस्ते दाम पर नमक उपलब्ध कराया जाता था।

[157] *(156) Ibid. page.50*
[158] *(154) Ibid. page. 76*

आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आगामी 4-5 वर्षो की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जरूरत के अनुरूप विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने की कार्य योजना भी तैयार कराई जाएगी इन क्षेत्रों में आय.टी.आय.(Industrial Tarining Insitiutes) में भी रोजगार मुलक नये पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बस्तर के जिला स्तर के आश्रमों में पढाई के साथ ही नर्सिंग और कम्प्युटर का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी है जिससे आदिवासी युवती को नये अवसर उपलब्ध हो रोजगार के और वो अपनी आमदनी ले सके।

पेयजल व्यवस्था- सरकार ने बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए नई फल की है। बस्तर विकास प्रधिकरण के लिए दस करोड़ रूपये का बजट प्रावधान भी किया गया है। प्राधिकरण की बैठक में लिए गये निर्णय को मूलरूप देने हेतु विभिन्न कार्यो और सुविधाएँ विकसित करने के लिए मंजूर किये गये है। इनमें जगदलपुर, दन्तेवाड़ा एंव कांकेर नगर में पेयजल व्यवस्था के लिए बस्तर की जीवनदायिनी इन्दावती नदी पर बांध बनाने हेतु डेढ़ करोड़ रूपये सहित दन्तेवाड़ा में शंखनी नदी तथा कांकेर में दूध नदी पर भी बांध निर्माण कराने हेतु एक-एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बस्तर अंचल के तीन जिलों में पंप कनेक्शन के 553 लम्बित प्रकरणों में पम्पों के लिए बस्तर विकास प्राधिकरण की और से एक करोड़ रूपये तक की राशी आवश्यकता विधुत मण्डल को प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार बस्तर जिले के बेनूर जलाशय तथा उत्तर बस्तर जिले के भानुप्रतापपुर के पालचुर बांध के निर्माण कार्य हेतु चालीस लाख रूपये तथा कंकालीपारा में सिचाई तालाब निर्माण पर 4 लाख 96 हजार रूपये की स्वीकृति दी गयी है। बस्तर के किसानों के 753 नलकूपों को विधुत कनेक्शन देने के लिए एक करोड़ रूपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है।

अबूझमाड का शिक्षा के क्षेत्र में विकास -

आदिवासी क्षेत्रों के सर्वागिक विकास के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य शासन द्रारा 253 प्राथमिक एंव माध्यमिक पाठशालाओं को बंद कर उन्हें रहवासी आश्रम शालाओं में समाहिक करने का निर्णय लिया गया जिससें जो स्कुल को छोड़कर चले जाते थे उनकी संख्या में कमी आई।

बस्तर विकास प्राधिकरण की तीसरी बैठक में जगदलपुर में ५० करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावति मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु पांच करोड़ रूपये की स्वीकृति का पत्र और बैंक डॉफ्ट एन.एम्.डी.सी.(National Mineral Development Corporation) के चेयरमेन ने मुख्यमंत्री को किया उल्लेखनीय है। एन.एम्.डी. सी. मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ रूपये की राशी पांच वर्षो की किश्तों में देगा 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिए 50 करोड़ रुपय का अनुदान मेडिकल कॉलेज के दिया गया। आश्रमों में पढाई के साथ ही नर्सिंग और कम्पूटर का प्रशिक्षण तथा आय.टी आय (Industrial Tarining Insitiutes) में रोजगार मुलक नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। अबूझमाड़ क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य खधान आपूर्ति अदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में शासकीय प्रयासों के साथ ही रामकृष्ण मिशन का उल्लेखनीय योगदान रहता है। पुलिस मुख्यालय नारायपुर में रामकृष्ण मिशन द्रारा प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल का छात्रावास का संचालन किया जाता है।

जहाँ अबूझमाड क्षेत्र के बालक और बालिका आकर शिक्षा ग्रहण करते है वर्ष 2002-2003 में 1,124 छात्र छात्राएं इस संस्था लाभान्वित हुए इसके लिए आदिम जाती एंव अनुसूचित जाती विकास विभाग द्रारा वर्ष 2000-01 में 23,52,300 रूपये में वर्ष 2001-02 में 1,820,65,5403 में 1096 2002 में 14,17, 820 रूपये की राशी इस संस्थान को दी गई है

इसके अलावा अबूझमाड क्षेत्र में स्कूल आश्रम अंगनवाडी संचालित करने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना वाटर शेड मिशन तहत जल सवर्धन आदि के कार्य किए जाते है। अबूझमाड़ क्षेत्र के विकास के लिए आदिवासी मंत्रन परिषद की बैठक में भी अनेक निर्णय लिए गए है।

मुख्मंत्री सिंह ने अधिकारियो को निर्देश दिए है कि अबूझमाड़ .के दूर दराज के अंचलों में- आश्रम खोलने चाहिए जहाँ सुरक्षा के साथ ही अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध है। नारायणपुर की तरह ओर में भी पहले चरण में इन आश्रमों को ढाई सो सीटर और बाद में पांच 100 सो सीटर आश्रम में बदलने की योजना है। जहाँ पहली कक्षा से बारहवी कक्षा में पढनें वाले बालक बालिका को निवासी स्कुल में रखा गया है।

राज्य शासन द्वारा अबूझमाड़ क्षेत्र की विशेष पिछड़ी जनजाति की बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्साहित करने के उदेश्य से उन्हें साईकिल दी गई है जिससे की पढाई के प्रति उनकी रूची बढाई जा सके। अबूझमाड़ बच्चों को P.M.T एंव P.E.T,P.T.T परीक्षा हेतु आवश्यक प्रक्षिक्षण राम-कृष्ण मिशन के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।[159]

अबूझमाड में स्वास्थ्य सुविधाएँ -

जन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एंव पहुच को बढ़ाने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय स्तर पर मोबाइल एम्बुलेंस यूनिट तथा इसमें डॉक्टर नर्स एंव आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता स्थानिक बाजारों के दिन सुनिश्चित की गयी। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में सर्व सुविधायुक्त मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है, और राज्य में 80 से अधिक उप स्वास्थ्य केन्दों भवनों का निर्माण के लिए चार करोड़ रूपये तथा कांकेर के

[159] *(156) Ibid. page. 89-90*

जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन के लिए 25 लाख रूपये की राशी स्वीकृत की गई है।[160]

Selcted Rehabilitation Camp

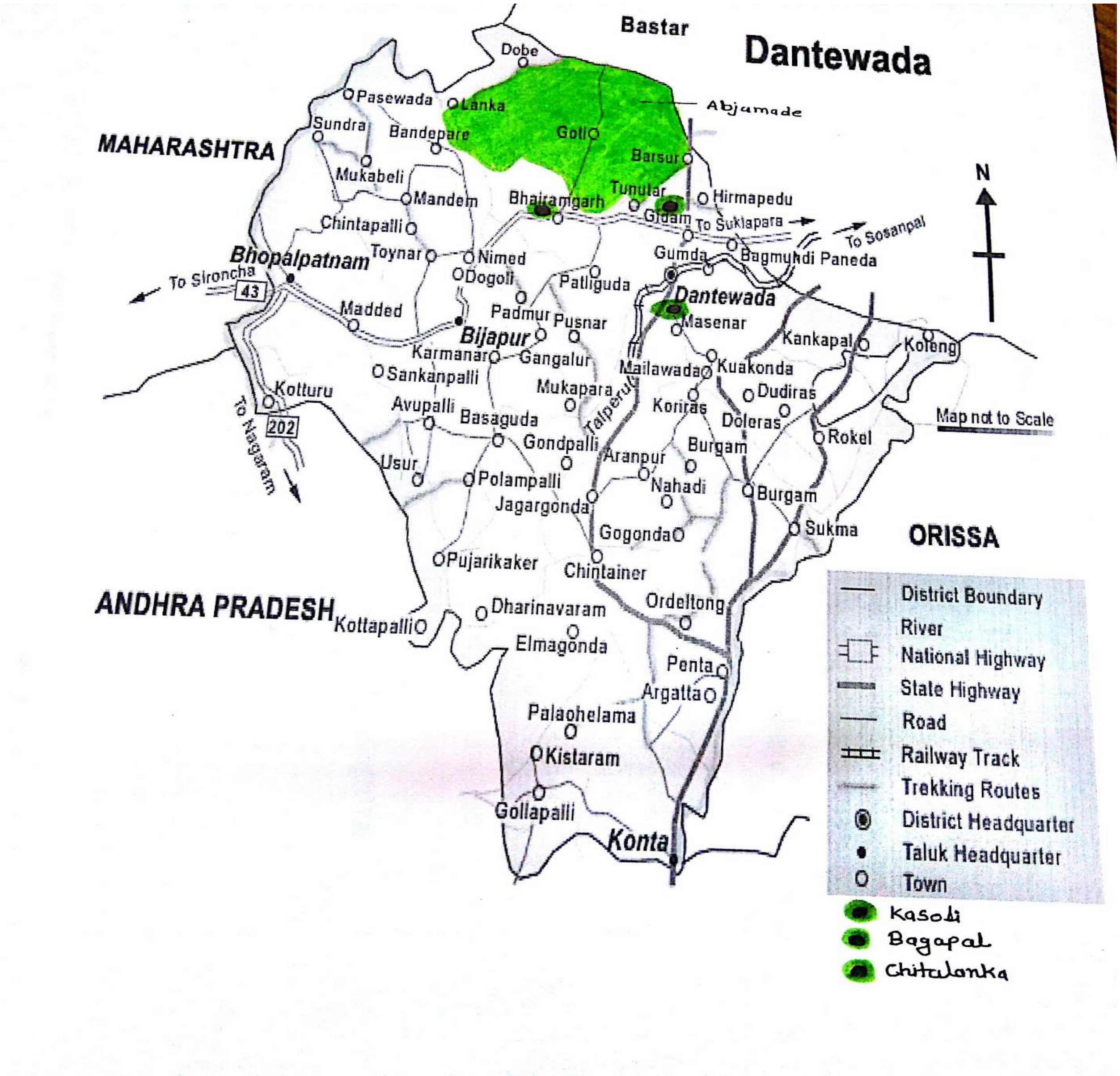

161

---

[160] बस्तर विकास प्राधिकरण (Bastar Development Authority)की तीसरी बैठक के रिपोट के अनुसार २००३-२००४.

[161] Dantewada districts map: map are showing camps (Kasoli, Bagapal, Chitalanka)

सलवा जुडूम कैम्प में हुआ परिवर्तन और हिंसा -

‘सलवा जुडूम’ ऑपरेशन जो 2005 में अबूझमाड़ के गाँवों में चलाया गया था जिससे अबूझमाडियों के जीवन को ही बदल के रख दिया है। अबूझमाड़ में रहने वाले आदिवासी जनजातियों जो जल, जंगल सुर जमीन के सहारे अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे उनकी अपनी एक संस्कृती, समाज और आर्थिक व्यवहार है। जिसका किसी दुसरे समुदाय से कोई संपर्क नही था अपने जीवन में ख़ुशी से रहते थे सलवा जुडूम अभियान 2005 में शुरू हुआ। उसके पहले गाँवों में नक्सलवादी हिंसा, हिंसा, लूटना, मरना, पीटना चलता था आदिवासी जीवन इस हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। ये नक्सलवादी लोग महीनें में एक बार आते थे और लूटकर ले जाते थे, मारते थे, परंन्तु सलवा जुडूम अभियान के अन्तर्गत तो लूटना मारना महिलाओं के साथ बलात्कार, पूरे गाँव को जला देना और गाँव के लोगों को जबरदस्ती इस अभियान में शमिल करना था। उन्हें रहवासी शिविरों में भेजना गाँव को खाली करना इत्यदि हिंसा जो इस अभियान के दोरान अबूझमाड़ में हुई।

कैम्प में रहने के बाद उनका जो पारंपारिक जो व्यवसाय था खेती और खेती से आधारित उधोग जो उनकी आर्थिक स्तर का मुख्य आधार था, वो भी छिन गया व् पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गये। जिसमें महिलाओं पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा अबूझमाड़ में प्रत्येक परिवार के पास इतनी जमीन और पालतू पशु होते थे, की अगर फसल के उत्पादन के बाद अगर वो कुछ काम भी ना करे तो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते थे। उस समय खेती और वन्य-उपज भी बहुत ज्यादा होती थी जिससे इन्हें कभी भुखमरी का सामना नही करना पड़ा। अगर किसी परिवार में फसल का उत्पादन कम हुआ हो तो पुरे गाँव वाले जो सार्वजानिक मालमत्ता में जो जमा धान होती है। उसी से उसे धान से अनाज दिया

जाता है। जिससे वो अपने परिवार का पालन कर सके इस तरह की सहयोग की भावना प्रत्येक परिवार में होती है।

अबूझमाड़ में खेती स्थानातरित होती है जब पूरा गाँव का पलायन होकर नई जगह बसता है सबसे पहले वहाँ खेती की स्थिति देखी जाती है गाँव का प्रत्येक परिवार अपनी अपनी खेती करता है। परंन्तु जब उत्पादन होता है। तब वो सार्वजानिक होता है जिसे सभी मिल बाटकर लेते है। अबूझमाड़ के आदिवासी एक स्थान पर 4 वर्षो तक ही रहते है। और बाद में नये स्थान की तलाश की जाती है और फिर नये स्थान पर बस जाते है। अबूझमाडिया महिलाएँ का मुख्य व्यवसाय खेती है। खेती का कार्य ख़त्म होने के बाद खाली समय में महिलाएँ वन्य-उपज एकत्रित करने का कार्य करती है।

उनकी दिनचर्या पूर्ण रूप से खेती और जंगल के वन्य-उपज को संग्रहीत करने में ही चला जाता उसके अलावा पेड़ों के पत्तों से टोकरी बनाना,झाड़ू बनाना तेन्दु के पत्तो से बीडी बनाना। और इन्हें स्थानिक बाजारों में जाकर बेचना। इस तरह से अबूझमाड में महिलाओं का एक विशेष स्थान है समाज में परंन्तु विस्थापन के बाद कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आये है जिससे इनका स्थान आज पुरुषों की तुलना में कम हो गया है। महिलाएँ आर्थिक चक्र से बाहर हो गई है इसके पीछे यह मुख्य कारण है कि उनके पास रोजगार ही नही है। यहाँ कैम्प में वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गई है। यहाँ कैम्प में जो रोजगार के साधन है उनसे इतनी आमदनी नही होती कि परिवार का पालन पोषण हो सके।

कैम्प में रोजगार के अवसर -

कासौली यह सबसे बड़ा कैम्प है। गीदम तहसील के अंतर्गत का सबसे बड़ा कैम्प है। यहाँ 2005 में सलवा जुडूम से जो विस्थापित हुई आदिवासी जनता को पुनर्वासित कैम्प में रखा गया है। उसमें माडिया, हल्बी, मुरिया, बंजारा इत्यदि जनजातियाँ एक साथ रहती है। इसमें

कुछ शाकाहारी है कुछ मांसाहारी उनके अनुसार उनका पारम्परिक व्यवसाय जैसे की मछली पकड़ना परंन्तु, कैम्प में आने के बाद उनका व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद हो गया। अब नदी पर जाकर मछली पकड़ने का जो काम था वो भी बंद हो गया। अबूझमाड में अधिकतर आदिवासी जो मासाहारी होते है वो शिकार करते है। परंन्तु, विस्थापन के बाद शिकार करने के लिए जंगल में जाने पर पाबंदी थी तो इस तरह के रोजगार से वो धीरे धीरे दूर होते चले गये।

अब पुनर्वासित कैम्प में रोजगार के अवसर बहुत ही कम है। जो है वो भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये है जिसके अंतर्गत रोजगार गारंटी कानून से निर्माण होने वाले रोजगार, वो महिला और पुरुषों के लिए बराबर नही थे महिलाओं को पुरुषो की तुलना में कम आमदनी दी जाती थी। पुरुषों को 100 रूपये महिलाओं को 80 रूपये दिए जाते है। परंन्तु, काम का स्वरूप समान होता है समय भी समान होता है सिर्फ मिलने वाली आमदनी में ही बदलाव होता है।

इसके अलावा कुछ पूरुष जो सलवा जुडूम के समय SPO (Special Police Officer) बने थे उन्हें आज भी SPO का काम ही दिया गया है। और जो महिलाएँ SPO थी उन्हें भी उसी काम के अंतर्गत पुलिस-चौकी में काम दिया गया है SPO में पुरुष और महिलाओं को समान वेतन मिलता है। जहां SPO पुरुषो को कैम्प में ही रखा जाता है जिससें वो कैम्पं की सुरक्षा कर सके। अधिकतर कैम्पं गाँव के पास ही बनाये गये है। जिससे की कैम्प में रहने वाले आदिवासी जनजातियों को खेतो में, रोजगार सहज उपलब्ध हो जाये।

जो महिलाएँ बाहार नही जा सकती उन महिलाओं के लिए कैम्प के अंदर वन विभाग द्वारा हस्त-उधोग (बांबू से वस्तुए बनाना) वीट बनाना, खंभे बनाना, सिलाई मशीन से कपड़े सिलना इत्यदि काम वन विभाग नें शुरू किये है। इस से रोजगार तो मिल गया। परंन्तु,

महिलाएँ यहाँ मन से उस काम को नहीं अपना पाई इसका कारण है। की अबूझमाड़ में रोजगार के साधन अलग थे और ये अलग है। जिस वजह से अधिकतर महिलाएं बाहर खेतो में मजदूरी करना ज्यादा पंसद करती है। वन विभाग नें आदिवासी महिआलों के आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु यह कार्यशाला का निर्माण किया था। अब वहाँ पर सिर्फ 10 से 15 महिलाएँ ही काम करती है पर यहं बंद नही हुआ। दूसरा एक सलवा जुडूम के दौरान जीन महिआलों पर शारीरक हिंसा और बलात्कार हुआ था। उन महिलाओं के पूनर्वास के लिए इन महिलाओं को रोजगार दिया गया जिसमे प्रत्येक कैम्प जो निवासी स्कूल है उसमें इन्हें नियुक्त किया गया है। जिन्हें शिक्षा का ज्ञान था उन्हें प्राथिमक शिक्षिका बनाया और जो अशिक्षित थी, उन्हें भोजन बनाने का कार्य दिया गया जिससे उनकी जीविका चल सके। इस तरह से उनका पूनर्वास समाज में ही किया जा सके। सलवा जुडूम में जो हिंसा महिआलों पर हुई उस वजह से जिन बच्चों का जन्म हुआ उन्हें समाज में स्थान दिलाले हेतु उनका पूरा शिक्षण यह निवासी स्कुल में होता है। जिससे वो अच्छे समाज का निर्माण कर सके।

***बांगापाल कैम्प* -**

बांगापाल कैम्प यह कंसोली कैम्प से बहुत ही छोटा है और यह शहर से भी काफी दूर है । यहाँ पर रोजगार के भी उतने साधन नही है यहाँ पर MGNREG (Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act) के अंतर्गत जो रोजगार के साधन है बस वही है। इसके अलावा यहाँ कोई महिलाओं के लिए कोई विशेष रोजगार या उधोग नही है। जिससे की वो अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बना सके और अपने परिवार के लिए अर्थजन्य कर सके यह कैम्प मुख्य सड़क से थोडा अंदर की ओर है। जिससे यहाँ आस पास के गाँव में जाकर खेत मजदूरी करनी पड़ती है दूसरा कोई साधन नही है स्वंय रोजगार

में यहाँ पर वन्य उपज, झाड़ू और टोकरी बनाना कर उसे स्थानिक बाजारों में बेचना यही है। विस्थापन के पहले ये आदिवासी के पास 8 से 9 बीगा जमीन होती थी जिस पर वो अपने हिसाब से खेती करते थे परंन्तु अब परिस्थिति बदल गई है अब इन्हें दूसरों के खेतों के मजदूरी करनी होती है जिसमें पुरुष 60 रूपये दिन का मिलता है और स्त्री कों 50 मिलता है।

इसी से कैम्प में रहने वाली महिलाओं का जीवन निर्वाह होता है। यह रोजगार के कम अवसर होने का एक कारण यह भी है की यह जंगल में बसा हुआ है, आस-पास कोई बड़ा कस्बा भी नही है, दूसरा यहाँ नक्सलियों का खतरा दिन और रात दोनों समय रहता है जिससे यहाँ पर कोई रोजगार के लिए कोई योजना भी नही चलाई जाती।

चिंतालाका कैम्प -

यह सभी कैम्पों की तुलना में सबसे अधिक विकसित कैम्प है यहाँ बिजली,पानी,स्वास्थ्य सुविधा रोजगार के साधन उपलब्ध है। इसका मुख्य कारण है की यह कैम्प दन्तेवाड़ा के सबसे नजदीक है यहाँ पर रोजगार के सबसे अधिक साधन है। जिसमे लोह की खानों में मजदूरी, SPO, घरेलू काम, घर बनाने का काम इस तरह अनेक रोजगार के अवसर यहाँ उपलब्ध है। जिससे अच्छी आवक हो जाती है। महिलाएँ अधितर शहरों में घरों में काम करना यह ही महिलाओं का मुख्य व्यवसाय है।

यह पर भी सरकार द्रारा चलाई जाने वाली योजनाओं का भी लाभ महिलाओं और पुरुषों को मिलता है। यहाँ पर अधिकतर वो ही परिवार है जिनके घर का कोई व्यक्ति SPO का काम करता है, उन्हें इस कैम्प में रखा गया है इन परिवारों पर नक्सलियों का सबसे अधिक खतरा होता है। इसी वजह से यह कैम्प शहर के पास बसाया गया है।

विस्थापन के बाद आए महिलाओं के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन -

सांस्कृतिक परिवर्तन -

आदिवासी समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति देने को या उसे आत्मसात करने के लिए अबूझमाड़ में प्रत्येक गाँव में एक घोटुल होता था। जो यह सारी परंम्परा व्यवहार, सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक सभी का ज्ञान नयी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के द्रारा मिलता है। जिसका वो जीवन भर पालन करते है। घोटुल में प्रत्येक युवक और युवती को प्रवेश दिया जाता था परतु विवाह के बाद उनकी सदस्यता रद कर दी जाती है। यहाँ पर इन्हें धर्म संस्कार, मरन संस्कार, पूजा सम्बंधित ज्ञान, ओषध उपचार इत्यदि की योग्य शिक्षा दी जाती है। इसके आलावा विवाह के बाद वैवाहिक जीवन का ज्ञान दिया जाता है इन सब की जानकारी घोटुल का मुखिया देता है, जो गाँव का भी प्रमुख होता है। यहाँ अपराध करने पर दंड भी दिया जाता है जो सभी की सहमती से होता है। यह सजा सार्वजानिक रूप से सुनाई जाती है जिससे सभी में अपराध के प्रति मन में डर हो जिससे अपराध कम होगे। इस एक सांकृतिक स्थानान्तरण में महिलाएँ मुख्य भूमिका निभाती है परंन्तु, विस्थापन के बाद यह पूर्ण रूप से बदल गया।

सलवा जुडूम के दौरान और बाद में विस्थापन के बाद जहाँ पुनर्वासित कैम्प बनाये है वहाँ पर घोटुल जैसी संस्थाए नही है। अब यहाँ पर निवासी आश्रम स्कूल ने ले ली है। जहाँ पर सिर्फ शिक्षा दी जाती है। जिससे रोजगार तो मिल जाएगा। परंत्नु, व्यवहारिक ज्ञान नही मिलेगा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह की बच्चें बचपन से ही घर से बाहार निवासी आश्रम स्कूल में रहते है उनका घर के प्रति जो लगाव है वो भी कम हो गया है। इस तरह विस्थापन के बाद कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आये है जिससे आदिवासी समाज अपनी मूल

संस्कृती से दूर होकर शहरीकरण वाली संस्कृती को अपना रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कई बदला आये है जिससें नई पीढ़ी शिक्षा के लिए शहरों की तरह उनका रुझाव अधिक है।

सामाजिक परिवर्तन -

विस्थापन के बाद आदिवासी महिलाओं में सामाजिक परिवर्तन आया है। कृषि पर आधारित और उस से जुड़े उद्योग पर विस्थापन के बाद कृषि जो उनका मुख्य व्यवसाय था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया कैम्प में रोजगार के साधन ही नही थे यहां जो सरकार द्रारा उपलब्ध कराये गये रोजगार थे उसी के सहारे उन्हें जीवन व्यापन करना था जिससें उनका सामाजिक जीवन भी बदल गया कैम्पं में घर छोटे थे जिससें वो कोई पालतू प्राणी भी नही पाल सकते जिससे कुछ वेतन मिल सके।

आर्थिक परिवर्तन -

आदिवासी महिलाओं की आर्थिक स्थिति उस समाज के विकास पर आधारित होती है। क्योंकि आदिवासी महिलाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में योगदान देती है। वास्तव में वो पुरुषो की तुलना में अधिक कार्य करती है परंन्तु उसके योगदान का मूल्यांकन नहीं किया गया। आदिवासी महिलाएं सुबह से घर का काम करती है बाद में कृषि कार्य में भी पुरुष वर्ग का सहयोग करती है फिर शाम होने पर भोजन पकान बच्चों की देखभाल इत्यादी कार्य होते थे। परंन्तु, विस्थापन के बाद कैम्पं में काम की कमी होने की वजह, महिलाएं आर्थिक कार्यो में कम सहयोग देती है। यहाँ पर जो काम उपलब्ध है उनसे उनका जुड़ाव नहीं हो पाता। इसलिए उनका योगदान कम हुआ है सिर्फ चितालंका कैम्पं में रोजगार के आधिक साधन है। वह पर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत है।

आदिवासी महिलाओं पर हिंसा -

महिलाओं की महत्ता को किसी भी समाज में नकारा नहीं जा सकता है। समाज के सर्जन का श्रेय नारी[162] को है। पुरुष और नारी सृष्टि के निर्माण और संचालन के दो मुलभुत तत्व है पर पुरुष मनुष्य है, मानव है। नारी केवल नारी है नर की प्रतिछाया नारी मानुषी और मानवी उसे प्राय नही कहा गया इसका अर्थ है। कि यह सारे संसार में समान है इस अर्थ की समानता हर कही पुरुष के खिलाफ समान आक्रोश, असंतोष और विद्रोह को जन्म देती है कही कही आन्दोलन के रूप में खुली चुनोती भी है। पुरुष भी किसी का पति, पिता, भाई, प्रेमी है पर इन के रूप में केवल नारी है वह पुरुष की तरह मानव और मनुष्य क्यों नही समझी जाती, सृष्टि की रचना में उसका योगदान भी समान से अधिक है क्योंकि वह मानव की जन्मदात्री है।

संसार के विकास में उसका योगदान नगण्य क्यों रहा है? आज कही यह योगदान दिखाई देता है। तो उसी तरह जैसे अल्पसंख्यको के लिए कुछ प्रतिशत सीटें रख दी जाती है समानता की भागीदारी केवल विधान कागजों पर ही है व्यवहार में स्थान अल्पसंख्यको के समान ही है। ऐसा क्यों है, महिलाओं को अल्पसंख्यकों की कतार में क्यों रहना पड़ता है? क्या वह सिर्फ पुरुष पति का मन बहलाव करने की वस्तु और संतान पैदा करने की मशीन भर है? उसका अपना निजी अस्तित्व अपनी पहचान कहाँ है? निजी तोर पर विश्वहित में उसकी कोई अन्य भूमिका क्यों नही रही? ये ऐसे प्रश्न आज भी नारी को कुदेरे है कही कम कही ज्यादा। पर मूल प्रश्न समान है समाज में प्रत्येक क्षेत्र में नारी समय समय पर

---

[162] नारी – इस अध्याय में आदिवासी नारी को परिभाषित करने का प्रयास किया है पहले हमे नारी को परिभाषित करना होगा 'नारी को पुरुष की शक्ति, ज्योति एंव सिध्दि की प्रतीक माना जाता है नारी माता, पत्नी, पुत्री इन सभी में पुरुष के लिए सम्म्नानीय है'' वह किसी भी समाज में हो आखिर में एक स्त्री ही है चाहे वो सुशिक्षित स्त्री, आधुनिक समाज की स्त्री हो या आदिवासी स्त्री हो अंत में उसे स्त्री शब्द से ही उसे परिभाषित किया जाता है।

अपना योगदान देती रही है। लेकिन फिर भी कोई समाज नारी उत्पीड़न से अछुता नही रहा है उपरोक्त शब्द की व्याख्या करने से पहले समाज में नारी के अस्तित्व उसकी भूमिका तथा सही मायने में नारी शब्द की व्याख्या करना आवश्यक है। उतना ही महत्वपूर्ण है, हिंसा की अलग अलग परिभाषा है।

जिसमें हिंसा समाज के बनाये और माने हुए रास्ते को तोडना का नाम है हिंसा को क़ानूनी और समाजशास्त्री दो द्रुष्टिकोण से परिभाषत किया गया है क़ानूनी दुष्टि से हिंसा कानून का उल्लंघन है।

हॉल ज्युरोम के अनुसार

> *''अपराध क़ानूनी तोर पर वर्जित और साभिप्राय कार्य है जिसका सामाजिक हितों पर हिंसक और हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा जिसका उद्देश्य आपराधिक होता है और जिसके लिए क़ानूनी तौर पर दण्ड निर्धारित है''*।[163]

इलियट एंव मेरिल के अनुसार

> *'ऐसी समाज विरोधी व्यवहार अपराध है जो किसी समूह विशेष द्रारा अस्वीकार किया जाता है तथा जिसके लिये दण्ड के निर्धारण की व्यवस्था होती है'*। [164]

महिलाओं के प्रति हिंसा एंव अपराध यह आज की युग की घटना नही है प्राचीन भारत में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते है। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रोपती को जुये के दाव में लगा दिया था। और दुर्योधन ने भरी सभा में उसका चीर हारण कर अपमानित किया था। रामायण काल में रावण ने सीता का अपहरण किया था। मध्यकालीन समाज में सती प्रथा, विधवाओं को अनेक अधिकारों से वंचित किया जाता रहा तथा कई तरह से कष्ट दिए जाते रहे है वर्तनाम समय में हिंसा का स्वरूप में बदलाव आया है

---

[163] डॉ.प्रभा खेतान' "*स्त्री : उपेक्षिता (फ्रेंच लेखिका सिमोनद बोउवार की पुस्तक 'The Second Sex*" का हिंन्दी अनुवाद,हिन्द पाकेट बुक्स दिल्लर 1994) पृ..19

[164] *(163) Ibid.page.19*

जिसमें, दहेज को लेकर नारी को जलाना या हत्या कर देना, सती-प्रथा, भ्रूण-हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा जिसमें बलात्कार ,यौन उत्पीडन एंव शोषण (दैहिक, मानसिक, एंव आर्थिक सामाजिक शोषण) इस तरह की सभी हिंसा आज के युग में सबसे अधिक प्रमाण में महिलाओं के प्रति हो रही है। हिंसा को भी तीन भागों में विभाजित किया है जिसमें पहली आपराधिक हिंसा में बलात्कार अपहरण जैसी हिंसा शामिल है। दूसरी घरेलू हिंसा में दहेज़ सम्बन्धी मृत्यु, पत्नी को पीटना, जैसी हिंसा शामिल है। तीसरी सामाजिक हिंसा साम्प्रदायिक हिंसा, स्त्री को सम्पत्ति में हिसा नही देना जातिगत विवादों में होने वाली हिंसा इस तरह की सभी हिंसा सामाजिक हिंसा में आती है। अभी तक हम हिंसा को समझने का प्रयास कर रहे थे की हिंसा यह आज से नही अदि काल से होती आ रही है सिर्फ स्वरूप में ही बदलाव होता है।

"नारी चेतना और अपराध"[165] इस बुक में अंसारी जी ने

> *"पुरुष अधिशासित सामाजिक व्यवस्था में नारी को तिरस्कृत किया जाता है। नारी का शोषण किया जाता है। नारी की उपेक्षा की जाती है। उसका अपमान किया जाता है। और यहाँ तक उसके साथ अमानवीय पशुवत हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है। उसे मारा-पीटा जाता है। भूखा रखा जाता है, उसे लुटा कर उसके शरीर को नोच कर उसे बल पूर्वक उठा ले जाते है। उसे बेचा और ख़रीदा जाता है। इसके अलावा जहर देकर, जिन्दा जलाकर, भूखा रखा कर या फिर गला घोट कर, फंदा डाल कर मार दिया जाता है। विडम्बना यह है, की इन सब कृत्यों में जिसमें नारी के विरुध्द अपराध किये जाते है। इन सारे अपराध को महिलाएँ चुपचाप सहती है क्योंकि भारतीय सामजिक- धार्मिक विधि-विधान की पष्ठभूमि में यह निर्विवाद रूप से खा जाता है। की पति परमेश्वर का रूप होता है वह उसका संरक्षण है, उसकी संतान का पालक है। पति की सेवा व् उसकी इच्छाओं का आदर ही पत्नी का धर्म व् कर्तव्य है इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं व् संस्कारों से पलित नारी अपने पति को विरुध्द बोलकर समाज व् परिवार में पाप की भागीदार नही बनना चाहती है।"*

---

165 एम्. एन. अंसारी, *"नारी चेतना और अपराध"* पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1989, पृष्ट.12.

डॉ. आशु रानी सचदेवा के अनुसार-

*"यदि ईश्वर प्रकाश पुंज है तो नारी उसकी किरण है, जो प्रकाश को चारों और बिखरे देती है। यदि ईश्वर शब्द है तो नारी उसकी व्याख्या व् अर्थ है। अर्थात नारी को ईश्वर के समागम व् एक -दुसरे का पूरक समझा जाता है। संसार को चलाने वाले ईश्वर ने भी नारी को माध्यम माना **है**।*[166]

आशा रानी बोहरा के अनुसार -

नारी सोन्दर्य पुरुष के लिए, समाज के लिए और स्वयं नारी के लिए प्रकृति का एक अनुपम वरदान है। उसको केवल मात्र उपभोग की वस्तु नही समझना चाहिए मानसिक सोन्दर्य के बिना शारीरिक सोन्दर्य अधुरा है। इस सोन्दर्य की इस परिभाषा को पूर्ण बनाये की ना की उसे अभिशाप समझ का उसकी उपेक्षा करे।[167]

उपरोक्त अवधारणा से यह कहा जा सकता है। की नारी को अपना विकास स्वयं करना पड़ेगा इसके लिए नारी को उत्पीडन करने वाली सामाजिक परम्पराओं, प्राचीन बहिष्कार करना पड़ेगा, जिसके कारण नारी के सफल व् सुखमय जीवन का सपना साकार होगा।[168] उपरोक्त अवधारणा से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक नारी के प्रति पुरुष व् समाज की धारणा में परिवर्तन नही आया उसकी शारीरिक कमजोरी को उसकी दुर्बलता मान लिया गया जिसके परिणाम स्वरूप समाज की मानसिकता में स्त्रियाँ निर्बल हो गई । पुरुष इन्हें प्रसाधन का साधन मानने लगे और वे भोग्य के रूप में देखते है उनके अन्दर असुरक्षा का भाव इतना बहार दिया गया कि जिसका अस्तित्व वर्तमान में भी संम्पूर्ण नारी जाति में विधमान है। स्त्री की महत्व कथाओं में पुरानों में

---

[166] डॉ.आशु रानी सचदेवा, "*महिला विकास कार्यक्रम*" इनाशी पब्लिकेशन, जयपुर 1997 ,पृष्ट.17.

[167] आशारानी बोहरा, "*भारतीय नारी-दशा और दिशा*" नैशनल पब्लिकेशन.नई दिल्ली 1993. पृ.15

[168] *(167) Ibid.page.17.*

चाहे कितनी भी क्यों न हो लेकिन समाज में स्त्रियों को वह प्रतिष्ठ मिली है। चाहे वह भारतीय समाज हो या पाश्चात्य समाज नारी स्वतंत्रता की दुर्दशा तो एक सी रही है। पुरुष ने सदैव ही नारी को हेद दृष्टी से देखा नारी के गुणों को ही उसकी दुर्बलता का कारण है। जिससे उसका मनमाना शोषण व् उत्पीडन की शुरुआत होती है। इस प्रकार इस पुरुष अधिशाषित समाज में नारी पुरुष के हाथों की कठपुतली बन गई, नारी के प्राचीन धारणाओं भंतियों व् परम्पराओं का निर्वाह करते हुए अपनी जिन्दगी गुजार रही है।[169]

महिलाओ की समस्याएं केवल आधुनिक समाज में ही नही, यह बहुत पुरानी है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को यदि देखे तो वैदिक काल से आधुनिक काल तक महिलाएं किसी न किसी रूप में चाहे धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर समाज के रीती-रिवाजों के नाम पर अत्याचार हिंसा, शोषण का शिकार होती रही है। इसके लिए कोई समाज अछुता नही चाहे वो कितना ही प्रगत समाज हो या जंगलों में रहने वाला आदिवासी समाज सिर्फ हिंसा का स्वरूप में ही बदलाव होता है। महिलाओं को हर समय अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं पर होने वाले इन अत्याचारों के पीछे कारण कथा है समाज की पितृ-प्रधान व्यवस्था या स्त्रियों की मजबूरी या महिलाओं का आर्थिक परावलम्बं ही, महिलाओं पर अत्याचार का एक माध्यम है। ये अत्याचार कभी महिलाओं को अनुशासित करने के बहाने से वो कभी अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए किये जाते है। सामुदायिक हिंसा में भी सबसे अधिक महिलाओं पर अत्याचार होता है चाहे वो किसी भी समुदाय से आती हो हिंसा का शिकार तो होना ही है। ये अत्याचार शारीरिक और मानसिक दोनों ही होते है। आधुनिक समय में भारतीय महिला के सामने दो महत्वपूर्ण समस्याएं है। पहली महिलाओं की सुरक्षा, दूसरी हिंसा या अत्याचार यह दो समस्याओं पर विचार होना चाहिए।

---

[169] *(167) Ibid.page.15.*

आदिवासी महिलाओ पर हिंसा -

आदिवासी समाज में हिंसा यह शब्द अस्तित में ही नही था। अन्य समाज में महिलाओं पर कई पाबंदीया होती है। उन महिलाओं की तुलना में आदिवासी समाज में महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता है। प्राचीन काल आदिवासी समाज में 'शिकार करना संग्रहीत करना' इसी पर उनका जीवन टिका हुआ था। सार्वजानिक संपत्ती की संकल्पना होती थी कामों का विभाजन था पुरुषों का कार्य था शिकार करना महिलाओं का कार्य था संग्रहित करना। इस तरह श्रम का भी विभाजन होता था। परंन्तु, आदिवासी समाज में व्यक्तिगत संपत्ती की अवधारणा नही थी की संपत्ती का संग्रहन करना है। इस वजह से हिंसा का अस्तित ही नही था परंन्तु न्याय व्यवस्था थी जो कोई अपराध करता उसे उस कबीले का मुखिया पुरे समुदाय की सहमती से दण्ड देते जिससें दूसरा कोई इस तरह का अपराध नही कर सके। आदिवासी समाज जब शिकार के साथ कृषि व्यवसाय को अपना मुख्य व्यवसाय बना तब फिर आदिवासी कबीलें में रहते हुए गाँव में रहने लगे अब परिवार की अवधारणा निर्माण हो चुकी थी अब आदिवासी समाज भी परिवार में बन लगे परंन्तु तभी संपत्ती का संचय करके एक पीढ़ी से दुसरे पीढ़ी को हस्तातरित करने की प्रथा नही थी।

आदिवासी समाज जैसे जैसे बाहरी परिपेक्ष से संम्पर्क में आया इसमें परिवर्तन आने लगा। कई आदिवासी समाज ने यह परिवर्तन पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया और गाँवो से शहरों की तरफ पलायन कर चले गये। कई आदिवासी समाज जो पूर्ण रूप से इस नये परिपेक्ष को अपना नही पाये है वो आज भी उसी तरह अपना जीवन जीते है वहां सरकार द्वारा जो मुलभुत सुविधा दी गई है वो उसका भी उपयोग करते है। और अपनी परंपराओं का भी पालन करते है। नये समाज के संपर्क में आने के बाद हिंसा की शुरुवात मानी जाती है।

आदिवासी समाज में हिंसा के प्रकार -

आदिवासी समाज में स्त्री भ्रूण-हत्या का अस्तित्व नही था -

आदिवासी समाज में भ्रूण की हत्या करना या इस तरह की कोई भी हिंसा इस समाज में प्राचीन समय से ही नही है। आज के नये आधुनिक समाज में संम्पर्क में आने के बाद इस तरह की हिंसा अब आदिवासी समाज में होने लगी है। आदिवासी समाज में स्त्री को आदर का स्थान है प्राचीन काल से ही पुत्र एंव पुत्री को समान माना जाता था इसी वजह पुत्री के जन्म पर भी उसाह के साथ मनाया जाता था। इस समाज में विवाह के समय 'स्त्री-धन' मिलता है जो वर पक्ष के द्रारा वघू पक्ष को दिया जाता है। इसलिए स्त्री के जन्म पर उसाह मनाया जाता है इस वजह से यह पर स्त्री भ्रूणहत्या की संकल्पना अस्तित में ही नही थी परंन्तु, अब बाहरी समाज के प्रभाव के करण पुत्र कुल का दीपक होता है यह इस समाज में भी धीरे धीरे अस्तित में आने लगी है जिससें इस तरह की स्त्री भ्रूण हिंसा आदिवासी समाज में दिखती है।

आदिवासी समाज में दहेज हिंसा का भी अस्तित्त नही था -

आदिवासी समाज में दहेज की प्रथा नही है। यहां पर वधु-मूल्य[170] देने की प्रथा प्रचलित है इसके अंतर्गत विवाह के समय वर पक्ष द्रारा वधू के परिवार को वधू-मूल्य चुकाया जाता है। वधू-मूल्य यह सगाई के दौरान दिया जाता है। यह मूल्य सभी के समक्ष दिया जाता है जिससें विवाह के बाद भी महिलाओं का पक्ष मजबूत रहे। इसी कारण यहां पर दहेज को लेकर हिंसा नही होती। परंन्तु, अब आदिवासी समाज में अन्य समाज में दहेज की प्रथा है उसे आत्मसात करना शुरू कर दिया है। जिससें कई स्थान पर अब यह दहेज हिंसा दिखाई देती है।

---

[170] वधूमूल्य – वधूमूल्य का अर्थ होता है संपत्ती जिसमें 1000-5000 रूपये की राशी, दो खण्डी कोसरा चावल, एक या दो सूअर दो मुर्गा, दो कपड़े तलदोपा (पगड़ी), पिगोंड गेतलांग (साड़ी) और शराब इतना सब वधू मूल्य के अंतर्गत आता है

संपत्ती के अधिकार से होने वाली हिंसा -

अबूझमाड की आदिवासी जनजातियों में संम्पत्ति की अवधारणा संचय एंव विस्तार से पृथक निर्वाह से जुड़ा हुआ है अबूझमाड अपने निवास क्षेत्र को अपना समाज व् संम्पत्ति मानते है जो उन्हें उत्तराधिकार में पूर्वजों से प्राप्त हुआ है इनकी कृषि भी स्थानातरित पद्धति से होती है। जिससे हर पाच साल बाद पूरा का पूरा गाँव स्थानातरित होता है इसलिए जब संम्पत्ति का अस्तित ही नही है। तो इस संम्पत्ति को लेकर हिंसा का प्रश्न ही नही है। परंन्तु, नये समाज का अनुकरण करते हुए यह समाज भी अब धन संचय का कार्य करने लगा है। इसके पीछे एक यह भी कारण है की जब से वन नीतियाँ आई है तब से घर की या कृषि जमीन अपने नाम पर करना होगा यह सरकारी नियम है। तभी आप वो किसी को हस्तांतरित कर सकते है। अब सम्पत्ति को लेकर आदिवासी समाज में हिंसा होती है। अब तक हम जिस हिंसा पर बात कर रहे थे वो सामाजिक हिंसा और घरेलु हिंसा के अंतर्गत आते है पर अब हम आपराधिक हिंसा पर बात करेगें। मेरें शोध कार्य में विस्थापन के बाद हिंसा का स्वरूप कैसे है इस पर चर्चा करगें आदिवासी महिलाएं जो मेरें इस शोध का मुख्य बिंदु है। विस्थापन के दौरान व् विस्थापन के बाद जो कैम्प में हिंसा हुई उसी पर चर्चा की गई है।

विस्थापन भी एक प्रकार की हिंसा -

आदिवासी समाज पर उन्हें अपने मूल स्थान से विस्थापित कर नये स्थान पर पुनस्थापित किया गया। यह एक मानसिक हिंसा है। जिसमें समाज जहां से विस्थापित होता वो उसका मूल स्थान है। वहां पर उसके जीवन व्यतीत करनें के सभी साधन उपलब्ध होते है वह समाज में रहता है परंन्तु विस्थापन यह मानसिक हिंसा करता है। उस आदिवासी समाज पर नये स्थान से वो अपना जुडाव नही कर पाते। उनका जीवन जंगलों और उस पर

आधारित रोजगार इस पर आधारित है। क्योंकि उनका पुनर्वास जंगल में नहीं किया जाता। गाँव के आस-पास किया जाता है जिससें उनका जुडाव कम हो रहा है। विस्थापन से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती है आदिवासी पुरुषों की तुलना में आदिवासी महिलाएं अधिक विस्थापन से प्रभावित होती है उनका एक सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जुडाव जंगल और अपने समुदाय से होता है विस्थापन के बाद सब कुछ अलग अलग हो जाता जिससें कई समस्याएँ निर्माण होती है। जिसमें विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक-कार्य इत्यदि.

राजनैतिक हिंसा - का एक महत्वपूर्ण उदाहरण 'सलवा जुडूम अभियान' जो 2005 में राज्य सरकार और केन्द सरकार के सहयोग से शुरू किया गया अभियान था जिसका नाम था सलवा जुडूम यह एक गोड़ी शब्द है। जिसका अनुवाद 'Pease March' या 'शांति का करवा' यह होता है। यह अभियान नक्सलीय समस्या को खत्म करनें के उद्देश्य से चलाया गया था परंन्तु इस से 3 लाख से भी आधिक आदिवासी समुदाय विस्थापित हुए, यह अभियान 1000 से अधिक गाँवो में चलाया गया। इस अभियान में 100 अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। सलवा जुडूम की वजह से जो हिंसा आदिवासी समाज में पुरुषों और महिलाओं पर हुई है।

सलवा जुडूम कैम्पं के अन्दर महिलाओं पर हिंसा -

छत्तीसगढ़ सरकार द्रारा 2005 में जो अभियान चलाया गया था। सलवा जुडूम अभियान से 1000 गाँव विस्थापित हुए। उन विस्थापित आदिवासियों को सरकार द्रारा बनाये गये राहत शिविरों में रखा गया। जहाँ पर उन्हें उनकी इच्छा के विरुध्द रखा गया था। शिविरों में न जाने वाले गाँवो पर लगातार कई बार हमला कर लोगों की हत्या करके उनके घरों को लुटते थे। उसके बाद उस गाँव को जला देते थे, उन्हें जानवरों पर भी दया नही आती थी। वो जानवरों को भी घर के साथ जला देते थे। इस आंतक से बचने के लिए आदिवासी राहत

शिविरों का सहारा लेते। नक्सलीय हिंसा जिसका शिकार भी आदिवासी ही होते थे इसी डर से शिविरों में रहने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नही था। इस अभियान के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे पहला तो नक्सलीय आन्दोलन को खत्म करना जिससे इस भाग का विकास हो। दूसरा की जहाँ यह आदिवासी गाँव बसे है। वह जमीन नैसर्गिक संसाधनों से भरी है। जिसका उपयोग करके विकास के नये आयाम तक पहुचा जा सके आदिवासी जनता को अपनी जड़ जमीन से सीधे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए इस उद्देश के लिए यह अभियान शुरू किया गया। परंन्तु, इसे नाम सिर्फ अभियान का ही दिया गया, जिससे की इस अभियान का विरोध ना हो सके। इस अभियान के शुरू होने एक वर्ष पहले ही विदेशी कम्पनियों से साथ MOU (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर हो चुके थे, जिसका ज्ञान आदिवासी जनता को नही था जो उस जगह के मूल निवासी थे।

शिविरों अधिकतर पुलिस कैम्पों के पास ही बनाये गये है पुलिस कैम्पों में जुडूम के SPO को रखा गया था। जिससे वो इस कैम्प की सुरक्षा कर सके इन कैम्पों में रहने वाले आदिवासी जनता की सुरक्षा पुलिस कर्मियों द्रारा की जानी चहिए। परंन्तु, होता इसके उलटा, ये सुरक्षा कर्मी ही इन्हें सबसे ज्यादा लुटते थे महिलाओं के साथ योंन हिंसा करते पुरुषो और बच्चों पर भी हिंसा की जाती इस कैम्प को भी उन्होंने एक मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया। जिससे अगर नक्सलीय हिंसा होती तो पहले आदिवासी जनता मारी जाएगी फिर पुलिस कैम्प तक पहुचा जा सकेगा। इस उद्देश इस इन राहत शिविरों को बनाया गया था। शिविरों में रहने वाली जनता की हालत बेहद दयनीय व् भयावह है। उन्हें पुलिस के लिए सडके बनानी होगीं सुरक्षा-कर्मी यो द्रारा बताये गये काम करना होगा और मजदूरी मागने का हक्क भी नही है। दिया तो लेना अगर किसी ने इस के खिलाफ

आवाज उठाई तो उसे सुरक्षा कर्मी द्वारा मार दिया जाता और नक्सलियों का सहयोगी कहकर केस बंद कर दिया जाता।

इस आंतक के बीच आदिवासी जनता ने 2 वर्षो का तत्कालिन शिविरों में रहना पड़ा। जब 2007 में जब इसे बंद किया गया तब राज्य सरकार ने इनके पूनर्वास पर विचार कर इनका पूनर्वास कैम्प बनाये जहाँ आज ये लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे है। इन दो वर्षो में हिंसा की सभी सीमाए लांग दि गई जिनकी कल्पना मात्र से डर लगता है। कई महिलाए इन शिविरों में गर्भवती भी पर उनके बच्चों को पिता का नाम नही था इन बच्चो को अभी रहवासी स्कुल में रखा जहाँ उन्हें शिक्षा के साथ सामाजिक ज्ञान भी दिया जाता है आगे यही बच्चे ही भविष्य के नागरिक बनेगे। इस शिविरों में महिलाओं पर हुई हिंसा को समझने के लिए वहां पर रहने वाली महिलाओं के व्यक्ति-गत अनुभवों का अध्ययन (case study) किया है।

डॉ.राम आहूजा के अनुसार-

> *“महिला उत्पीड़न के अंतर्गत घरेलू-हिंसा महिलाओं के प्रति की गई हिंसा है। इसके अलावा सामुदायिक दंगो में भी महिलाओं पर ही हिंसा की जाती है। पुरुष मानसिकता में महिला को सिर्फ किसी एक की वस्तु के रूप में देखते है जिससे अगर उस व्यक्ति को पराजित करना है तो उसकी स्त्री पर हिंसा करो जिससे वो अपने आप पराजित हो जाता है। यही विचार सरणी के साथ लोग सामुदायिक हिंसा में महिलाओं पर सबसे अधिक हिंसा करते है,जिससे उस समुदाय का अंत हो जाये। इसके अलावा विस्थापन के दोरान, युध्द के दोरान महिलाएँ अधिक हिंसा की शिकार होती है हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत स्त्रियों को मारना-पीटना उनको जलाना, उनके साथ लैगिक दुर्व्यवहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इत्यदि आता है। इस प्रकार के अत्याचार शिक्षित महिला की अपेक्षा अशिक्षित महिलाओं के साथ अधिक होता है।“*[171]

---

[171] डॉ.राम आहूजा, “क्राईम अगेन्सट वुमैन” रावत प्रकाशन जयपुर 1987. पृ. 228.

इस परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है की महिलाओं पर हिंसा व् उत्पीडन का शिक्षा से एक जुडाव है। शिक्षित महिलाएँ अशिक्षित महिलाओं की तुलना में कम उत्पीड़न का शिकार होती है, इसके पीछे यह कारण है इन महिलाओं में आत्मविश्वास अधिक होता है अशिक्षित महिलाएँ डर की वजह से अपने को पुरुषो के अधीन कर देती है। जिससे इन पर हिंसा अधिक होती है। शिक्षित महिलाएँ आर्थिक, राजनैतिक सामाजिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रहती है। उनकी यही सक्रियता उनको अपने अधिकारों के प्रति सजग करती है।

डॉ.प्रभा आप्टे के अनुसार -

> *"किसी व्यक्ति के द्रारा या समूह के द्रारा एक व्यक्ति या समूह को आश्वासन के नाम पर धमकी देना, आतंक व् वातावरण तैयार करना अपने विचारों द्रारा दूसरे पर दबाव डालना, किसी तरह का मानसिक अत्याचार करना या खुले रूप से शारीरिक बल का प्रदर्शन करना अत्याचार व् हिंसा की श्रेणी में आता है"।*

उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है। की अत्याचारया उत्पीडन केवल एक व्यक्ति या समूह को आश्वासन या धमकी के द्रारा मानसिक उत्पीडन तथा शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके हिंसा करना।[172]

लेग एंड लेग के अनुसार-

> *"नारी हिंसा से तात्पर्य एक ऐसे दबाव से है जिसमें नारी को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुचें।केवल बोलचाल या व्यवहार के द्वारा नारी की अवेहलना करना उपेक्षा करना या अपमान करना जिसमें किसी प्रकार की शारीरिक चोट पहुँचती है जो नारी के प्रति हिंसा कहलाती है।"*

---

[172] डॉ. प्रभा आप्टे, "*भारतीय समाज में नारी*"क्लासिक पब्लिशिंग हाउस. जयपुर 1996. पृष्ट.03.

उपरोक्त परिभाषा में नारी हिंसा के लिए शारीरिक दबाव को महत्वपूर्ण माना गया है। अगर दबाव के कारण नारी को किसी प्रकार की शारीरिक चोट पहुँचती है। तो वह उसके प्रति हिंसा कह लाएगी, लेकिन दबाव रहित किसी प्रकार का व्यवहार नारी के प्रति उपेक्षा, अपमान अवहेलना को नारी के विरुध्द हिंसा में नही माना जाता।[173]

फैमिली वायलेन्स अगेस्तट वुमैन के अनुसार-

15 अगस्त 1988 को महिलाओं के विरुध्द परिवारिक अत्याचार के विरुध्द एक संगोष्टी आयोजित की गई, जिसमें मानवीय विकास भारतीय सेवाओं की प्रतिष्ठित निर्देशक श्रीमती प्रमिला कपूर, सुशीला रोहंतगी ने भाग लिया था। इसके अनुसार महिला उत्पीड़न एक प्रमुख कारण महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता है।

उपरोक्त अवधारणा में महिलाओं को अपनी मुलभुत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषों पर निर्भर होना ही उसके उत्पीडन और हिंसा का मुख्य कारण है। नारी जो एक पुरुष की माँ व् पत्नी के रूप में, उसकी सेवा करती है माँ के बलिदान की तुलना किसी भी बलिदान से नही की जा सकती है, पत्नी के रूप में नारी पुरुष के लिए अपनी सर्वस्व उसकी इच्छा व् उसके सुख-दुःख के लिए त्याग करती है। उस नारी को अपनी मूलभूत आवश्यकता भोजन,वस्त्र,आश्रय की पूर्ति के लिए पुरुषों के द्रारा शोषित उत्पीड़ित होना पड़ता है।[174]

महिला हिंसा विरोधी समिति (2007)“सलवा जुडूम और महिलाओं पर हिंसा” के अनुसार

> “*सलवा जुडूम ऑपरेशन से जो विस्थापन हुआ उसमें महिलाओं का जो शारीरिक मानसिक शोषण हुआ। उसका विश्लेषण किया गया है। इस अभियान के दौरान 100 से भी अधिक सामूहिक बलात्कार उसके बाद उनकी हत्या और शारीरिक अत्याचार भी किए गए। यहां पर पुलिस की भूमिका पर भी चर्चा की गई है कि किस तरह वहां पर अत्याचार किये। इसके अलावा राहत शिविरों में*

---

173 डॉ. प्रभा आप्टे, “*भारतीय समाज में नारी*” क्लासिक पब्लिशिंग हाउस. जयपुर 1996 पृ.03

174 “*महिलाओं के विरुध्द पारिवारिक अत्याचार*” भारत सरकार 15 फरवरी 1983, नई दिल्ली ऑफ सीरियल न्यूज, वॉल्यूम 28.न.1,1972. पृ.93.

महिलाओं की स्थिति और उनकी वहां पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवास इत्यादि मूलभूत आवश्यकताएं की भी जांच इस समिति द्वारा कि गई। इसका यह निष्कर्ष निकला की यहां पर इस अभियान महिलाओं पर अत्याचार करने वाला अभियान साबित हुआ। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया है कि सलवा जुडूम से 644 गांवों का विस्थापन किया गया है जिससे 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। जिन्हें राहत शिविरों में रखा गया था, वहां उन लोगों कि क्या स्थिति थी खासकर महिलओं की इस पर उन्होंने गहन अध्ययन किया है। इस में कई मुद्दे ऐसे है जिन पर सरकार के CRPF द्रारा किये गये शोषण को बताया है"।[175]

Mahapatra, Subhash and Jayasooriya, Chathari (2007) 'Conflict war as displacement accounts of chattisgharh & Batticuloa यहां 'fact finding report' के माध्यम से सलवा जुडूम ऑपरेशन का आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। उस पर अध्ययन हुआ है। जिसमें राहत शिविरों में कौनसी सुविधाएँ प्रदान की गई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार दोनों जिलों में 23 राहत शिविरा थे, जिसमें सरकारी आकड़ों के अनुसार 57,528 हजार कि संख्या में लोग रहते थे। एक-एक शिविरों में 1000 से भी अधिक लोगों को रखा गया था। यहां पर सुविधा के नाम पर इन में से कुछ भी नहीं था, निवास की व्यवस्था, खाना, साफ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार उपलब्ध कराने के साधन या रोजगार, शिक्षा, बिजली, सुरक्षा इस सभी सुविधाओं के अभाव में यहां पर इन्हें 2 वर्षों तक रखा गया। बाद में पूनर्वास किया गया कैम्पों में पूर्ण रूप से पुर्नवास शिविर है। यहां पर यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा था कि सरकार के द्रारा बनाए गये राहत शिविरों में विस्थापित लोगों के लिए कौन-कौन सी सुख सुविधाए प्रशासन के द्रारा प्रदान की जा रही है। यह ही नहीं सरकार इसे शांति प्रिय अभियान के रूप में चला रही थी।[176]

---

[175] महिला हिंसा विरोधी समिति (2007) "*सलवा जुडूम और महिलाओं पर हिंसा*" रायपुर, छत्तीसगढ़.

[176] Mahapatra, Subhash and Jayasooriya, Chathari, "*Fact Finding Report of Salwa Judum*".2007

Nandini, Sundar (2006) 'Bastar and Maoism' इस लेख में माओवादी कि हिंसा बस्तर में बढ़ी है। इस हिंसा से सबसे ज्यादा दन्तेवाड़ा बस्तर और कनकुर्र ये जिले प्रभावित रहे। इन्हीं माओवादी कि हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्रारा चलाया जा रहा। "सलवा जुडूम अभियान" था जिसका परिणाम था बड़े पैमाने में आदिवासियों का विस्थापन, विस्थापन के बाद तत्कालीन राहत शिविरों में निवास, फिर पुर्नवास शिविर इस पर विस्तार से चर्चा कि गई है। छत्तीसगढ़ में माओवादी के इतिहास कि शुरूआत कहाँ से हुई तब से लेकर अब तक कि क्या स्थिति थी इस पर चर्चा की गई है।[177]

भाद्वाज, सुधा (2009) "बबर्तम विस्थापन बहादुराना प्रतिरोध" इस पुस्तक में

आदिवासी प्रतिरोध जो विस्थापन के लिए था उस पर चर्चा की गई हें महिलाओं ने किस तरह प्रतिरोध और कानूनी लड़ाई के माध्यम से अपनी जमीन हासील की व इस संघर्ष में कौन-कौन सी बाधाऐं उनके सामने आई इस पर भी चर्चा की गई हैं। इस पुस्तक के अनुसार सलवा जुडूम जून 2005 से शुरू हुआ और दन्तेवाड़ा, बस्तर, कनकुर्र जिलों में, जहां माओवादीयों का क्षेत्र माना जाता था। वहां से माओवादीयों की खत्म करना एक मात्र इस सलवा जुडूम का उद्देश्य था जिसमें उन्होंने विशेष पुलिस बल की नियुक्ती की और इनके माध्यम से ही माओवादीयों को खत्म करने का प्रयास किया। किन्तु इससे सबसे ज्यादा आदिवासी प्रभावित हुए उन्हें अपने घर, रोजगार, जमीन आदि छोड़कर सरकार द्रारा बनाये गये। राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी और शोषण का शिकार होना पड़ा जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुए जिनमें उनका दौहरा शोषण हुआ प्रशासन के द्रारा तैनात किये गये सुरक्षा बलों व दूसरा माओवादीयों द्रारा दोनों ही ओर से शोषण किया गया।

[177] Nandini, Sundar,"*Bastar and Maoism"* EPW, Vol.10.2006. page 129 -134.

उन्होंने अपने लेख के अंतर्गत वहां पर हुए अत्याचार का वर्णन किया है। महिलाओं के अनुभवों को इस लेख में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।[178]

उपरोक्त सारी अवधारणाओं व् परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है। कि महिला के प्रति अत्याचार प्राचीन काल से वर्तमान काल उसी तरह से शुर है सिर्फ इसका स्वरूप में बदलाव आया है। पहले मार-पीट, बलात्कार, अब एसिड डालकर चेहरा जला दिया जाता है। इस तरह सिर्फ हिंसा के तरीकों में बदलाव आया है। हिंसा की शिकार सिर्फ शहरी और ग्रमीण महिलाएं ही नही बल्क़ि आदिवासी महिलाएँ भी है।

Violence Against Women's (Salwa Judum)

[179]

[178] भाद्वाज, सुधा (2009) "*बबर्तम विस्थापन बहादुराना प्रतिरोध*" एक पुस्तिका जो महिलाओं के एक दल द्वारा लिखित है,जो अपना विरोध दर्शाता है। पृ. 10

[179] Photography clicked by fact finding tear during on salwa judum Violence 2007. Himanshu Kumar.

180

181

[180] Photography clicked by fact finding team during on Salwa Judum Violence 2007. Himanshu Kumar.
[181] Photography clicked by fact finding tear during on salwa judum Violence 2007. Himanshu Kumar.

182

---

[182] Photography clicked by fact finding tear during on salwa judum Violence 2007. Himanshu Kumar.

Case Study -1

नाम-सुमित्रा(काल्पनिक नाम)
गाँव-पायलेर
(अबूझमाड़)
उम्र-५३ वर्ष
कैम्प -कासौली

इतिहास -

सुमित्रा यह एक वो महिला है जो विस्थापन के बाद कासौली कैम्प में रहने आई थी, विस्थापन के पूर्व अबूझमाड़ के **पायलेर** नाम के गाँव में रहती थी। जो अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है आज भी जहाँ जाना असंभव है। जहाँ पर अभी तक आधुनिक सुख-सुविधा के बारे में ज्ञान नही है। स्कुल तो थे परंन्तु शिक्षक कभी आये ही नही, सिर्फ नाम के लिए स्कुल थे। इस गाँव में ही सुमित्रा का भी परिवार रहता था, इसके परिवार में सुमित्रा अपने पति और दो बेटीयाँ, एक बेटे के साथ रहती थी। इस तरह से पाँच सदस्य का यह परिवार खुशहाली के साथ रहता था। इनका घर बड़ा था जिसमे सात कमरें थे जिसमें आराम करने वाला कमरा, बहार के लोगों के अनजाने वाला कमरा, पूजा और रसोई का कमरा सब कुछ अलग अलग था। इनके घर में अंदाज से 40-50 गाये थी 20 से भी अधिक बकरिया थी, 5 सूअर, 10 बैल थे जो खेत जोतने के काम आते थे पांच नागर (खेती करने का यंत्र) 10 भैस और खेती की जमीन इतनी थी कि यह पूरा कैम्प उसमे बसाया जा सकता है। इतनी बड़ी जमीन जिसमें मुख्य धान, तील, मक्का, कुटकी, इत्यदि मुख्य रूप से उगाये जाते थे, इनका परिवार गाँव के संपन्न परिवारों में से एक था जिसका पुरे गाँव वाले आदर करते थे इनके खेतों मे कई परिवार मजदूरी करते थे।

2001 में पहली बार नक्सलियों के **संगम सदस्य** (गाँव स्तर का समूह जो नक्सलियों के लिए काम करता है) के लोग उस गाँव में आये उन्होंने घर-घर जाकर लोगों से बात की लोगों की समस्या को सुना फिर सभी को सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया,

जिसमें हर गाँव से युवक-युवती का समूह बनाया जिसे वो प्रशिक्षण दे सके। कई वर्षो तक यह प्रेम पूर्वक और शांति के साथ चलता रहा बाद में धीरे-धीरे इसमे परिवर्तन आने लगा पहले इन लोगों की संख्या कम थी अब संख्या अधिक हो गई तो अब ताकत के बलबूते लुटा जाने लगा। अब बंदुको के दम पर गाँव को लूटना शुरू किया, अनाज की चोरी करके गरीबों में बटना और महिलाओं पर हिंसा करना इत्यदि प्रत्येक परिवार का एक सदस्य को संगम सदस्य बनने के लिए मजबूर किया जाने लगा। सुमित्रा के परिवार में दो बेटी थी बड़ी 12 वर्ष की दूसरी 11 वर्ष की और बेटा 6 साल का था।

सुमित्रा के पति को हर बार मीटिंग में धमकी दी जाती थी, की वो अपनी दोनों बेटी को नक्सली सदस्य के समूह में भरती कर दे नही तो आपके पुरे परिवार को मार दिया जाएगा। इस तरह हर बार दबाव डाला जाता ये हमेशा बहाना बनाते बेटी बहुत छोटी है बड़ी हो जाएगी तब आपको समूह में भरती कर दूँगा। हर बार संगम सदस्य आकार आंतक मचा कर जाते और अपनी मन-मानी करते मरना पीटना,लूटना महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ यह सब आम हो गया था। उनके डर से लोग घर से बहार निकले के लिए भी घबराते या जंगलों में छिप जाते जिससे बच जाये और जो घर में छिपते वो उनका शिकार बन जाते। उनके जाने के बाद हमारा गाँव एक उजड़ा हुआ लगता यह खेल रात के अधरे में चलता। पहले ये लोग महीनें में एक बार आते। अब हर हप्ते आने लगे सुमित्रा के परिवार पर भी दबाव बढने लगा था। गाँव में रहना अब मुश्किल हो गया था सुमित्रा अपने परिवार के साथ कही और जा भी नही सकती थी गाँव का मुखिया होने की वजह से उन्हें गाँव में रहना जरूरी था।

गाँव के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते संकट के समय गाँव को छोड़ना यह गाँव की परंपरा नही थी। वो हर समय संकट का सामना करते परन्तु उस दिन संगम सदस्य के द्वारा

मीटिंग बुलाई गई जिसमें सब को बुलाया गया मेरे पति भी गये और आज तक वापस नही आये। उन्हें मीटिंग में ही गोली मार दी गई थी मै अपनी दोनों बेटी और बेटे के साथ एक कमरे में छुपकर बैठी थी। मेरी दोनों बेटी बहुत सहमी हुई सी थी। दोनों उम्र में भी बहुत छोटी थी सही गलत की समझ भी नही थी। हम लोग बहुत ही डरे हुए थे तभी संगम सदस्य के लोग ने चारो और से हमे घेर लिया और मेरी दोनों बेटीयों को बालों से पकड़कर ले गये। मुझे और मेरे बेटे को कमरे में बंद कर दिया मै चिल्लाती रही पर किसी ने मेरी बेटी को नही बचाया।उसे उठाकर जब ले जा रहे थे वो चिल्ला रही थी माँ हमे बचालों हमें नही जाना इन लोगों के साथ पर कोई पुकार सुनने वाला नही था। गाँव में कोई नही था जो उन बच्चियों को बचाने के लिए सामने आये। उन दोनों के साथ मीटिंग के बीच सबके सामने संगम सदस्य के लोगों ने उन दोनों मासूम लडकियों के साथ बलात्कार किया और बाकि सभी गाँव वाले चुपचाप तमाशा देख रहे थे। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। था जिससे मै अपनी बेटी के लिए कुछ नही कर पाई अपनी आखों के सामने उन्हें लुटते देखा मुझे कमरे में सिर्फ चीखे ही सुनाई दे रही थी "**माँ हमे बचालों**" पर मै लाचार थी मेरी आखोँ से आसू थम नही रहे थे मेरे मन से सिर्फ उन लोगों के लिए हाय निकल रही थी। किसी ने कोई मदद नही की जब वह दर्द से कहरा रही थी। उन दोनों के शरीर को इस से नोचा गया था। कि जैसे जंगली जानवर अपने शिकार को नोचता है। उन दोनों को वही छोड़कर वो लोगं चले गये तब किसी ने आकार मेरे कमरे का दरवाजा खोला और मैंने अपनी दोनों बेटी को देखा तो मै वही मरने वाली हालत हो गये थे इतनी बुरी हालत थी दोनों की सिर्फ जान बाकि थी शरीर में हर एक हिस्से से खून बह रहा था। ऐसा कोई भाग नही था जहाँ उस मासूम को नोचा न गया हो, वहाँ मेरे सामने पति की लाश थी और दूसरी और दोनों बेटियों को बचना था। उस समय मेरे पास अपनी दोनों बेटियों को बचाना

था। मैंने गाँव छोड़ने का निर्णय लिया जिसमें मेरे साथ गांव के २० और लोग भी आने के लिए राजी हो गये अब गाँव में सिर्फ बुजुर्ग सदस्य ही बचे थे। मै अपने तीनों बच्चों के साथ शहर भाग आई अगर गाँव में रहती तो वो फिर कल आते और फिर मेरी दोनों बेटियों को ले जाते।

मेरे साथ जो लोग गाँव छोड़ रहे थे उन्होंने मेरी मद्दत की मेरी दोनों बेटियों एक एक आदमी ने अपनी पीट पर बाध लिया वो दोनों बेहोश थी 2 दिन चलने के बाद हम इंद्रावती नदी के पास पहुंचे वहाँ पर हमारी तरह और भी लोग थे जो अपने घर बार छोड़कर यहाँ आये थे। यहाँ पर सिर्फ एक डोगा (एक छोटी नवका जो रस्सी और लकड़ी से बनाई जाती है जिसमें सिर्फ 3-4 व्यक्ति ही बैठ सकते है) था। जिसमें उस पार जाने के लिए कुछ मूल्य देना पड़ता था हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नही था जो थोड़ी बहुत धान लाये थे वो भी उनको देनी पड़ी जिससे नदी पार की जा सके। जब हम गीदम तालुका में पँहुचे, वहाँ हमारी तरह और भी लोगं थे जो अबूझमाड़ से आये थे वो भी नक्सलीय हिंसा के शिकार थे। यह गीदम में स्थनिक बाजार के पास लोगं छोटे छोटे तबू लगाकर रह रहे थे। सब कुछ नया था सब कुछ अलग था हमारी दुनिया से जैसे की हम कोई नयी दुनियाँ से जैसे की हम कोई नयी दुनिया में आ गये है। बच्चियों को गीदम के अस्पताल में भरती कराया गया। दोनों की हालत बहुत ही गंभीर थी खून बहुत बह गया था वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि मेरी बड़ी बेटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका गर्भाशय पूरा फट चूका है। इतनी बेरहमी से बलात्कार किया गया है। उसे निकलना पड़ेगा तब अगर बच गई तो ठीक या भगवान की मर्जी छोटी की हालत भी बहुत गंभीर थी। मेरी तो पूरी दुनिया ही लुट गई थी बच्चियों को बचाने में अपने पति की लाश को वही छोड़ आई थी। उनका अन्तिम संस्कार भी नही किया, जिससे उनकी आत्मा को शांति भी नही मिल पाएगी। 4 दिनों बाद छोटी बेटी के

हालत में सुधार आया वो होश में आ गई, परंन्तु बड़ी की हालत अभी भी नाजुक ही थी। उसे बड़े अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया पर मै कुछ नही जानती थी बस भगवान से ही उम्मीद थी की वो बच जाये। 15 दिनों के बाद उसके हालत में सुधार आने लगा परंन्तु वो मानसिक रूप से स्वस्थ्य नही हो पाई। उसका मानसिक विकास रुक गया था। वो ना तो किसी से बोल भी नही पाती थी और भूख लगने ना पर बता पाती की भूख लगी है। ये अवस्था थी उसकी जो आज भी है। उसके बाद दो सालों तक हम राहत शिविरों में रहे और बाद में कसौली के पूनर्वास शिविर में पूनर्वास हुआ जहाँ आज भी रह रहें है। आज मेरी दोनों बेटी बड़ी हो गई है जिसमे छोटी वाली रहवासी स्कुल में खाना बनती है और बड़ी वाली पूरी तरह से मुझ पर अवलबित है, उसको खिलाना, पिलाना, कपड़े पहनाना सब कुछ मुझे ही करना पड़ता। वो खुद से कुछ नही कर पाती बेटा भी अभी दसवी कक्षा में पढ़ता है। इनके विवाह के विषय में तो सोचा भी नही जा सकता बड़ी बेटी की तो जिदंगी नर्क से भी बत्तर हो गई है छोटी के साथ जब बलात्कार हुआ था उस समय वो 11 साल की थी परंन्तु अब उससे कोई विवाह भी नही करना चाहता। जब भी अपनी बेटी को देखती हूं मुझे वो दिन याद आ जाता है जब यह सब हुआ था।

सलवा जुडूम अभियान ने मेरी तरह कितने परिवारों को उजड़ा है कितने को निराधार किया है। जो कभी सर्व संपन्न थे आज उनके पास दो वक्त की रोटी भी मुशकिल से मिल पाती है। इस अभियान से मेरे परिवार का सब कुछ छिन लिया अब मेरी दोनों बेटियों का इसमें क्या कसूर था? उन्हें किस अपराध की सजा मिली जो आज भी भुगत रही है। कि हम आदिवासी है ये हमारा अपराध है? इस तरह के कई सवाल उसके मन में थे जो वो पूछ रही थी।

Case Study -2

नाम-
शाम(काल्पनिक नाम)
गाँव- बेलनार
(अबूझमाड़)
कैम्प-
बांगापाल कैम्प

इतिहास-

शाम यह बेलनार गाँव का निवासी है। वहाँ इसका भरपूर परिवार था जिसमें यह 6 लोग थे शाम उसकी पत्नी, दो बच्चे, बूढ़े माता पिता, परिवार का मुख्य व्यवसाय खेती था सब मिलकर खेती करते जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण होता था। शामका घर गाँव के उपरी वाले पारे (गाँव में मोहले को पारा कहते है) में था। इसका पूरा पूरा मिटटी का बना था जिसमें पांच से भी अधिक कमरे थे जिसमें धान्य रखने का और अपने पालतू जानवरों को रखने की भी व्यवस्था थी। इनके घर भी 30 गाय 10 बैल 20 अधिक बकरी 10 अधिक सुकर थे जो इनके घर आगन में पशु घर में रहते थे खेती की जमीन भी बड़ी थी। जिसमें में अपनी खेती करते थे जिसमें वर्षा के समय बुआई की जाती थी 6 महीने बाद कटाई की जाती और बाद में उसी जमीन पर साग सब्जी उगते थे जिससे इनके पुरे वर्ष की खाने की व्यवस्था हो जाती दूसरी एक आदिवासी अधिकतर पालतू पशुओ को नही खाते वे मासाहारी होते है। पर सिर्फ जंगली पशुओं का ही शिकार करते जिसमें हिरन, साबर, खरगोश इत्यदि जिससे इनके पास पालतू पशुओं की संख्या अधिक होती है और यह गाय का दूध भी नही निकलते। इस तरह प्रत्येक परिवार में पालतू जानवरों की संख्या अधिक है। शामका परिवार भी खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यापन कर रहा था। यहाँ पर भी सरकारी सुख सुविधा

अभी तक नही पहुँची थी। वह से स्थानिय बाजार तक जाने आने का मार्ग नही था बरसाती दिनों में तो असंम्भ हो जाता, बीच में कई नदिया थी जिन पर कोई पुल नही था। 2002-2003 अंदाज से पहली बार शामके गाँव में नक्सलियों ने प्रवेश किया उनसे बात कि गाँव की समस्याएँ पूछी क्या है? शामको लगा की कोई सरकार की तरफ से आये है जो हमारे गाँव में सड़क बनवा देगे और उन्होंने आश्वासन भी दिया जिससें गाँव वालों का विश्वास उन पर हो जाये। बच्चों को शिक्षा देनी चहिए। जिससें वो शहरों में जाकर काम कर सके मेरे मन में विचार आया की मैं भी अपनी दोनों बेटी को शिक्षा दिलाऊगा। परंन्तु, जब मैंने उनसे इस विषय में पूछा तो उन्होंने मेरी बात टाल दी। हमें नही पता था की यह हमारा इस्तेमाल कर रहे है। गाँव में एक युवक का समूह बनाया जो इनके लिए काम करेगा जो गाँव में धान एकत्रित करते घर घर जाकर और बाद में उसी से अपना भोजन बनाते थे गाँव में किसी को नही पता था की यह एक सेना बना रहे है जो सरकार के साथ लड़े इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता बंदूक चलाने का पूछने पर बताते की यह आप की सुरक्षा के लिए है। शामहमेशा पूछता तो हर बार टाल देते बाद में बात करेगें कई सालों तक यह चलता रहा। परंन्तु, बाद में यह लोग अपना सही रूप दिखाने लगे मारना, पीटना लूटना शुरू कर दिया अगर कोई विरोध करता तो उसे मार दिया जाता यहाँ सिर्फ नक्सलियों का ही कानून चलता शामअपने परिवार को लेकर बहुत ही चिंतीत था। उसे अपने परिवार को बचाना था। एक दिन गाँव में एक सार्वजानिक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्हें अपना धर्म छोड़कर नक्सलीय धर्म को अपनाना। होगा जिसनें विरोध किया उसे मार देगे, यह पर गायत्री संस्थान के लोग पहले से आते थे तो सारे गाँव वालों ने इसी धर्म को अपना लिया था।

अब इस धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनान मुशकिल था। शामने इसका विरोध किया तो उसके माता पिता को गोली मार दी और उसका भी एक हाथ काट दिया जिसे देखकर बाकि लोग डर गये। शामदर्द से तडप रहा था उसकी पत्नी और बेटी को पता चला। तो वो भी उस मीटिंग में आई तो उसने देखा की जमीन पर एक तरह हाथ पड़ा है दूसरी तरह पूरा शरीर तडप रहा है। दर्द से पूरा खून ही खून था वहा पर माता पिता की लाश भी पड़ी हुई है तभी संगम सदस्यों ने उसकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया जो पूरा गाँव देख रहा था। पर किसी ने कुछ नही किया उसकी दोनों बेटी के साथ भी बलात्कार हुए। शाम को होश नही था पर वो अपनी पत्नी और बेटी की चीख सुन रहा था पर उसका शरीर हिल भी नही रहा था। उससे इस अवस्था में कुछ भी नही कर पाया। बाद में वो बेहोश हो गया उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नही उनके जाने के बाद मुझे उठाकर मेरे गाँव के लोग शहर जा रहे थे। मुझे भी पीट बाध लिया और इंद्रावती नदी तक ले आये बाद में नदी के इस पार लाकर मुझे अस्पताल में भरती कराया गया। वह पर मेरा इलाज शुरू हुआ 4 दिनों बाद जब होश आया तो में अस्पताल में था। वहाँ मेरा अपना कोई नही था मै सिर्फ अकेला ही रह गया था मेरे परिवार में, साथी ने बताया की तुम्हारी पत्नी को उन्होंने मार दिया और तुम्हारी दोनों बेटी के साथ बलात्कार किया और उसे साथ में ले गये। पता नही मेरी बेटी जीवित भी है या नही मैंने पुलिस में रिपोट लिखवाई दोनों बेटी के गुम होने की। परंन्तु, उन्होंने उसे टाल दिया की बिना फोटों के हम नही ढूढ़ सकते। अगर कोई फोटो हो तो लाओं, हम आदिवासी जो फोटो का अर्थ भी नही जनते उसके पास कहाँ से आएगी फोटों अभी तक मेरी रिपोट नही लिखी गई। कई बार गया पर गरीब की कोई नही सुनता। शाम कई दिनों तक अस्पताल में था। और बाद में उसे राहत शिविरों में भेज दिया गया जहां उसकी तरह कई परिवार थे जो अपने परिवार के सदस्य को खोने के दुःख को सह

रहे थे 2 वर्ष तक शामइस शिविर में रहा। बाद में इसे बांगापाल कैम्प में पुनर्वासित कर दिया गया जहाँ वो आज रहता है। आज वो बांगापाल कैम्प का सरपंच है उसके आने से कैम्प के लोगों में उत्साह है उसका लोग आदर करते है जब भी वो अपने हाथ को देखता है उसे वो शामयाद आती है जब उसके आखों के सामने माता पिता, पत्नी, और बेटियों के साथ जो हुआ वो याद आता है और उसकी आख नम हो जाती है। उसके परिवार का इसमे क्या दोष था जिसकी उसके परिवार को सजा मिली? हमारी ना तो सरकार के साथ दुश्मनी थी ना ही नक्सलियों के साथ हम तो आराम से जंगलों में रहते हमे नही चहिए ऐसी सुख सुविधा जो परिवार को खो कर मिलती है। शामके जीवन का अब सिर्फ एक ही उद्देश है बांगापाल का विकास मेरे तो परिवार में कोई नही बचा पर यह कैम्प के सारे लोग ही मेरा परिवार है जिसकी ख़ुशी में ही मेरी ख़ुशी है।

Case Study - 3

नाम-
रामलाल
(काल्पनिक नाम)
गाँव-चिगार
(भैरमगढ़,अबूझमाड़)
कैम्प- चिंतालका कैम्प

इतिहास -

रामलाल यह चिगार गाँव का निवासी था यह गाँव भैरमगढ़ तालुका के अंतर्गत आता है यह गाँव भैरमगढ़ से 100 कि.मी की दुरी पर स्थिति है। परन्तु यहाँ जाने आने के लिए मार्ग नही था गाँव तक जाने के लिए जंगल का रास्ता लेना पड़ता। जहा श्याम के समय नही जाया जा सकता, यहाँ श्याम होते ही जंगली जानवरों का खतरा बढ जाता। रामलाल गाँव के मुखिया का बेटा था उसके पिता बहुत बूढ़े हो गये थे जो अब गाँव का मुखिया पद नही सभाल सकते थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे को यह पद दिया था जो गाँव के सियान (गाँव के बुजुग लोगों) की परंपरा है, जिसके अनुसार बड़े बेटे को ही ये पद दिया जाता है। तब रामलाल 17 या 18 साल का ही होगा। उसके साथ उसके माता पिता दो छोटे भाई रहते और रामलाल की शादी को सिर्फ चार महिने ही हुए थे वो अपने परिवार के साथ खुश था। हमारा मुख्य व्यवसाय खेती था जिसमें धान, तील मक्का, दाल इत्यदि बाकि समय वन्य-उपज जमा कर परिवार चलता था। हमारे पास भी 23 या इससे अधिक गाय थी, 10 बैल, 15 बकरी जानवरों का पालन पोषण और खेती ही हमारे जीवन का आधार था। मेरा परिवार भी गायत्री संस्थान से जुड़ा हुआ था जिससे की परिवार धार्मिक आस्थाओं पर बहुत अधिक विश्वास था।

सन 2002-03 में पहली बार यहाँ नक्सलीय और संगम सदस्य के लोग आए पहली बार में ही उन्होंने हमारे पूरे गाँव को लूटा गाँव के किसी भी परिवार के पास उनसे लड़ने का कोई साधन नही था। यह अचानक से हुआ हमला था। उसने पूरे गाँव के सामने मेरे माता पिता और मेरी पत्नी को घिसटे हुए, गाँव के मुख्य सड़क पर ले गये। मैं और मेरे दोनों भाई हम खेत में काम कर रहे थे जैसे ही हमे पता चला मैं तुरंत ही वहा पर पहुचा। जहाँ वो इन तीनों को ले गये थे। मेरे माँ और पिताजी की पूरी पीठ खून से भर गई थी मेरी पत्नी भी तीन माह गर्भवती थी उन्हें उस पर भी दया नहीं आई। उसे भी घिसटे हुए ले आये थे उसकी भी पूरी पीठ छिल गई थी वहाँ से भी खून बह रहा था। उन्होंने मुझे पेड़ से उलटा बाध दिया और बहुत पीटा, मेरी पत्नी का मेरे ही सामने बलात्कार किया और बाद में वो जब बेहोश हो गई तो उसे जमीन में जिन्दा दफना दिया। ये सब मैंने अपनी आखों से देखा, पर मै कुछ नही कर सका उसके लिए अब मेरे माता पिता और दोनों भाई को मरने की धमकी देने लगे और मुझे मजबूर कर दिया संगम सदस्य बनने के लिए। पत्नी को तो खो चूका था अब माता पिता और भाई के लिए मुझे संगम सदस्य बनना पड़ा। तब वो मेरे माता पिता और दोनों भाई को साथ ले गये कहा की जब पुलिस की जानकारी लाओगे तब माता पिता को छोड़ा जाएगा। उसके बाद मन ना होते हुए भी यह काम करना पड़ता लोगों को लूटना, मरना और पुलिस की जानकारी संगम सदस्य के मुखिया को लाकर देना।

२ सालों तक मैंने यह काम किया तब उन्होंने मेरे माता पिता को छोड़ दिया। परंत्नु मेरे दोनों भाई को अपने समूह में शामिल कर लिया था। कभी कभी अपने ही आदिवासी भाई बहनों पर गोलियां चलानी पड़ती जो मुझे अच्छा नही लगता। पर परिवार की सलामती के लिए करना पड़ता। एक दिन मैंने मेरी तरह जो यह काम मजबूरी में कर रहे है उनके साथ मेरे माता पिता और उनके परिवार वाले सभी को गाँव से भगा दिया। जिससे इस काम से

मुझे मुक्ति मिले। दो दिन पैदल चलकर वो लोग भैरमगढ़ पहुँचें वहाँ सलवा जुडूम अभियान के शरणार्थी के लिए शिविर थे। उसमें रहने लगे दूसरे दिन हम भी सब भाग आये। मै गीदम के शिविर में पहुँचा जहाँ पर मुझे संगम सदस्य होने की वजह से पुलिस पकड़कर ले गयी। बहुत मार पड़ी। आठ से 10 महीनों तक मुझे रोज मार पड़ती खाना नही मिलता रोज पर मार जरुर मिलती मार की वजह से मेरे पैर की हडडी टूट गई थी। पर मुझे कोई अस्पताल भी नही ले गया सिर्फ मारते और एक दिन कहाँ गया की तुम उनके ठिकाने जानते हो तो SPO बन जाओं और हमारी मद्त करो। मेरी समस्या खत्म होने का नाम ही नही ले रही थी। माँ-बाप और भाई को ढूढने का यह एक मात्र अवसर था जिसे मैं खोना नही चाहता था, मैंने SPO का काम शुरू कर दिया। SPO का प्रशिक्षण लिया और बाद में मुझे पुलिस को रास्ता बताना पड़ता। उनके कैम्प का पता जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया। इसी दोरान मुझे मेरे माता पिता का पता चला की वो भैरमगढ़ के राहत शिविर में है। मैं वहाँ पहुचा तो सिर्फ पिताजी ही थे माँ की मृत्यु हो गई थी भुखमरी के कारण पिता के पास पैसे नही थे। खाना लेने के लिए भी कई-कई दिन सिर्फ पानी पीकर उन्होंने अपना जीवन बिता रहे थे। मेरे दोनों भाई नक्सलियों के समूह में थे यह मुझे पता था पर मैं उन्हें नही बचा पाया। वो पुलिस की गोली का शिकार हो गये और उस मुठभेड में मुझे भी हाथ गोली लग गई। पहले तो पैरे से चल नही पता था अब हाथ भी काम से चला गया। अब मुझे SPO से भी निकाल दिया। जब मैंने अपने पिता का सहारा बनाना चाहिए था वो मेरा सहारा है, वो ही जो मजदूरी करते है जिससे हम दोनों का पेट भरता है। एक समय था जब हमारे यहाँ 15 से 16 परिवार काम करते थे जिनके घर में भी कभी अनाज की कमी नही हुई और आज हम दो समय खा भी नही पाते। यहाँ चिंतालाका कैम्प

में पूनर्वास के दोरान एक घर मिल गया है जहाँ हम रहते है। यहाँ उन लोगो का ही पूनर्वास हुआ है जो अधितर SPO का काम करते थे।

मेरे साथ ना तो नक्सलियों ने अच्छा नही किया मेरी पत्नी मेरे भाई को छिन लिया लगा की सरकार आदिवासी के हक्क में काम करेगी । परंन्तु, यहाँ भी 10 महीनो तक मार खाता रहा मुझे पता ही नही था की मेरा कसूर क्या है मुझे क्यू मारा जा रहा है। और सरकार का काम था तो SPO बना दिया जब मै किसी काम का नही रहा तो बाहर निकाल दिया। मुझे दोनों से शिकायत है, पर क्या करू कोंन सुनता है गरीब की?....

सलवा जुडूम SPO द्वारा की गई हिंसा -

1-मासे परसो (काल्पनिक नाम)

उम्र 35 वर्ष गाँव चित्रा पल्ली भैरमगढ़ विकास खण्ड 1 फरवरी 2005 की रात को सलवा जुडूम के 10 सदस्य ने इस गाँव पर हमला कर मासे परसो के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसके गले में चाकू से वार किया फिर उसे वही छोड़कर वो चले गये पूरी रात वो तड़पती रही। दूसरे दिन जब वहाँ पुलिस सैनिक पहुचें तो उसे तुरन्त अस्पताल भेजा जिससे उसकी जान तो बच गई पर उसकी स्वर पेटी क्षतिग्रस्त होने की वजह से अब वह बोल नही पाती।

2. लक्के (काल्पनिक नाम)

उम्र- 26 वर्ष ईद्वाडा गाँव जहा दिसम्बर 2006 में कोट्मेटटा और जेग्गुर गाँवो में सलवा जुडूम के सदस्यों ने पकड़कर बलात्कार किया और बाद में उस महिला को ले जाकर जागला राहत शिविर में रखा था।

3.जैनी (काल्पनिक नाम)

उम्र 22 वर्ष ग्राम नुगुर की निवासी थी। इसी गाँव के दो युवक जो SPO बने थे रमा और जोगाल जैनी ने उनके सामने नही झुकी रही थी। इसलिए उन्होंने उसे उठाकर ले गये बलात्कार किया और बाद में उसका कोई पता नही चला वो गुमशुदा हो गई।

4. बदरी (काल्पनिक नाम)

उम्र 30 वर्ष जो कुम्मामेंट्टा गाँव की निवासी थी। SPO ने उसे बलपूर्वक उठा लिया और उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार किया और बाद में पुनर्वासी कैम्प में छोड़ा दिया गया।

5. ग्राम लका से 2 ग्राम नुगुर से 4 और ग्राम ईगमेत्ता से कुल 9 युवतियों को बंदी बनाकर रखा गया था। इसमें SPO और सुरक्षा बल के जवान भी थे जो इन महिलाओं के साथ यौंन उत्पीड़न कर रहे थे। उन्हें बुरी यातनाये भी दे रहे थे। बाद में इन महिलाओं को छुड़ाया गया आज ये महिलाए पूनर्वास कैम्प में रह रही है और इस से जो महिलाएँ गर्भवती हुई उनके बच्चो को भी शिक्षा और निवास की व्यवस्था सरकार द्रारा की गई है जिससे उनका भी पूनर्वास समाज में हो सके।

इस तरह के कई उदाहरणों के आधार पर सलवा जुडूम के दौरान बनाई गयी सेना के द्रारा, नक्सलियों के द्रारा महिला उत्पीड़न और यौंन हिंसा किस हद तक हुई है इसकी जानकारी देता है ।

सुरक्षा-कर्मियों द्रारा हिंसा-

नाम- **अरिया** (काल्पनिक नाम) यह चेरली गाँव का निवासी था जहाँ 28 अगस्त को नगा बटालियन के सैनिकों ने गाँव 12 के अरिया का सिर कलम कर दिया और उनके गाँव के 10 लोगों को एक साथ कतार में खड़ा कर सब को गोली मार दी जिसमें एक दस साल का बच्चा भी शमिल था। 10 अक्टूबर को परालनारा गाँव का 14 साल का किशोर **बरसा**

(काल्पनिक नाम) को पुलिस ने पकड़कर उसे शरीरी यातनाये दी और बाद में उसे मार डाला। उसी गाँव के पास के गाँव में मुखिया को उठाकर उसके शरीर के सारे अंग काट दिए दिल को बाहर निकलकर फेंक दिया जीभ काट डाली उसका बेटा जो 14 वर्ष का था वो उसके साथ क्या हुआ इसका पता नही।

मुकवेल्ली गाँव में तो मानवता की सभी हदे पर कर दि खेतो में काम कर रही दो महिलाओ के साथ सामूहिक बलात्कार किया। जिसमें एक महिला गर्भवती थी दोनों को मार दिया और उसकी कोंख में चाकू से उस भ्रूण को बाहर निकलकर फेक दिया। इसमे एक महिला का 1 साल के बच्चे को भी गोली मार दी। उसी गाँव की आंगनबाड़ी शिक्षिका को इस शक पर कि वो नक्सलियों कि समर्थक है। उसे बांधकर थाने में ले जाकर यातनाएं दी और बाद में उसे छोड़ा गया। इसी गाँव के आस पास के गाँव में एक किशोर का सिर काटकर उसके घर के दरवाजे पर लटका दिया। जिससे गाँव वाले डर कि वजह से गाँव छोड़ कर शिविरों में रहने चले जाए। इस तरह की हिंसा आम बात हो गई थी सलवा जुडूम के दोरान यह हिंसा सिर्फ गाँव में ही नही पुलिस जीन महिलाओं को पकड़कर लाती। उन महिलाओं के साथ पुलिस स्टेशन में भी सामूहिक बलात्कार किया जाता। जो महिलाएँ SPO में भरती हुई थी वो महिलाएँ भी सुरक्षी नही थी उनके साथ भी उनसे वरिष्ट अधिकारीयों द्रारा शोषण होता। जिसके विषय में वो किसी से कह भी नही सकती, सिर्फ चुपचाप सहना पड़ता। इसी तरह अर्ध सैनिक बलों के जवानों और SPO के जवानों ने भी आदिवासी पर हिंसा की जिसका कही कोई हिसाब नही ना ही कोई रिपोर्ट लिखी गई जिससें इन महिलाओं को इंसाफ मिल सके।[183]

[183] "सलवा जुडूम कि सहायता कमिटी" सहायता कमिटी रिपोर्ट. 2008.

सलवा जुडूम में हुई हिंसा का विश्लेषण-

इस अध्याय के अन्तर्गत जो हिंसा का विश्लेषण किया है व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से तीनों केस स्टडी एक दुसरे से अलग है उनके अनुभव सभी एक दूसरे से अलग है। परंन्तु सिर्फ हिंसा ही समान है जो उनके अनुभव के माध्यम से बाहर आई। स्त्री की भी समाज की हो हिंसा की शिकार होती है वो प्रगतिशील समाज की हो या आदिवासी समाज की हिंसा दोनों पर समान होती है। पहली केस स्टडी जो सुमित्रा है उस के जीवन में जो बदलाव आया उसकी दोनों बेटी के साथ बलात्कार हुआ आज वो उसके बाद से आज तक एक सामान्य जीवन नही जी पाई हर समय वो अपनी माँ पर परवालंती है। एक हिंसा तो बचपन में उसके साथ बलात्कार करके हुई उसके बाद जो उसका मानसिक विकास रुक गया यह भी एक हिंसा ही है। उसके परिवार के साथ जो आप को उस समय की याद दिलाता रहेंगा। इस सब में मानसिक हिंसा जो पूरा परिवार कई वर्षो से झेल रहा है वो भी तो एक हिंसा है। बलात्कार जैसे अपराध जो उसके साथ बचपन में हुआ था परंन्तु आज भी उसके विवाह में बाधा निर्माण करता है। इस तरह की हिंसा के घाव तो सुख जाते है परंन्तु मन के घाव अभी भी वैसे ही है।

दूसरी केस स्टडी जो शाम के परिवार की है जो एक गाँव में आराम से निवास करते थे। जहां हिंसा की परिभाषा को और भी डरावना बना दिया। बलात्कार यह एक हिंसा है पर उसके बाद उसे मार देना यह दौहरी हिंसा में आता है। इस नक्सलीय हिंसा में पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। इस तरह की हिंसा एक नही अनेक परिवारों के साथ हुई है। जिसकी कोई सुनवाई नही है आदिवासी समाज यह इस हिंसा में दौहरी हिंसा का शिकार होता है पहली नक्सलीय हिंसा और दूसरी जो पुलिसकर्मी द्रारा होती है। इन परिस्थिति में जीवन बहुत ही कठीन है।

तीसरी केस स्टडी जो रामलाल की है जिसके जीवन में हिंसा यह एक ही व्यक्ति पर हो रही है सिर्फ करने वाले में परिवर्तन आता है कभी नक्सलियों का सदस्य बनने के लिये मारा जाता है तो कभी सरकारी सदस्य बनने पर मारा जाता है। इन केस स्टडी जो मैंने इस अध्याय के अंतर्गत विश्लेषण किया है इस तरह की और भी कई अनुभव है जो इस तरह की कहानी को बार बार सुनते है।

निष्कर्ष (Conclusion)-

यह पूरा अध्याय महिलाओं की स्थिति में आये परिवर्तन पर आधारित है। जिसमें विस्थापन के पूर्व जब महिलाएँ अबूझमाड़ में रहती थी तब से लेकर विस्थापन के बाद जब राहत शिविरों में और पूनर्वास कैम्प में आए इस परिवर्तन को समझने का प्रयास किया। समाज यह कुछ लोगों के समूह में रहने से नही बनता उसके लिए समाज में अपनी कुछ परम्पराए, मूल्य, संस्कार सामाजिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, सास्कृतिक व्यवहार, धर्म इन सारी चीजों का एकत्रीकरण व् उनका अनुकरण करके ही समाज का निर्माण किया जा सकता है। इस अध्याय के अन्तर्गत हम अबूझमाड़ में रहने वाला समाज जब विस्थापन के बाद पुनर्वासीत कैम्प में रहता है। तो किस तरह का परिवर्तन वो अपने दैनदिन, जीवन में सामना करता है उसमें सबसे अधिक महिलाओं के लिए होता है आदिवासी महिलाएँ धार्मिक अनुष्ठान से जुडी होती है। परंन्तु, कैम्प में यह पूर्ण विपरीत होता है। रोजगार के साधनों में परिवर्तन रहने के घर आकर में परिवर्तन, भाषा, खाद्य पदार्थ इन सभी परिवर्तन से महिलाओं की स्थिती में परिवर्तन आया है। पूर्व उनका समाज में एक विशेष स्थान हुआ करता था। जो आज के आदिवासी समाज में देखने को नही मिलता आज उनकी स्थिती पुरुष से निम्न है इसका कारण आधुनिक समाज का प्रभाव है यह मैंने इस अध्याय में समझने का प्रयास किया है ।

सलवा जुडूम से जो विस्थापन हुआ और उसमें सबसे अधिक महिलाओं पर हिंसा हुई। यह हिंसा भी आधुनिक समाज की देन है। यह हिंसा दो वर्षो तक लगातार चलती रही जिसमें कितने परिवार इस हिंसा के शिकार हुए। सन 2007 में जब इस अभियान को बंद करवाया गया और उन राहत शिविरों का पूनर्वास कैम्प में परिवर्तन हुआ तब से हिंसा में कमी आई है। परंन्तु, खत्म नही हुई पहले सार्वजनि रूप से होती ती अब वह घर तक सीमित हो गई है। अब घरेलू-हिंसा का प्रमाण बड गया है। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नशा तो पहले से ही आदिवासी संस्कृती का हिस्सा रहा है। परंन्तु, पहले हिंसा होती थी पर बहुत कम प्रमाण में होती थी आदिवासी समाज में अगर कोई हिंसा या अपराध करता तो उसे शिक्षा दी जाती थी जो सर्व सहमति से होती थी जिससें कोई दूसरा अपराध ना करे। तत्कालीन शिविर और पुनर्वास शिविर में भी हिंसा अलग अलग थी तत्कालीन शिविर जो 2 वर्षो तक चले तब शिविरों में भी spo के द्रारा महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सभी पर हिंसा की जाती थी परंन्तु इसमें सबसे आधिक महिलाएं ही प्रभावित होती थी उनके साथ यौंन उत्पीडन, मरना-पीटना, गाली देना यह सामान्य बात थी राहत शिविरों में जब इनका पुनर्वास, पुनर्वास कैम्प में हुआ तब यह अलग अलग जनजाति के लोग साथ रहने लगे जो पहले सामूहिक एकता होती थी वो अब खत्म हो गई, सब कुछ परिवार तक ही सीमित रह गया है। यह भी एक और कारण है घरेलू हिंसा पहले महिलाएँ आत्मनिर्भर होती अब विस्थापन के बाद पुरुषो पर निर्भर हो गई जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में निम्न हो गई। इसी कारण से कैम्प में घरेलू हिंसा का प्रमाण बड गया है।

प्रस्तावना (Introduction) –

इस अध्याय के पूर्व जो अध्याय था वो 'अबुझमाड़ और सलवा जुडूम: सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तन और हिंसा' पर आधारित था। इस पुरे शोध में विकास, विस्थापन और पुनर्वास इस तीनों पर ही बात की गई है इस शोध का मुख्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का दन्तेवाड़ा और बस्तर जिला जहाँ विकास के लिए विस्थापन हुआ इन विस्थापितों का पुनर्वास भी इस अध्ययन में किया गया इसी पर मेरा चोथा अध्याय है। इस अध्याय में 'पुनर्वास व् पुर्नव्यव्स्थापन नीति 2007 व् विशेष जन-सुरक्षा अधिनियम 2005 का मूल्याकन' पर आधारित है। इस अध्याय को भी तीन भागों में विभाजित किया है जिसमें पहले तो हम यह पुनर्वास नीति बनने के पीछे का इतिहास को समझने का प्रयास करगे की इस नीति पहला स्वरूप क्या था और बाद में किस तरह से परिवर्ती कर, नया बनया गया है।

पुनर्वास नीति के इतिहास से इस अध्याय की शुरुवात करते है विस्थापन यह आजादी के पूर्व से शुरू है पर इस पर इतना ध्यान नही दिया गया भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती और जमीन ले ली जाती वहाँ पर रहने वालों का कोई पुनर्वास नही होता था आजादी के बाद भी विकास की दर कम थी और उसे बढ़ाना सरकार का एक मात्र उद्देश था उसे पूरा करने के लिए कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण हुआ और उसे कई लोग विस्थापित हुए 1960 में 17 सदस्यीय समिति बनाई गयी और इस विस्थापितों के पुनर्वास पर विचार किया गया और पुनर्वास नीति का निर्माण किया गया। जिसमें जो विस्थापन हुआ है उनका पुनर्वास किया गया परंन्तु इस नीति में कई बदलाव की जरूरत थी जो समय अनुसार परिवर्तित किये गये।

दूसरा पुनर्वास नीति में किये गये कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों को इस ड्राफ्ट में चर्चा की गई है। जिसमें मुख्य मुदा था की कहाँ पर यह नीति लागु हो सकती है। पुनर्वास नीति ड्राफ्ट

में जो 1993 और 1994 में यह नीति कहाँ पर लागु होगी इस पर चर्चा की गई थी जिसमें शहरी भाग में 1000 या इससे अधिक लोग विस्थापित होते है तो वहाँ पर यह नीति लागु की जाएगी और आदिवासी विभाग में अगर 500 या उससे अधिक लोग विस्थापित होते है वहाँ पर यह पुनर्वास नीति के अन्तर्गत उनका पुनर्वास किया जाएगा। इसके बाद इस नीति में कई सुधार हुए जिसमें इस को लागु करने के लिए विस्थापित की संख्या 500 होनी चाहिए शहरी विभाग में और 200 यह आदिवासी विभाग के लिए निशचित की गई इस तरह के कई बदलाव है जिस पर इस अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है।

तीसरा महत्वपूर्ण भाग छत्तीसगढ़ की पुनर्वास व् पुर्नव्यस्थापन नीति जो 2007 में बनाई गयी और सलवा जुडूम से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए लागु की गई थी। इस अभियान से 3 से 4 लाख लोग प्रभावित हुए थे और 50,000 से अधिक आदिवासी विस्थापित हुए थे। इस नीति को 2008 में लागु किया गया इस सलवा जुडूम के दौरान 23 शिविर थे जहाँ इन आदिवासी समाज को रखा गया था बाद में वही पे उनका पुनर्वास किया गया। मेरे इस अध्याय में पुनर्वास नीति का मूल्याकन किया गया है।इसके अलावा इस दौरान छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम 2005 जो एक कानून है उसका भी मूल्याकन किया गया है। जिसे सलवा जुडूम के दौरान उसका अधिक उपयोग किया गया यह कानून नक्सलियों के विरुध्द में बनाया गया है। इन दोनों नीति और अधिनियम में आदिवासी समाज का कितना शोषण हुआ यह इस अध्याय के माध्यम से समझा जा सकता है।

पुनर्वास निती के निर्माण का इतिहास -

हमें पुनर्वास नीतियों को इसी संदर्भ में समझने की जरूरत है। 1960 में कुछ प्रशासकों ने महसूस किया कि भूमि अधिग्रहण समाज में बढती असमानता की एक बड़ी वजह है और इसीलिए इसकी प्रक्रिया में बदलाव आना चाहिए। उस समय देश को आजादी मिले कुछ ही

समय बीता हुआ था। जिसमें विकास कार्य सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। तब खादय, कृषि, सहकारिता तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय जो बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय बन गया है।

तब विस्थापन की समस्या पर विचार विमर्श के लिए एक 17 सदस्यीय समीति बनाई गई जो भूमि अधिग्रहण, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, अभ्यारण्य इन सबसे विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास पर विचार करेगें। उन्होंने इसके लिए बने कानूनों का अध्ययन किया और 1967 में अपनी रिपोर्ट में कई प्रमुख बदलाव संबंध में सुझाव दिए जिसमें कहा गया की सार्वजनिक क्षेत्र की खदानों तथा उधोगों से होने वाले विस्थापितों के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का सुझाव दिया गया। परंन्तु, इस सुझाव पर इतना विचार नही किया गया वर्ष 1960 में घोषित पहली पुनर्वास नीति में कई कमियों के बावजूद भी लागू किया गया। परंन्तु, उस समय मशीनीकर बड़े प्रमाण शुरू हो गया था जिससे की रोजगार के अवसर घटने लगे थे इस तरह यह नीति का भी पूर्ण लाभ लोगो तक नहीं पहुच पाया।[184]

गृह मंत्रालय के कल्याण विभाग ने आदिवासी पुनर्वास के अध्ययन के लिए एक समीति का गठन किया इसकी रिपोर्ट के अनुसार 1951-1980 बीच हुए विस्थापन में 40 फीसदी आबादी आदिवासियों की थी इस समीति ने पुनर्वास नीति की जरूरत को स्वीकार करते हुए सुझाव दिया की यह सभी विस्थापितों पर लागू होनी चाहिए ना की सिर्फ आदिवासियों पर, साथ ही यह भी कहाँ कि नीति का क्रियान्वयन क़ानूनी बाध्यताओं के साथ होना चाहिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1985 से आठ सालों तक इस नीति को चलाया बाद खिन जाकर इस नीति का एक नया प्ररूप तैयार किया गया 1993 तथा इसमे 1994 फिर संशोधन

---

[184] "भा*रत सरकार 1985 विकास परियोजनाओं की वजह से विस्थपित आदिवासिओं*" पुनर्वास पर समीति की रिपोर्ट नई दिल्ली. गृह मंत्रालय.

किए गए। इस नीति के अंतर्गत हजारों विस्थपितो का पुनर्वास नही हो पाया था। इसमे आदिवासी और दलितों की विशेष जरुरतो को ध्यान रखते हुए इसमें कई सुधार किए गए। पहले इस नीति के अंतर्गत 1000 से अधिक का विस्थापन अगर शहरी भाग में होता था वहाँ पर इस नीति को लागू किया जाता और आदिवासी भाग में भी 500 से अधिक लोगो के विस्थापन पर यह नीति लागू होती थी।[185] बाद में इसमें कई परिवर्तन आए। भारत में आर्थिक नीति के लागू होने के साथ भारतीय व् विदेशी निजी निवेशकों द्रारा और ज्यादा जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। जिससें इस नीति को लागू किया गया पर इसमें बहुत सी कमीयां थी। जिस वजह से एक हजार से भी ज्यादा सामाजिक कार्यकताओं के समूह, शोधकर्ताओं, क़ानूनी कार्यकर्ताओं तथा विस्थापित लोगों के साथ चर्चा कर फिर नीति के प्रारूप का विश्लेषण किया गया। फिर एक बार ग्रामीण विकास मंत्रालय की और से जनवरी 1999 में एक बैठक बुलाई गयी जिसमें कानूनी प्रावधान पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। जिसमें विस्थापन के बाद रोजगार, स्वास्थ्य, संस्कृतिक, सामाजिक सभी प्रकार से पुनर्वास होने पर अधिक जोर दिया और अब पहले जहाँ 1000 के विस्थापन पर लागू होती थी। अब उसमें भी परिवर्तन आया। जिसको कम करके शहरी विस्थापन के लिये 500 तक किया गया। आदिवासी इलाकों के लिए 250 तक किया जहाँ पर यह नीति लागू कि जाने लगी। सन 2003 में बनाई गयी और 2004 में लागू की गई परंन्तु बाद में कई अध्ययनों से सुझाव आते जिन्हें फिर इसमें जोड़ा जाता उसमें सबसे महत्वपूर्ण थे।[186]

वॉलट्रर फर्नांडिज 2004 उन्होंने इस नीति को बहुत ही कमजोर माना था 2004 में फिर केद्रं सरकार एक समीति का निर्माण किया जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद थी इस समीति को

---

185 "*A Critique of India's Draft National Rehabilitation Policy*"2006', URL http: www.aitpn.org/issues/II-08-06 Rehabilitation.

186 "*पुनर्वास व् पुनव्स्थीपन नीति का पहला मसोदा 1999*" रिपोर्ट, ग्रमीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली 1999.

यह काम सोपा गया इसका बारीकी से अध्ययन करे जिसमें भूमि अधिग्रहण कानून भी एक महत्वपूर्ण भाग था। जिसकी वजह से सबसे अधिक विस्थापन होता था। इस समीति ने सन 2006 में अपनी रिपोर्ट में नीति का संशोधित प्रारूप दिया गया जिसमें विस्थापन के दुष्प्रभाव को ध्यान में रखकर बनाये गयी थी। सन 2007 में 31 अक्टूबर को सुधारित पुनर्वास व् पुनर्व्यव्स्थापन नीति को पुरे देश में लागू किया गया।[187]

साहित्य समीक्षा -

'राज्य सरकार(2007) छत्तीसगढ़ की आदर्श पुर्नवास व पुनर्वस्थापन योजनाएँ 2007' छत्तीसगढ़ कि अपनी राज्य की पुर्नवास नीति बनाई है। जिससे विस्थापन के बाद उनके पुनर्वास पर चर्चा की गई है इसके अंतर्गत जो मूलभूत आवश्यकताए है उसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है जिसमें भोजन, निवास, रोजगार, शिक्षा, पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई गई थी परंन्तु विस्थापन यह जब आदिवासी समुदाय का हो तो उनकी संस्कृति, मुल्य, परंपराएं जो वो सदियों से उसका पालन करते है। उन्हें भी ध्यान में रखकर यह नीतियां नहीं बनाई जाती है जिससे की इनकी संस्कृति नष्ट हो रही है। यह आधुनिक समाज को धारण कर रहे है। महिलाओं के लिये विकास के साधन व रोजगार है वो भी आधुनिक है। परंन्तु, इन्हें अपनी संस्कृति के साथ विकास करने देना चाहिए, जिससे संस्कृति के साथ इनका विकास हो।[188]

Lyer, R.R. (2007) "Towards a Just Displacement and Rehabilitation Policy" इसमें लेखक ने Rehabilitatio Resettlement Policy का मुल्यांकन किया है। जो कि उनको कमीया थी (Draw Back)है जिस वजह से यह पूर्णरूप से प्रभावकारी नहीं हो सकती। इसके पीछे की

---

[187] वाल्टर फर्नांडिज और विजय परांजपे, "*भारत में विस्थापन के सौ साल क्या पुनर्वास नीति को पर्याप्त प्रतिक्रिया मिली*" 1997 पृ.1-34

[188] *"छत्तीसगढ़ राज्य की पुनर्वास नीतियाँ पर विशेष चर्चा सत्र"*2005, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़

क्या राजनीति थी जो हर राज्य अपनी अलग-अलग नीतियों का उपयोग किया जाता है जिससे उनका पुर्नवास किया जाता है। इसमें उन्होंने मुआवजे का मुद्दा भी महत्वपूर्ण बताया है। जिसका अधिकार यह विस्थापितों को होना चाहिए। परंन्तु वास्तविक स्थिति इसके विपरित है। मुआवजे की रकम (राशि) यह नीतियो बनाने वाले निश्चित करते है और आज भी यह एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है।[189]

Thukural, Enakshi Ganguly and Fernandes, W (1989) 'Development Displacement and Rehabilitation; Issues for a National Debate'. इसके अनुसार विकास व विस्थापन और पुर्नवास इन तीनों के बीच क्या संबंध है? विकास के कई प्रश्नों को उन्होंने अपने लेख के माध्यम से उठाया है। जिसमें उन्होंने विकास का ढांचागत क्या होना चाहिए, पुर्नवास की कौनसी मांगे है? जिनका पूरा होना ही एक प्रश्न के रूप में सामने है, इनमें मुआवजा राशि व जमीन के बदले जमीन, कई जगह जमीन के बदले पैसे मिलते है। जो ये मुआवजा राशि का कितना प्रतिशत आदिवासी तक पहूंच पाया है। यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस तरह के अनेक प्रश्नों पर इस लेख के अंतर्गत उठाया गया है।[190]

इन पुस्तकों के आधार पर पुर्नवास नीति को समझने में और उसका विश्लेषणात्मक अध्यन करने में सहायता मिली जिससे हम नीति को अधिक आसानी से समझ सके।

भारत में आजादी के बाद विस्थापन और पुनर्वास -

''गांधी जी ने कहा था कि देश को राजनीतिक आजादी केवल गरीबों और वचित और दलितों की क्रांति-धर्मिकता से मिलेगी, ये पढ़े लिखे लोग तो अंग्रेजी व्यवस्था के दलाल है। यह

---

[189] R.R Lyer (2007) "*Towards a Just Displacement and Rehabilitation Policy"* EPW, Vol.43, No.32. Page.2134-2136

[190] Enakshi Ganguly Thukural and W. Fermandes "*Development Displacement and Rehabilitation: Issues for a National Debate*". EPW, Vol.45, No.54,1989 Page.1234-1237

नया सिध्दांत प्रचलित और लोकप्रिय है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए निर्णायक भूमिका बाजार को सोंप देनी चाहिए, सरकार को नही"।[191] वैश्वीकरण ने आदिवासी जीवन और वनों को अपना शिकार बनाया है। वनों में उपलब्ध पारंपारिक और प्राकृतिक संसाधनों में छिपी हुई संभावनाओं को ध्यान में रखकर उधोगों के नाम पर इन स्त्रोतों पर कब्जा कर लेने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी षडयंत्र रचा गया। जिससें कि निजी उधोगपति बाजार की सस्ता के केन्द्र में है। आदिवासी, दलित गरीब और मध्यवर्ग परिधि पर और मंत्री परिषद, नौकरशाह और तथा कथित विशेषज्ञ, नवोन्मेषी बुध्दिजीवी त्रिज्या की भूमिका अदा करने लगे है। जैसे-जैसे स्थनीय या देशज कंपनियों का आवागम हो रहा है। उस से वन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन पर अपनी दुष्टि गड़ाए वैश्वीकरण धसता जा रहा है आदिवासी संस्कृती को इतिहास की स्मृति बनाने का यंत्र भी यही शुरू हो गया है। खनिज, वनोपज जल, भूमि अदि के साथ साथ आदिवासी संस्कृति को भी उत्पाद समझकर व्यापार के योग्य बना दिया गया है।

तर्क यह है की आदिवासियों के रहन सहन बोलियों, जीवन-यापन, संगीत, कलाओं अदि का समुच्चय- संस्कृति विश्व-बाजार की नई उपभोक्ता वस्तु बना दिये जाने से आदिवासी-संस्कृति समुदाय तालाब का संकुचन पर्याप्त समझी जाएगी। वह एक तरह से विश्व की सार्वजानिक संपत्ति बनती जाएगी अपनी धरती से आदिवासी की जबरदस्ती बेदखली किया जा रहा है। विकास के नाम पर उनकी पुरखों की जमीन के बदलें एक जमीन टुकड़े से एक परिवार के विस्थापन का पयार्य भर नही हो सकता। यह समस्या पूरी दुनिया का आदिवासी समाज कि ही नही है यह शहरी, ग्रमीण सभी समाज की है।[192]

---

[191] रामचंद्र गुहा, "*भारत गांधी के बाद*" दुनिया के विज्ञानात्मक लोकतंत्र का इतिहास' प्रकाशन पेंग्विन प्रकाशन, नई दिल्ली. हिन्दी अनुवाद सुशांत झा, वर्ष- 2011.पृ. 234.

[192] *(191) Ibid.. page.235*

एक और तो कल्याणकारी सरकारों बीच सड़क में बना दिए गए किसी धर्म स्थान से घबराकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक मोड़ दिया जाता है। परंन्तु, दूसरी वही सरकारों बड़ी आसानी से विकास के नाम पर या बड़ी विकास परियोजनओं के नाम पर **भू-अर्जन अधिनियम 1894**[193] **(**वन अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया की जंगल कि जमीन पर उसी व्यक्ति के अधिकार को मान्यता दी जाएगी जो अपने अधिकारों के पक्ष में कोई लिखित दस्तावेज़ पेश करे। यदि लोग ऐसा नही करते है तो उस जमीन पर उनका हर अधिकार खत्म हो जाएगा। इस तरह निजी सम्पत्ति अधिकार देने के लिए लिखित दस्तावेज़ की माँग करके अंग्रजों ने जंगल की जमीन को राज्य की संम्पति में बदल दिया इससे जंगल के संसाधनो पर वनवासियों का अधिकार खत्म हो गया। लेकिन लगातार विद्रोह के करना सिर्फ संसाधनों पर छूट मिली है।) और सेज[194] के अन्तर्गत हजारों आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल कर देती है यह प्रक्रिया बहुत समय से चली आ रही है पहले जमीदारों ने उसके बाद औपनिवेशिक ताकतों और बड़े भू-स्वामियों की महत्वकांक्षाओं के कारण और वैसे भी आदिवासियों के कारण अब खनिज ठेकेदारों, वन शोषकों और बड़े कारखानों वाले उधोगपतियों के कारण और वैसे भी आदिवासियों के भूमि संबंधी अधिकारों का लेखा-जोखा सरकारों के पास भी नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के विषय में सोचने वाले एक महान लेखक ने कहा था कि **लेवी स्ट्रांस**[195]

---

193 Land Acquisition Act.1894- का भूमि अधिग्रहण अधिनियम पहले बने कई अधिनियमों का विकसित रूप था इस तरह का पहला अधिनियम बंगाल रेग्युलेशन 1824 में बना था उस से उनकी जमीन अधिग्रहण की अनुमति देता था। 1875 में इसे ब्रिटिश संप्रभुता के अंतर्गत आने वाले सभी भारतीय क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। 1870 में इसमें संशोधन हुआ 1894 में इसमें दुबारा संशोधन हुआ जिससे भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून सामने आया ।

194 सेज (SEZ)- Special Economics Zon

195 Levi Strauss- यह एक फ्रांसीसी मानव विज्ञानी (French Anthropologist) ओर नस्ल-विज्ञानी थे इन्हें आधुनिक मानव विज्ञान के पिता भी कहाँ जाता है उन्होंने आदिवासी वे विषय में अपने विचारों को व्यक्त किया था।

"मै ऐसे समय दुनिया से विदा हुआ जब भारत समेत दुनिया बहार की जनजातियां सभ्यताओं के परोपकार से बचने का रास्ता ढूढ़ रही है शायद आदिवासी अपने समय से पीछे नही, परंन्तु गैर आदिवासी अपने समय से कुछ ज्यादा ही आगे चले गए है"[196]

भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड के राउलकेला संयन्त्र की स्थापना के एवज में वहाँ के आदिवासियों से जो वादे किये थे उन्हें कई वर्षो पूर्ण नही किया गया। इसका परिणाम यह हुआ की कलिगनगर में आंदोलन शुरू हुए जिसको खत्म करने के उद्देश से पुलिस द्वारा गोलीबारी में तेरह आदिवासी मारे गये जिससे यह आंन्दोलन अति उग्र हो गया यह फैलता हुआ आस-पास के राज्य झारखण्ड व् छत्तीसगढ़ में भी फ़ैल गया।

इसी तरह सातपुडा, बोटी तथा पंचमढ़ी जैसे राष्ट्रीय अभयारण्य से प्रस्तावित विस्थापन के विरोध में होशंगाबाद जिला के पिपरिया कस्बे में हजारों आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया तत्कालीन कारण छिट-पुट वनोपज के उपभोग पर पाबंदी रही थी। यह मुद्दा उक्त तीनों अभयारनों को मिलकर राष्ट्रीय बाधा परियोजना से संम्बध रखता है जिसके भीतर 75 तक चारों और 100 से भी अधिक आदिवासियों के गाँवों का समावेश है।

नंदीग्राम में इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप से किये गये समझोते के आधार पर सुरक्षित आर्थिक क्षेत्र सेज के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध वहां के आदिवासी व् अन्य लोगों ने किया। सरकार को कानून व् व्यवस्था की स्थिति का सामना करना पड़ा इसी प्रकार टाटा की नेनो कर के कारखाने के लिए भूमि अधिग्रहण के मुदे पर सिगुर क्षेत्र में ऐसी ही स्थिति पैदा हुई। झारखण्ड पुलिस ने दुमका क्षेत्र में आदिवासियों की आठ से दस हजार की भीड़ पर गोलीबारी की जिसमें लखीराम टूड की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। करीब दो दर्जन आन्दोलनकारी घायल हो गये आदिवासियों का यह आन्दोलन एक माह तक शांति पूर्ण

---

[196] Levi-Strauss. Claude, "*Structural Anthropology"* Translated from the French by Claire Jacobson, Publishe, New York,1963.

तरीके से चला। लेकिन आदिवासियों की सुनवाई नही होने से आगे चलकर यह आन्दोलन उग्र हो गया इस आंदोलन के केन्द्र में प्रमुख कारण क्षेत्र के आदिवासियों की भूमि की अपर्याप्त था जो विस्थापन के मुदे से जुड़े हुए थे।

विस्थापन से संबधित गहराई को समाचारों पत्रों की पृष्टभूमि में जब हम विषय को समझने की कोशिश करते है। तो सामने कई करोड़ डी-नोटिफाइड और साढ़े आठ करोड़ अनुसूचित आदिवासी कुल मिलाकर करीब 11 करोड़ की जनसंख्या भारत में है।[197] जी फ़्रांस व् बिर्टेन की सम्पूर्ण तथा आस्ट्रेलिया की आबादी के चार गुना है। आदिवासियों की सर्वाधिक आबादी अफ्रिका महादीप के पश्ताप भारत में ही है। भारत के प्रान्तों की दृष्टी से मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में आदिवासियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। परम्परागत रूप से आदिवासी जीवन जंगलों पर आधारित रहता आया है। जंगल और आदिवासी सह-अस्तित्व के सिध्दांत पर फलते-फूलते रहते आया है। आजादी के बाद भारत की 15000 बड़ी सिचाई परियोजनाओं के कारण 1.6 करोड़ की आबादी विस्थापित हुई इनमें 40 आदिवासी थे।[198]

इसके प्रमुख प्रभावों में वन केन्द्रित आदिवासियों के जीविकापार्जन के परंपरागत संसाधनो का छिन जाना और आदिवासी सामाजिक-सांकृतिक धरोहर को खतरा के रूप में माना गया।

---

[197] Denotified Tribes- also known as Vimukta Jati are the tribes that were originally listed under the ‘Criminal tribes’ Act of 1871 as criminal tribes and addicted to the systematic commission of non-bailable offences. Once a tribal became notified as criminal, all its members were required to register with the local magistrate, failing which they would be charged with a crime under the Indian penal code. The criminal tribes Act 1952 repealed the notification, de-notification the tribal communities. This act however, was replaced by series of habitual offeners Acts, that asked police to investigate asuspects criminal tendencies and whether their occupation is conducive to settled way of life. The denotified tribes were reclassified as habitual offenders in 1959.

[198] Walter, Fernandes, “Sixty years of Development-induced Displacement in India: Scale” Impacts, and the search for Alternatives’ In Mathur, Hari Mohan (ed) 2008, ppg.89-102

इस सब की वजह प्रभावी कानून प्रणाली की कमी, परियोजनाओं के पीछे विकास के साथ-साथ व्यावसायिक निहित स्वार्थ और विकास के नाम पर अनुसूचित हस्तक्षेप है।

तकनीकी विकास के कारण विकास के नाम पर यह हस्तक्षेप वर्तमान समय में और अधिक आसान और तेज हो गया है। इसके पीछे वैश्विक पूंजी, इस पूंजी पर यह सवाल था कि नव सामज्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैक, आई.बी.आर.डी. (International Bank for Reconstruction and Development) जैसी एजेंसियों है। जिन्होंने प्राकृतिक संशोधनों के दोहन को अधिक तेज कर दिया ऐसे अधिकार संसाधन आदिवासी इलाकों में रहे है। जिनका संरक्षण आदिवासी समाज करता आया है। 1980 के दशक में विश्व बैक ने सात अरब डालर विकास से सम्बंधित बड़ी परियोजनाओं के लिये दिये जबकि इस राशी का मात्र पाचवा हिस्सा विश्व के शेष 85 देशों को दिया। सभी विशाल बांध परियोजनाएं विश्व पूंजी के प्रभाव में रही इनमें से 60 प्रतिशत बांध परियोजनाओं उस क्षेत्र में जहाँ पर भारत के 80 प्रतिशत आदिवासी निवास करते है।[199]

केवल बांध परियोजनाओं की वजह से भारत के करीब 50 से 70 लाख आदिवासी जनसख्या का विस्थापन हुआ है। इसके बाद खनन व् अन्य औद्योगिक इकाईयों के कारण विस्थापन का संकट सामने आया। एक अनुमान के तहत प्रति दस में से एक आदिवासी समाज ने अपनी सामूहिक पहचान तथा ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत खोई है। उनके बाटे में और कुछ नही आकार, गरीबी, कुपोषण, मृत्यु दर में वृध्दि,अशिक्षा, बेरोजगारी, श्रम एंव खेतिहार मजदूरी आयी। वैश्वीकरण के विस्तार के साथ-साथ निजीकरण की प्रक्रिया तेज होने के कारण आदिवासियों को दिये जाने वाले सवैधानिक आरक्षण के लाभ भी मिलने में बाधा आने लगी।[200]

---

[199]*(198) Ibid.page.89-102.*

[200]*(198) Ibid.page.102*

अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष सामने आये है कि 90 के दशक में जिस कदर **'वैश्वीकरण-निजीकरण- उदारीकरण**[201] की नीतियों को अंधा धुंध तरीके से लागू किया गया उसकी वजह से गरीबी ने 15 करोड़ लोगों को प्रभावित किया। इस जनसख्या का एक तिहाई आबादी आदिवासी समाज की रही आदिवासी के दृष्टिकोण से वैश्वीकरण का दुष्ट-प्रभाव अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है। देशी विदेशी कम्पनियों का इस कदर व्यवस्था पर वर्चस्व कायम होगा यह शायद किसी ने उम्मीद नही की थी **विज्ञान एंव पर्यावरण केन्द्र** (C.S.E)[202] की निर्देशक सुनीता नारायणी ने अपनी रिपोट में बताया था, कि 2011 में 11 वी पंचवर्षीय योजना के तहत इतनी परियोजनाओं को वन एंव पर्यावर मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है जो 12 वी पंचवर्षीय परियोजना के लक्ष्य से भी अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 से 2011 की कालावधी में देश में तमाम क्षेत्र प्रस्ताविक विकास परियोजनाओं को दी गई मंजूरियों से पहले यह नही सोचा गया कि ताप, उर्जा, कोयला, सीमैंन्ट, स्टील, एंव अन्य इकाईयों को अर्थात कुल मिलाकर 8284 परियोजनाओं के लिए दो लाख तीन हजार पाच सौ छिहतर हेक्टर वन भूमि औघोयोगिक संस्थाओं को दी गई। जो पिछले तीस सालों में इस्तेमाल की गई वन भूमि का 25 प्रतिशत है। अकेले वर्ष 2009 में ही सबसे ज्यादा 87,8 63 (सतासी हजार आठसौ तिरासी) हेक्टर भूमि का इस्तेमाल विकास परियोजनाओं में किये जाने की मंजूरी दी गई।[203]

नियमित रूप से आदिवासी जन भारतीय समाज का हिस्सा है, लेकिन पंरपरा एंव संस्कृति की दृष्टी से वे भारतीय समाज से पृथक है। उनके लिए जो भी नीति निर्धारण की जाये वो भी एक विशेष रूप से बनाई जानी चाहिए, जिससे उनकी परम्पराए एंव संस्कृति नष्ट

[201] LPG policy- Liberalization, Privatization and Globalization in India.

[202] C.S.E - Center for Science and Environment, New Delhi.

[203] C.S.E. Sunita Narain,Annual Reportal 2007-08, 2008-09,2009-010, New Delhi.

ना हो, इसी तरह ही उनका विकास संभव हो सकेगा, अन्यथा वे लुप्त होती मानव प्रजाति की श्रेणी में आ जाएगा जिसे भविष्य में हमें उन्हें सिर्फ संग्रहालय की वस्तु के रूप में स्मृति के स्तर पर शेष रह जाएगे।

वैश्वीकरण के लाभ जीन राष्ट्रों को मिला है। उसमे अमेरिका, यूरोप, जापान, जैसे विकसित देश है वहां उच्च कौशल प्राप्त व्यक्ति, व्यवसायिक प्रबंधकीय तकनीकी लोग, लोकसेवा से जहाँ इन उत्पादन को बेचा जाये। बड़ी बाजारवादी व्यवस्था की वजह से जिनको हानि हो रही है। उनमें अनेक विकासशील देश, गरीब लोग निम्न कौशल वाले व्यक्ति, श्रमिक, लोकसेवा पर आधारित व्यक्ति जिनकी बाजार में पहुच बहुत कम होती है। कोई प्रचारित ब्रांड नही होती है वैश्वीकरण से लाभन्वित होने वाली श्रेणियों में आदिवासी समाज कही नही टिकता है। तो नुकसान के खाते में शामिल दिखाई देता है। पंरपरागत बस्तियों से किसी का भी विस्थापन बड़ी त्रासदी का कारण बनता है। आदिवासी समाज अपना परिवेश किसी भी दृष्टि से नही छोड़ना चाहता, चाहे उसे कितने भी प्रलोभन दिए जाए वह परंपरा व् प्रकृति से बंधा हुआ रहता आया है। बांध परियोजना, राष्टीय उच्चमार्ग, रेलवे लाइन, खनन-व्यवसाय, औघोगिकरण, अभयारण्य, एंव अन्य कारणों से आदिवासियों का अनिवार्य विस्थापन होता है। पुनर्वास तो होता है परंतु लाभ सभी को नही मिल पाता जिन्होंने जो खोया है।

2006 की पुर्नवास नीतियों के मसौदा के प्रमुख् सिध्दांत -

1. नीति सिर्फ तभी लागू हो सकती है अगर मैदानों में 400 और पहाड़ों पर 200 या उससे ज्यादा परिवार विस्थापित हों बहुत सारी परियोजनाओं में कम परिवार विस्थापित होते है। क्योंकि आजकल अक्सर ऐसी जमीन अधिग्रहित की जाती है जिससे लोग अपनी जीविका खो देते है, जबकि उनके घर अनछुए रहते है साथ ही

सारी सामुदायिक जमीन भी ले ली जाती है जिस पर लोगो निर्भर होते है। ऐसे में विस्थापित हुए लोगों की संख्या तो कम हो जाती है परंतु इस से प्रभावित हुए लोगों की संख्या कम नही होती उदाहरण के रूप में हम अरुणाचल प्रदेश में बना बांध सुबनसिरी बांध से अधिकारिक रूप से केवल तीस परिवार विस्थापित हुए है इसमें उन परिवारों को भुला दिया गया जो इस योजना से प्रभावित हुए थे।

2. प्रभावित जोंन के हर प्रभावित परिवार (जिसके पास खेती की जमीन है और जिसकी पूरी जमीन ली जा रही है) को सरकारी जमीन दी जाएगी उपलब्ध होने की स्थिति में खातेदार के नाम पर, स्थानान्तरण कीमत के आधार पर, कृषि भूमि या कृषि योग्य परती जमीन दी जाएगी। प्रभावित परिवार के खातेदार द्रारा असल में जितनी जमीन खोई गई है उसके अनुसार, अधिकतम एक एकड़ सिंचित या दो एकड़ असिंचित जमीन दी जाएगी।
3. नीति में कहा गया है की जीन लोगों के घर छिन जाएंगे, उन्हें कही और जगह दी जाएगी। केवल गरीबी की सीमा रेखा से नीचे के परिवारों को घर बनाने के लिए 25,000 रुपय दिए जाएंगे बीच के समय में एक साल तक हर महीने 20 दिन की न्यूनतम कृषि मजदूर दी जाएगी। जो परिवार अपनी पूरी जमीन खो देगे उन्हें एकमुश्त 625 दिनों की दी जाएगी जिनके पास जमीन न हो वे दुकानें चलाते हो या और कोई कामघंधे करतें हों उन्हें दुकानें बनाने के लिए 10,000 रु. दिए जाएगें।[204]

परंन्तु अनुभव बताते है कि अगर विस्थापित परिवार को घर दे दिया जाए। परंन्तु, स्थायी नौकरी के रूप में जीविका का कोई वैकल्पिक साधन न दिया जाए तो नई जिंदगी शुरू करने के लिए ये उपाय एकदम अपर्याप्त रहते है। अपना घर खो देने के बाद, एक परिवार

[204] *'2006 की पुनर्वास नीति'* ड्राफ्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय विभाग, नई दिल्ली 2006.

अपने मुआवजे की सारी राशी घर बनाने में लग जाती है नए सिरे से जिदगी शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। नए वातावरण और परिवेश से तालमेल बिठा पाने और जीविका और जीवन को नये सिरे से शुरू कर पाने के लिये इन परिवारों को नौकारियो, बाजार की सुख सुविधाया,एक समुदायिक व्यवस्था की जरूरत होती है इन सभी पर इस नई नीति के मसौदे पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए ।

छतीसगढ़ में विस्थापन और पुनर्वास नीतिया -

छतीसगढ़ यह आदिवासी राज्य है। यहा कि कुल आबादी में 27 प्रतिशत आदिवासी है छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला पूर्ण रूप से आदिवासी जिल्हा है। जहाँ 70 प्रतिशत आदिवासी है जिनमें अधिकांश लोग घने जंगलों में रहते है इसी क्षेत्र में पिछले 40 वर्षो से नक्सलवाद संगठन सक्रिय रहे है। 'सलवा जुडूम' नामक एक आंदोलन वहाँ पर चलाया गया था जो नक्सलवाद के विरोध में था नक्सलवादी द्रारा सतायें गये। आदिवासियों और उनके समूह को विशेष सुरक्षा बल के रूप में नियुक्त करके एक सेना बनाई। जो CRPF कि सेना को राह में मार्गदर्शन करेगी कई जगह इन्हें नेतृव भी दिया गया था। जब से सलवा जुडूम आंदोलन आरंभ हुआ। तब से वर्ष 2011 के मध्य तक उस इलाके में 250 आदिवासियों की हत्या हुई 100 से भी अधिक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। आदिवासियों के 644 से भी अधिक घरों को जलाया गया। यह अभियान 1000 गाँवो में चलाया गया था। जिसमें एक से तीन लाख तक लोग विस्थापन से प्रभावित हुए जहाँ शिविर बनाये गये थे, वहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब थी मूलभूत सुविधाओं का आभाव के बीच वहाँ पर आदिवासियों को रहना पड़ रहा था। इस दौरान टाटा कम्पनी द्रारा आयरन का खनन' टाटा के अलावा इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अमरीकि कम्पनी टेक्सास पावर कॉर्पोरेशन से भी समझौता किया गया। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न

खनन कम्पनियों से 130 लाख डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। नक्सलवादी की सक्रियता के कारण छतीसगढ़ सरकार के लिए बहुत मुश्किल था। कि इस आदिवासी क्षेत्र में देशी-विदेशी पूजीपतियों की राह आसान कर सके इसलिए सलवा जुडूम जैसे अभियान आरंभ किये गये। जिसका नक्सलवादीयों ने सशस्त्र विरोध किया इस विस्थापन सबसे अधिक आदिवासी जनता को सहना पड़ा।

सलवा जुडूम के पीड़ितों की सहायता के लिए एक समीति का गठन किया गया। जिसका नाम था **क्रांतिकारी सगीत दल** जो आदिवासी के ऊपर हए अत्याचार और हिंसा की कहानी को गीतों के माध्यम से दुसरे प्रान्तों में जाकर सुनते थे, जिससे सलवा जुडूम का सच सबके सामने आए और इसे बंद करने का प्रयास किया जाए। पिछ्ले एक दशक में औद्योगिक परियोजनाओं की वजह से भारत के मध्य भाग के चार राज्यों में जिसमें आंध्रप्रदेश, छतीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा आते है जहाँ 14 लाख से अधिक लोग विस्थापन के शिकार हुए। यह Action and Indian Social Institute and LAYA[205] इन दोनों ने किये सर्वेक्षण में बताया है।

इनके सर्वेक्षण में अनुसार विस्थापन के कुल आबादी में 60 आदिवासी होते है जबकि भारत की कुल आबादी का आदिवासी 8.6 प्रतिशत है। विस्थापन के कारण आदिवासी को अपनी जमीन, जीविका आवास और पूजा स्थलों के साथ-साथ प्रकृति और वन्य जीवों के परिवेश से बेदखल कर दिया जाता है। इसके साथ साथ उनके कुँए, शमशान स्थल, तालाब, नदी, झरने आदि उसे उनका जो नाता है। वो टूट जाता है और उन्हें अपनी जीवन शैली बदलने की मजबूरी सहनी पड़ी। जो उनकी हजारों वर्षो की परंपरा को छिन्न भिन्न कर दिया इस

[205]'CDM (Current Development Status) projects in India: Do they truly promote sustainable development'. A mapping and analysis of select CDM projects in India, Laya resource Center, http://www.laya.org.in/work in tribal education 2003.

विस्थापन से सर्वाधिक नुकसान हुआ उनकी सामुहिक एकता और सामाजिक सुरक्षा जो विस्थापन के बाद पूर्ण रूप से खत्म हो गई। इस सर्वेक्षण में चार मुख्य परियोजनाओं पर बात की गई है। जिसमें वेदांत रिफाइनरी उड़ीसा, पोल्ल्वराम बांध आंध्रप्रदेश, टाटा आयरन छत्तीसगढ़, सुवर्ण रेखा परियोजना झारखंड इन योजनाओं से जो विस्थापन हुआ है। उसमें 66 प्रतिशत विस्थापितों का पुनर्वास नही हो पाया वो आज भी पुनर्वास की आस में है। विस्थापितों में से कई लोगों ने इसका विरोध किया। इस संदर्भ में एक विडम्बना यह रही है। कि विकास के नाम पर सभावित विस्थापन का विरोध उस समय पर आरम्भ होता है। जब सारे अंतिम निर्णय लिए जा चुके होते है। इसकी वजह यह है। कि इस तथाकथित विकास का माध्यम या लाभकारी पक्ष परियोजना संबधी नीति निर्धारण की प्रक्रिया से आरंभ से जुड़ा रहता है और जिन लोगों की कीमत पर यह सब कुछ होने जा रहा होता है। उन्हें अंत में पता लगता है कि उन्हें बेदखल करने का फैसला सरकार ने राज्य, केंद्र और विश्व स्तर पर लिया जा चूका है। उल्लेखनीय है कि ऐसे निर्णयों की प्रक्रिया बहुत लम्बी होती है। इन चारों परियोजनाओं के मामले में जमीन अधिग्रहण सम्बन्धी कुल 22,955 गजट नोटिफिकेशन और 3630 अन्य राजकीय दस्तावेज तैयार किये गये। अगर तथाकथित मुख्य धारा से कोई व्यक्तियों का सबंध हो तो उन तक दस्तावेज की एक प्रति उन तक पहुचाई जाती है। वे लोग ऐसे मामलों को अदालतों में उलझा देते और दशकों तक फैसला नही होने देते या अपने पक्ष में करवा लेते है। मगर अपनी अलग दुनिया में रहते आये आदिवासी को सब यह करना नही आता वो अपने न्याय के लिए कहाँ सघर्ष करे इसका

भी उन्हें ज्ञान नहीं है इसी वो विस्थापन के बाद अगर पुनर्वास नही भी होता तो कोई आवाज नही उठते।[206]

आदिवासी कल्याण एंव विकास के लिए निर्मिती राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य डॉ. डी. स्वामीनाथन द्रारा तैयार किये गये प्रारूप पत्र के आरम्भ में उन्होंने स्वीकार किया है। कि निश्चित रूप से विगत अरसे में आदिवासियों की स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन गैर आदिवासियों की तुलना में इनके हालात हर क्षेत्र में खराब हुए है। केवल विस्थापन के कारण आदिवासियों की स्थिति में सुधार कम हो पाया है। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ, पेयजल, सड़क, संचार, आवास, और जीविकापार्जन आदि किसी भी अहम मसले से जुडी हुई क्यों ना हो। डॉ. स्वामीनाथन द्वारा तैयार किये गये प्रारूप पत्र में बड़े चोकने वाले तथ्य सामने आये है। औद्योगिकरण और विकास से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं के कारण आजादी से 1990 तक की अवधि में जो आदिवासी विस्थापित हुए उनका पूरी तरह पुनर्वास नही हुआ विस्थापित आदिवासी की कुल संख्या 85.39 लाख रही जो कुल विस्थापितों का 55.16 प्रतिशत थी विस्थापित आदिवासियों में 64.23 प्रतिशत अब भी पुनर्वास में वंचित है। निशिचत रूप से अपनी जंड व् जमीन से उखड़ी यह अपुनर्वासित मानवता झोपड़-पट्टियों व् फुटपाथों के सहारे अपना जीवन बिता रहे है। या फिर शरणार्थियो का जीवन जीने पर विवश है। ऐसी बड़ी संख्या के मनुष्यों के दिलों में दिमाग में उनकी लम्बी परंपरा, संस्कृति, मूल्य-व्यवस्था कला, प्रकृति प्रेम श्रम की महत्ता, सामूहिकता, वन्य जीवों का परिवेश, जो सुरक्षित है। उनकी स्मृतियां और स्वप्न अदि को लेकर क्या कुछ इनके टूटने का अंदाज हर कोई नही लगा सकता।[207]

---

[206]S.C. Dude, "*Tribal Studies of India Series"* ICSSR- Sponsored Research Programme on Tribal Studies, Antiquity to Modernity in tribal India: Vol. 1 Continuity and change Among Indian Tribal, Inter-India Publication ,1998.

[207] Joseph Marianus Kujur, *'Development-Induced Displacement in Chhattsghar: A Case Study from Tribal Perspective*' Social Action, 2008. page.32-39

झारखंड की एन.वी.पी.सी.(National Thermal Power Corporation) परियोजना के कारण कनकपुरा घाटी के 186 गाँवो के कुल 3 लाख में से 2 लाख लोगों पर विस्थापन का संकट गहराया नवम्बर, 2006 में 10,000 आदिवासियों ने एकत्रित होकर इसका विरोध किया। जैसे ही एन.वी.पी.सी ने अपना दफ्तर खोला 3000 की भीड़ ने उसे नष्ट कर दिया। एक तरह परियोजना को सफल बनाने की जिद और दूसरी और उसका विरोध दोनों एक साथ जारी है।

छतीसगढ़ के विभिन्न परियोजनाओं से सम्बंधित करीब 3 लाख आदिवासी विस्थापितों की लडाई डॉ.विनायक सेन लड़ रहे थे। जिन्हें पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा था उन्हें निर्दोष करार देने के लिए कई आन्दोलन हुए जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें रिहा कर दिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जिसमे 19 अप्रेल 2009 के हिन्दू अख़बार में डॉ. सेन की अवैध हिरासत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश वी. आर. कृष्णा अय्यर द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के नाम लिखा लंम्बा पत्र छपा जिसमें स्पष्ट बताया की ऐसी हिरासत तो भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। अन्तत सर्वोच्य न्यायलय नें डॉ. सेन को रिहा करने के आदेश दिए अमानविय विस्थापन के विरुध्द कई कदम उठाए गये इस तरह के विस्थापन को कई अध्यनों में उठाया गया है।

१.बांध, ओद्योगिक इकाईयों, खनन और सेज के कारण आगामी एक दशक में करीब एक करोड़ लोगों के विस्थापित होने की संभावना है।

२. विस्थापन का प्रतिरोध करने की भारतीय लोगों में अटुट ताकत है। विस्थापन के सत्य को लेकर भारत सरकार (केन्द्र व् राज्य) के बारे जो गलतबयानी करती है और इसके प्रतिरोध को सशस्त्र बलों द्वारा कुचलने का अन्यायपूर्ण कार्य करती है।[208]

[208] *(207) Ibid. page.32-39*

भू-अधिग्रहण के तहत विकास के नाम पर विस्थापितों की भूमि अधिग्रहित की जाती है। इस कानून को प्रो.नदीम हसैनन[209] नें सामन्तवादी कानून कहा है। "उनका प्रश्न है कि भूमि अधिग्रहण सम्बधी कानून जितना ताकतवर है उतना जिम्मेदार कानून पुनर्वास सम्बधी कानून नही है। इनकी इस बात पर विचार किया जा सकता है चूकि अब तक देश में किसी भी बड़ी परियोजना के एवज में विस्थापितों का पूरा एंव संतोषप्रद पुनर्वास नहीं हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि जिस उद्देश से विशाल परियोजनाएं लागू की जाती है। उसी तरह उन परियोजनाओं को पूरा किया जाता है। परंन्तु विस्थापन का मुद्दा भूमि अधिग्रहण तक ही सीमित नहीं रहकर विस्थापितों की जीविका, संस्कृति व् समुदाय तक को तहस-नहस कर देता है पूर्वोतर के विशेष सन्दर्भ में प्रो. हुसैनन का यह भी कहना है। कि बड़ी परियोजनाओं को लागू करने की बजाए उन्हें भंगकर भूमि को पुन सम्बंधित विस्थापितों को देने से राज्य व् विस्थापितों दोनों को उसका लाभ मिलेगा इस संदर्भ में उन्होंने दुम्बर परियोजनाओं को रोकने का प्रस्ताव रखा गया था।[210]

इस का एक उदाहरण है त्रिपुरा के जल उर्जा परियोजना द्रारा आशा से कम विधुत उत्पादन होने कि वजह से इस परियोजना को एक से दो वर्षो के बीच बंद करवा दिया गया। उसमें जो जमीन का अधिग्रहण हुआ था। उसे हटाकर जमीन विस्थापितों को वापस दे दी गई इस तरह की कई परियोजना है। जो शुरू तो हुई पर जल्दी बंद हो गई। परंन्तु, उसका लाभ किसी को नही मिल पाया। ऐसी परियोजनाओं को बंद करके वो जमीन विस्थापितों को दे देनी चाहिए, इस तरह के विचार पर कोई ध्यान नही देता। जून 2008 में रंगानदी जल परियोजना के कारण वर्षा के पानी की अधिक मात्रा में आवक के कारण पानी छोड़ा

---

[209] Prof. Nadeem Hasnain, University of Lucknow, Anthropology Faculty. Work on Indian Tribal, 1994.

[210] प्रा.नदीम हसनैन, *"समकालीन भारतीय समाज: एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य"*, भारत बुक सेंटर, लखनऊ. 2011

गया। जिससे बाढ़ आ गई उस क्षेत्र और बहुत सारे लोग विस्थापित हो गये विस्थापित के बाद वहाँ पर पुनर्वास योजना के अंतर्गत पुनर्वास किया गया।

पहली पुनर्वास नीति का प्रावधान -

आदिवासियों के विस्थापन पर भारतीय सविधान में प्रावधान है। जिसमें विस्थापन पांचवी सूची के प्रावधानों का खुल्लेआम उल्लधंन है। जिसमें तहत आदिवासियों को उनकी पुश्तैनी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना अधिकारों की गारंटी दी गई है। यह वजह रही कि आदिवासियों के लिए बनायी गयी राष्ट्रीय नीति में स्पष्ट प्रावधान रखे गये कि विकास की प्रक्रिया में आदिवासियों का विस्थापन कम से कम किया जाये। अगर अति अनिवार्य हो विस्थापन तो उनके पुनर्वास के रूप में जीवन बेहतर स्तर सुनिश्चित किया जाये, इसलिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2004 में निम्न प्रावधान थे।

१. भूमि के एवज में कम से कम दो हेक्टर उपजाऊ भूमि देने का प्रावधान था जिससे कि विस्थापित परिवार आसानी से गुजारा कर सकें ।
२. मछली उत्पादन की जगह,पर मछली उत्पादन हेतु सुविधा प्रदान करना।
३. नये स्थान पर आरक्षण के लाभ।
४. वनोपज पर अधिकारों की संपत्ति के बदले अतिरिक्त वित्तीय सहायता जो छह माह से एक वर्ष तक की न्यूनतम कृषी मजदूरी के समान हो।
५. एक जैसी आदिवासी लोगों को (एक स्थान से विस्थापितों) पुनर्वास स्थल एक ही दिया जाये और वह भी जहाँ तक सम्भव हो प्राकृतिक परिवेश में हो, ताकि उनकी वंश परम्परा एंव सामाजिक-सास्कृतिक भाषाई सम्बन्ध अन्यथा प्रभावित नही हो।
६. सामाजिक धार्मिक आयोजनों के लिए भूमि मुफ्त में उपलब्ध करायी जाये।

७. यदि विस्थापन मुल स्थान के तहसील या जिल्हे से बाहर होता है तो आर्थिक दृष्टी से अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए।

८. सामूहिक विस्थापन कि दिशा में नये स्थान पर पानी, बिजली, सड़क,स्वास्थ, सफाई, शिक्षा, उचित मूल्य की दुकान, सामुदायिक केन्द्र, पंचायत कार्यालय अदि सभी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिएं।

९. आदिवासी समाज का मरन संस्कार पर अति विश्वास है इसलिए विस्थापन के बाद शमशान घाट का भी निर्माण करना चाहिए जिससे उनकी परम्परा चलती रहे।[211]

भारतीय वन नीति के प्रावधान -

इसके अलावा भारत की वन नीति में स्पष्ट रूप से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के गाँवो को बकायदा **वन्य ग्राम** की संज्ञा दी गई है। और यह भी प्रावधान रखे गये है कि राजस्व गाँवों की तरह सारी सुविधाएँ वन्य गाँवों को भी उपलब्ध करायी जाये जिसमें शिक्षा चकित्सा, विधुत, संचार, सड़क, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अनाज भंडार, विकसित कृषि की सुविधाए, पशु चिकित्सालय, बैक, सहकारी संस्थाएं, छोटे बड़े वनोत्पाद का उपभोग, साहूकारों के शोषण से मुक्ति की व्यवस्था अदि शामिल थी। आदिवासी विकास की समस्या अत्यंत जटिल रही है। इसकी एकमात्र वजह यह रही है कि उनके विकास की बात उनकी जीवन शैली सांस्कृतिक परम्पराओं एवं मनोदशा को ध्यान में रखकर नही की गई थी। पडित जवाहरलाल नेहरु ने आदिवासी विकास के पंचशील सिध्दांत तय किये थे जो निम्न प्रकार से है।

---

[211] "*राष्ट्रीय पुनर्वास नीति' 2004 का ड्राफ्ट*" ग्रामीण विकास मंत्रालय विभाग, नई दिल्ली. 2004

1. आदिवासी विकास उनकी मनोदशा एंव परम्पराओं के आधार पर होना चाहिए बाहर से थोपी जाने वाली नीति के तहत नही। इस क्षेत्र में आदिवासी परंपरागत कला व् संस्कृति पर जोर दिया था।

2. आदिवासियों के जंगल व् जमीन पर अधिकारों का सम्मान किया जाये।

3.प्रशासन एवं विकास में आदिवासियों के प्रतिनिधित्व को महत्व दिया जाना चाहिए जिससें उनके विचार को भी महत्व मिल सके।

4.आदिवासियों के परंपरागत समाज व् सांस्कृतिक संस्थाओं के आधार पर ही आदिवासी क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

5.आदिवासी विकास का मापदंड खर्च की जाने वाली राशी एंव विकास के आकड़ों पर आधारित न होकर विकास की गुणवता के आधार पर होनी चाहिए ।

आदिवासी मुद्दों के विशेषज्ञ स्वयं वेरियर एलविन ने भी इस बात पर जोर दिया है। भारतीय समाज के लिए आदिवासियों का जो परंपरागत वरदान है। इस वरदान को भारतीय समाज में उत्थान के सहायक के रूप में देखना चाहिए न कि आदिवासी समाज को भारतीय समाज से पृथक के रूप में देखना चाहिए आदिवासी के विकास के प्रमुख दृष्टिकोण निम्न प्रकार से बनाये गये है ।

1.राजनैतिक दृष्टिकोण -

इस दृष्टिकोण निम्न प्रकार आदिवासी समाज को सविधान में पृथक रूप से पिछड़ावर्ग माना गया है उनके अधिकारों के सरक्षण एंव विकास के लिए विशेष प्रावधान रखे गये है ।

2.प्रशासनिक दृष्टिकोण -

प्रशासनिक दृष्टिकोण राजनैतिक दृष्टिकोण पर आधारित रहा है इसके लिए आदिवासी कल्याण मंत्रालय आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं आदिवासी परामर्श परिषद, आदिवासी शोध संस्थान, आदिवासी आयोग अदि की व्यवस्था की गई है।

3*. धार्मिक दृष्टिकोण -*

धार्मिक दृष्टिकोण से हिन्दू व् ईसाई धर्म नायकों द्रारा आदिवासियों के धर्मान्तर को उनके उत्थान का एकमात्र विकल्प मन लिया इस दृष्टी से पूर्वोतर राज्यों के संदर्भ में ईसाई मिशनिरियों की भूमिका सराहनीय कही जा सकती है लेकिन परंपरागत व् सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो इस तरह आदिवासियों को विकास नकारात्मक स्वरूप ग्रहण करता आया है।

4. *स्वयंसेवी संगठन-*

स्वयंसेवी संगठनों के दृष्टिकोण से समाज सुधारकों को व् गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं द्रारा आदिवासियों को एक तरह बैसाखीनुमा सम्बल देकर उनके उत्थान की बार कही जा रही है। आदर्शवाद मानवतावाद इसका केन्द्र रहा है।

5.*नृत्तवशास्त्रीय दृष्टिकोण-*

इस दृष्टी से आदिवासियों के उत्थान की समस्याओं को विध्द्नों ने समझने का प्रयास किया है। उनका निष्कर्ष यह है की जब तक आदिवासी समाज भारतीय मुख्य समाज का हिस्सा नही बनता। तब तक आदिवासी जन अलग थलग रहेंगे और जब तक यह स्थिति रहेगी तब तक विकास सम्भव नही है। इसके लिए बहुयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। जिसका आधार नत्त्तव्-शास्त्रीय अध्यनों के अलावा और कुछ नही हो सकता यह दृष्टिकोण आदिवासी परंपरा व् मनोदशा को समझने में सहायक हो सकता है। लेकिन भौतिक विकास के साथ उनके समृध्द परंमरागत मूल्यों के सरक्षण की समस्याओं का

समाधान नही करता इस दृष्टिकोण को प्रमुख जोर राष्ट्रसमाज के परिपेक्ष में आदिवासी उत्थान को देखने पर है। प्रो.राय,वर्मन एंव बी .डी शर्मा जैसे विद्वानों ने आदिवासी विकास की कुंजी में गढ़िवादी दर्शन तलाशने के प्रयास किये है। [212]

मार्स्के ने लिखा है “की किसी भी समाज में परिवर्तन के लक्षण भीतर से हो उसके पहले ही उस पर बाहर से परिवर्तन लाद दिया जाये तो वह समाज एक किस्म के सास्कृतिक अक्साद (Cultural Melancholy) में जीनें को बाध्य हो जाता है”[213] आदिवासी विकास का मुद्दा कुछ इस तरह का है। और इसलिए विकास के ऐसे मॉडल को आदिवासी अपनाने से पीछे हटता है। हम प. नेहरु ने विकास की जो नीति निर्देशक तत्व बताये थे उनके संदर्भ में आदिवासी विकास के मुद्दों को देखना चाहिए। लेकिन वैश्वीकरण के इस दौर में यह समस्या और जटिल होती जाती है। वहाँ आदिवासी सांस्कृतिक मूल्यों के सरक्षण व् विकास, आदिवासियों की हिस्सेदारी एंव प्रशासनिक स्वायता के मुद्दों भू-मण्डलीय वातावरण एंव दबावों से पृथक कैसे रखा जाये यह सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है।

पुनर्वास नीतियों का मूल्यांकन व् विश्लेषणात्मक अध्ययन-

सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु निजी सम्पत्ति के अर्जन के लिए सर्वोपरी अधिकार के सिध्दांत के अंतर्गत राज्य द्रारा कभी कभी विधिक शक्तियों का प्रयोग करना अपेक्षित होता है। भूमि अर्जन के परिणाम स्वरूप लोग अनैच्छिक रूप से विस्थापित हो जाते है उन्हें अपनी भूमि, जीविका और आश्रयस्थल को छोड़ना पड़ता है। उन्हें परंपरागत संसाधन आधार के लाभ प्राप्त होने में पाबन्दी लगा दी जाती है।

---

[212] ब्रम्हदेव शर्मा, *“आदिवासी विकास एंव सैध्दन्तिक विवेचन”* मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रथ अकादमी, भोपाल,1999.

[213] Jermaine Singleton, *“Cultural Melancholy: Readings of Race, Lmpossible Mourning, and African American Ritual”* Nov.2015, Publisher: University of llinois Press. 2004.

वे अपने सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण से अलग हो जाते है। विस्थापन से प्रभावित लोगों पर विस्थापन का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। जिसके लिए उनके अधिकांश जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजातियो, सीमांत किसानो तथा महिलाओं के लिए खुले थे वो खत्म हो जाते है लोगों का अनैच्छिक विस्थापन अन्य कई कारणों से भी हो सकता है।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबन्धी मुद्दों का बाध्य रूप से आरोपित आवश्यकताओं की अपेक्षा प्रभावित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ तैयार की गई। विकासात्मक प्रक्रिया के एक मूलभूत अंग के रूप में स्वीकार करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। अनैच्छिक विस्थापन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मुआवजे के अलावा अतिरिक्त लाभ प्रदान करने होगें। उन परिवारों की स्थिति तो और भी खराब होती है। जो उस भूमि के संबंध में विधिक अथवा मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं रखते, जिस पर वे अपनी जीविका चलाते है। वो भूमि जो उनका आश्रय स्थल है। उन्हीं पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। इस प्रकार योजना बनाने वालें के लिए विस्थापन, पुनर्वास और पुर्नव्यस्थापन कि प्रक्रिया ढाँचे में केवल उन लोगों को ही नहीं, जिनकी भूमि तथा अन्य परिसंपत्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से अर्जित की जाती है। बल्कि उन लोगों को भी, जो ऐसी परिसंपतियाँ के अर्जन से प्रभावित होती है शामिल करने के लिए व्यापक संयुक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। विस्थापन प्रक्रिया में प्रायः ऐसी समस्याएं आती है। जिनसे विस्थापित हुए व्यक्तियों लिए पुर्नव्यस्थापन के बाद अजीविका के अपने पुराने कार्यकलापों को जारी रखना कठिन हो जाता है। इसके लिए विस्थापन के आर्थिक नुकसान तथा सामाजिक प्रभाव का ध्यान पूर्वक आकलन करना भी महत्वपूर्ण

है। प्रभावित लोगों के समग्र जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से ही पुनर्वास व पुर्नव्यस्थापन नीति का निर्माण किया गया है।

विस्थापन से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास संबंधी जो छत्तीसगढ़ सरकारी की नीति 2007 तैयार कि गई है। यह 2008 से राज्य में लागू भी कर दी गई है। इस नीति के कार्यान्वयन के अनुभव से पता चलता है कि इस नीति द्रारा समाधान किए गए अभी भी ऐसे बहुत से मुद्दे है। जिनकी समीक्षा किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक परियोजन व पुनर्वास नीति का अध्ययन और उसका समाज के लोगों को मिलने वाले लाभों का ध्यानपूर्वक निर्धारण करने कि जरूरत है। प्रभावित परिवारों पर पड़ने वाले प्रतिकुल प्रभावों-आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभावों का एक पारदर्शी रूप में मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

यह नीति उन सभी परियोजनाओं के बारे में लागू की जानी चाहिए, जहां पर अनैच्छिक विस्थापन होता है। पुनर्वास नीति के अंतर्गत अगर देखा जाये तो बड़े पैमाने पर होने वाले विस्थापन को यथासंभव न्यूनतम किया जाए। परियोजना के प्रयोजन के अनुरूप भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का ही अर्जन किया जाए। इसके अलावा, जहां तक संभव हो, परियोजनाएं बंजर भूमि, अवक्रमित भूमि या असिंचित भूमि पर स्थापित की जाए। ऐसे प्रयोजनों के लिए जहां तक संभव हो, बहु-फसली भूमि का बचाव किया जाए और सिंचित भूमि का अर्जन, यदि अपरिहार्य हो, न्यूनतम मात्रा में किया जाए। किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व समुचित सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए,

(1) परियोजना हेतु भूमि के अर्जन के कारण लोगों का कम से कम विस्थापन होना चाहिए।

(2) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्र न्यूनतम होगा।

(3) परियोजना में गैर-कृषि उपयोग हेतु कृषि भूमि का अर्जन न्यूनतक मात्रा में होगा ।

(4) जहां बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित होते है। वहां सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना और पुनस्थापित क्षेत्र में अपेक्षित सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करना अनिवार्य होना चाहिए। खासकर जहां बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजातियाँ के लोगों का विस्थापन किया जा रहा है। वहां पर एक जनजातियों के विकास के अनुसार पुनर्वास की योजना बनानी चाहिए। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि अनेक राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा एजेंसियों और अन्य अर्जन कारी निकायों के पास या तो अपनी पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति है। जो विस्थापित परविारों को उनके विस्थापन के बाद पुनर्वास के लिए मदद कर सके।

आदर्श पुनर्वास व पुनर्स्थापन नीति 2007 का मुल्यांकन व समीक्षा:-

देश की विभित्र परियोजनाओं के कारण प्रभावित आबादी के लिए पुनर्वास सुविधाओं के मापदण्ड निर्धारित करने के उद्देश से भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2007 से राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 प्रभावशाली की है यह नीति इसी सभी परियोजनाओं के लिए राज्यों कप प्रभावशील करना आवश्यक होगा जहाँ मैदानी क्षेत्र में 400 से अधिक परिवारों अथवा आदिवासी क्षेत्रों में 200 से अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है राष्ट्रीय पुनर्वास नीति में यह भी कहा गया है की राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ऐजन्सीयों और अन्य निकायों को राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 में निर्धारित लाभों से अधिक लाभ प्रदान करने की स्वतत्रंता रहेगी।

भारत सरकार द्वारा प्रभावशील राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति में कई महत्वपूर्ण 2007 में विधान दिए गए है।

- प्रभावित परिवारों को आवंटित भूमि अथवा मकान परिवार के पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर होगा।
- परियोजना प्रभावित परिवार, जिन्हें कृषि भूमि अथवा रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है। 750 दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा।
- विस्थापित परिवार को विस्थापन दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह 25 दिन की न्यूनतम कृषी मजदूरी के बराबर मासिक जीवन भत्ता मिलेगा।
- प्रभावित विकलांग, निराश्रित, अनाथ, विधवा,अविवाहित लडकियाँ,परित्यक्त महिला, पचास वर्ष की आयु के ऊपर का व्यक्ति किसी परिवार के सदस्य के रूप में सम्मिलित नही है। उन्हें जीवनभर प्रतिमाह 500 रु.कि पेशन दी जाएगी।
- विस्थापित परिवार सामान परिवहन के लिए निशुल्क परिवहन सुविधा का लाभ नही लेता है तो उसे इसके बदले एकमुश्त 10,000 रु. दिये जाएगें।
- विस्थापित परिवार के पास यदि पशु है तो नये स्थान पर पशुशाला निर्माण के लिए 15,000 रु. मिलेगें।
- विस्थापित छोटाव्यापारी, ग्रामीण दस्तकार को नये स्थान पर कार्यशेड या दुकान बनाने के लिए 25,000 रु. तक की वित्तीय सहायता कुछ शर्तो के अधीन उपलब्ध हो सकेगी।

छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 में अतिरिक्त लाभकारी प्रावधान सम्मिलित कर भावी परियोजनाओं के लिए परिमार्जित पुनर्वास नीति 2008 प्रभावशली की है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों ने भी विस्थापितो के पुनर्वास के लिए 2007 की नीति में थोडा परिवर्तन कर इस नीति को अपनाया है। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के लाभ के अलावा

अनुसूचित जनजाति के विस्थापित परिवारों के लिए जनजातीय विकास योजना से लाभ देने की पहल की गई है। जिसमें यह कहाँ गया है, कि 200 या उससे अधिक अनसूचित जनजाति परिवारों का विस्थापन किया जाने पर जनजातीय विकास कार्य योजना के अन्तर्गत इन परिवारों को पुनर्वास नीति के अतिरिक्त विकास संबधी लाभ मिलेगें।

(1) पुनर्वास व पुनर्स्थापन नीति -

पुनर्स्थापन नीति के अंतर्गत जो उद्देश्य है उसमें महत्वपूर्ण यह बात कही गई है। 1:25[214] के अनुसार जो भूमि पर वो तीन वर्ष पूर्व से रह रहे है। उसे वहां का मूल निवासी मानकर पुनर्वास में उसे भी समान अधिकार मिलने चाहिए, यह पुनर्वास नीति के सिध्दांत 1.25 के अनुसार है। परंतु प्रत्यक्ष में नीति का पालन नहीं हुआ कई ऐसे परिवार है जो विस्थापन के बाद आज भी पुनर्वास से वंचित है। उनके पास जमीन पर अधिकार का कोई शासकीय कागज नहीं है जिससे यह सिध्दं हो की यह परिवार भी इसी गांव का मूलनिवासी है।

(2) राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के अनुसार-

ऐसी प्रत्येक परियोजना जिसमें मैदानी क्षेत्रों में सामूहिक रूप से 400 या इससे अधिक परिवारों अथवा जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों में डी.डी.पी. ब्लाकों या संविधान की अनुसूचि v और vi अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में सामूहिक रूप से 200 या इससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होता है। वहां पर राष्ट्रीय पुनर्वास व राज्य सरकार की अपनी पुनर्वास नीति के द्वारा लोगों का पुनर्वास किया जाता है। जिसकें अंतर्गत जमीन, घर, रोजगार यह महत्वपूर्ण आयाम होते है।

(3) भूमि, मकान आदि का अधिग्रहण -

---

[214] (1.25) - यह नीति निर्देशक है जिसमें जहां पुनर्वास सबंधि नियमावली दि गई है

भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत भू-अर्जन के प्रयोजन के लिए लोक प्रयोजन के दायरे में उन परियोजनाओं को माना जायेगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इनमें परियोजनाओं के साथ-साथ पुनर्वास रक्षा, रेल, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बिजली उत्पादन, औद्योगिक, उत्पादन खनिज उत्पादन जैसी परियोजनाओं का समावेश है। इन परियोजनाओं की वजह से विस्थापन अगर होता है तो उसका पूनर्वास इस पुनर्वास नीति के अंतर्गत किया जायेगा।

(4) अधिग्रहित सम्पत्ति का मुआवजा -

भूमि का मुआवजा के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन के अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजे के अतिरिक्त इतनी राशी और भुगतान की जाएगी। कि भूमि स्वामी को प्राप्त होने वाली न्यूनतम कुल राशि पड़त भूमि हेतु रूपये 50,000/- प्रति एकड़, असिंचित (एक फसली) भूमि हेतु रूपये 75,000/- प्रति एकड़ एवं सिंचित (दो फसली) भूमि हेतु रूपये 1,00,000/- हो जाए। यह पुनर्वास नीति के अनुसार है परंतु प्रत्यक्ष में आदिवासी समाज जो स्थलानतरीत तरीके खेती करते है जिन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि कितनी एकड़ भूमि हमारी है। को इस पुनर्वास नीति का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते है।

अगर भूमि को किसी शासकीय परियोजनाओं के लिए लिया गया हो तब इसकी मुआवजा राशि कम हो जाती है। जिसमें पड़ती भूमि हेतु 30,000/- प्रति एकड़, असिंचित (एक फसली) भूमि हेतु 45,000/- प्रति एकड़ तथा सिंचित हो (फसली भूमि) हेतु 60,000/- प्रति एकड़ हो सकती है। इसमें अगर शासकीय भूमि उपलब्ध हो तो वहां भूमि के बदले भूमि का प्रावधान रखा गया है। सलवा जुडूम अभियान यह मुख्य रूप से सुरक्षा के उद्देश्य से चलाया गया था जैसा कि प्रावधान में भू-अर्जन के जो मुख्य कारण माने गये थे उसमें से एक है। सुरक्षा जो नक्सलवाद कि समस्या जिसमें 3 से 4 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा यहां पर

इस नीति के अनुसार विस्थापन के बाद जो पुनर्वास किया गया है। परंन्तु, घर के बदले घर तो मिला, जमींन के बदले जमींन नहीं मिली। कुछ कैम्पों में सार्वजनिक खेती की जाती है। जिससे वो अपने परिवार के लिए कुछ अर्थ-अर्जन कर सके और परिवार को चला सके जैसा कि पुनर्वास नीति में दिया गया है।

(5) वृक्षों का मुआवजा -

इस नीति के अंतर्गत वृक्षों का मुआवजा वृक्ष अगर फलदार हो तो उससे प्राप्त होने वाली वार्षिक आय एवं लकड़ी के मूल्य आदि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य वृक्षों का मूल्य अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों की लकड़ी के आधार पर आंका जाएगा या नीति के अनुसार है गांव में घरों संरचना यह अलग होती है। एक घर दुसरे घर से काफी दूरी पर होता है। उस घर के साथ उनकी खेती लगी होती है। इस तरह तो प्रत्येक परिवार के पास बहुत से पड़ों हो जायेगें। परंन्तु, यहां के आदिवासी एक स्थान दुसरे स्थान पर स्थानांनतरीत होकर कृषि करते है। जिससे इन्हें मुआवजा नहीं मिल पाता है। हर बार चार साल बाद ये लोगं खेती के लिए नयी जमीन कि तलाश करते है और जमीन का चुनाव होने पर पूरा का पूरा गाँव वही आकर बस जाता है जिससे इनके पेड़ जो फल के उत्पादन आने से पहले ही इनसे दूर चले जाते है इसी वजह से इन्हें इसका मुआवजा भी नही मिलता।

(6) मकान एवं सम्पत्ति का मुआवजा -

पुनर्वास नीति के नियमावली के 4.31 के अनुसार अन्य सम्पत्तियों में जैसे मकान, कुंआ, निजी-बाडी, अन्य निर्माण जैसी सम्पत्ति का मूल्य है। उसे वैसी ही हालत में फिर से उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यय के बराबर आंका जाएगा जिससे उनका मुआवजा उन्हें मिल सके परंतु सलवा जुडूम से जो परिवार विस्थापित हुए है वो अति दुर्गम क्षेत्र के है वहां स्थाई मकान नहीं है वो जैसे खेती के लिए स्थानांनतरित होते है। वैसे पुरा गांव भी नये

स्थान पर बसाया जाता है। जिससे कुंआ, निजी-बाडी का कोई स्थान नहीं यह नदी, झरनों, नालों, तालाब ही इनके जल का स्रोत है इस तरह के मुआवजे इन्हें कम ही मिल पाते है। घर भी घासपुस, मिट्टी के बने होते है जिससे उन्हें मुआवजा कम मिलता है।

(7) विस्थापितों को कृषि भूमि आवंटन -

राज्य शासन की परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन से प्रभावित ऐसे विस्थापित परिवारों जिनके 50 प्रतिशत से अधिक भूमि अर्जित की जाती है। उन्हें शासकीय भूमि उपलब्ध करने का प्रयास किया जाता है। जहां भूमि उपलब्ध कराना संभव ना हो वहां प्रत्येक एकड़ के अनुसार 10,000/- कि अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में भूमि यह गांव के आस पास अपने अनुसार यह आदिवासी खेती करते है। परंन्तु विस्थापन के बाद जब पुनर्वास किया गया कैम्प में वह सबसे अलग था ना ही वो मुआवजा मिला ना ही कोई इतर लाभ प्राप्त हुआ। नीति के अनुसार तो प्रत्येक परिवार को जमीन मिलनी चाहिए परंन्तु जब कैम्प में पुनर्वास हुआ तो सिर्फ घर बनाने के लिए पैसे दिए गये। कैम्प में सार्वजनिक खेती की जाती है जिसमें एक एक परिवार को एक छोटा भाग दिया गया है जिसमें वो अपने घर के लिए साग सब्जी उगा सके।

(8) विस्थापितों को भू-खण्ड आवंटन -

विस्थापितों में कई ऐसे परिवार भी थे जो भूमिहीन है उन्हें भी राज्य की पुनर्वास नीति में निःशुल्क वैकल्पिक भू-खण्ड उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जिसमें भूमिहीन परिवार 300 वर्ग मीटर, लघु-कृषक परिवार 450 वर्ग मीटर, अन्य कृषक परिवार 600 वर्ग मीटर है। इसके अलावा उनकी आय के आधर पर भी भू-खण्ड उपलब्ध कराया जाता है। आदिवासियों का जब विस्थापन हुआ तो उन्हें 2 वर्षों तक तत्कालीन राहत शिविरों में रखा गया। जहां उनके साथ और भी आदिवासी थे जिससे जब उनका पुनर्वास किया गया। कैम्प में तो आय के

अनुसार ही किया गया था जिसमें कम आय को 95 वर्गमीटर, अल्प आय को 140 वर्गमीटर, मध्यम आय 280 वर्गमीटर, उच्च आय 420 वर्गमीटर के आधार पर भू-खण्ड उपलब्ध कराये गये थे।

(9) रोजगार तथा अन्य सुविधाएं -

रोजगार के लिये यह प्रावधान है कि रोजगार की पात्रता ऐसे प्रत्येक विस्थापित परिवार को होगी जो भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) की अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख के तीन वर्ष पूर्व से स्वतंत्र रूप से या संयुक्त परिवार के रूप में अधिगृहित भूमि के भूमि स्वामी या पट्टेदार रहे है। वाणिज्य के अंतर्गत उनकी भूमि का 75 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा भूमि अर्जित में गया हो उन्हें ही यह नीति के अंतर्गत एक सदस्य को रोजगार दिया जायेगा परंन्तु जहां पर यह सलवा जुडूम अभियान चलाया गया वहां पर जो आदिवासी थे उनके किसी के पास भूमि स्वामी होने सबूत नहीं है जो शासन मान्य हो तो उन्हें रोजगार मिलने की कोई गुंजाईश ही नहीं है। इसमें यह भी प्रावधान है कि सुशिक्षित नवयुवकों को रोजगार दिये जायेगें जहां अभी तक शिक्षा ही नही पहुंची है। वहां सुशिक्षित होने वाले नवयुवक कहां से आएगा, यहां भी वो रोजगार पाने से वंचित रह जाते है।

(10) औद्योगिक / खनन परियोजना के विस्थापित परिवारों को रोजगार की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकता कम में दी जाएगी -

विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को मुआवजे के अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र अथवा परियोजना क्षेत्र से लगी हुई अथवा निकटस्थान मुख्यालय अथवा नगर पंचायत / नगर पालिका क्षेत्र में दुकान निर्मित करके दी जायेगी जिससे उन्हें रोजगार उपलब्धप कराया जा सके। सलवा जुडूम से विस्थापित परिवारों को जो SPO में कार्यरत थे उन्हें विशेष सुरक्षा बल (Special Police Officers) जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्मित की गई थी उन्हें उसी मे

रोजगार दिया गया जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण विस्थापन के बाद भी कर सके।

(11) विस्थापितों को विविध सहायता -

पुनर्स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक विस्थापित परिवार को रूपये 11,000/- की एकमुश्त सहायता राशि पुनर्स्थापना अनुदान के रूप में दी जाएगी। जिसे समय-समय पर बढ़ाया जा सकेगा, सलवा जुडूम से विस्थापित परिवारों को जब पुनर्वास किया गया तब प्रत्येक परिवार जो कैम्प में पुनर्वासित हुऐ है उसे 10,000/- मिले जिससे वो अपने घर का निर्माण और घर में आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सके। इसी के अंतर्गत कहां गया है कि विभिन्न गतिविधियों के लिये पुनर्वास हेतु स्थापित नए नगरीय क्षेत्रों का नियोजन करते समय अनौपचारिक मांग प्रकार, सुविधा, उपयोगिता, दुरी एवं आवागमन के साधनों आदि पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा। सलवा जुडूम से विस्थापित परिवारों को जहां कैम्प में बसाया गया। वहां से स्थानिक बाजार व जिला अस्पताल यह कम दूरी पर है। परंन्तु, यहां से बाजार तक जाने आने के साधन उपलब्ध है जिससे यहा आवागमन सुलभ हो गया है।

विस्थापित क्षेत्रों में स्थित, धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्रारा, चर्च पुरातत्व महत्व के स्थल आदि के एवज में नये क्षेत्रों में उनके नवनिर्माण तथा कब्रगाह व दाह संस्कार हेतु स्थल के लिये आवश्यक प्रावधान है। सलवा जुडूम से विस्थापित परिवारों को जहां कैम्प में पुनर्वास किया गया वहां इस प्रावधान के अनुसार कुछ बनाया नहीं गया, वहां पर लोगों ने अपने पुजा स्थल कैम्प के बाहर बनाये है। जहां साल में एक बार मेला लगता है और पूजा होती है। कब्रगाह और दाह संस्कार हेतु आदिवासी समाज अपने गांव के आस पास ही बनाते है। प्रत्येक परिवार का अपना दाह संस्कार की जगह होती है वहां गांव का दुसरे किसी भी परिवार को दाह संस्कार करने की अनुमति नही होती उसी तरह कैम्प से थोड़ी

दूर पर यहां रहने वाले परिवारों ने अपने अपने दाह संस्कार की जगह चुन कर वहां निशान बना दिया। जिससे दूसरा कोई भी इस जगह पर दाह संस्कार ना कर सके।

परियोजना के विस्थापित परिवारों को परियोजना के अस्पताल में चिकित्सा सुविधा तथा उनके बच्चों को परियोजना के स्कूल में प्रवेश की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। इसके आधार पर देखा जाये तो तीनों ही कैम्प में अस्पताल की सुविधा नहीं है। कोई भी बीमार हो तो अस्पताल की गाड़ी आती है ले जाने के लिए परंतु अस्पताल की सुविधा नहीं है। स्कूल की बात की जाये तो तीनों ही कैम्प में स्कुल उपलब्ध है। जहां प्राईमरी स्कुल से लेकर हाई स्कुल तक की शिक्षा की सुविधा है। परंन्तु शिक्षा का स्तर बहुत ही साधारण स्तर का है। इसके अलावा कैम्प के पास आवासी स्कूल भी है जहां पर विस्थापित परिवारों के बच्चों की मुफ्त शिक्षण, स्वास्थ्य, कपड़े, खाना दिया जाता यहां लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए आवासी स्कूल बनाया गया है। यहां उनके उच्च शिक्षण तक का खर्च सरकार द्रारा किया जाता है।

(12) सलाहकार समीतियाँ -

परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन की पुनर्वास योजना का अनुमोदन संबंधित प्रशासकीय विभाग द्रारा भू-अर्जन के लिए अनुमति देने समय कई पर्यवेक्षण एंव मानिटरिंग समीतियों की स्थापना की जाती है। जो पुनर्वास की गतिविधियों पर नजर रख सके, सलवा जुडूम अभियान से जो विस्थापित हुए थे। उनका पुनर्वास किया गया, सलवा जुडूम अभियान यह मुख्यतः नक्सलियों को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया गया था परंन्तु विस्थापन होने के कारण पुनर्वास नीति के आधार पर इनका पुनर्वास किया गया।

(13) पुनर्वास योजना की रूपरेखा अनुमोदन की प्रक्रिया आदि -

पुनर्वास योजना की रूपरेखा तैयार करने हेतु उस स्थान पर काम करने वाली गैर-सरकारी संस्था व सरकारी संस्था जो आदिवासियों के विकास के लिए कार्य करती है। उनकी मदद् के आधार पर ही पुनर्वास की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए ऐसा पुनर्वास नीति में बताया गया है। परंन्तु, सलवा जुडूम अभियान यह 1000 से भी अधिक गावों में चलाया गया जहां पर पुनर्वास को ध्यान में रखकर यह अभियान नहीं चलाया गया था इस वजह से यहां जो आदिवासी परिवार विस्थापित हुए। उन्हें तत्कालीन राहत शिविरों में रखा गया और बाद़ में उनका पुनर्वास कैम्प में किया गया। परंन्तु, यह पुनर्वास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। किसी भी परियोजना शुरू करने के पूर्व सूचना दी जाती है कि लोगों को विस्थापन के बाद कहां पर उनका पुनर्वास होने वाला है इसके सम्बंधित जानकारी दी जाती है। परंतु यहां अचानक से अभियान शुरू हुआ पूरे के पूरे गांवों को जलाया गया। लोगों जबरदस्ती राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी ऐसी स्थिति में अपने सामान जानवरों सभी को वहीं छोड़ आये जो उनके जीविका के मुख्य साधन थे। यहां पर पुनर्वास में घर के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे की वो अपने पुराने रोजगार सुचारू रूप से चला सके।

(14) औद्योगिक /खनिज परियोजनाएं और अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान परियोजना - औद्योगिक परियोजना से प्रभावित कृषकों और आदिवासियों रोजगार या मजदूरी के रूप में काम के अवसरों को और जिन्दगी बसर करने के वैकल्पिक साधनों को उपलब्ध कराना, औद्योगिक / खनिज परियोजनाए तथा अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान यह राज्य व केन्द्र शासकों के द्रारा चलाये जाते है। यहां पर विस्थापन होने के बाद पुनर्वास नीति के आधार पर ही पुनर्वास हो, छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम ऑपरेशन यह नक्सली समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से चलाया गया था यह ऑपरेशन पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्रों में चलाया गया था जहां पर विस्थापन के बाद उनका पुनर्वास नहीं किया गया इस अभियान के

अंतर्गत 23 राहत शिविर बनाये गये थे जिसमें कुछ शिविरो का पुनर्वास किया गया और कई शिविरों के लोग सलवा जुडूम खत्म होने बाद वापस गांव यहां दुसरे राज्य में चले गये इस तरह यहां पर राज्य सरकार की आदर्श पुनर्वास व पुनर्स्थापन नीति के द्वारा पुनर्वास किया गया है।

पुनर्वास नीति जो छत्तीसगढ़ में 2009 में सलवा जुडूम से विस्थपित परिवारों के पुनर्वास के लिए लागू की गई थी। परंत्नु, यह नीति जब बनाई गयी तब सिर्फ पुनर्वास को ध्यान में रखकर बनाई गयी थी। नकी विस्थापन के कारण को ध्यान में रखकर। विस्थापन के स्थान को ध्यान में रखकर अगर नीति बनाई जाये तो उसका लाभ विस्थापितों के हित में होगा। इस के अनुसार यह नीति अधिकतर बांध, सड़क परियोजना अभयारण्य इस तरह की परियोजना के वजह से जो विस्थापन होता है वहाँ पर लागू की जाती है। इसमें स्थायी जो गाँव होता है, जो विस्थापन के बाद नये स्थान पर पुनर्वासित होगा वहां पर उन आदिवासियों का सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक पुनर्वास पर भी ध्यान रखा जाता है। छतीसगढ़ का अबूझमाड़ क्षेत्र पूर्ण रूप से आदिवासी है जहाँ अभी तक कोई सुख सुविधा नही पहुची है। यहाँ पर आदिवासी स्थातरित खेती करते है और उसके साथ पूरा गाँव भी स्थातरित होता है ऐसे स्थिति में अगर इनका पुनर्वास करना हो तो किस आधार पर मुआवजा दिया जाएगा? विस्थापन के पूर्व खेती, शिकार, वन्य उपज एकत्रित करना यह इनकी आर्थिक स्थिति का आधार था इसका मुआवजा किस आधार पर दिया जाएगा?

भूमि अधिग्रहण कायदे के अनुसार आप को पुनर्वास नीति का लाभ तब मिलेगा जब आपके पास उस भूमि के स्वामी होने का कोई सरकारी दस्तावेज हो। परन्तु, अबूझमाड़ के अधिकरत आदिवासी स्थानातरण खेती की वजह से एक जगह सिर्फ 4 वर्षो तक ही रहते उसके बाद गाँव का मुखिया नयी भूमि खोज करता है। और बाद में पूरा गाँव वहाँ बस जाता है। इस

स्थिति में पुनर्वास नीति में जो घर के एवज में घर का जो प्रावधान है। वो पूरा नही हो सकता आदिवासी के पास कोई सरकारी दस्तावेज नही होता कि यह हमारी भूमि है। जिससें यह सिध्दं हो तब फिर ये लोग लाभ से वंचित रह जाते है इस नीति में ऐसे कई प्रावधान है। जिसका आदिवासीयों को कोई लाभ नही मिल पता। इस पूरी नीति का अध्ययन करने के बाद मेरे विचार से आदिवासियों के लिए नीति में अलग से प्रावधान होने चाहिए। जिससे इनका भी सही अर्थो में पुनर्वास हो सके।

छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 की समीक्षा व मूल्यांकन

प्रस्तावना (Introduction)

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में पारित कानून "छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) है।" इस कानून के अंतर्गत पुलिस व राज्य शासन को किसी भी व्यक्ति पर अगर शक हो लगे कि वो उन लोगों का समर्थक है। इस कानून के अनुसार उसे मारने और क्रूरतापूर्वक तरीके से यातनाएं देने का प्रावधान है। जैसे पोटा (POTA Act 2002) अधिनियम है। जो आतंकवादी के विरूद्ध बनाया गया है। इसमें वैसा ही प्रावधान किया गया है। चाहे वो स्त्री हो या पुरूष दोनों के लिए यह कानून समान है। इसके अंतर्गत अलग-अलग प्रावधान दिये गये है। नक्सली व उनसे सम्बंध रखने वाले या गांव के स्तर पर संगम सदस्य सभी पर यह कानून लागू होता है। संगम सदस्य-गांव स्तर पर बनाई गई समीति जो जानकारी प्रदान करती है।

इसके अंतर्गत प्रावधान है कि हिंसा, आतंकवाद, बर्बरता के कार्यो में या जनता में भय तथा आशंका उत्पन्न करने वाले अन्य कार्यों में मंग रहने या उसका प्रचार करने वाला हो या अग्नियुधों, विस्फोट कों तथा युक्तियों (डिवासेस) के उपयोग में निरत रहने या उन्हें प्रोत्साहित करने वाला हो या रेल या सड़क द्वारा संचार साधनों की विचित्र करने वाला हो

या जो अशांति फैलाना गांव के आदिवासियों को संगठनों के माध्यम से सरकार के विस्वध सेना तैयार करना इस तरह के सभी कार्यों करने वाला व्यक्ति या संगठन इस कानून के अंतर्गत आता है। जो स्थापित विधि तथा उसकी संस्थाओं की अवज्ञा को प्रोत्साहित करने वाला या अवज्ञा का प्रतिपादन करने वाला हो जो ऊपर वर्णित किसी एक या अधिक विधि विरुध्द, क्रिया कलापों को कार्यान्वित करने हेतु बलपूर्वक धन या माल संग्रहित करने वाला है। इस तरह कोई भी संगठन हो जो इस कानून के अंतर्गत अपराधी माना जाता है।

इस कानून के अंतर्गत जब व्यक्ति पर यह अपराध लगाया जाता है तो कोई सुनवाई नहीं होती। इस कानून में अधिकत गरीब आदिवासी लोगों को ही गिरफ्तार किया जाता है। इस कानून के लागू होने से और सलवा जुडूम अभियान के अंतर्गत इस कानून के सहारे कई मासूम आदिवासियों को मार गिराया गया इस में यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति या संगठन के संबंध में विधि विरुध्द कार्यकलाप का अर्थ कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा किया जाये भले ही उस कार्य को करने या कहे गये, या लिखे गये शब्दों द्वारा संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुतीकरण इत्यादि द्रारा समस्या निर्माण हो वहां पर यह कानून कार्य करता हैं ऐसे व्यक्ति व संगठन इस कानून के अंतर्गत आते है।

(1) संगठन की विधि विरूद्ध घोषित किया जाना -

कोई भी संगठन जो लोकहित के विरुध्द या विधि विरुध्द सूचना का प्रसारण करता है। जिससे लोगों में असंतोष निर्माण हो ऐसे सभी संगठनों को विधि विरुध्द संगठन घोषित किया जाता है। सलवा जुडूम के दौरान व उससे पहले से ही नक्सलीयों द्रारा गांव स्तर पर अपने छोटे-छोटे बहुत से संगठन का निर्माण किया गया था। जिससे सूचना का प्रसार हो सके इस संगठन को 'संगम सदस्य' बाल मंच, युवा मंच, नाटय मंच इस तरह के संगठन कार्य करते थे जो लोगों इस लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। यह सारे संगठन

किसी भी संस्था से रजिस्ट्रीकृत नहीं थे, ना ही कोई शासन मान्य कार्यालय से जुड़े थे। इस तरह के संगठन अपराध की श्रेणी में आते है। यह सभी समूह लोगों को दबाव में लाकर बनाया जाते थे और मजबूरन इस संगठनों के काम करने पड़ते थे। इनका कार्य था जानकारी का प्रसार करना जिसमें सरकारी योजनाएं और पुलिस की गतिविधियों से नक्सलीयों को अवगत करना, बच्चों को लड़ाई का प्रशिक्षण देना जिससे कि एक सेना तैयार हो। इस तरह के सभी संगठन अपराध की श्रेणी में आते है। यह भी विधि विरुध्द भी है। यह कानून का यह मुख्य उद्देश्य था कि इस तरह के संगठनों को पूर्ण रूप से बन्द किया जाये। जिससे की आदिवासियों को थोड़ी राहत मिल सके।

(2) संगठन द्वारा अभ्योजन -

इस में यह भी प्रावधान है कि अगर संगठन रजिस्ट्रेकृत कार्यालय से चलाया जाता है या कोई इसका मुख्य व्यक्ती हो जो सरकारी अभ्यावेदन का जवाब देकर पत्र व्यवहार करता था। तब इस तरह के संगठन के प्रति सुनवाई के लिए निवेदन किया जा सकता है। इस सुनवाई के लिए सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया गया है जो इन सभी का अध्ययन करने के बाद ही अपना निर्णय बताता है तब तक यह संगठन या इसके सदस्य को अपराधी समझा जाता है। सामान्य अपराधी से इन्हें अलग रखा जाता है। शिक्षा का भी इसमें प्रावधान है। इन सभी प्रावधान के आधार पर ही यह कानून बनाया गया है। यह कानून विशेष रूप से सिर्फ छतीसगढ़ राज्य में ही लागू किया गया है। जिसमें नक्सली हिंसा पर काबू पाया जा सकें।

(3) सलाहकार बोर्ड गठन तथा निर्देश-

सलाहकार बोर्ड बनाने का अधिकार राज्य सरकार को बनाने का अधिकार है जिसमें तीन व्यक्तियों का गठन किया जाता है। जो तीनो भी उच्च न्यायलाय के न्यायधीश रह चुके

हो वह समीति बनाई जाती है। समीति में एक को अध्यक्ष बनाया जाता है। जो इन सारे मामलों की जाँच करता है और इनकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

सलवा जुडूम अभियान के दौरान इस कानून के अन्तर्गत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनकी कोई सुनवाई नही हुई। जब सलवा जुडूम चल रहा था जब तत्कालीन शिविर थे वहाँ पर इस कानून के अंतर्गत कई महिलाओं और पुरुष को गिरफ्तार किया गया था। इस पुरे दो वर्षो के अभियान में इस कानून का सबसे अधिक उपयोग हुआ है जिसमें कई निर्दोष आदिवासी भी इसके शिकार हुए जिन्हें अपने अपराध के विषय में भी पता नही कि क्या अपराध था उनका जो उन्हें सजा मिली।

निष्कर्ष -

इस अध्याय कि शुरुआत एक प्रश्न के साथ की थी सलवा जुडूम अभियान से विस्थपित आदिवासी के पुनर्वास के लिए जो नीति लागू कि गई थी वो कितनी योग्य थी उसका कितना लाभ आदिवासी यो को मिला इन प्रश्नों के साथ इस अध्याय की शुरुआत की थी। परंन्तु, नीति निमार्ण का कार्य एक स्थान पर बैठ कर किया जाता है सलाहकार बोर्ड कि मद्दत से परंत्नु यह निर्माण कार्य अगर विस्थापन के स्थान का सर्वेक्षण करके किया जाये तो इस नीति का अधिक से अधिक लाभ वहाँ पर रहने वाले विस्थापितों को मिलेगा। एक आदर्श नीति को प्रत्येक विस्थापित परिवार का पुनर्वास नही कर सकती सभी की जरूरते अलग अलग होती है उसके अनुसार नीति में इतनी लवचिकता होनी चाहिए कि उसमें बदलाव किया जा सके। नीति का जो मुआवजा होता है वो क्या पर्याप्त है विस्थापित के लिए नही विस्थापन यह सिर्फ एक स्थान से दुसरे स्थान पर रहना नही है इसमें सामाजिक, संस्कृतीक, आर्थिक, धार्मिक सभी का विस्थापन है इस विस्थापन की खाई को किसी भी मुआवजे से पूरा नही किया जा सकता।

इसके अलवा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाई गई आदर्श पुनर्वास नीति 2007 का अध्ययन किया है। व सलवा जुडूम के पहले राज्य में नक्सलवादी हिंसा के विरुध्द में एक कानून बनाया जो विशेष सुरक्षा अधिनियम 2005 है इसका भी अध्ययन किया गया है। राज्य सरकार की नीति यह विस्थापितों के पुनर्वास के लिए बनाई गई है। इसमें विस्थापन यह सड़क परियोजना, रेल, बिजली खनन उद्योग, औद्योगिकरण, बांध व रक्षा इत्यादि कारणों के द्वारा जो आदिवासियों का विस्थापन होता है। उन्हें नई जगहों पर स्थापित करने के लिए पुनर्वास योजना लागू की जाती है। इसमें 'सलवा जुडूम' अभियान जो राज्य सरकार के सहयोग से राज्य की सुरक्षा व नक्सलीय हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से यह अभियान राज्य के दक्षिण भाग में चलाया गया यह अभियान दो वर्षों तक चला व जिससे 3 से 4 लाख लोग विस्थापित हुए जिन्हें राहत शिविरों में रखा गया परंतु बाद में इन्हें राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति के अंतर्गत इनका पुनर्वास कैम्प में किया गया परंन्तु यहां पर यह नीति के अनुसार घर, रोजगार बिजली, सड़क जो मूलभूत आवश्यकताएं है जो सिर्फ कुछ कैम्प में है और कुछ कैम्पों में यह मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं है। जब इनका विस्थापन हुआ था तब यह लोग सब कुछ छोड़कर मजबूरन कैम्प में रहने आये थे। पुनर्वास में 10,000/- रू. मिलें जिसमें घर बनाना और घर की आवश्यक वस्तुओ को भी खरीदना और अपने नया जीवन का निर्माण करना इत्यादि चुनौती इनके सामने थी, अगर देखा जाये तो पुनर्वास नीति का पूर्ण रूप से यहां लागू नहीं कि गई, जिससे आज भी कई लोग इस पुनर्वास नीति के लाभ से वंचित है।

मेरे अध्ययन के अंतर्गत जो तीन कैम्प आते है उसमें कांसौली, बागपाल चिंतालका है जिसमें यहां तीनों कैम्पों में पुनर्वास नीति के अंतर्गत घरों का निर्माण किया गया है, स्कूल का निर्माण किया गया है। कासौली और चिंतालका जो कैम्प है वो दन्तेवाड़ा के पास होने की

वजह से यहां पर रोजगार, स्वास्थ्य, आवगमन के साधन उपलब्ध है परंन्तु सबसे कम विकसित कैम्प है बागापाल जो थोड़ा मेन रोड से 2 कि.मी. अन्दर है जहां जाने आने के साधन नही है ना ही पक्की सड़क है। ना ही बिजली, पानी की अच्छी व्यवस्था इन सारी परिस्थिति में भी यह लोग कैम्प में रहते है। पुनर्वास नीति का मुल्यांकन के लिए उसके मूल स्थान तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तभी उसका अध्ययन किया जा सकता है।

प्रस्तावना (Introduction) –

इस अध्याय में विकास, विस्थापन, पुनर्वास इन तीनों के मुख्य तर्को को संक्षेप में समेटने की कोशिश की है। सबसे पहले विकास के संदर्भ में, अपने मुख्य तर्क को पेश किया है। इसके बाद विकास से जो विस्थापन हुआ इस तर्क को स्पष्ट किया है। विस्थापन होने के कई कारण है जिसमें से कई महत्वपूर्ण कारण है बड़ी बांध परियोजना, राष्ट्रीय उघान, राष्ट्रीय राजमार्ग, ओद्योगिक, खनन उद्योग नैसगिक आपदा, सांप्रदायिक विवाद, राष्ट्रीय आन्दोलन इत्यदि है। इन सभी कारणों पर अध्ययन करना संभव नही है। इसमें से किसी भी एक कारण को लेकर पूरा शोध-कार्य किया जा सकता है। मेरे इस शोध-कार्य में सलवा जुडूम अभियान से हुए विस्थापन को मुख्य रूप में लिया हैं। यह अभियान एक राजनैतिक अभियान था जिसमें राज्य और केन्द्र सरकार का पूर्ण सहयोग था। यह अभियान नक्सलीय हिंसा को खत्म करने के उद्देश से चलाया गया था। इस शोध-कार्य के आंरभ में ही कई प्रश्नों और उद्देश थे जिन्हें लेकर मेनें क्षेत्र-कार्य के माध्यम से शोध-कार्य पूर्ण किया। शोध-कार्य के परिणाम यह सकारात्मक हो यह संभव नही है कुछ नकारात्मक भी हो सकते है यहाँ पर शोधकर्ता को निशपक्ष भाव से अपने काम को प्रस्तुत करना चाहिए। इस शोध के निष्कर्ष नीचे दिए कुछ मुद्दों के माध्यम से संक्षेप में प्रस्तुत किया है।

1.सलवा जुडूम के दौरान महिलाओं में आए राजनैतिक सामाजिक व् आर्थिक बदलाव।

इस मुद्दे को समझने के लिए अध्याय दुसरे और तीसरे का अध्ययन करना होगा जा इस विस्तार के साथ समझया गया है। इसमें विस्थापन से आदिवासी महिलाओं के जीवन में सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे आया इसे स्पष्ट किया है। इसे कई उदाहरण के माध्यम से दुसरे अध्याय में समझा गया है। जिसमें दैनदिन जीवन में बदलाव, रोजगार के साधन, सामूहिक एकता, राजनैतिक अधिकार, धार्मिक कार्य इत्यदि है।

क्षेत्र कार्य के दौरान महिलाओं से चर्चा में उन्होंने बताया की 75% महिलाओं को उनके पति की आमदनी कितनी है यह पता ही नही सिर्फ 25% महिलाओं को ही पता है की उनके पति की आमदनी कितनी है इस से यह समझा जा सकता है की महिलओं की सामाजिक स्थिति में कितना परिवर्तन आया है। महिलाओ का विस्थापन के पूर्व आर्थिक स्थिति मजबूत थी परंन्तु विस्थापन के बाद इसमें परिवर्तन आ गया है।

2. विस्थापन के बाद परिवार के ढांचे में आए परिवर्तन और समस्याए।

विस्थापन के बाद परिवार के ढांचे परिवर्तन आया है। अबुझमाड़ में एकत्र कुटुब पद्धति में आदिवासी समाज पहले निवास करता था। इसके पीछे उनकी यह धारणा थी 'जितने हाथ उतना काम ज्यादा होगा' और उत्पादन बढ़ेगा। परंन्तु, जब सलवा जुडूम शुरू हुआ तब विस्थापित आदिवासीयों को एक शिविर में नही रखा गया। उन्हें अलग अलग शिविरों में रखा गया जिससें उनके बीच एक साथ रहनें की भावना खत्म हो जाये दो सालों तक राहत शिविर में रहने के बाद जब पुनर्वास हुआ तो सभी के परिवार बिखर चुके थे जिससें की पुनर्वास केन्द्र में विभक्त कुटुब पद्धति अस्तीत्व में आ गई थी जिसे आदिवासी समाज ने अपना लिया था। विस्थापन से निर्माण हुई समस्या में मुख्यतः भोजन, निवास, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा, और हिंसा थी सलवा जुडूम के दौरान आदिवासी महिलाओं पर 100 से भी अधिक बलात्कार हुए और शारीरिक हिंसा हुई[215] इस हिंसा को अध्याय तीन में केस स्टडी के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

3. सलवा जुडूम से जो विस्थापन हुआ हैं उन विस्थापितों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बनाई गयी नीति। सलवा जुडूम से विस्थापितों के लिए राज्य सरकार के 'आदर्श पुनर्वास व् पुनर्व्यस्थान नीति 2007' जिस नीति का पूर्ण विश्लेषण अध्याय चार में किया गया है

[215] '*SALWA JUDUM: A NEW FRONT OF HIDDEN WAR THE INSIDE STORY*' Report, CPIC Members,30 Dec.2006.

जिसमें पुनर्वास को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। जिसमें मुख्यतः है मुआवज से सबंधी कानून, विस्थापितों के अधिकार, इत्यादी पर विस्तार से चर्चा की गई है।

4. विस्थापन के पहले और विस्थापन के बाद महिलाओं के जीवन में आये परिवर्तन। विस्थापन से आदिवासी महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। रोजगार के साधनों में कृषि कार्य से अब वो मजदूर बन गई है। सांस्कृतिक परिवर्तन आया है विस्थापन के पूर्व महिलाएँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे अधिक भाग लेती थी जिससें सामूहिक एकता बनी रहती थी। परंन्तु, विस्थापन के बाद पूरा आदिवासी समाज बिखर गया जिससें सामूहिक एकता की भावना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। विवाह की समस्या की वजह, से भी महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। आदिवासी समाज में समान गोत्र में विवाह नही किया जाता। विस्थापन के बाद सभी आदिवासी समाज को एक साथ में रखा गया। जिससें विवाह के लिए योग्य स्थल न मिलनें की वजह से अविवाहित ही रह गई। इस पूरा विश्लेषण अध्याय तीन में किया गया है।

5. पुनर्वास नीति से जो मुआवजा राशी व् लाभ मिले उनका विश्लेषण।

पुनर्वास नीति में मुआवजा राशी के अनुसार 15,000 रूपये या इससे भी अधिक दिए जाने चाहिए परंन्तु, यह सब कुछ अवलबित होता है घर की रचना पर कच्चा है या पक्का, उसी के आधार मुआवज राशी दी जाती है। परंन्तु, सलवा जुडूम से हुए विस्थापन में आदिवासी समाज के प्रत्येक परिवार को सिर्फ 10,000 रुपय की मुआवज राशी मिली ही वो भी विस्थापन के २ वर्षो बाद जब पुनर्वास किया गया। फसल पर भी मुआवज राशी दी जाती है जिसमें नीति के अनुसार पहली फसल के लिए 75.000 तक मुआवज राशी दी जाती है जमीन की उपजाऊ क्षमता और आकार पर इन दोनों के आधार पर मुआवज राशी मिलती है। अबुझमाड़ में स्थलांतरित खेती होती है वहाँ पर ना तो आकार निश्चित होता है ना ही

उपजाऊ क्षमता जिससें यह कहाँ जा सके की फसल का उत्पादन अच्छा होगा इन दोनों के ना होनें के कारण किसी को भी फसल का मुआवज नही मिला। इस तरह से पालतू प्राणी, पेड,कृषि उपयोगी समान इत्यादी सभी के मुआवजे को लेकर अध्याय चार में चर्चा की गई है।

6. विस्थापन के बाद पुनर्वास केन्दों में रोजगार के कौन कौनसे साधन उपलब्ध कराये गये थे और रोजागर के स्थान पर महिलाएँ कितनी सुरक्षित थी।

रोजगार के साधनों पर अध्याय तीसरे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। मेरे अध्ययन के अन्तर्गत तीन कैम्प आते है। कासौली, बांगापाल, चित्तांलका इसमें सबसे ज्यादा विकसित कैम्प कासौली है। कासौली यह पर्यावरण विभाग द्वारा महिलाओं के स्वयं रोजगार हेतु हस्त-उघोग शुरू किया गया है जहां प्रत्येक स्त्री 75 रु प्रतिदिन की रोजमजदूरी दी जाती है और पूरुषो को 100 रु प्रतिदिन दी जाती है। इसमें सीमेंट के खंभे बनाना इत्यादि कार्य होते है। इसके अलावा पुरूषों के स्वयं सहायता समूह व जिला प्रशासन द्रारा कुछ अनुदान के आधार पर दुध डेरी का व्यवसाय शुरू किया गया है जिससे कई परिवारों का पालन पोषण होता है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत रोजगार मिल जाते है। बागांपाल कैम्प यह शहर से दुर जंगलों में बसा हुआ है यहां रास्ता भी नहीं है। यहां पर रोजगार के कोई साधन नहीं है। कैम्प के आस पास जो गांव है वहां पर जाकर खेती मजदूरी करते है। यहां पुरूषों को 60 रू रोजी दी जाती है। परंन्तु महिलाओं को 50 रू रोजी दी जाती है, काम का स्वरूप समान होता है। परंन्तु, मजदूरी में बदलाव होता है। इसके पीछे पूरूष मानसिकाता होती है। कि पूरूष महिलाओं से अधिक काम करते है। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत के काम भी बहुत कम इस कैम्प तक पहुंचते है। कासौली और चितालंका कैम्प में सुरक्षा के लिए सेना होती है। परंन्तु, बागापाल कैम्पं में सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या है जिसके

कारण प्रत्येक परिवार को धनुष बांध के माध्यम से अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा करनी पड़ती है। यहां सरकार द्रारा कोई सुरक्षा बलों का कैम्प नहीं है। पुनर्वास कैम्प से दूर रोड पर उनका कैम्प है जहां पर CRPF के जवान रहते है। जिससे सुरक्षा कि जिम्मेदारी कैम्पों में रहने वाले परिवारों की है। चित्तांलका कैम्प यह दन्तेवाड़ा से सिर्फ 9 कि.मी. की दुरी पर है यहां पर रहने वाले परिवार शहरों में रोजमजदूरी करते है। जो महिलाएं घरेलु काम करती है। यहा पर भी काम के स्वरूप व काम के मुल्य में भेदभाव दिखाई देता है। पूरूषों को 100 रू मजदूरी मिलती है परंतु महिलाओं 50 रू प्रतिदिन की मजदूरी मिलती हैं सुरक्षा की अगर बात कि जाये तो कासौली कैम्पों में रहने वाली महिलाऐं अपने आप को काम के स्थान सुरक्षित मानती है। परंन्तु, यह कैम्प ईद्रवती नदी के बहुत पास होने की वजह से यह सुरक्षा की द्रुष्टी से महत्वपूर्ण है। परंन्तु, सिर्फ बागापाल की महिलाएँ अपने को काम के स्थान पर सुरक्षित नही महसूस करती। उस कि तुलना में जो महिलाए चित्तांलका कैम्प में रहती है वो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित मानती है।

किसी भी अध्ययन को करने पर भी वह पूर्ण रूप में नही होता क्योंकि समाज यह परिवर्तन-शील है आज का निष्कर्ष है वो कल दूसरा हो सकता है इसलिए मेरे काम को भी मैं पूरा नही मानती इसमें कई ऐसे पहलू है जिस पर अध्ययन किया जा सकता है जो मेरे बाद इस विषय पर काम करना चाहता हो उसके लिए कुछ सुझाव मेनें दिए है जिसे मैं आपने काम में पूर्ण नही कर पाई।

1) सलवा जुडूम अभियान में सभी क़ानूनी एंव प्रशासनिक आदेशों की गहन छानबीन की जाये तथा इनमें से अंसवैधानिक निर्देशों को तुरन्त वापिस लिया जाये यह कदम ही जनजातियों को सम्पूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

2) जनजातीय विकास के लिए जो धनराशी देनी चाहिए और उनके विकास की योजना यह, वहाँ पर उपलब्ध रोजागर के अनुसार बनायी जानी चाहिए। जिसमें आदिवासियों के विचारो को महत्व मिलेगा, कि वो किस तरह का रोजगार की कल्पना करते है।

3) आदिवासी सांकृतिक जो पूर्ण रूप से लुप्त हो रही है उस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससें इनकी सांस्कृतिक बचा सके।

4) सलवा जुडूम से जो विस्थापन हुआ और उनके लिए जो पुनर्वास नीति बनाई गयी है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए जिससें उसमें सुधार किया जा सके।

परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुर्नवास नीति - 2007 (यथासंशोधित)

प्रस्तावनाः-

1.प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ राज्य क्रमशः विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में नयी विकास परियोजनाएं तथा विघुत उत्पादन, सिंचाई, खनिज उत्पादन, राष्ट्रीय उघान एवं अभयारण्यों का विकास आदि, क्रियान्वित हो रही है और अनेकों नई परियोजनाओं के लिये निजी भूमि के अर्जन की आवश्यकता होती है। बड़ी परियोजनाओं के लिये आबादी क्षेत्रों का पुनर्स्थापन भी आवश्यक होता है।

2.पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य में कतिपय विभागीय पुर्नवास नीतियां तो प्रचलित थी किन्तु एक समग्र पुर्नवास नीति नहीं थी। वर्तमान में अलग अलग सेक्टरों की परियोजनाओं के अन्तर्गत की जाने वाली पुर्नवास व्यवस्था में एकरूपता का अभाव है। अतएव एक समग्र आदर्श पुर्नवास नीति बनाने की आवश्यकता है।

3.छत्तीसगढ़ राज्य की यह आदर्श पुर्नवास नीति उपर्युक्त आवश्यकता की पूर्ति करेगी। इसके फलस्वरूप विकास परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के सुविधाजनक पुर्नवास में तो मदद मिलेगी ही समुचित पुनस्थापन होने से विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन को भी गति मिलेगी।

उद्देश्य एवं मार्गदर्शी सिध्दांतः-

1.1 **उद्देश्यः**

पुर्नवास नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न शासकीय तथा निजी संस्थानों की परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों की अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का समुचित मुआवजा मिलने के साथ-साथ

उनके रहने और रोजगार की ऐसी व्यवस्था हो सके। जो भूमि अधिग्रहण के पूर्व की स्थिति के समकक्ष अथवा बेहतर हो। इस हेतु निम्नलिखित के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किये गए हैः-

1.1.1 परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का उनकी अधिग्रहित भूमि तथा अन्य अचल सम्पति के लिए वैकल्पिक भूमि का आबंटन तथा /अथवा वाजिब मुआवजे का वितरण विस्थापन के पूर्व सुनिश्चित करना।

1.1.2 परियोजना से प्रभावित ऐसे परिवारों को जिनके आवसीय भवन अधिग्रहीत हो, नए स्थान पर सुनियोजित बसाहट स्थापित कर उनके रहने की ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करना जो मूल सुविधा के समक्ष अथवा बेहतर हो।

1.1.3 परियोजना से प्रभावित परिवारों को परियोजना में स्थाई रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

1.1.4 परियोजना से प्रभावित ऐसे भूमिहीन परिवारों, जो कृषि के भिन्न रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करते हों के लिए यथासंभव उनके मूल रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था करना।

1.1.5 यह सुनिश्चित करना कि किसी परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का ही अधिग्रहण किया जाए और यदि अधिग्रहीत भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन हेतु न हो तो जहां ऐसा करना विधि सम्मत हो, अधिग्रहित भूमि का मूल प्रयोजन या अन्य आवश्यक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सके।

1.1.6 परियोजना से प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों के पुर्नवास की व्यवस्था इस नीति के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पुर्नवास कार्यों के पर्यवेक्षण तथा मानिटरिंग की व्यवस्था करना।

1.2 मार्गदर्शी सिध्दांत -

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित मार्गदर्शी सिध्दांतों का पालन करते हुए की जाएगीः-

1.2.1 यह नीति इसके प्रकाशन के दिनांक से समस्त ऐसी परियोजनाओं पर लागू होगी जिनमें प्रकाशन के दिनांक तक भू-अर्जन की कार्यवाही अर्थात अवार्ड पारित होने की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई हो।

1.2.2 पुर्नवास के प्रयोजनों के लिए राजस्व ग्राम तथा वनग्राम में कोई अन्तर नहीं किया जाएगा।

1.2.3. विभाग/निजी संस्थान द्रारा अधिग्रहित भूमि का उपयोग अधिग्रहण के लिए विनिर्दिष्ट प्रयोजना अथवा सक्षम प्राधिकारी द्रारा अनुमोदित अन्य प्रयोजन के लिए एक निश्चित कालावधि के भीतर करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर अधिग्रहित भूमि का उपयोग, जिन मामलों में ऐसा करना विधि सम्मत हो उसके मूल प्रयोजन अथवा राज्य शासन द्रारा निर्देशित किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा।

1.2.4 जिन मामलों में किसी परियोजना के लिए आबादी/आवासीय भूमि भी अधिग्रहित हो, उनके परियोजना के क्षेत्र के समीप वैकल्पिक सुनियोजित वसाहट का प्रावधान पुर्नवास योजना में ही किया जाएगा। वैकल्पिक बसाहट में मूलभूत आवासीय, व्यवासायिक तथा वाणिज्यिक सुविधाएं निर्मित की जाएगी, जो मूल बसाहट के समकक्ष या उससे बेहतर होगी।

1.2.5 पुर्नवास योजना में कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस हेतु ऐसे व्यक्तियों, जो भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 के तहत प्रकाशित अधिसूचना की तारीख के न्यूनतम तीन वर्ष पूर्व से शासकीय भूमि पर

रह रहे हो। अथवा अनुसूचित क्षेत्रों में वर्ष 1990 के पूर्व से शासकीय भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हों, को भी पुनर्वासित किया जाएगा।

1.2.6 परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्थापित नई बसाहटों में अधोसंरचना निर्माण/विकास कार्य कराने हेतु राज्य की सभी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि नई बसाहटों में मूलभूत तथा नागरिक सुविधाएं पहले से बेहतर बनाई जा सके।

1.2.7 वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन से प्रभावित ऐसे विस्थापित परिवारों, जिनकी 75 प्रतिशत से अधिक भूमि अर्जित हो, के एक सदस्य को उसकी अर्हतानुसार परियोजना में रोजगार उपल्बध कराया जाएगा। औद्योगिक तथा खनन परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन से प्रभावित प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को उसकी अर्हतानुसार रोजगार की व्यवस्था की जाएगी।

1.2.8 परियोजना से प्रभावित परिवारों को उनकी मूल स्थिति से बेहतर स्थिति में लाने के लिए उपर्युक्त के अतिरिक्त शासन के हितग्राही मूलक योजनाओं, जिनमें स्वरोजगार की योजना भी शामिल होगी, का लाभ दिया जाएगा। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

1.2.9 परियोजना के लिए भू-अधिग्रहण तथा पुर्नवास योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही साथ-साथ की जाएगी।

1.2.10 पुर्नवास परियोजना का समयबध्द क्रियान्वयन करने और प्रभावित व्यक्तियों को लाभ उपलब्ध कराने के सतत् पर्यवेक्षण तथा मानिटरिंग की व्यवस्था हेतु राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय समितियाँ गठित की जाएगी।

2 परिभाषाएंः-

2.1 (क) ग्राम का साधारणतया निवासी व्यक्तिः- ग्राम के साधारणतया निवासी व्यक्ति से तात्पर्य ग्राम में रहते हुए कृषि कार्य (स्वयं की भूमि या अन्य की भूमि पर कृषि या मजदूरी) करने वाले या कारीगरी, शिल्पकारी या सेवा कार्य करने वाले से है।

(ख) प्रभावित व्यक्तिः- प्रभावित व्यक्ति से अभिप्रेरत ऐसे किसी व्यक्ति से है जो उस क्षेत्र में, जिसकी परियोजना के लिये आवश्यकता है, भू-अर्जन की धारा 4 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से साधारणतया रहता है, तथा कोई व्यापार धंधा या आजीविका के लिये कार्य करता रहा है या कम से कम तीन वर्ष पूर्व से निजी भूमि पर काश्त (रहना) करता रहा है या कम से कम तीन वर्ष पूर्व से निजी भूमि पर काश्त करता रहा है।

(ग) प्रभावित परिवारः- प्रभावित परिवार में शामिल है कोई प्रभावित व्यक्ति उसकी पत्नि या पति तथा नाबालिग बच्चे और प्रभावित व्यक्ति पर आश्रित वृध्द माता-पिता, विधवा माँ या बहन तथा अविवाहित पुत्री।

(घ) विस्थापित व्यक्तिः- विस्थापित व्यक्ति से तात्पर्य है कोई भूमि स्वामी, शासकीय पत्तेदार अथवा किसी सम्पत्ति का मालिक जो परियोजना के लिये उसकी भूमि के अर्जन के कारण जिसमें आबादी भू-खण्ड का अर्जन भी सम्मिलित है, ऐसी भूमि अथवा सम्पत्ति से विस्थापित हो गया हो।

(ड़) विस्थापित परिवारः- से तात्पर्य है कोई विस्थापित व्यक्ति, उसकी पत्नी या पति तथा नाबालिग बच्चे और विस्थापित व्यक्ति पर आश्रित वृद्ध माता-पिता, विधवा मां या बहन तथा अविवाहित पुत्री।

स्पष्टीकरणः- विस्थापित व्यक्ति के बालिग पुत्र को जो भू-अर्जन की धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से बालिग हो गया है, एक अलग परिवार के रूप में माना जाएगा।

(च) भूमिहीन कृषकः- भूमिहीन कृषक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई कृषि भूमि न हो और वह किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि पर कृषि करता हो।

(छ) छोटा कृषकः- छोटे कृषक से तात्पर्य ऐसे किसान से है जो स्वयं की भूमि स्वामी स्वत्व की कुल एक हेक्टेयर तक असिंचित या 0.50हेक्टेयर सिंचित भूमि धारण करता हो।

(झ) कृषि मजदूरः- कृषि मजदूर से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति से है जिसकी अपनी कोई कृषि भूमि न हो और जहो अन्य व्यक्ति की कृषि भूमि पर मजदूरी करता हो।

(ट) सेवाभूमि कोटवारः- सेवाभूमि कोटवार से वहीं तात्पर्य है जैसा कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में परिभाषित है।

3. भूमि मकान आदि का अधिग्रहणः-

3.1 भू-अर्जन अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक प्रयोजन के दायरे में उन परियोजनाओं को माना जाएगा। जिन्हें राज्य सरकार इस हेतु मान्यता दे। इनमें अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ पुर्नवास रक्षा, रेल, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा सिंचाई, बिजली उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, खनिज उत्पादन जैसी परियोजनाएं शामिल होगी।

3.2 परियोजनाओं का सामान्यतः निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभक्त किया जाएगाः-

(1) ऐसी परियोजनाएं जिनमें प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्बसाहट आवश्यक न हो

(2) ऐसी परियोजनाएं जिनमें प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्बसाहट आवश्यक हो।

3.3 परियोजनओं के लिए आवश्यक निजी भूमि तथा वन भूमि प्रचलित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त की जाएगी। शासकीय राजस्व भूमि का हस्तांतरण / आबंटन राज्य शासन के तत्समय प्रभावशील स्थाई आदेशों / निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

3.4 परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहित करने के लिए राजस्व भूमि तथा वन भूमि में कोई विभेद नहीं किया जाएगा, किन्तु वनाच्छादित / वृक्षारोपण वाली भूमि को यथासंभव अधिग्रहण से मुक्त रखने का प्रयास किया जाएगा।

3.5 किसी परियोजना के लिए भूमि तथा सम्पत्ति का अधिग्रहण करते समय इस नीति के अनुरूप विस्थापितों के पुर्नवास की योजना भी सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

3.6 परियोजना के लिए भू-अर्जन का प्रस्ताव करने वाले विभाग/संस्थान द्वारा परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों का इस नीति के अनुरूप पुर्नवास करने के लिए एक पुर्नवास योजना बनाई जाएगी और अनुमोदित पुर्नवास योजना के क्रियान्वयन हेतु परिशिष्ट-तीन के प्रारूप में विभाग / संस्थान तथा जिला कलेक्टर के मध्य एक मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैडिंग (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित किया जाएगा।

3.7 अनुमोदित पुर्नवास योजना के प्रावधानों के अनुरूप पुर्नवास कार्य की माँनिटरिंग/निगरानी इस प्रयोजन हेतु गठित जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय निगरानी समितियों द्वारा की जाएगी।

3.8 किसी परियोजना के लिए भू-अर्जन का प्रस्ताव प्राप्त होने पर विस्थापित व्यक्तियों को शीघ्रता-शीघ्र विधि सम्मत मुआवजा तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए परियोजना क्षेत्र से सभी संबंधित भू-अभिलेखों को एक कार्यक्रम बनाकर अध्ययन किया जाएगा।

3.9 शासकीय राजस्व भूमि तथा वन भूमि के अतिक्रामक को भी पुर्नवास के प्रयोजनों के लिए पात्र माना जाएगा, बशर्ते कि उसका राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति देने की तारीख से कम से कम 3 वर्ष पूर्व से शासकीय भूमि पर सतत् अधिपत्य रहा हो।

3.10 ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति की 75 प्रतिशत भूमि अधिग्रहीत की गई हो, या किसी ग्राम का अन्त क्षेत्र पानी से धिर जाए वहां यदि प्रभावित व्यक्ति ऐसा चाहें तो संबंधित विभाग/परियोजना द्वारा ऐसे क्षेत्रों की सम्पूर्ण अधिग्रहीत करने का प्रयास किया जाएगा।

3.11 विस्थापित होने वाले परिवारों को उनके निवास हेतु प्लाट या मकान दिया जाएगा जिसके लिये आवश्यक भूमि का चयन भू-अर्जन की योजना तैयार करते समय ही पुर्नवास योजनानुसार विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नवास हेतु आवश्यक भूमि भी साथ-साथ अर्जित की जाएगी।

3.12 भूमिहीन व्यक्तियों को भी यथा संभव परियोजना क्षेत्र के आसपास ही बसाया जाएगा। ताकि वे परियोजना के क्षेत्र में विकास का लाभ अपने जीवन यापन हेतु कर सके।

3.13 परियोजना से विस्थापित परिवारों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था कण्डिका-7 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

4. अधिग्रहित सम्पत्ति का मुआवजाः-

4.1 भूमि का मुआवजाः-

4.1.1 जिन विस्थापित काश्तकारों की भूमि अधिग्रहित की जाती है उन्हेंः-

(क) राज्य शासन की परियोजनाओं के मामलों में शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर निजी भूमि के बदले शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी संभावना न होने पर भूमि के बदले मुआवजा दिया जाएगा।

(ख) निजी संस्थानों की परियोजनाओं के मामले में अधिग्रहित निजी भूमि के लिये मुआवजा दिया जाएगा।

4.1.2 शासकीय अतिक्रमित भूमि के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। किन्तु जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में 1990 के पूर्व के अतिक्रामकों को भूमि आबंटित की जाएगी।

4.1.3 डूब से प्रभावित क्षेत्रों में भूमि की कीमतें प्रायः दबी हुई रहती है। अतएव ऐसी परियोजनाओं के डूब क्षेत्र के लिए अर्जित की जाने वाली कृषि भूमि आबादी प्लाटों आदि का मुआवजा समीपवर्ती सिंचाई क्षेत्र (कमाण्ड) की भूमि के क्रय-विक्रय के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

4.1.4 नगरीय आवादी प्लाटों तथा अन्य नगरीय भूमि का मुआवजा डूब क्षेत्र के बाहर निकटवर्ती क्षेत्र में उसी क्षेत्र में नगरीय भूमि की औसत बिक्री दरों को आधार मानकर किया जाएगा।

4.1.5 सुदूर स्थित क्षेत्रों में और विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अधिग्रहित किए जाने वाली भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य के आंकलन के लिए भूमि के क्रय-विक्रय के पर्याप्त व वर्तमान कालावधि के आंकड़े नहीं मिल पाते है। अतएवः-

(क) वाणिज्यिक तथा औघौगिक परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन के मामलों में भू-अर्जन अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजे के अतिरिक्त इतनी राशि और भुगतान की जाएगी कि भूमि स्वामी को प्राप्त होने वाली न्यूनतम कुल राशि पड़त भूमि हेतु रूपये 50,000/- प्रति एकड़ असिंचित (एक फसली) भूमि हेतु रूपये 75,000/- प्रति एकड़ एवं सिंचित (दो फसली) भूमि हेतु रूपये 1,00,000/- हो जाए।

(ख) शासकीय परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन के मामलों में भू-अर्जन अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजे के अतिरिक्त इतनी राशि और भुगतान की जाएगी कि भूमि स्वामी को प्राप्त होने वाली न्यूनतम कुल राशि पड़त भूमि हेतु रूपये 30,000/- प्रति एकड़ असिंचित (एक फसली) भूमि हेतु रूपये 45,000/- प्रति एकड़ तथा सिंचित दो (फसली भूमि) हेतु रूपये 60,000/- प्रति एकड़ हो जाए। यदि शासकीय भूमि उपलब्ध हो तो शासकीय परियोजनाओं के विस्थापित भू-स्वामियों को भूमि के बदले भूमि का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

(ग) यदि भू-अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) के अनुसार अधिसूचना जानी होने के दिनांक को कलेक्टर द्रारा मुद्रांक शुल्क भुगनान के प्रयोजन के लिये निर्धारित की गई गाईड लाईन दर भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत परिगणित बाजार मूल्य से अधिक हो तो भू-धारक को देय न्यूनतम राशि की गणना धारा 4(1) की अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन दर अथवा उपरोक्त (क) अथवा (ख) में से जो भी अधिक हो, उसके आधार पर की जाएगी।

4.1.6 कोटवार को सेवा भूमि का मुआवजा देय नहीं होगा, किन्तु भूखंड आवंटन एवं अन्य सुविधाएं अन्य विस्थापितों की भांति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4.2 वृक्षों का मुआवजाः-

अधिग्रहित निजी भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों का मूल्य उनसे प्राप्त होने वाली वार्षिक आय एवं लकड़ी के मूल्य आदि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य वृक्षों का मूल्य अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों की लकड़ी के आधार पर आंका जाएगा।

4.3 मकान एवं सम्पत्ति का मुआवजाः- 4.3.1 अन्य सम्पत्तियों जैसे मकान, कुंआ, निजी बाडी, अन्य निर्माण जैसी सम्पत्ति का मूल्य उसे वैसी ही हालत में फिर से उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक व्यय के बराबर आंका जाएगा

4.3.2 अतिक्रामक विस्थापितों के मामले में केवल अतिक्रमित भूमि पर बने कमानों के लिए ही मुआवजा दिया जाएगा। किन्तु अनिुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1990 के पूर्व के अतिक्रामाकों से प्राप्त की गई भूमि पर के अन्य निर्माण कार्यों के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा।

5. विस्थापितों को कृषि भूमि आबंटनः-

5.1 राज्य शासन की परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन से प्रभावित ऐसे विस्थापित परिवारों जिनके जोत की 50 प्रतिशत से अधिक भूमि अर्जित की जाती है को शासकीय भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में परियोजना के क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि आंबंटित करने का प्रयास किया जाएगा।

5.2 शासकीय परियोजनाओं के जिन मामलों में मुआवजे के बदले भूमि आबंटन किया जाएगा उनमें भूमि विकास के लिए रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) प्रति एकड़ की दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

5.3 आबंटित भूमि में कुंआ, नलकूप या अन्य साधनों से सिंचाई के लिये विस्थापित परिवारों को शासन द्वारा विद्‌यमान योजनाओं के तहत सहायता दी जाएगी। यदि नई भूमि ऐसे स्थान पर स्थित है जहां सिंचाई सुविधा न होने के तथ्य को कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाए वहां शासन की विद्‌यमान योजनाओं के तहत सहायता दी जाए।

5.4 कोटवार को सेवा भूमि का कोई मुआवजा देय नहीं होगा किन्तु भू-खण्ड आबंटन एवं अन्य सुविधाएं अन्य विस्थापितों की भांति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

6 विस्थापितों को भू-खण्ड आबंटनः-

6.1 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विस्थापित परिवार को निम्नानुसार निःशुल्क वैकल्पिक भू-खण्ड उपलब्ध कराया जाएगाः-

(1) भूमिहीन परिवार 300 वर्गमीटर

(2) लधु /सीमान्तक कृषक परिवार 450 वर्गमीटर

(3) अन्य कृषक परिवार 600 वर्गमीटर

6.2 नगरीय विस्थापित परिवारों का पुर्नवास नए नियोजित नगरीय क्षेत्रों में किया जाएगा। इस कार्य के पूर्व स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत) से परामर्श लिया जाएगा। जहां आवश्यकता हो छत्तीसगढ़. गृह निर्माण मण्डल या अन्य एजेन्सी से भू-खण्डों के विकास एवं भवनों के निर्माण के लिए विशेष योजनाएं हाथ में ली जाएगी।

6.3 नगरीय क्षेत्रों के विस्थापित परिवारों के पुर्नवास के लिए निम्नलिखित आकारों के भूखण्ड बनाए जाएगेंः-

(1) कम आय वर्ग 95 वर्गमीटर

(2) अल्प आय वर्ग 140 वर्गमीटर

(3) मध्यम आय वर्ग 280 वर्गमीटर

(4) उच्च आय वर्ग 420 वर्गमीटर

6.4 किसी विस्थापित परिवार को आय के आधार पर उपर्युक्त विर्निदिष्ट न्यूनतम आकार के भूखण्ड अथवा उसके अर्जित किए गए भूखण्ड अथवा उसके अर्जित किए गए भूखण्ड के आधार पर भूखण्ड की पात्रता होगी। इस अवधारणा के अन्तर्गत विस्थापित परिवार को उसके विघमान भूखण्ड के आकार से बड़े आकार का वह भूखण्ड पाने की पात्रता होगी जो कि उपरोक्त 4 प्रकार के मानक भूखण्डों में आता हो उदाहरणार्थ यदि किसी माध्यम आय वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित वर्तमान भूखण्डों में आता हो। उदाहरणार्थ यदि नये स्थल पर 280 वर्गमीटर भूखण्ड पाने की पात्रता होगी।

6.5 यदि कोई विस्थापित परिवार उपरोक्त पात्रता के अनुसार मिलने वाले आकार के भूखण्ड से बड़े आकार का भूखण्ड चाहे तो उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त मूल्य भुगतान कर प्राप्त कर सकेगा।

6.6 सभी वर्ग के भूखण्डों की मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया एक समान होगी। मूल्य का निर्धारण वास्तविकता के आधार पर होगा। यदि नए भूखण्ड की दर विस्थापितों से अधिग्रहित भूखण्ड के मुआवजे की दर से अधिक हो तब अन्तर की राशि परियोजना द्वारा दी जाएगी।

6.7 नए स्थान में भूखण्ड आवंटन हेतु एक परिवार एक भूखण्ड का सिध्दांत अपनाया जाएगा।

6.8 नए भवन निर्माण हेतू हुडको एवं अन्य संस्थानों से ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जाएगा।

6.9 जिन विस्थापित परिवारों के वाणिज्यिक / व्यवसायिक भवन अधिग्रहित हो उन्हें परियोजना द्वारा विस्थापितों के लिये नई बसाहटों में आवश्यकतानुसार वाणिज्यिक / व्यवसायिक भूखण्ड विकसित कर कोई लाभ नहीं हामि नहीं के आधार पर उपलब्ध कराए जाएगें।

6.10 यथा संभव नव स्थापित आदर्श ग्राम एवं नगरों का नाभ पुराने ग्राम एवं नगरों के नाम पर ही किया जाएगा ताकि भावनाओं को बनाया रखा जा सके। नाम के आगे केवल नया (न्यू) शब्द जुड़ जाएगा, जैसे रामनगर में न्यू रामनगर।

7 रोजगार तथा अन्य सुविधाएंः-

7.1 रोजगार की पात्रता ऐसे प्रत्येक विस्थापित परिवार को होगी जो भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के तीन वर्ष पूर्व से स्वतंत्र रूप से या संयुक्त परिवार के रूप में अधिगृहित भूमि के भूमि स्वामी या पट्टेदार रहे हों। वाणिज्यिक

परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन से प्रभावित ऐसे विस्थापित परिवारों जिनकी 75 प्रतिशत से अधिक भूमि अर्जित हो, के एक सदस्य को तथा औद्योगिक/खनन परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन से प्रभावित प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को उनकी अर्हता तथा उपयुक्तता के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सी / संस्थान द्वारा रोजगार की व्यवस्था की जाएगी।

(अ) परियोजना के कार्यों में रोजगार देते समय परियोजना विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ब) परियोजना में पात्र शिक्षित नवयुवकों को बेहतर रोजगार देने के लिए उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

(स) शासकीय विभाग/सार्वजनिक उपक्रम की परियोजना के लिए भूअर्जन से विस्थापित ऐसे व्यक्तियों जिन्हें रोजगार की पात्रता हो की श्रेणी-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(द) परियोजना से विस्थापित परिवारों को लाभजनक कार्य उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

(इ) डूब से प्रभावित क्षेत्रों के मछुआरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। यदि परियोजना में मछली पालन के अक्सर हों तो डूब से प्रभावित व्यक्तियों की समिति को मछली चावल के ठेके में प्राथमिकता दी जाएगी।

(फ) औघौगिक / खनन परियोजना के विस्थापित परिवारों को रोजगार की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकता कम दी जाएगीः-

(1) जिनकी शत प्रतिशत कृषि भूमि तथा या अधिग्रहीत हुए हो,

(2) जिनकी शत प्रतिशत कृषि भूमि अधिग्रहीत हुई हो,

(3) जिनकी 75 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि अधिग्रहीत हुई हो,

(4) जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि अधिग्रहीत हुई हो,

(5) जिनकी 25 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि अधिग्रहीत हुई हो,

(6) अन्य विस्थापित परिवार।

(ज) यदि वाणिज्यिक/औद्योगिक/खनन परियोजना तथा उससे संबद्ध कार्य कलापों में नियमित रोजगार के अवसर रोजगार के लिये पात्र विस्थापित परिवारों की संख्या से कम हो तो उन्हें निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगेः-

(1) विस्थापित परिवारों के एक सदस्य को मुआवजे के अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र अथवा परियोजना क्षेत्र से लगी हुई अथवा निकटस्थ विकासखण्ड मुख्यालय अथवा नगर पंचायत / नगर पालिका क्षेत्र में (उसकी इच्छानुसार) पक्की दुकान निर्मित करके दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण व्यय कम्पनी द्रारा वहन किया जाएगा। जनपद पंचायत मुख्यालय / नगरपंचायत मुख्यालय / नगरपालिका क्षेत्र में कम्पनी को कलेक्टर द्रारा बिक्री की दरों के आधार पर भूमि आबंटित की जाएगी जिस पर कम्पनी द्रारा पक्की दुकानों का निर्माण किया जाकर विस्थापितों को आबंटित किया जाएगा।

(2) जो विस्थापित परिवार वैकल्पिक रोजगार के लिए परियोजना में उपयोग होने वाले कच्चे माल या परियोजना में उपयोग होने वाले कच्चे माल या परियोजना के उत्पाद की ढुलाई से संबंधित परिवहन व्यवसाय या यात्री परिवहन में स्वरोजगार हेतु विकल्प दें, उन्हें परियोजना से संबंधित परिवहन ठेकों में संस्थान द्रारा प्राथमिकता दी जाएगी तथा इस हेतु परिवहन यान उलब्ध कराने में सहायता दी जाएगी।

7.2 विस्थापित परिवारों के ऐसे सदस्यों को, जिन्हें परियोजना में रोजगार प्राप्त करने की पात्रता हो किन्तु वे आवश्यक तकनीकी अर्हता नहीं रखते हों, उन्हें उनकी शैक्षणिक

योग्यतानुसार आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था वृहद परियोजनाओं के मामलों में संबंधित संस्थान द्वारा तथा अन्य मामलों में संबंधित शासकीय विभाग/संस्थान द्वारा की जाएगी। प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य शासन की उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करते हुए अथवा स्वतंत्र रूप से, जहां जैसा संभव हो, की जाएगी।

7.3 परियोजना से प्रभावित अन्य व्यक्तियों विशेषज्ञकर भूमिहीन व्यक्तियों, को शासन के संबंधित विभागों द्वारा नए कौशल बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा छोटे कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाएगें। परियोजना से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों में ऐसे व्यक्तियों को कार्य दिया जाएगा।

7.4 विस्थापित परिवारों को राज्य शासन द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली स्वरोजगार मूलक योजनाओं (डेयरी विकास, मुर्गीपालन, मतस्यपालन, लधु कुटीर उघोग आदि) के लिये चिन्हित कर उन्हें वित्तीय संस्थानों से ऋण की व्यवस्था करते हुए लाभान्वित करने के प्रयास किये जाएगें।

7.5 शासकीय परियोजनाएं जैसे सिंचाई परियोजनाएं, सड़क परियोजनाएं, स्कूल परियोजनाएं अथवा अस्पताल की परियोजनाएं जन-कल्याणकारी होती है। उनमें रोजगार के अवसर प्रायः नहीं होते है, इसलिये शासकीय परियोजनाओं के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन्हें शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में रोजगार देने में प्राथमिकता देने के विधि सम्मत प्रावधान किये जाएगें।

7.6 परियोजना के क्षेत्र में कार्यरत स्वसहायता समूहों को उद्योग स्थापना से निर्मित होने वाले कार्यकलापों/गतिविधियों में जोड़ने के लिए पहल की जाएगी। इस हेतु संबंधित विभाग/संस्थान द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन/प्रशिक्षण व्यवस्था के लिये कदम उठाए जाएगें।

8. विस्थापितों को विविध सहायता :-

8.1पुनस्थापित किये जाने वाले प्रत्येक विस्थापित परिवार को रूपये 11,000/- (रूपये ग्यारह हजार) की एकमुश्त सहायता राशि पुनस्थापन अनुदान के रूप में दी जाएगी जिसे समय-समय पर बढ़ाया जा सकेगा।

8.2 पुर्नस्थापना योजना अनुसार विस्थापित परिवारों तथा उनके मवेशियों को अधिग्रहित क्षेत्र से नई जगह ले जाने का कार्य जिला प्रशासन की देख-रेख में सम्पादित किया जाएगा। जिस पर होने वाले व्यय का वहन परियोजना द्वारा किया जाएगा। यदि विस्थापित परिवार परियोजना द्वारा की गई परिवहन व्यवस्था का लाभ प्राप्त नहीं करता है तो उसे रूपये 1,000 (रूपये एक हजार) की राशि का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जा सकेगा।

8.3 ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे विस्थापित जो मूल स्थान पर अपना व्यवसाय/व्यापार किराए के भवन में कर रहे हों को नई नगरीय बसाहटों में बनी दुकानों को किराए पर देने में प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विस्थापित व्यक्ति जो व्यवसायिक भूखण्ड पाने के इच्छूक हों उन्हें निर्धारित शर्तों पर उचित भू-खण्ड/दुकान उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी।

8.5 जो व्यक्ति मात्र कब्जदार है उसे पुनर्वसाहट की स्थिति में नई बसाहट में आबादी जमीन दी जाएगी और साथ में पुर्नवास अनुदान भी दिया जाएगा। बशर्ते वह धारा-4 की अधिसूचना के प्रकाशन से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से या वैध किराए दार के रूप में न्यूनतम एक वर्ष पूर्व से रह रहा हो।

8.6 विस्थापित परिवारों में से यदि कोई स्वरोजगार हेतु उद्योग स्थापित करना चाहे तो उन्हें निकटस्थ औघौगिक क्षेत्र में भू-आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।

8.7 प्रभावित क्षेत्रों के समीप क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में वाणिज्यिक भू-खण्ड दुकानें इत्यादि के आबंटन में प्रभावित परिवारों को समुचित प्राथमिकता दी जाएगी।

8.8 विभिन्न गतिविधियों के लिये पुनर्बसाहट हेतु स्थापित नए नगरीय क्षेत्रों का नियोजन करते समय अनोपचारिक मांग, प्रकार, सुविधा, उपयोगिता, दूरी एवं आवागमन के साधनों आदि पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा।

8.9 डूब / विस्थापित क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च पुरातत्व महत्व के स्थल आदि के एवज में नये क्षेत्रों में उनके नवनिर्माण तथा कब्रगाह व दाह संस्कार हेतु स्थल के लिये आवश्यक प्रावधान रखा जाएगा।

8.10 परियोजना के विस्थापित परिवारों को परियोजना के अस्पताल में चिकित्सा सुविधा तथा उनके बच्चों को परियोजना के स्कूल में प्रवेश की सुविधा नामिनल/रियायती शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी।

8.11 अनुसूचित क्षेत्रों में जीवन निर्वाही अर्थव्यवस्था बनी हुई है। विकास के दीर्घकालीन आयोजन में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि खाद्यान की आत्मनिर्भरता बनी रहे।

8.12 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के विस्थापित परिवारों को जो सुविधाएं फिलहाल अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिल रही है, उन्हें नई जगह पर यथावत रखा जाएगा।

9.सलाहकार समितियाँ: -

9.1 परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनस्थापना की पुर्नवास योजना का अनुमोदन संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा भू-अर्जन के लिए अनुमति देते समय किया जाएगा।

9.2 विकास परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनस्र्थापन की पुर्नवास योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं मानिटरिंग निम्नलिखित समितियों द्वारा की जाएगी।

9.2.1 ऐसी परियोजननाएं, जिनकी लागत 100 करोड़ से अधिक हो का राज्य स्तरीय पुर्नवास समिति द्वारा

9.2.2 ऐसी परियोजनाएं जिनकी लागत 100 करोड़ से कम हो, का जिला स्तरी पुर्नवास समिति द्वारा

9.3 राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय पुर्नवास समितियों का गठन परिशिष्ट-एक अनुसार किया जाएगा।

10. पुर्नवास योजना की रूपरेखा, अनुमोदन की प्रक्रिया आदि: -

10.1 शासकीय परियोजनाओं के मामलों में संबंधित विभागाध्यक्ष सार्वजनिक उपक्रमों की परियोजनाओं के मामले में संबंधित उपक्रम तथा निजि संस्थानों की परियोजनाओं के मामले में संबंधित संस्थान द्वारा परियोजना के लिये भू-अर्जन से विस्थापित परिवारों के पुर्नवास हेतु एक “पुर्नवास योजना” तैयार की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परिशिष्ट-दो में उल्लेखित विवरण होंगे। पुर्नवास योजना तैयार करने के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि उसके भूमिस्वामियों/पट्टेदारों भूअर्जन से प्रभावित परिवारों तथा अन्य आवश्यक विवरण एकत्रित करने के लिये संबंधित विभाग/संस्थान द्वारा अनुरोध किये जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा सहयोग/सहायता दी जाएगी।

10.2 यथास्थिति विभागध्यक्ष, सार्वजनिक उपक्रम या निजी संस्थान पुर्नवास योजना सहित अपना भू-अर्जन प्रस्ताव औद्योगिक परियोजनाओं के मामलों में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड / जिला निवेश प्रोत्साहन समिति के कार्यालय में तथा अन्य परियोजनाओं के मामलों में राज्य शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग/जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

10.3 राज्य शासन का संबंधित प्रशासकीय विभाग पुर्नवास योजना का परीक्षण करेगा और यह देखेगा कि पुर्नवास योजना आदर्श पुर्नवास नीति के अनुरूप तैयार की गई है और उसमें आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं का समावेश किया गया है। पुर्नवास योजना के परीक्षण उपरान्त संबंधित प्रशासकीय विभाग उसे आदर्श पुर्नवास नीति के अनुरूप बनाने के लिये उसमें विभागाध्यक्ष / सार्वजनिक उपक्रम / निजी संस्थान से आवश्यक संशोधन कराएगा और उसे संबंधित जिले कलेक्टर को भेजेगा।

10.4 ऐसे मामलों जिनमें भूमि अधिग्रहण के कारण आबादी की पुनर्बसाहट आवश्यक हो, उनमें प्रशासकीय विभाग से प्राप्त पुर्नवास योजना जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित स्थानीय संस्था (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, नगरपालिका निगम) को निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएगी जो उसे सर्वेसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करेंगें:-

(1) अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में पंचायत विशेष उपलब्ध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम सभाओं के परामर्श के समय

(2) गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन के समय

10.5 उपर्युक्त पैरा 10.4 की अपेक्षानुसार पुर्नवास योजना का प्रकाशन होने पर प्रभावित व्यक्ती संबंधित जिले के कलेक्टर को सुझााव दे सकेंगें। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त सुझाावों का आदर्श पुर्नवास नीति के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में परीक्षण किया जाएगा और जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखकर समिति के सुझाव प्राप्त किये जाएगें।

10.6 उपर्युक्त पैरा-10.5 के तहत प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त सुझावों के संबंध में जिला पुर्नवास समिति के अभिमत सहित जिला कलेक्टर पुर्नवास योजना को संबंधित प्रशासकीय

विभाग को भेजेगा। सार्वजनिक उपक्रम/निजी संस्थान की परियोजनाओं के मामलों में जिला कलेक्टर द्वारा राज्य शासन को भेजे गए अभिमत की एक प्रति सार्वजनिक उपक्रम/निजी संस्थान को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

10.7 प्रभावित व्यक्तियों के सुझाावों तथा उन पर जिला स्तरीय समिति के अभिमत पर विचारोपरान्त संबंधित प्रशासकीय विभाग शासकीय परियोजना के मामले में स्वयं तथा सार्वजनिक उपक्रम एंव निजी संस्थान की परियोजना के मामले में यथास्थिति सार्वजनिक उपक्रम या निजी संस्थान से पुर्नवास योजना में समुचित संशोधन करने/कराने के उपरान्त उसका अनुमोदन करेगा तथा अनुमोदित पुर्नवास योजना की प्रतिया संबंधित जिला कलेक्टर तथा विभागध्यक्ष/सार्वजनिक उपक्रम/निजी संस्थान को भेजेगा।

10.8 अनुमोदित पुर्नवास योजना प्राप्त होने पर कलेक्टर भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाहियां करने के लिए अग्रसर होगा और भू-अर्जन अधिनियम / नियमों का पालन करते हुए भू-अर्जन संपन्न करेगा।

10.9 भू-अर्जन की कार्यवाही के प्रचलन के दौरान प्रभावित ग्राम/ग्रामों के निवासियों अथवा उनके संगठनों द्वारा परियोजना के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर उन्हें चाही गई जानकारी जिला कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी कारण से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हो तो आवेदक को उसका कारण संसूचित किया जाएगा।

10.10 राज्य अथवा संघ के किसी कानून के अन्तर्गत लोक प्रयोजन के लिए किसी भूमि के आवश्यक होने संबंधी घोषणा तथा भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्रयोजन के लिए किसी भूमि के आवश्यक होने संबंधी घोषणा तथा भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत जारी की जाने वाली विभिन्न अधिसूचनाओं /सूचनाओं का प्रकाशन विधि में विहीत स्थानों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों /ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर भी किया जाएगा।

10.11 जिन मामलों में आबादी भूमि प्रभावित होती हो और पुनर्बसाहट (पुनर्वास) आवश्यक हो, पुनर्बसाहट की योजना उन परिवारों जिनकी पुनर्बसाहट की जानी हो, से परामर्श करके तैयार की जाएगी। पुनर्बसाहट योजना के क्रियान्वयन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि प्रभावित परिवार आबादी के अधिग्रहण के पूर्व नई बसाहट में पुनर्वासित हो जाए।

10.12 पुर्नवास योजना से संबंधित विवादों यथा हितकारी व्यक्ति की पहचान, उन्हें मिलने वाले फायदे आदि का निराकरण यथासंभव जिला स्तरीय समिति द्रारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति राज्य स्तरीय समिति से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगी।

10.13 बार-बार विस्थापन नहीं किया जाएगा और यदि अपवाद स्वरूप ऐसा करना आवश्यक हो तो ऐसा करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

11. कतिपय परियोजनाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान: -

विभिन्न परियोजनाओं की विशिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपर बताए गए सिद्धान्तों और कार्यवाहियों के दायरे को प्रभावित किये बिना, कुछ विशिष्ट श्रेणियों की परियोजनाओं और उनकी प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाएगाः-

11.1 सिंचाई/पनबिजली परियोजनाएंः-

11.1.1 जहां संभव होगा वहां जलाशय और उससे लगे हुए क्षेत्र के सधन विकास की योजना बनाई जाएगी, जिसमें उद्‌वहन सिंचाई के आधार पर कृषि और वृक्ष कृषि, मतस्य आखेट कार्यक्रमों का समावेश कर उस अंचल की धारण क्षमता में वृधि की जाएगी।

11.1.2 जलाशयों में पानी घटने प उनसे निकलने वाली जमीन का अस्थायी आबंटन अपनी जमीन खोने वाले प्रभावित व्यक्ति को व्यक्तिगत खेती के लिये प्राथमिकता पर किया

जाएगा। प्रभावित व्यक्तियों की सहकारी समिति को मतस्याखेट के मामले में प्राथमिकता व उचित रियायत दी जाएगी।

11.1.3 परियोजना निर्मित होने पर डूब क्षेत्र की ऐसी भूमि, जो वर्षा के बाद स्वतः खाली हो जाती है विस्थापित व्यक्तियों को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर आबंटित की जाएगी।

11.1.4 यदि डूब क्षेत्र के लोगों को दी जा रही भूमि में उस सिंचाई परियोजना की नहरों से सिंचाई नहीं की जा सकती है तो उनकी भूमि की सिंचाई के लिये पृथक से योजना तैयार कर सिंचाई व्यवस्था की जाएगी।

11.2 औद्योगिक / खनिज परियोजनाएंः-

11.2.1 वृहद औद्योगिक, विघुत उत्पादन और उत्खन्न परियोजनाओं के मामले में संबंधित परियोजना के प्रभाव क्षेत्र को रेखांकित किया जाएगा। परियोजना के प्रस्तावक संस्थान के लिए यह जरूरी होगा कि वे स्थानीय आवश्यकता नुसार परियोजना के प्रभाव क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाकर क्रियान्वयन करें। इस हेतु संबंधित संस्थान तथा राज्य शासन के प्रशासकीय विभाग के मध्य परियोजना तथा परियोजना क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हुई सहमति अनुसार प्रतिवर्ष संस्थान के शुध्द लाभ का निर्धारित प्रतिशत, जो आवश्यकता नुसार एक प्रतिशत से तीन प्रतिशत होगा, आबंटित /व्यय किया जाएगा।

11.2.2 परियोजना से प्रभावित कृषकों के मामले में अनियमित, आकस्मिक रोजगार या मजदूरी के रूप में काम के अवसरों को जिन्दगी बसर करने का वैकल्पिक आधार अथवा रोजगार नहीं माना जाएगा। परियोजना के नियमित पदों में राज्य की औद्योगिक नीति में राज्य के अर्हताप्राप्त निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधानों के अनुपालन हेतु निम्नानुसार प्राथमिकताएं रखी जाएगीः-

(1) परियोजना से प्रभावित व्यक्ति,

(2) परियोजना के प्रभाव क्षेत्र के निवासी अन्य व्यक्ति,

(3) राज्य में निवास करने वाले अन्य व्यक्ति,

11.2.3 औद्योगिक तथा खनन परियोजना का क्रियान्वयन करने वाले संस्थान द्वारा यदि निजी भूमि का कब्जा लेने के 2 वर्ष की कालावधि के भीतर (पहले परियोजना के निर्माण कार्यो में तथा परियोजना के चालू हो जाने के बाद परियोजना में) रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो संस्थान द्वारा रोजगार के लिए पात्र प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को अर्हता के अनुरूप दिये जाने वाले रोजगार से प्राप्त होने वाली राशि के समतुल्य राशि, या रोजगार गारंटी योजना के तहत देय राशि, जो भी अधिक हो, बगैर काम के तब तक भुगतान की जाएगी, जब तक कि नियमित रोजगार की व्यवस्था न हो जाए।

11.2.4 उपजाऊ मिट्टी एल्यूवियल, सोयल रेत जैसे लघु खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में तो कृषि एवं प्लान्टेशन के माध्यम से वहां के रहवासियों को आय के बहुत अच्छे स्त्रोत उपलब्ध हैं और ऐसे क्षेत्र आर्थिक विकास में बहुत आगे है। किन्तु कोयला और आयरन जैसे मुख्य खनिज धारित क्षेत्रों के खनन कार्य से स्थानीय रहवासियों और विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों के रहवासियों को खनिज की उत्पादन योजनाओं से बहुत कम लाभ मिला पाया है। कोयला और आयरन ओर खाने राज्य के अत्यन्त गरीब और पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित है। अजएव गैर केप्टिव नई खनन परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन / पुनस्थापन प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत की जाने वाली पुर्नवास योजनाओं में यह प्रावधान अनिवार्यतः रखा जाएगा कि नई परियोजना से प्राप्त होने वाले खनिज का आवश्यकतानुसार एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत अनुसूचित क्षेत्रों की औद्योगिक इकाईयों की कच्चे माल के आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

11.2.5 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लीज समाप्त होने के पश्चात् माईन क्लोजर प्लान के अनुसार खान क्षेत्र की भूमि को यथासंभव उसकी मूल स्थिति में वापस लाया जाए। इस कार्य के लिए खनन कम्पनी अपनी आय का समुचित हिस्सा एक पृथक रिजर्व फन्ड (रेस्टोरेशन फन्ड) के रूप में रखे।

11.2.6 चूंकि कोयला और लौह अयस्क का अधिकांश खनन कार्य भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा किया जाता है, भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के खनन कम्पनियों को राज्य की पुर्नवास नीति का पालन करने के लिए कहें और आवश्यक होने पर इस हेतु केन्द्रिय कानूनों में आवश्यक संशोधन करें। पुर्नवास नीति के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक होने पर संविधान की अनुसूचि 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य के रेगुलेशन्स बनाए जा सकेंगें।

11.3 अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान परियोजना: -

11.3.1 अभयारण्यों और राष्ट्रीय उघानों के प्रबन्धन सहित वन संसाधनों के विकास और उपयोग के नियोजन में उन पर स्थानीय समाज की निर्भरता को खासतौर से आदिवासी समाज के उनसे परस्पर पोषक संबंधों को आधारभूत माना जाएगा। इस मामले में संबंधित नागरिकों और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में तथ्यों का लिखित रूप से उपलब्ध होना या न होना उसकी औपचारिक मान्यता होना या न होना उससे संबंधित कानूनी स्थिति से किसी तरह की विसंगति इत्यादि का कोई असर नहीं होगा।

11.3.2 इन परियोजनाओं में विस्थापितों की परंपराओं के अनुरूप सभी के लिये समुचित जीवन यापन के लिए पूरी व्यवस्था और पूरे वर्ष के कामकाज के लिये योग्य सभी व्यक्तियों के लिए एक विशेष रोजगार योजना बनाई जाएगी। विस्थापन योजना का यह उद्देश्य होगा कि वन में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए वन संसाधन राष्ट्रीय उट्टेश्यों को ध्यान में

रखते हुए तथा उसके पर्यावरणीय आकार को नुकसान पहुंचाए बिना बेहतर जीवन यापन की उनकी आकांक्षा पूरी करने में सक्षम आधार बनाया जा सकें।

12. विविधः-

12.1 भू-अर्जन के मामले निर्णित करने हेतु विशेष न्यायालय स्थापित किये जाएंगे।

12.2 किसी शासकीय परियोजना के लिये भू-अर्जन / हस्तांतरण द्वारा प्राप्त ऐसी सभी भूमि जो अधिग्रहण के बाद 10 वर्ष तक उपयोग में नहीं लाई जाती है, वह भूमि राजस्व विभाग को स्वमे व वापस हो जाएगी और राजस्व विभाग राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उसका अन्य प्रयोजन के लिए आबंटन या हस्तांतरण कर सकेगा।

12.3 पुर्नवास योजना से संबंधित समस्त खर्चा का वहन परियोजना का क्रियान्वयन करने वाले शासकीय विभाग या निजी संस्थान जैसी भी स्थिति हो द्वारा परियोजना में शामिल करते हुए वहन किया जाएगा।

12.4 राजधानी परियोजना क्षेत्र की पुर्नवास योजना पृथक से बनाई जाएगी।

परिशिष्ट एक

राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय पुर्नवास समितियां निम्नानुसार गठित की जाएगी:-

अ. राज्य स्तरीय पुर्नवास समितिः-

1.	मुख्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	नेता प्रतिपक्ष	सदस्य
3.	वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
4.	पुर्नवास विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
5.	राजस्व विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
6.	विधि विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
7.	परियोजना के प्रशासकीय विभाग का भारसाधक मंत्री	सदस्य
8.	संबंधित जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
9.	राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र से नामांकित सांसद/विधायक	सदस्य
10.	मुख्य सचिव	सदस्य
11.	परियोजना के प्रशासकीय विभाग का प्रभारी सचिव	सदस्य
12.	परियोजना के प्रमुख अधिकारी	विशेष आमंत्रित
13.	राज्य पुर्नवास आयुक्त	सदस्य सचिव

बः- **जिला स्तरीय पुर्नवास समितिः-**

1.	जिले के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
2.	जिला पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
3.	राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र से नामंकित सांसद/विधायक	सदस्य
4.	जिन ग्रामों में पुनर्बसाहट की जा रही है वहां के सरपंचगण	सदस्य

5. परियोजना के प्रशासकीय विभाग का जिला अधिकारी / संबधित विभाग का जिला प्रमुख — सदस्य

6. परियोजना के प्रमुख अधिकारी — विशेष आमंत्रित

7. जिला कलेक्टर — सदस्य सचिव

परिशिष्ट दो

पुर्नवास योजना में पुर्नवास नीति को किसी भी प्रकार प्रभावित किये बिना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश किया जाएगाः-

1. सामान्य: - सभी पुर्नवास योजनाओं के लिएः-

1.1 परियोजना के उद्देश्य, बुनियादी मान्यताएं और कारक क्रियान्वयन की काावधि का उल्लेख करते हुए विकास परियोजना की संक्षिप्त रूप रेखा

1.2 परियोजना क्षेत्र का रेखांकन और उसके प्रभाव क्षेत्र का विवरण

1.3 परियोजना के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लाभों का विवरण

1.4 भू-अभिलेखों के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल स्वरूप / प्रकार (शासकीय वन, शासकीय राजस्व, सेवा भूमि निजी भूमि, आदि) वर्तमान उपयोग, आदि का विवरण

1.5 क्षेत्र में प्रचलित कृषि, व्यवसायिक तथा अनय आर्थिक गतिविधियों का विवरण

1.6 परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के भूमि स्वामियों एवं पट्टेदारों का विवरण

1.7 परियोजना के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों (जैविक विविधता, वन, पानी तथा वायु पर संभावित प्रभावों) और पर्यावरण संरक्षण के लिये की जाने वाली कारवाई/उपायों का विवरण

1.8 परियोजना के लिए भू-अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों को आदर्श पुर्नवास नीति के प्रावधानों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना

1.10 परियोजना के लिए भू-अर्जन के कारण रोजगार के लिए पात्र व्यक्तियों का कौशल बढ़ाने, प्रशिक्षण देने संबंधी कार्य योजना

1.11 परियोजना का क्रियान्वयन करने वाले विभाग / उपक्रम /संस्थान द्वारा परियोजना के क्षेत्र में किए जाने वाले सामाजिक तथा कल्याणकारी कार्यकलापों का विवरण

2. ऐसी पुर्नवास योजनाएं जिनमें भू-अधिग्रहण के फलस्वरूप पुनर्बसाहट आवश्यक होः-

इन परियोजनाओं के लिये उपर्युक्त सामान्य प्रावधानों के साथ-साथ निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण दिया जाएगाः-

2.1 विस्थापन की अनिवार्यता के बारे में स्पष्ट वक्तव्य,

2.2 विस्थापित होने वाले प्रभावित परिवारों का विवरण।

2.3 विस्थापित की पुनर्बसाहट के लिए पुर्नवास नीति के अनुरूप कार्य योजना जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होः-

(क) पुनर्बसाहट हेतु भूमि चयन

(ख) पुनर्बसाहट किये जाने वाले व्यक्तियों को भू-खण्ड आबंटन के प्रस्ताव

(ग) पुनर्वासित किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था का विवरण

2.4 ऐसे व्यक्तियों जिनके बारे में फिर से विस्थापन की संभावना हो, यदि कोई हो तो के मामले में फिर से विस्थापन की अनिवार्यता के बारे में स्पष्ट वक्तव्य और उसके लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

3. कतिपय योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधानः-

सिंचाई वन बिजली परियोजनाओं, औद्योगिक/खनिज उत्पादन परियोजनाओं अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यान परियोजनाओं आदि के मामलों में पुर्नवास योजना में उपर्युक्त पैरा-1 व 2 के अतिरिक्त इस नीति के खण्ड-11 के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त सुस्पष्ट विवरण अंकित किये जाएगें।

परिशिष्ट - तीन

सहमति पत्र (मैमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग)

आदर्श पुनर्वास नीति संशोधित वर्ष 2007 (यथासंशोधित) की कण्डिका 3.6 के अधीन

यह कि संस्था.....................................(विभाग/उपक्रम/संस्थान).. ....

द्वारा.............................ग्राम/ग्रामा......................तहसील.....................................जिले में परियोजना (परियोजना का नाम) के क्रियान्वयन हेतु भूमि की मांग की गई हैं,

और यह कि राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त क्षेत्र में ....(विभाग/उपक्रम/संस्थान) द्वारा परियेाजना के लिए आवश्यक भूमि का अनुषंगी कानूनों का पालन करते हुए भू-अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन अर्जन करने की अनुमति दी गई है,

और यह कि .... (विभाग/उपक्रम/संस्थान) द्वारा राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति के प्रावधानों के अनुसार भू-अर्जन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु तैयार की गई पुनर्वास योजना राज्य शासन से प्राप्त हो गई है,

अतएव यह सहमति (मैमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग) आज दिनांक .... माह ....वर्ष.....................को छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से कलेटर जिला.........................(प्रथम पक्ष) जिस अभिव्यक्ति में जहां (द्वितीय पक्ष), जिस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ में अपेक्षित हो उनके वैध प्रतिनिधि, निष्पादक, उत्तराधिकारी शामिल होंगे के बीच निम्नलिखित के संबंध में हुई सहमति को अभिलिखित करने के लिए निष्पादित किया जाता हैः

1. ....(विभाग/उपक्रम/संस्थान) द्वारा उपर्युक्त परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य शासन द्वारा यथा अनुमोदित पुनर्वास योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

2 ....(विभाग/उपक्रम/संस्थान) द्वारा पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति तथा राज्य स्तरीय समिति को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा।

3. प्रथम पक्ष जिला कलेक्टर द्वारा अनुषंगी कानूनों का पालन करते हुए भू-अर्जन अधिनियम 1894 तथा संबंधित नियमों व राज्य शासन के स्थायी निर्देशों का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष की परियोजना के लिए आवश्यक निजी भूमि का अर्जन किया जाएगा। प्रथम पक्ष द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि तथा शासकीय भूमि उद्योग विभाग/छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सी.एस.आई.डी.सी.) के माध्यम से परियोजना के क्रियाप्चशप हेतु ....(विभाग/उपक्रम संस्थान) को उपलब्ध करायी जाएगी।

4. यदि किसी बिन्दु या विषय की व्याख्या संबंधी विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो उसे निराकरण हेतु संबंधित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति को संदर्भित किया जाएगा। विवादित बिन्दु का जिला स्तरीय पुनर्वास समिति के स्तर पर निराकरण न हो पाने की स्थिति में उसे राज्य शासन को संदर्भित किया जाएगा। राज्य शासन का निर्णय अन्तिम व बंधनकारी होगा।

तदनुसार इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रथम पक्षकार | द्वितीय पक्षकार

राज्य शासन की ओर से कलेक्टर | आवेदक (विभाग/उपक्रम संस्थान)

का अधिकृत प्रतिनिधि

जिला.......................

नाम...................................

पदनाम.............................

साक्षी

साक्षी

1...................................

1...................................

2...................................

2.................................

छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006)

व्यक्तियों तथा संगठनों के कतिपय विधि विरूध क्रियाकलापों का अधिक प्रभावी रूप से निवारण करने तथा संसक्त विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंम्भ -

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा।

2. परिभाषाएँ -

इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "सलाहकार बोर्ड" से अभिप्रेत है धारा 5 के अधीन गठित बोर्ड,

(ख) "संगठन" से अभिप्रेत है, व्यक्तियों का कोई संयोजन, निकाय या समूह, चाहे वह किसी भी सभिन्न नाम से ज्ञात हो या नहीं, और चाहे वह किसी सुसंगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं और चाहे वह किसी लिखित संविधान द्वारा शासित हो या नहीं,

(ग) "सरकार" से अभिप्रत है, राज्य सरकार

(घ) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचना तथा शब्द "अधिसूचित" का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा,

(ड़) किसी व्यक्ति या संगठन के संबंध में विधि विरुध्द कार्यकलाप का अर्थ है कोई भी कार्य जो व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा किया जावे भले ही उस कार्य को घटित करके या

कहे गये, या लिखे गये शब्दों द्वारा किया जावे भले ही उस कार्य को घटित करके या कहे गये, या लिखे गये शब्दों द्वारा संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुतीकरण द्वारा, या अन्यथाः-(एक) जो सार्वजनिक व्यवस्था, शान्ति तथा लोक प्रशांति को खतरा या भय उत्पन्न करता है, या (दो) जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में बाधक है या जिसकी प्रवृत्ति सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में बाधा डालने की है, या

(तीन) जो विधि के प्रशासन या उसकी स्थापित संस्थाओं तथा उसके कार्मिकों के प्रकाशन में बाधक है या जिसकी प्रवृत्ति उनमें बाधा डालने की है, या

(चार) जो अपराधिक बल या अपराधिक बल के प्रदर्शन या अन्यता किसी भी लोकसेवक, जिसमें राज्य शासन या केन्द्र शासन के बल सम्मिलित है, जो विधिपूर्व शक्ति का प्रयोग कर रहा हो को आतंकित करने की रूपरेखा करने का है, या

(पांच) जो हिंसा, आतंकवाद, बर्बरता के कार्यों में या जनता में भय तथा आशंका उत्पन्न करने वाले अन्य कार्यों में निरत रहने या उसका प्रचार करने वाला है या अग्न्यायुधों, विस्फोटकों तथा अन्य युक्तियों (डिवाइसेस) के उपयोग में निरत रहने या उन्हें प्रोत्साहित करने वाला है या रेल सड़क द्वारा संचार साधनों को विच्छिन्न करने वाला है, या

(छः) जो स्थापित विधि तथा उसकी संस्थाओं की अवज्ञा को प्रोत्साहित करने वाला या अवज्ञा का प्रतिपादन करने वाला है या

(सात) जो ऊपर वर्णित किसी एक या अधिक विधि विरुध्द, क्रिया कलापों को कार्यान्वित करने हेतु बलपूर्वक धन या माल संग्रहित करने वाला है,

(च) "विधि विरुध्द संगठन" से अभिप्रेत हैं ऐसा कोई संगठन जो किसी विधि विरुध्द क्रियाकलाप को करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरत रहता है या जिसका उद्देश्य

किसी विधि विरुध्द क्रियाकलाप को किसी भी माध्यम, युक्ति या अन्यथा अभिप्रेरित करना या सहायता देना या सहायता करना या प्रोत्साहन देना है।

3. संगठन को विधि विरुध्द घोषित किया जाना-

(1) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि कोई संगठन विधि विरुध्द संगठन है या हो गया है, तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसे संगठन को विदि विरुध्द संगठन घोषित कर सकेगी।

(2) ऐसी प्रत्येक अधिसूचना में वे आधार विनिर्दिष्ट किए जायेगें जिन पर वह जारी की गई है। परन्तु इस उपधारा में कोई भी बात किसी ऐसे तथ्य को प्रकट करने की सरकार से अपेक्षा नहीं करेंगी, जिसका प्रकट किया जाना वह लोकहित के विरुध्द समझती है।

(3) जहां ऐसे विधि संगठन का कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है, वहां अधिसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या ऐसे रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में किसी पदाधिकारी को सौंप कर तामील की जायेगी और उस दशा में, जब कोई पदाधिकारी उपलब्ध न हो या वह अधिसूचना प्राप्त करने से इन्कार करता है तो उसे कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका दिया जायेगा। जहां संगठन का कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है वहां अधिसूचना को किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(4) अधिसूचना एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी और वह ऐसी कालावधियों के लिए जो एक समय में एक से अधिक न हो, बढ़ाई जा सकेगी, जैसा कि स्थिति के पुनरीक्षण के पश्चात् आवश्यक समझा जाये।

(5) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना सरकार द्वारा उस स्थिति में प्रतिसंहृत की जा सकेगी, जहां वह समझे कि उसके जारी रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

4. संगठन द्वारा अभ्यावेदन - विधि विरुध्द घोषित किया गया संगठन, यदि वह ऐसा पसंद करे, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीक या उसकी प्राप्ति या धारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति में उसके चिकाए जाने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, 15 दिन के भीतर सरकार को अभ्यावेदन भेज सकेगा और ऐसा अभ्यावेदन सलाहकार बोर्ड के समक्ष उसके विचार हेतु रखा जायेगा। संगठन, यदि वह ऐसी वांछा करे, सलाहकार बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निवेदन कर सकेगा।

5. सलाहकार बोर्ड का गठन तथा उसको निर्देश -

(1) (क) राज्य सरकार, जब भी आवश्यक हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।

(ख) सलाहकार बोर्ड ऐसे तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है या रह चुके है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अर्ह हैं सरकार सदस्यों को नियुक्त करेगी, और उनमें से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में उसे पद दिया जाएगा।

(2) सरकार धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को निर्देश करेगी, और उसके समक्ष अधिसूचना की एक प्रति, उसके समर्थन में सामग्री तथा विधि विरुध्द संगठन से प्राप्त अथ्यावेदन यदि कोई हो, उसके द्वारा विचार किए जाने के लिए रखेगी।

6. सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया -

(1) सलाहकार बोर्ड अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और सरकार से या संबंधित संगठन के किसी पदाधिकारी को वैयक्तिक सुनवाई का अवसर देने के

पश्चात् सरकार से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तु करेगा।

(2) जहां संगठन वैयक्तिक सुनवाई चाहता है वहां सुनवाई की तारीख तथा समय भी विनिर्दिष्ट करते हुए। एक प्रज्ञापना संगठन के अभ्यावेदन में उपदर्शित किए गए पते पर भेजी जायेगी। संबंधित संगठन किसी वकील या किसी प्राधिकृत पदाधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति के माध्यम से उपसंजात होने का हकदार नहीं होगा।

(3) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के एक पृथक भाग में उसकी इस संबंध में राय भी विनिर्दिष्ट की जायेगी कि संबंधित संगठन के संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए पर्याप्त हेतु क्या था या नहीं।

7. सलाहकार बोर्ड की रिपार्ट पर कारवाई -

(1) ऐसे किसी मामले में, जहां सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट है कि उसकी राय में, संबंधित संगठन को विधि विरुध्द घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी करने का पर्याप्त हेतु क्या है, तो सरकार अधिसूचना की पुष्टि कर सकेगी तथा धारा (3) की उपधारा (4) की उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उसे ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, जारी रख सकेगी।

(2) ऐसे किसी मामले में, जहां सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट है कि उसकी राय में यथापूर्वक अधिसूचना जारी किए जाने के लिए कोई पर्याप्त हेतुक नहीं है वहां सरकार अधिसूचना को तत्काल प्रतिसंहृत करेगी।

8. शास्तियां -

(1) जो कोई किसी विधि विरुध्द संठन का सदस्य है या किसी ऐसे संगठन के सम्मेलनों में या क्रिया-कलापों में भाग लेता है या ऐसे किसी संगठन के प्रयोजन के लिए कोई

अभिदाय करता है या उसके लिए कोई अभिदाय प्राप्त करता है उसकी याचना करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के भी दायित्वधीन होगा।

(2) जो कोई किसी विधि विरुध्द संगठन का सदस्य न होते हुए किसी भी तरह से ऐसे संगठन के लिए अभिदाय करता है या उसके लिए कोई अभिदाय प्राप्त करता है या उसकी याचना करता है या ऐसे संगठन के किसी सदस्य को संश्रय देता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास जो दो वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के भी दायित्वाधीन होगा।

(3) जो कोई किसी विधि विरुध्द संगठन का प्रबंधन करता है या प्रबंधन में सहयोग करता है, या ऐसे संगठन की किसी बैठक या सदस्य को बढ़ावा देता है या सहयोग करता है, या किसी ढंग से ऐसे संगठन की विधि विरुध्द गतिविधि में भाग लेता है, या किसी भी माध्यम या उपकरण से भागीदार है, ते वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने के लिए दायित्वाधीन होगा।

(4) कोई भी पुलिस अधिकारी इस धारा की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण उस समय तक नहीं करेगा, जब तक कि संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट रूप सेे अनुज्ञा प्रदान न किया गया हो,

(5) जो कोई किसी भी विधि विरुध्द कार्यकलाप को घटित करता है या दुष्प्रेरण करता है या घटित करने की प्रयास करता है या घटित करने की योजना बनाता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा एवं जुर्माने के भी दायित्वाधीन होगा।

9. विधि विरुध्द क्रिया -

कलापों के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले स्थानों को अधिसूचित करने तथा उनका कब्जा लेने की शक्ति -

(1) जिला मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे स्थान को जो उसकी राय में किसी विधि विरुध्द संगठन के क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाया जाता है अधिसूचित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण - इस आधार के उद्देश्य हेतु, स्थान से अभिप्राय में घर, भवन या उनका अंश या तब्बू या जलयान भी सम्मिलित होगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई स्थान अधिसूचित किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्रारा इस निर्मित लिखित में प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी अधिसूचित किए गए स्थान का कब्जा ले सकेगा और उसके अन्दर पाए गए किसी भी व्यक्ति को वहां से बेदखल कर सकेगा तथा जिला मजिस्ट्रेट कब्जा लिए जाने की रिपोर्ट सरकार को तत्काल करेगा।

परन्तु जहां ऐसे स्थान में कोई ऐसा प्रकोष्ठ अंतर्विष्ट है जो बच्चों या महिलाओं के अधियोग में हैं, वहां उन्हें यथा संभव न्यूनतम असुविधा के साथ हटने के लिए युक्तियुक्त समय और सुविधाएं दी जाएगी।

(3) ऐसा अधिसूसचित स्थान, जिसका कब्जा उपधारा (2) के अधीन ले लिया जाता है, सरकार के कब्जे में उस समय तक, जब तक ऐसे विधि विरुध्द संगठन के संबंध में धारा 3 के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त बनी रहती है ऐससी पूर्वतर कालावधि के लिए जैसा कि सरकार विनिश्चय करे, बना रहेगा।

10. अधिसूचित स्थान में पाई गई जंगम संपत्ति -

(1) जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्रारा प्राधिकृत किया गया अधिकारी, अधिसूचित स्थान का कब्जा लेते समय उस स्थान में पाई गई जंगम संपत्ति, जिसके अंतर्गत धन, प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां है, का भी कब्जा लेगा और उसकी एक सूची दो प्रतिष्ठित साक्षियों जिलों की उपस्थिति में बनाएगा।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि सूची में विनिर्दिष्ट की गई कोई वस्तु विधि विरुध्द संगठन के प्रयोजनों के लिए है या उनके लिए उपयोग में लाई जा सकती है या उनकी सहायता के लिए है तो वह इस धारा में इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी वस्तुए सरकार को समपहृत किए जाने संबंधी कार्यवाही करने का आदेश दे सकेगा।

(3) सूची में विनिर्दिष्ट की गई अन्य समस्त वस्तुए ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जायेगी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट उसके कब्जे के लिए हकदार समझे और यदि ऐसा व्यक्ति उसका हकदार नहीं पाया जाए, तो उसका व्ययन ऐसे रीति में किया जायेगा, जैसा कि वह निर्देश दें।

(4) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी वस्तुओं को, जो समपृह किए जाने के लिए प्रस्तावित है, विनिर्दिष्ट करते हुए और किसी ऐसे व्यक्ति जो यह दावा करता है कि कोई वस्तु समपहृत किए जाने के लिए दायी नहीं है, कोई अभ्यावेदन, जिसे वह वस्तु के समपहरण के विरुध्द करना चाहता है, सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर, लिखित में पेश करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना दोस्थानीय समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी भाषा में होगा, प्रकाशित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति उस स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर भी, जहां से ऐसा सम्पत्ति का कब्जा लिया गया था, यह माना जाएगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट अभ्यावेदन पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे। यदि वस्तु को समपहृत किए जाने का विनिश्चय किया जाता है तो वह उसके लिए कारण देगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन पारित किए गये समपहरण के किसी आदेश के विरुध्द वह व्यक्ति, जिसने अभ्यावेदन किया था, आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर

सरकार को अपील फाईल कर सकेगा। सरकार अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश जैसा कि वह उचित समझे, पारित कर सकेगी सरकार का ऐसा आदेश अंतिम होगा।

(7) राज्य सरकार किसी भी समय स्वविवेकानुसार स्वप्रेरणा से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (5) अधीन पारित किए गए किसी आदेश की वैधता शुद्धता या उसके औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए अभिलेखों को मांग सकेगी और उनकी परीक्षा कर सकेगी और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा क वह उचित समझे।

(8) यदि अभिग्रहित वस्तु या विनश्वर प्रकृति की है जो जिला मजिस्ट्रेट, यदि वह इसे समीचीन समझे, उसके तुरन्त विक्रय का आदेश दे सकेगा और विक्रय के आगमों का व्ययन ऐसी रति में किया जायेगा जो अन्य वस्तुओं के व्ययन कि लिए इसमें उपबंधित की गई है।

11. किसी विधि विरुध्द संगठन की निधियों का समपहरण करने की शक्ति -

(1) जहां सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, यह समाधान हो जाता है कि किन्ही धन, प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों का किसी विधि विरुध्द संगठन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है, या उनका प्रयोग किया जाना आशयित है तो सरकार, लिखित आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि ऐसी धन, ऐसी प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियां, चाहे वे जिस किसी की हो, सरकार को समपहृत हो जाने की घोषणा कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश की एक प्रति व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा धन, ऐसी प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां है तामिल की जा सकेगी और ऐसी प्रति के तामील होने पर ऐसा व्यक्ति सरकार के आदेश से धन का भुगतान करेगा तथा प्रतिभूमियां या अन्य आस्तियां परिदत्त करेगाः परन्तु धन या प्रतिभूतियों के मामले में आदेश की एक

प्रति ऐसे अधिकारी को जिसका सरकार चयन करे, निष्पादन के लिए पृष्ठांकित की जा सकेगी और ऐसे अधिकारी की किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसे धन या प्रतिभूतियों के होने का युक्तियुक्त रूप से संदेह हो, प्रवेश करने तथा तलाशी लेने और उनका अभिग्रहण करने की शक्ति होगी।

(3) सरकार, उपधारा (1) के अधीन समपहरण का आदेश होने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसकी अभिरक्षा में धन, प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां पाई जाती है, समपहरण करने के अपने आशय की लिखित सूचना देगी और ऐसा व्यक्ति सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर समपहरण के प्रस्तावित आदेश के विरुध्द सरकार को अभ्यावेदन कर सकेगा। सरकार प्रभावित व्यक्ति से प्राप्त से प्राप्त अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगी जैसा कि वह उचित समझे।

(4) जहां सरकार का यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में ऐसा कोई धन, ऐसी प्रतिभूतियां या ऐसी अन्य आस्तियां है जिनका उपयोग किसी विधि विरुध्द संगठन के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या जो ऐसा उपयोग किये जाने के लिए आशायित है, वहां सरकार, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसे धन, ऐसी प्रतिभूतियों या ऐसी अन्य आस्तियों का भुगतान, परिदान, अंतरण या संव्यवहार सरकार के किसी लिखित आदेश के अनुसार हो, ऐसे व्यक्ति को उस धन, उन प्रतिभूतियों या आस्तियों का भुगतान करने, उनका परिदान करने, अंतरण करने या उनके संबंध में किसी भी रीति में, चाहे जो भी हो, कोई संव्यवहार करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी। ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी जिसे कि वह निदेशित है।

(5) सरकार उपधारा (4) के अधीन आदेश की एक प्रति ऐसे अधिकारी को, जिसका वह चयन करे, अन्वेषण के लिए पृष्ठांकित कर सकेगी और ऐसी प्रत वारंट समझी जायेगी जिसके

अधीन ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति के, जिसे कि आदेश में निदेशित किया गया है, किन्ही परिसरों में प्रवेश कर सकेगा, धन तथा प्रतिभूतियों की तलाशी ले सकेगी और ऐसे व्यक्ति से ऐसे धन, ऐसी प्रतिभूतियां अन्य आस्तियों के, जिनके बारे में अन्वेषण अधिकारी को यह संदेह हो कि वे किसी विधि विरुध्द संगठन के लिए उपयोग की जा रही है या जो ऐसे उपयोग किए जाने के लिए आशयित है, संबंध में उनके स्रोत और संव्यवहारों तक पहुंचने के लिए जांच कर सकेगा।

(6) इस धारा के अधीन आदेश की एक प्रति उसी रीति में तामील की जा सकेगी जो समन की तामील के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) में उपबंधित है या जहां ऐसा व्यक्ति, जिसे तामील की जाना है, कोई निगम, कम्पनी, बैंक या व्यक्तियों का संगठन है, वहां उसके किसी सचिव, निदेशक या उसके प्रबंध से संबंधित अधिकारी या व्यक्ति पर या निगम, कम्पनी, बैंक या संगठन को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर या जहां कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है वहां उस स्थान पर, जहां कारबार चलाया जा रहा है, पहुंचाकर या डाक द्वारा भेजकर तामील की जा सकेगी। जहां शासन संतुष्ट हो कि परिस्थितियों में ऐसी प्रक्रिया का पालन संभव नहीं है, वहां इस आदेश का प्रकाशन किसी स्थानीय समाचार पत्र में करवाया जा सकेगा।

(7) जहां ऐसे धन, प्रतिभूतियों का अन्य आस्तियों के, जिनके बारे में उपधारा (4) के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश दिया गया है, संबंध में उपधारा (1) के अधीन समपहरण का आदेश दिया गया है, वहां समपहरण का ऐसा आदेश, प्रतिषेधात्मक आदेश की तारीख से प्रभावी होगा और वह व्यक्ति, जिसे प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों का परिदान सरकार के आदेशित व्यक्ति को करेगा।

(8) जहां कोई व्यक्ति, जो सरकार के आदेशित व्यक्ति को धन का भुगतान करने या प्रतिभूतियों अथवा अन्य आस्तियों का परिदान करने का इस धारा के अधीन दायी है, सरकार के इस निमित्त किसी निदेश का पालन करने से इन्कार करता है या उसमें (पालन में) असफल रहता है तो सरकार ऐसे व्यक्ति से धन को रकम या अन्य वित्तीय आस्तियां या ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य भू-राजस्व के बकाया के तौर पर जुर्माने के रूप में वसूल कर सकेगी।

(9) इस धारा में प्रतिभूति में सम्मिलित है ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्रारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह धन का भुगतान करने के विधिक दायित्व के अधीन है या जिसके अधीन कोई व्यक्ति धन के भुगतान का विधिक अधिकार अभिप्राप्त करता है और किसी प्रतिभूति का बाजार मूल्य से अभिप्रेत है वह मूल्य जो सरकार द्रारा इस निमिति प्रतिनियुक्ति किए गए किसी अधिकारी या व्यक्ति द्रारा यथा नियत मूल्य।

(10) सिवाय उस जानकारी के जहां तक वह इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजननों के लिए आवश्यक है, उपधारा (5) के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान अभिप्राय की गई कोई जानकारी सरकार के किसी अधिकारी द्रारा सरकार की सम्पत्ति के बिना प्रकट नहीं की जायेगी।

(11) सरकार इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों को किसी ऐसे अधिकारी को जो जिला मजिस्ट्रेट की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, आदेश द्रारा प्रत्यायोजित कर सकेगी और उसी प्रकार उनका प्रत्याहरण कर सकेगी।

(12) सरकार किसी भी समय स्वविवेकानुसार या तो स्वप्रेरणा से या किसी ऐसे व्यक्ति द्रारा किए गए आवेदन पर जिसने अभ्यावेदन किया है जिला मजिस्ट्रेट द्रारा उपधारा (11) के अधीन पारित किए गए किसी आदेश की वैधता, शुद्धता या उसके औचित्य के बारे में स्वयं

का समाधान करने के प्रयोजन के लिए अभिलेखों को मंगा सकेगी और उनकी परीक्षा कर सकेगी और उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे।

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश सरकार द्वारा तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पक्षकार को, जिसके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।

12. पुनरीक्षण -

(1) सरकार द्वारा धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन पारित किए गए किसी ऐसे आदेश के विरुध्द, जिसमें धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना की पुष्टि की गई है या जिसमें धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन पारित कि गए किसी आदेश के विरुध्द जिसमें अधिसूचना की कालावधि में वृद्धि की गई या धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन समपहरण के किसी आदेश के विरुध्द, जिसमें उसकी वैधता, शुध्दता या औचित्य को प्रश्नगत किया गया है, पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय में होगा।

(2) इस धारा के अधीन पुनरीक्षण याचिका उपधारा (1) में निर्दिष्ट सरकार की आदेश की प्राप्ति से तीन दिन की कालावधि के भीतर फाईल की जायेगी।

13. अधिसूचित स्थानों पर अतिचार -

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी की आज्ञा के बिना अधिसूचित क्षेत्र में प्रवेश करता है या उसमें बना रहता है तो उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने आपराधिक अतिचार का अपराध किया है।

14. अधिकारिता का वर्जन -

इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय और भारत के संविधान के अधीन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की अधिकारिता तथा

शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाहियों की किसी वाद या कार्यवाही या आवेदन में या अपील या पुनरीक्षण के रुप में किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के बारे में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जायेगा।

15. सद्भावपूर्वक की गई कारवाई का संरक्षण -

इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लि आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुध्द या सरकार के विरुध्द या सरकार की ओर से या सरकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुध्द किसी ऐसी संपत्ति के संबंध में, जिसका कब्जा सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन ले लिया गया है, हुई हानि या नुकसान के लिए कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

16. अपराधों का संज्ञान एवं अनुसंधान -

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होगें।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों की विवेचना निरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी द्वारा जावेगी।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत घटित या दुष्प्रेरित या घटित करने का प्रयास या घटित करने की रूपरेखा प्रदर्शित करने के सभी अपराध संबंधित क्षेत्र के जिला पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुमति के बिना पंजीबद्ध नहीं किए जायेगें।

(4) कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का, उस क्षेत्र या जिलो के जिला दण्डाधिकारी की रिपोर्ट के बिना, संज्ञान नहीं होना।

17. संगठन का गठन -

किसी संघठन की मात्र विघटन के किसी औपचारिक कार्य का नाम में किसी मौखिक या लिखित घोषणा द्वारा परिवर्तन से यह नहीं समझा जावेगा कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है परन्तु ऐसे संगठन या उसके किसी सदस्य का अस्तित्व तब तक समझा जावेगा जब तक कि वह वास्ििवतक रूप से विधि विरुध्द क्रियाकलाप में संलग्र होया उसे चालू रखता हो।

18. नियम बनाने की शक्ति -

सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के समस्त या उसके ही प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधन सभा पटल पर रखे जायेंगे।

Bibliography

Primary Data

Interview

(Salwa judum), Mahandra Karma (Main leader of salwa, interview by Mamata Karade. *Salwa Judum Camping* (8th March , 2013).

(Salwa Judum) Vikas Atami (One leader of Salwa Judum Operation, interview by Mamata karade. (9th March,2013)

(Block Deployment officer) Dantewada and Baster districts, interview by Mamata Karade (16th March 2013)

Residential School in Rehabilitation Camp and Village, Dantewada and Baster, School Teacher and principal, interview by Mamata karade (25th March 2013)

Court case / Judgements

C.Philippe. "Human Rightand Displacement : The Indian Supreme Court Decision on Sardar Sarovar In International Perspective." *The International and Comparative Law Quarterly*, Oct-2001: 973-987.

N. Sundar. “Rehabilitation Plan for Dantewada and Bijapur” On 18.2.2010, the Supreme Court had asked us (petitioners in WP250/2007 and WP 119/2007) to submit a comprehensive rehabilitation plan for victims of state, vigilante and Naxalite violence. It was put together after consultation with and inputs from a number of people. Read the plan submitted in March 2010.

Survey

Danda, Ajit Kumar. *CHHATTISGARH : AN AREA STUDY*. Calcutta: Anthropological Survey of India, 1977.

Kumar.Danda, Ajit. *TRIBAL SITUATION IN NORTHEAST SURGUJA*. Calcutta: Anthropological Survey of India, 1977.

Sinah, Ranjit Kumar. *Bhuriya Janjati : Ek Adhyan.* Kolkata: Anthropological Survery of India, 2007.

Soni, lok Nath. *An Appraisal of Anthropological Perspective in Ethnographic Museams of India.* Kolkata: Anthropological Surver of India, 2005.

Secondary Data

Book

Alexander, Kanjiratharn Chandy, R.R Prasad, and M P Jahagirdar. *Tribal Rehabilitation and Development.* Jaipur: Rawat Publisher, 1991.

Amita.Baviskar. *WATERCAPES.* New Delhi: Uttaranchal permanent black publisher, 2007.

Agarwal, S.K., and P S Dube. *Environment Controversies.* New Delhi: Publishing Corporation, 2002.

Amrita, Patwardhan. *Dams and Tribal People in India.* Washington,DC: The World Bank, 1999.

Adani, Mohan. *Urbanization , Displacemnet and Rehabilitation- A Study of people affectedby Land Auqisition.* New Delhi: Rawat Publication , 2005.

Anuradha, M.Chenoy, and Kamal A.Mitra Chenoy. *MAOIST and Other ARMED Conflicts.* New York: Penguin Books Publishcation, 2010.

Baxi, U, Walter Fernades, and E G Thukral. "Notes ON Costitutional and Legal Aspects of rehabilitation and Displacement." *Development, Displacement and Rehabilitation, ISI*, 1989: P-42.

Baviskar, Amita. *The Belly of the River : Tribal Conflicts over Development in the Narmada Valley*. New Delhi: Oxford University, 2004.

Bhadur, Anil, and Sadgopal Namra Shyam. *Sangharsh aur Nirman.* New Delhi: Rajamal Prakashan Pvt Ltd., 2004.

B.N.Sahay. *Pragmatism in Development:Application of Anthropology.* New Delhi: Bookhive Publication, 1969

Charles, K.J. "What is Development ." *Gandhi Marg*, 1990: 176.

Chaturvedi, H.R. "The Price of Development : A Case Study of Singrauli." *Gandhi Marg*, 1986: 48-52.

Chakravarti, Sudeep. Red Sun-Travels In Naxalite. USA: Penguin Group,USA, 2009.

Chenoy, Anuradha M., and Kamal A Mitra Chenoy. Maoist and Other Armed Conflicts. New Delhi: Anubha Printers, 2010.

C.Sahu. *Tribal Culture and Identity.* New Delhi: Sarup and Sons Publication, 1998.

Chaudhuri, B.B., and A N Bandopadh. *Tribal Forest and Social Farmation in India History.* New Delhi: Manohar Publication, 2004.

Chauhan, A. *Tribal Women and Social Change in India.* New Delhi: A.C.Brother Publication, 1990.

D.S.Nag. *TRIBAL ECONOMY (An Economic study of the Baiga).* Jabalpur: Bharatiya Adimjati Sevak Sangh, 1958.

Dube, S.C. *Modernization and Development The Search For Alternative Paradigms.* New Delhi: Vistaar publisher, 1988.

Dube, S.C, and Yogehs Atal. *Social and Cultural Factors of Development.* Delhi: Abhinav Publisher, 1976.

Elizabeth, Emma haddad (Queen. *The Refugee In International Society.* New York: Cambridge University, 2008.

Forsyth, j. *The highland of Central India an Introduction to* . New Delhi: Cultural Anthropolog of India, 1971.

Fr.eacute, deaute, and Cardine Lefebvre Ri Dierick. "Development Of Displacement of Center of mass during Independent walking in children." *Development Medicine & Child Neurology*, 2004: 533-539.

Geeta, Menon. "The Impact of Migration on the work and tribal Women's Status." *Women and Seasonal Lobour Migration, Sage.*, 1995: 79-154.

Gupta K, Dipak. Understanding Terrorism and Political Violence- The Life Cycle of Birth Growth Transformation,and Demise. USA: Routledge, 2008.

Gupta, Das. "Review of Development and Under Development Frontier." *Frontier*, 1990: 34-40. G.S.Narwant. *Tribal Law In India.* New Delhi: Prem Rawat for Rawat Publication, 2004.

Gond, Shard Chand. *Discovery of Bastar.* Nagpur: R.B.Singh publisher, 2010.

Gupata, Ramnika. *Aadivasi : vikas se Visthapan.* New Delhi: Ramnika Foundation, 2008.

—. *Tribal Contemporary Issuse-Appraisal and Interention.* New Delhi: Ramnika Foundation, 2007.

Hota, Laxmi Bilash, and Suar Damodar. "Displacement and Resettlement in Tribal and Non-Tribal Dominated Dam Projects of Orissa: Who Reconstructs Livelihood and How?" *Psychology & Developing Societies*, 8 Mar 2011: 85-120

J. Goode, William, and Paul K Hatt. *Methods in Social Research.* Delhi: Surjeet publisher, 2006.

Jarja, Sushil, and Surasha Natiyal. *Bhart mein visthapan aur qanoon.* New Delhi: HRLN- Human Right Law Network publisher.Pvt. , 2009. jagdalpuri, lala. *Bastar ka itihas aur Sanskurti.* Bhopal: Madhay Pardash Garnth Akadami, 2007.

Jain, P.C. *Tribal Development an Rehabilitation : A Case Study fo Orissa.* New Delhi: Classical Publishing, 2006.

Jain, P.C., and M S Trivedi. *Tribal Women In India.* Udaipur: Shiva Publication, 1998.

Joshi, G.M. *Tribal Basyar and The British Administration.* New Delhi: Indus Publication, 1990.

K.Mann. *Tribal Women in a Changing Society.* New Delhi: Mittal publication, 1987.

Kumar, Abishek. *Salwa Judum and Violations of Constitonal Mandates.* Bangalore: School of Law, Christ Unversity, 2009.

Kelkar, Govind and D. Nathan. *Gander &* T*ribe.* kali for Women, New Delhi 1991.

Kapadia, Karin. *The Violence of Development the politics of Identity, Gender & Social Inequalities in India.* Kali for Women, New Delhi.2002.

Lipt.Mukhopadhyay. *TRIBAL WOMEN IN DEVELOPMENT*. New Delhi: Divion Publication, 2002.

Labo, and Lancy Shashikant Kumar. *Land Acquisition displacement and resettlement in Gujarat-1947-2004.* New Delhi: Sage Publications, India, 2009.

Leckie, Chris. *Confilct and Right to Housing , land and Property: A Handbook on issues,framework and Solutions.* New York: Cambridge University, 2011.

Mcintosh, Malcolm, and Alan Hunter. New Perspective on Human Security. USA: Greenleaf Publishing Limited, 2010.

M.H.Mathur. *Developement Displacement and Resettlement.* New Delhi: Vikas Publisher, 1995.

Mathur,H.M. *Development, Displacement and Rehablitation Focus on Asian Experiences,Chater1,Indroduction* . New Delhi: Vikas Publisher, 1999.

Mclntosh, Malcalm, and Alan Hunter. *New perspectives on Human Security.* Sheffield: Greenleat Publishing Limited, 2010.

Mukherjee, Bhabannda. *STRUCTURE AND KINSHIP IN TRIBAL INDIA* . Calcutta: Minerva Associates Pvt.Ltd, 1981.

M.K, Varma. *Development,Displacement and Resettlement.* Jaipur: Rawat Publication, 2004.

Mohapatra, B.N. *Resettlement,Improvement and Reconstruction in India : Development for the Deprived.* New Delhi: Vikas Publishing House., 1999

P.W.Preston. *Development theory An Introduction.* UK: Blackwell publisher, 2001.

Nayak, Ranjit. *Land Loss and Land Based Relocation,In M.M.Cernea and Christoper McDowell (eds.) Risks and Recnstruction: Experiences of Refugees and Resettlers.* Washington,DC: The World Bank., 2000

Parasuraman, S. *The Development Dilemma: Displacement In India.* Houndmills: Macmillan Press Publishe, 1999.

Prabhu, Lal Mishra. *The Political History of Chhattisgarh.* Delhi: Saga Publication, 1979.

Powell, Baden. *The Indian Village Community.* Bilaspur: Rawat Publication, 1896.

P.Penz, J K Drydyk, and S P Bose. *Displacement by Development -Ethics, Rights and Rehabilities.* U.K : Cambridge University Press, 2011.

Pandit, R.C. *Development -Vs Displacement of Tribal People in India Problems and Prospects.* Delhi: Abhijeet Publications, 1998.

Pelly, Grace. *State Terrarism* . New Delhi: Human Rights Law Network, 2009.

Patnaik, S.M. *Displacement,Rehabilitation and Social Change: The Case of the Paraja High laners.* New Delhi: Inter-india Publications., 1996.

R, Thapar. *Tribal Cast and Religion in India.* New Delhi: Rajiv Beri Publisher, 1977.

R.Radhakrishnan. *Between Identity and Location The Cultural Politics of Theory* . New Delhi: Orient Longman, 1996.

Shukla, H. L. *Social history of Chhattisgarh.* Delhi: Agam kala Prakashan, 1985.

S.Irudaya, Rajan Vijay Korro, and Rikil Chyrmang. *Migration ,Identity and Conflict, politics of Conflict and Migration.* New Delhi: Routledge Tayor &Francis Group .London, 2011.

S.S.Shashi. *Tribal Women of India.* New Delhi: Deputy Director Publication, 1982.

Shukal, Hirala. *Samkaline Baster 1947 say 2005* . New Delhi: B.R.Publication, 2007.

Shukala, Dr. Harilala. *Bastar ka Mukati Sagram (1774-1920).* Bhopal: Madhay Pardesh Hindi Granth Akadami, 2009.

Singh, A.K. *Dynamics of Tribal Economy.* New Delhi: Serials Publication, 2003.

Singh, J.P., R S Mann, and N N Vyas. *Tribal Women and Devlopment.* Udaipur: The MLV Tribal Research and Traning Institue, 1985.

Sunder, Nandini. *SUBALTERNS AND SOVEREGNS.* Delhi: Oxford University, 2007.

Syad, Ashfq. *Tribal Demography in Madhya Pardesh A Social Economic Study* . Bhopal: Srriram Publication, 1981.

Thakur, D, and D N Thakur. *Tribal Development and Planing.* New Delhi: Deep and Deep , 2009.

Thakur, kaydar Nath. *Baster Bhushan.* Kankayr: Navkar Prakashan , Chhattisgarh, 2005.

Thakur.D, and D N Thakur. *Role of Voluntary Organisationsin Tribal Development* . New Delhi: Deep and Deep, 2009.

Thukural, Enakshi Ganguly. *Big Dams, Displaced People.* New Delhi: Sage Publication, 1992.

Uffard, Philip Quartes Van, and Ananta Kumar. *A Moral Critique of Development In Search of Globai Responsbilities.* London: Roultedge Taylor & Francis Group , New York, 2003.

U.B.Reddy. *Displacement & Rehabilitation.* Delhi: Mittal Publication, 1992.

Varam, N, V Dhagmwar, and S Das. *Industrial Development and Displacement the people of Korba.* New Delhi: Saga Publication, 2003.

Varma, K.M. *Displacement and resettlement.* Jaipur: Rawat Publication, 1998.

Walter, Fernandes. *Development Displacement and Rehabilitation on Development Displacement and Rehabilitation.* New Delhi: Indian Social institute, 1989.

Walter, Fernandes, and Enakshi Ganguly Thukral. *Development, Displacement and Rehabilitation : issues for a national Debate.* New Delhi: Indian Social Institute, 1989.

Wet, Chris. De. *Development-Induced Displacement : Problem policies and People.* Delhi: Berghhon Books Publication , 2006.

Watch, Human Rights. "Being Neutral is our Biggest Crime" Governmen, Vigilante and Naxalite Abuses in India's Chhattisgarh. USA: HRW.USA, 2008.

—. "Dangerous Duty" Children and The Chhattisgarh Conflict. USA: HRW, USA, 2008.

Watch, Human Rights. *Being Neutral is our biggest Crime.* Human Rights Watch, London : printed in the United states of America, 2008.

Zenab, Banu. *Tribal Women Empowerment and Gender Issues.* Delhi: Kanishka Publication, 2001.

Journal / Magazine

A.Pettigrew, and J N Shah. "Windows in to Revolution Ethnographies of Maoism In South Asia." *Springer Science*, 2009: 263-289.

Alexs, A. *Chhattigarh Nav Nirman or Adivasie Vikalup.* New Delhi: Indian Social Intutions , 2003.

Asthana, Vandana. "Forced Displacement A Gendered Analysis of the Tehri Dam projects." *Economic and Political Weekly*, Dec 1, 2012: 96-102.

Banta, R. Benjamin. "Just War Theary and The 2003 Iraq War forced Displacement." *Journal of Refugee studies*, Vol.21,No.3, Nov3,2008: 52-64.

Bhatia, Bela. "Judging and Judgment." *Economic and Political Weekly*, July 23,2011: 14-17.

Billorey, R. "Where Development and for whom." *Land and Water Review*, Vol. 1 No.3, 1991: 45-50.

Bose, P. N. "Chhattisgarh:Notes on it is people,sects and Castes." *Journ,of the Asiatic Society of Bengal*, 1890: No.IV.

Byres, T.J. "The state and Development Planing In India." *1994 ,English, Conference Proceeding.* Delhi: Oxford University Press New York, 1994. 5-50.

Celik, Ayse Betal. "State, Non Government and International Organization in the possible peace processin Turkey,s Conflict-induced Displacement." *Journal of Refugee Studies*, 17 Feb,2012: 104-11

Chinik, Peter Kaba, Joann Regulska, and Beth Mitchneck. "Wher and When is home? the Double Displacement of Georigion IDPS from Abkhazia." *Journal of Refugee Studies*, Vol.23.No.3, 5 Aug.2010: 113-119.

Choudhary, K. "Development Dilemma: Resettlement of Gir Maldhars." *Economic and Political Weekly*, 2000: 30-35.

Das, S Gupta. "Economic of Development ." *Frontier*, March 1992: 7-11.

D.C.Sah. "Development and Displacement Rehabilitation Policy." *Economic and political Weekly*, Dec-1995: 3055-3058.

D.S.Kulkurni. "Problem of Tribal Development in Maharashtra." *Economic and political Weekly*, Sep-1980: 1598-1600.

Daya, K. "The New Tribal States: can they Survive in Modern World?" *Economic and political Weekly*, 2000: 3997-3998.

Desarda, H.M. "Rehablitation of Earthquak Victims- Problem of Housing." *Economic and Political Weekly*, 5 Feb 1994: 291-292.

Development, Ministry of Rural. "Draft national Policy for Rehabilitaion of Persons Displaced as A Consequence of Acquisition of Land." *Economic and Political Weekly*, 15th June 1996: 1541-1545.

Dubhal, Harsh, K Balagopal, and K G Kannabiran. *A Cambat law Anthology (2002-2010).* New Delhi: Human Rights Law Network, 2010.

Desarda, H.M. "Rehabilitation of Earthquake Victims- Problem of housing ." *Economic and Political weekly*, 5th Feb,1994: 291-292.

Development, Ministry of Rural. "Draft National policy for Rehabilitation of persons Displaced as A Consequence of Aquisition of land." *Economic and Political Weekly*, Jun 15, 1996: 1541-1545.

Fanandes, Walter. "Rehabilitation Policy for The Displace." *Economic and Political Weekly*, 20th March 2004: 1191-1193.

Fernandes, Walter. "Resettlement Studies and Specific Issues: Sharing in the benefits of Developement." *Refugee Studies* , 1996: 9-13.

Feiring, Biritte. *"Indigenouse & Tribal Peoples" Rights in Practice : A Guide to ILO Covenfion ON.169.* U.S.A.: International Labour Standards Department , 2009.

Fernades, Walter. "Rehabilitation Policy for The Displacement." *Economic and Political Weekly* , 20th May 2004: 1191-1193.

GautamNavlakha. "Savage War for Development." *Economic and political weekly*, 25th April, 2008: 16-19.

Goyal, Sungeeta. "Economic Perspectives on Resettlement and Rehabilitation." *Economic and Political Weekly*, 15th June 1996: 1461-1467.

Guha, Abhijit. "Resettlement and Rehabilitation." *Economic and Political Weekly*, 12th Nov 2005: 4798-4802.

Guha, Ramachandra. "Adivasis,Naxalites and Indian Democracy." *Economic and Political Weekly*, Aug-2007: 3305-3312.

Gupta, Gautam Navlakha and Asish. "The Real Divide in Bastar." *Economic and Political weekly*, August ,2009: 20-21.

Goyal, Sangeeta. "Economic Perspectives on Resettlement and Rehabilitation ." *Economic and political Weekly*, 15th Jan, 1996: 1461-1467.

Guha, Abhjit. "Resettlement and Rehabilitation First National Policy." *Economic and Political Weekly*, 12th Nov, 2012: 4798-4802.

Joy.Wee. "Exumining Factars Impacting Community Based Rehabilitation In Refugee Camp-A Explorotary Case Study." *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal*, 2010: Vol.21.No.2.

K.Balagopal. "Chhattisgarh : Physiognomy of Violence." *Economic and Political weekly*, 3rd June, 2006: 2183-2186.

K.Balagopal. "The NHRCon Salwa judum: A Most Friendly Inqiry ." *Economic and Policy Weekly*, Jun : 2006: 10-14.

K.Niklesh. "Identity Politics in The Hill Tribal Communities in the North Eastern India." *Socilogical Bulletin*, 2005: 195-217.

kumar, Himanshu. "Who is The Problem, The CPI (Maoist) or the Indian." *Economic and political weekly*,27th Nov, 2009: 8-12.

Kumar, Sujit. "Impact of Rehabilitation policy and LowCrup Yield Rengli Dam in Orissa." *Economic and Political Weekly*, 25th Jun, 2005: 2688-2691.

Kumar, Ajitha. "Being a Naxalite Women." *Victims of Violence*, Vol.1.No.2, March 2000: 22-34

Lyer, Ramasmamy R. "Tward A Just Displacement and Rehabilitation Policy." *Economic and political Weekly*, 28th July, 2007: 3103-3107.

Mathew, Areeparampil. "Displacement Due to Mining In Jharkhand." *Economic and Political Weekly*, June 15 1998: 1524-28.

Manipadma.Jena. "Orissa : Draft Resttilement and Rehabiliation Policy,2006." *Economic and Political weekly*, 4th Feb 2006: 384-387.

Menon, A., and V N Saravana. "Displacement and Rehabilitation policies : a case of the Kolli hill Hydroelectic Project." *Economic and Political Weekly*, Jun-1996: 2854-2855.

Milklian.Jason."The Purification Hunt: The Salwa Judum Counterinsurgency in Chhattisagrh,India." *Springer Science and Business Media*, 2009: 441-459.

Mishra, Sujit Kumar. "Impact of Rehabiliation Policy and low Crap Yield." *Economic and Political Weekly*, 25 June 2005: 2688-2691.

Modi, Renu. "Resttlement and Rehabilitaion In Urban Centres." *Economic and Political Weekly*, 7th Feb 2009: 20-21.

Manipadma, Jena. "Orissa Draft Resettlement and Rehabilitation policy 2006." *Economic and political Weekly* , 4th Feb, 2006: 384-387.

Modi, Renu. "Resttlement and Rehabilitation In Urban Center ." *Economic and political weekly* , 7th Feb, 2009: 20-22.

Mohan, Niruj, Arvind Narratn, Nitin R Deepu, and Clifton Rozario. "Relief and Rehabilitation Ensuring Inclusion." *Economic and political Weekly*,9th April, 2009: 1493-1495.

Mohanty, Biswaranjan. "Displacement and Rehabilitation of Tribal ." *Economic and political Weekly* , 26th Mar, 2005: 1318-1320.

Mallavarapu, Ram Babu. "Developemnt,Displacement and Rehabilitation: An Action Anthropological Study on Kovvada Reservoir in West Godavari Agency of Andhra pradesh." *International Journal of Social Sciences*, 2006: 35-41.

Nagaraj, R. "Fall in Organised Manufacturing Employment." *Economic and Political Weekly* (1232-1235), 2004: 1232-1235.

Narrain, Arvind, Niraj Mohan, Nitin R Deepu, and Clifton Rozarto. "Relief and Rehabilitaion." *Economic and Political Weekly*, 9th April 2005: 1493-1995.

Navalakha, Gautam. "War For Development." *Economic and Political Weekly*, Apr-2008: 16-17.

Neema.Pathak, and Ashish N koothari. "The Report on the National Conference of Rashtriya Ven Shramjeevi March 30th-Sep to 2nd Oct." *Economic and Political Weekly*, 1998: 1234-1236

Nina, Schrepfer. "Addressing Internal Displacement Through Natioanl laws and policies:A plea for a promising means of protection." *International Journal Refugee law*, Vol.24, No.4. 19 Nov.2012: 667-691.

Prasand, Archana. "The Political of Maoist Violence in Chhattisgarh." *Social Scientist*, Mar-April:2010: 3-24.

PUCL, PUDR,APDR and IAPL. "Facts about Salwa Judum." *Economic and Political weekly,* Dec 17-23, 2005: 5350-5436.

Punwani, Jyoti. "Traumas of Adivasi : Women in Dantewada." *Economic and Political weekly*, January ,2007: 276-278.

Patnaik.S.M. "Displacement and Rehabilitation Policy: The Orissa Experience." *Tribal Policy in India*, 1997: 20-34.

Ramesh, M. K. *LEGAL NATINGS ON INVOLUNTARY DISPLACEMENT REHABILITATION AND LARGEDAMS.* 20th Jun , ISI, 1989.

R.Lyer, Ranaswamy. "Toward A just Displacement and Rehabiliation policy." *Economic and Political weekly*, 28th July 2007: 3103-3107.

Reeparampil, A. "Displacement Due to Mining In Jharkhand." *Economic and Political Weekly*, 1996: 1524-1528.

Roy, Himanshu. "SALWA JUDUM." *Frotier*, Nov-2010: 1-6.

S.Madhu. "Scheduled Tribes Bill." *Economic and Political Weekly*, May-2005: 1423-1425.

S.Netarhat. "Development and Displacement." *Economic and Political Weekly*, 2008: 1055-1056.

Sahaee, Roopee. "National Rehabilitaion Policy : Many Loopholes." *Economic and Political weekly*, Feb8 2003: 1250-1253.

Sen, Binayak. "An Appeal for Peace in South Bastar." *Economic and Political weekly*, Oct 25, 2008: 4-114.

Sen, Jai. "National Rehabiliation Policy-A Critique." *Economic and Political Weekly*, 05 Feb 1995: 241-244.

Singh, Shekhar. "Displacement and Rehabilitaion." *Economic and Political Weekly*, 30th Dec 2006: 5307-5309.

Sunder, Nandni. "Bastar,Maoism and Salwa Judum." *Economic and Political Weekly*, 22 th July 2006: 22-27.

Sunder, Nandni. "The Tragedy of Chhattisgarh." *Econoimc and Political weekly*, 28th Nov, 2009: 161-162.

Sahaee, Roopee. "National Rehabilitation policy : many loopholes ." *Economic and Political Weekly*, 4th Feb, 1995: 510-512.

Sen, Jai. "National Rehablitation policy : A Critique." *Economic and politcal Weekly*,4th Feb, 1995: 241-244.

Singh, Shekhar. "Displacement and Rehabilitation A comparison of two policy Drafts." *Economic and political Weekly*, 30th Dec, 2006: 5307-5309.

Suykens, Bert. "The Gotte Koya IDP mystery: Tribal Identity and the IDP-Migrant Comtinuum in the Chhattisgarh ." *Journal of Refugee Studies*, Vol.24.No.1 , 25th Jan2011: 54-67.

U.Ramanathan. "Displacement and Law." *Economic and Political Weekly*, Jun-!996: 1486-1491.

Unni, jeemol., and G S Ravindran. "Growth of Employment(1993-94 to 2004-05) Illusion of Inclsivness?" *Economic and Political Weekly*, 2007: 2654-2655.

V.Saravana. "Environmental History of Tamil Nadu State Law and Decline." *Modern Asian Studies*, Jun-Dec 2007: 723-67.

Walter, Fernnandes. "Construction Workers, Powerlessness and Bondage: The Case of the Asian Games." *Social Action*, 1986: 264-291.

weekly, Economic and Political. "Wages of Counter-Insurgency." *Economic and Political weekly*, 18th March, 2006: 1-2.

Report / Act /Gazettes Documents

An Enquiry in to the ground Situation in Report “War in the heart of India” Dantewada District Chhattisgarh.20th July 2006

Chakravarti, Superukash. *SALWA JUDUMANEW FRONT OF HIDDEN WAR THE INSIUE STORY*. Raipur: The Report CPI (Maoist) Chhattisgarh State Committee , 2008

Commission, Planning. *Government of India Tenth five year plan.* New Delhi: Government of India, 2005

Chhatisgarh, State. *An Ideal Rehabilitaion Policy2007 of State of Chhattisgarh.* Raipur: The Government of Chhattisgarh Revenue ,Disaster Management Rehabilitation Department., 2007.

Chhattisgarh, State. *Chhattisgarh Special security Act 2005.* Raipur: Government of Chhattisgarh , 2005

Das, Amul kumar. *IMPACT OF TEA INDUSTRY ON THE LIFE OF THE TRIBALS OF WEST BENGAL.* Calcutta: Government of India, 1964

Fact-Finding Team Report. “Caught in an Irresposible War” Baster divison. 12-16 May 2016.

Guha, Ramchandra, and Farah Naqvi Harivansh. "Salwa Judum : War in the Heart of India : Excerpts from the report by the Independent Citizens." *Social Scientist*, Aug-2006: 47-61.

India, Govt. Of. *Report of the Committee on Rehabilitation of DisplacedTribals Due to Development Projects.* Govt. Of India, New Delhi: Ministry of Home Affairs, 1985.

India, Government of. *National Policy on Resettlement and Rehabilitation for Project Affected Families-2003.* New Delhi: Published in the Gazettes of India., 2004.

K.Mahapatra, Lakshman. "Testing The Risks and Reconstruction Model On India's Resettlement Experienus." In *The Economics of Involuntary Resttlement: Questions and Challenges*, by Michael M. Cernea, 186-224. Washingtog D.C: The World Bank, 1999.

K.S.Ramchandran. *Campaign for Peaceand Justice in Chhattisgarh (CPJC).* Ramchandran, Raipur: A Report Recommends Withrawal if Salwa Judum, 2007.

Kujur, M.J. "Development-Induced Displacement in Chhattisgarh : a Case Study from A Tribal Perpective." *Social Action*, 2008: 2372-2374.

Laya Resource Center. 'Current Global Status CDM Projects in India: Do they truly promote Sustainable Development" Report 2003. Pg.22.

Pandey, Balaji., and B K Rout. *Development induced Displacement in india : Impact on Women.* Balaji, New Delhi: National Commission for Women Report, 2007.

Rights, Asian Center for Human. *The Adivasis of Chhattisgarh: Victims of the Naxalite movement and Salwa Judum Camoaingn.* Asian Center for Human Rights, New Delhi: Asian Center for Human Rights, 2006.

Sen, Soma, Ilina V Sen, and E Pancholi. *Salwa Judum and Violence onWomen in Dantewada Committee Against Violence on Women (CAVOW).* Soma Sen, Raipur: Deshbudha Department of Publication, 2007.

Conference

Rath, B. "National Resettlement and Rehabilitation (R&R) Policy of The Government of Indiafor Project Affected Persons: Issues and Challenges." *1st international Conference on Managing the Social and Environmental of Coal Mining in India.* Dhanbad, Australian: New SouthWales and Australian National University,Australia., 2007. 19-21.

Hindi Book / Report

श्यामाचरण दुबे, 'विकास का समाजशास्त्र', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2000.

श्यामाचरण दुबे, 'भारतीय ग्राम' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2000.

सिम्तु कोठारी, ' किसका राष्ट्र ? विकास बनाम विस्थापन' , रेनबो पब्लिशर्स लिमिटेड नई दिल्ली 1998.

आर सी. वरमानी, 'समकालीन राजनितिक सिध्दांन्तों का परिचय' गीतांजलि पब्लिसिंग हॉउस, नई दिल्ली 2005.

कुमार. उमेश, ' आदिवासी महिलाओं का शैक्षणिक एंवम सामाजिक,आर्थिक अध्ययन' मित्तल प्रकाशन, नई दिल्ली 2007.

रमणिका गुप्ता, 'आदिवासी विकास से विस्थापन' राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली , 2004.

वेरियर,एलविन, 'मुरिया और उनका घोटुल' भाग १,२ 'राजकमल प्रकाशन प्रा. लि.दरियागंज नई दिल्ली, '2008

शुक्ला,हरिलाल, 'आदिवासी अस्मिता और विकास' मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, 1997

खलखो,रेशमा, 'जनजातीय महिलाएँ सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में'. क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली. 2006

शुक्ल, हीरालाल, 'प्राचीन बस्तर (अर्थात दंडकारण्य का सांस्कृतिक इतिहास)' नागपुर:आर .बी. सिह. 2010

सिंह, अनूप कुमार, 'जनजातियों पर ग्रामीण विकास का प्रभाव' सूर्या बुक, 2009

सरकारी, दस्तावेज, 'छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005' छत्तीसगढ़ सरकार 2005

सक्सेना,विवेक, व् राजेश, सुशिल, 'नक्सलीय आतकंवाद' प्रभात प्रकाशन, 2010

एम्.अन्सारी.एन, ' नारी चेतना और अपराध' जयपुर पंचशील प्रकाशन, जयपुर 1986

सिन्हा,किशोर.अनिल, 'मध्य प्रदेश की आदिम जनजातियाँ' इलाहाबाद के.के इलाहाबाद, पब्लिकेशन इलाहाबाद 1998

ग्रिग्सन. डब्लू.वी, 'मध्य प्रान्त और बरार में आदिवासी समस्याएँ' राजकमल प्रकाशन,नई दिल्ली, 2008.

शर्मा, एन,के, 'पहाड़ी कोरवा आदिम जनजाति सामाजिक,सांस्कृतिक पृष्टभूमि' भोपाल, आदिवासी शोध संस्था,भोपाल,1994

छत्तीसगढ़, शासन, 'विकास योजनाएं वर्ष 2004' रायपुर आदिमजाति और अनुसूचति जाति विकास विभाग, रायपुर 2004

आत्रे,पी. जे. 'क्राईम अगेंस्ट वुमेन' विकास पब्लिकेशन हॉउस नई दिल्ली 1998

बैली, डॉ.वीना, 'वायलेन्स अगेंस्ट वुमैन' कृष्णा प्रकाशन,नई दिल्ली 1987

आहूजा, डॉ राम, 'क्राईम अगेंस्ट वुमैन' कृष्णा प्रकाशन,नई दिल्ली 1998

आप्टे, डॉ प्रभा, 'भारतीय समाज में नारी' क्लासिकल पब्लिशिग हॉउस जयपुर, जयपुर 1996

गुप्ता, धनश्याम, 'अबूझमाडिया जमात एक प्रारंभिक अवलोकन' जनजातीय विभाग, रायपुर,1980

शर्मा,ब्रम्हदेव, 'आदिवासी विकास एक सैध्द्तिक विवेचन' भोपाल मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रथ अकादमी 1986

सिंन्हा,अनिल किशोर, 'मध्य प्रदेश कि आदिम जनजातियाँ' के.के पब्लिकेशन, इलाहाबाद 1998

एक्का,अलेक्स, 'झारखंड : विस्थापन और पुनर्वास'भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली. 2003.

राजकिशोर, 'हिंसा की सभ्यता' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2008.

ज्योति,अरुण. मराण्डी,जीतन, 'विस्थापन एंव जनआंदोलन' विस्थापन विरोधी जनविकास आंदोलन, राची,2015.

चौबे.कमल नयन, ज्याँ,द्रेज, ' भारतीय नीतियों का सामाजिक पक्ष' वाणी प्रकाशन, 2017.

चौबे.कमल नयन, 'जंगल की हकदारी राजनीति और संघर्ष - सामयिक विमर्श' वाणी प्रकाशन,2015.

सिंह,वी एन. सिहं जनमेजय, 'आधुनिकता एंव महिला सशक्तिकरण' रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली.2010.

बी.के रायबर्मन,नेहरु तथा आदिवासी "सुचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली अंतगर्त: रोजगार समाचार स्वतंत्रता दिवस विशेषांक 12 अगस्त, 1989

भारत सरकार 72-1971.अनुसूचित जतियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट प्रकाशन विभाग,नई दिल्ली. भारत सरकार.

भारत सरकार,2006 वार्षिक रिपोर्ट 2004-05 नई दिल्ली, भारत सरकार नई दिल्ली जनजातीय:कार्य मंत्रालय

सागर प्रीत.1993, "जनसमूह और जनजातियाँ" रोजगार समाचार पत्रिका, खण्ड-17-20,नई दिल्ली.

सुधारानी श्रीवास्तव,1997 "भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, नई दिल्ली,कामनवेल्थ:पब्लिकेशन नई दिल्ली.

Hindi new paper

- अमृत संदेश (2000) ‘ आजाद भारत के गुलाम नागरिको की व्यंथा कि कथा’ (15 मार्च),
- दैनिक भास्कर (2000) ‘ अदिवासियो के सामाजिक एवं अर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज’ (5 अप्रैल),
- देशबन्धु (2000) ‘ दंतेवाडा के पास स्टील में आदिवासी का स्थान’ (27 अप्रैल),
- देशबन्धु (2000) ‘ रायपुर बिलासपुर में मुख्यालयो का बटंवार बर्दाशत नही-नेताम’ (11 अग्रस्त),
- देशबन्धु (2000) ‘भूमिहिन आदिवासियो को जमीन दिलाने मे जन आदोलन की जरुरत-राजगोपाल’(13 सितंबर),
- देशबन्धु (2000) ‘ पृथक बस्तर राज्य के लिए बाजारों में पर्चे बंटे’ (8 दिसंबर),
- हाईवे चैनल (2001) ‘ बैगा आदिवासीयो ने कल मुख्यमंत्री से भेट की’ (1 जनेवरी),
- हाईवे चैनल (2001) ‘ जगंल में बसे आदिवासियों को बेद्खल नहीं करेंगे-जोगी’ (17 जनेवरी),
- देशबन्धु (2001) ‘आदिवासियो की कितनी जमीन गैर आदिवासियो को बाटी’ (1 मई),
- देशबन्धु (2001)’ बस्तर मे स्टील प्लांट के काम में तेजी आई’ (8 फ़रंवरी),
- देशबन्धु (2001) ’छ्तीसगढं-मप्र मे आदिवासी बेदखल किए जा रहे है-शर्मा’(8 मई),
- नवभारत (2007) ‘बडे बांधो से परिस्थितिकी विनाश : अरुंधती राय’ (25 अक्टुबंर),
- जनसत्ता (2007) ‘ नदीग्राम पर सरकार बह्स को तॆयार- विप की कार्यवाही ठप की’ (2 नवंबर),
- जनसत्ता (2007) ’नदीग्राम और विकास की अवधारणा’(26 दिसंबर),
- अमृंर्त संदेश (2008) ‘सिगुर ना बन जाये रेंकी’ (7 सितंम्बर),
- अमृंर्त संदेश (2008) ‘भूमि को लेकर कबीर पंथियों में उबाल’(27 सितंम्बर),
- अमृंर्त संदेश (2008) ‘ बीपीपी का राखडं बाध फ़ूटा’ (26 सितंम्बर),
- दैनिक भास्कर (2008) ‘आखिर नेनॊ का सिगुर को टाटा’(3 सितंम्बर),
- दैनिक भास्कर (2008) ‘सिगुर आंदोलन का संदेश’ (4 सितंम्बर),
- दैनिक भास्कर (2008) ‘ सिगुर तय करेगा विकास का एजेंडा’ (5 सितंम्बर),
- दैनिक भास्कर (2008) ‘ सेज परियोजनांए भी मुशिक्ल में’ (16 दिसंबर),

- दैनिक भास्कर (2008) ‘ भूमि का अधिग्रहण न्यायपूर्ण ढ्ग से किया जाए’ (29 सितंम्बर),
- दैनिक भास्कर (2008) ‘नही लगने देंगे टाटा का स्टील प्लांट’ (24 दिसंबर),
- ह्ररिभूमि रायपूर (2008) ‘टाटा का वापस होना लगभग तय’ (4 दिसंबर),
- हरिभूमि रायपूर (2009) ‘ भू-अधिग्रहण कानुन मे संशोधन से जनहित होगा’ (23 सितंम्ब्रर),
- जनसत्ता (2008) ‘ सिगूर मे झड्प और लाठिचार्ज ’ (4 सितंम्बर),
- जनसत्ता (2008) ‘बेचारी नेनो और सिगुर के भडेती किसान’(7 सितंम्बर),
- नई दुनिया (2008) ‘ सहने होंगे ओधोगीकरण के दर्द ’(9 सितंबर),
- नवभारत (2008) ‘ मोहड जलाशय का सर्वे अतिम चरण में-विस्थापितो का पुर्णवास’ (25 दिसंबर),
- जनसत्ता (2009) “अदिवासियो ने फूका बगावत का बिगुल- जमीन अधिग्रहण कानुन का विरोध’ (15 जनेवरी),
- नई दुनिया (2009) ‘ जमीन अधिग्रहण के बाद भी नही मिली नोकरियां (1 सितंबर),
- नवभारत (2009) ‘ किसानों की जमीन अधिग्रहित करने की तेयारी’ (12 जनवरी),

English new Paper

- Guha, Ramcharan. "A History of Abuse." *The Hindustan Time* , 27th May 2008: pg.2-3.
- Chronicle (1999) “Tales from the Bastar woods” (Raipur 16th June.) pg.3
- Chronicle (1999) “Tribal women spit on Government” (24th November) pg.3
- Chronicle (1999) “Tribal Identity Jeopardised: Samaru” (Dantewada, 28th December.) pg.2
- Chronicle (1999) “Tribal laws not being implemented” (Bhopal, 18th December.) pg.2
- Chronicle (1999) “Tamarind deal in Bastar-forest workers’ union demand CBI probe” (Raipur Madhya Pradesh, 3rd December) pg.2
- Chronicle (2000) “Van-dhan frees Tribals from middleman” (Raipur, 14th January) pg.3
- Chronicle (2000) “Tribal dominant regions need more central aid” (Raipur, 12th February 12) pg.2
- Chronicle (2000) “Save indrawati agitation, rally on Mar15” (3rd March) pg.2
- Chronicle (2000) “Scheme for upliftment of tribals”(Raipur, 2nd March.) pg.3
- Chronicle (2000) “suicidal cases increasing among tribals” (Dantewada, 16th May) pg.2

- Chhattisgarh (2000) “Tribals Saved Forests” (Chronicle News Service, 16th May) pg. 2
- Chronicle (2000) “Tribals to be given forest land ownership: balu” (United News of India , Jabalpur, 17th June) pg.1
- Chhattisgarh (2000) “Migratory Bastar tribals face hardship in Andhra” (20th June) pg2
- Chronicle (2000) “Tribal self-rule Act crossroads -I” (9th July.) pg1
- Chronicle (2000) “tribal self-rule crossroads-II” (16th July) pg. 2
- Chhattisgarh (2000) “Displaced tribals for Justice” (14th July), pg.2
- Chhattisgarh (2000) “Development process needs father acceleration” (13th October) pg.3
- Chhattisgarh (2000k) “Tribal Development is top priority of govt” (13th November) pg.1
- Chhattisgarh (2000) “First CM likely to be a tribal” (30th November.) pg.3
- Chhattisgarh (2000) “Orissa Dam Blocks flow of Indrawati water into Bastar” (22th December.) pg.3
- Chhattisgarh (2001) “Tassar industry needs attention” (Jagdalpur,27th February) pg.1
- Chhattisgarh (2001) “Tribals Demand protection of rights” (United News of India, Raipur, 16th February) pg.2
- Chhattisgarh (2001) “Sixteen lack sanctioned for kumar tribes diverted to other head” (Raipur Monday, 30th April.) pg.3
- Chronicle (2002) “Van-dhan’ policy of Bastar now state policy” (jagdalpur,1st March) pg.3
- The Hindu (2007) “Keep Omkareshwar Dam level at 189 meters: court (7th September) pg.2

Website-

Gatada, Subhash. *The Naxalite left at the Beginning of the Millennium.* Nov 5, 2000. http://www.massline.info/India/Gatade.htm (accessed on 12th Jan Firday, 2013).

Lopez, Barry. *Idiom of the Ancient-Abujhmad's Garpa.* August 12, 2013. http://www.globalplatform.fi/blog/idiom-ancient-abujhmads-garpa (accessed on 12th Sept, 2013).

Magioncalda, William. *A Modern Insurgency : India's Evolving Naxlite Problem.* April 8, 2010. http://csis.org/files/publication/SAM_140_0.pdf (accessed on 20st Sept, 2013).

Nan, Barry. *Chhattisgarh Cops on toes after Red Meet Intel Input- Sate Government Increases Force In Maoists Stronghold In Baster Areas. 1st* February Sunday, 2012.

http://www.punemirror.in/article/4/20120205201202050819039581aec2fb9/Chhattisgarh-cops-on-toes-after-Red-meet-intel-input.html (accessed on 13 st Sept Monday, 2013).

Rights, Asian Central for Human. *http://www.achrweb.org/reports/india/AR06/chhattisgarh.htm.* March 17, 2006. http://www.achrweb.org/reports/india/AR06/chhattisgarh.htm (accessed on 13st Jan friday , 2013).

Rights, Asian Centre for Human. *http:www.pucl.org/Topics/Human-rights/2005/salwa-judum-report.htm.* Jan 10, 2007. http:www.pucl.org/Topics/Human-rights/2005/salwa-judum-report.htm (accessed on 16 st Jan Friday, 2013).

Sanhati. *List of Victims of operation Gree hunt In Chhattisgarh Since August 2009.* June 13, 2011. http://sanhati.com/excerpted/3665/ (accessed on 20 st Spet , 2013).

Sethi,Aman."GeenHunt:TheAnatomyofonOperation(TheHindu)." *http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/green-hunt-the-anatomy-of-an-operation/article101706.ece.* Febuary6,2010. (accessed on 6st Febuary 2010)

http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/green-hunt-the-anatomy-of-an-operation/article101706.ece (accessed on 20st Sept, 2013).

Teltubde, Anand. *Operation Gree Hunt A Perspective of political Economy.* January 16, 2010. http://www.bannedthought.net/India/MilitaryCampaigns/Condemnation-1001/OGH-PoliticalEconomy-100116.pdf (accessed on 20st Sept , 2013).

http://www.ceeraindia.org/documents/art_ed_mkr_160300.htm (accessed on 26th July, 2013).

Shttp://scholar.google.co.in/scholar?hl=en&q=development+and+displacement++theory+in+india&btnG= (accessed on 6st Aug , 2013).

http://www.cseindia.org/node/221, Sunita Narain Annual Report. 2007-2008,2008-2009,2009-2010. New Delhi. (accessed on 9th Aug 9,2015)

http://www.laya.org.in/Publications/publication.html Annual Report (accessed on 5th Oct..2016)

https://revolutionaryfrontlines.wordpress.com/2010/08/26/fact-finding-report-on-the-anti-displacement-movement-in-india/ (accessed on 16th Oct ,2016)

http://tehelkahindi.com/salwa-judum-once-again/2/?singlepage1(accessed on 19th July2016)

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/3994 (accessed on 12th April, 2017)

English and Hindi PhD Thesis

An analytical study of socio-economic conditions of tribal farmers in Bijnor district of U.P. State, Mohammad Awais, Rais Ahmod 8 Sep.2013.

Development displacement and rehabilitation: a sociological case study of Sea Bird Project, Karwar,Mangalekar,Ramesh,S. Patil.R.B, 5 Nov 2013

Political of development, problem of displacement and rehabilitation of tribals: a case study of a project in Orissa, Parida. jayanta, Mathur, Kuldeep 7 Jan 2014

Micro-Processes and Institutions in tribal agrarian economies: a study of two villages in Orissa. Mishra, srijit, Ro, G.N 6 Apr 2014

Development, displacement and rehabilitation in India and Bangladesh: a comparative study of Hirakud and kaptaidams. Nayak, Arun Kumar. Mukherji, I.N 9 May 2014

Marginalization and Identity politics the tribal question in Kerala. Kumar,k, Sunil. Seethi, K.M 13 Jun 2014

Impacts of socio-economic changes on tribes of Waynad in the colonial and post-colonial period A study with special reference to kurichias. Rajan E. K. Vajyan, T.M. 3Sep 2013

Displacement from wildlife protected areas and its impact on poverty and livelihood security: a study of kuno wildlife sanctuary, Madhya Pradesh. Kabha, Asmita, Jha, Praveen. 1 Dec 2013

“अनुसूचित जनजातियाँ में राजनैतिक चेतना एंव विकास राज्य सरकारी योजनाओं मूल्यांकन, बस्तर जिले छत्तीसगढ़” सिहं आनदं, सूर्यवंशी डी.एन. 2 मई 2012. रविशंकर शुक्ला विश्वविध्यालय, छत्तीसगढ़.

“छत्तीसगढ़ के सामाजिक, राजनैतिक,संचेतना के विकास में स्वत्रंता सग्राम सेनानियों का योगदान एक इतिहासिक”अर्चना कोरी,शम्पा चौबें, आभा रूपेंद्र पाल,15 ऑक्टोबर 2014. रविशंकर शुक्ला विश्वविध्यालय, छत्तीसगढ़.

“अबूझमाड जनजाति के विकास कार्यक्रमों का मानवशास्त्रीय मूल्यांकन'' सिहं, राजेन्द्र, प्रो. मजुला गुहा 2003, रविशंकर शुक्ला विश्वविध्यालय, छत्तीसगढ़.